नवम माला, खंड 4, अंक 30

बुधवार, 25 अप्रैल, 1990
5 वैशाख, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)



No. 62
Date 26.11.91

(खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

(मूल्य : चार रुपये)

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जावेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 25 अप्रैल, 1990/5 वैशाख, 1912 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
5	12	"गजेश" के स्थान पर "गणेश" पढ़िये ।
	22	"बाड़" के स्थान पर "बाढ़" पढ़िये ।
19	नीचे से 3	"श्री शरन यादव" के स्थान पर "श्री शरद यादव" पढ़िये ।
32	नीचे से 11	"साटे" के स्थान पर "साठे" पढ़िये ।
36	10	"राज्य" के स्थान पर "राज्य मंत्री" पढ़िये ।
41	नीचे से 10	"आई एस0केडार थेरापि" के स्थान पर "इस्केडॉर थिरेपी" शीर्षक सहित पढ़िये ।
49	8	"रीतिलाल" के स्थान पर "रीतलाल" पढ़िये ।
60	नीचे से 7	"क्याण" के स्थान पर "कल्याण" पढ़िये ।
81	नीचे से 17	"(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये ।
95	नीचे से 7	"(क)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये ।
122	नीचे से 10	"श्री डा0अमात" के स्थान पर "श्री डी0अमात" पढ़िये ।
310	नीचे से 2	"शुक्रवार" के स्थान पर "गुरुवार" पढ़िये ।

विषय-सूची

नवम माला, खंड 4, दूसरा सत्र, 1990/1911-12 (शक)

अंक 30, बुधवार 25 अप्रैल, 1990/5 वैशाख, 1912 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		1-17
*तारांकित प्रश्न संख्या : 594, और 597 से 600		
प्रश्नों के लिखित उत्तर		18-199
तारांकिन प्रश्न संख्या :	595, 601, 602 और 604 से 614	18-25
अतारांकित प्रश्न संख्या :	6383 से 6390, 6392 से 6413, 6415 से 6421, 6423 से 6430, 6432, 6434 से 6442, 6444 से 6458, 6460, 6462 से 6464, 6466 से 6474, 6476 से 6488, 6490 से 6525, 6527 से 6529, 6531 से 6568, 6570 से 6598 और 6600 से 6618	25-199
पटल पर रखे गए पत्र		199 201
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		201
तीसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत		
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति		201
दूसरा प्रतिवेदन तथा बैठकों के कार्यवाही सारांश		
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण		201-233
एक्सप्रैस समूह की कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा विभिन्न कर-विधियों का कथित उल्लंघन		
श्री हरीश रावत		201, 216
प्रो० मधु दण्डवते		201-216

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
श्री पी० आर० कुमारमंगलम	222
श्री बसन्त साठे	224-233
कार्य-मंत्रणा समिति	234-236
आठवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	
नियम 377 के अधीन मामले	236-239
(एक) किसानों को, विशेषकर उत्तर प्रदेश के कानपुर, फतहपुर, बांदा, जालौन, इटावा और हमीरपुर आदि जिलों में अपनी भूमि पर खेती करने के लिए समुचित सुविधाएं दिए जाने की मांग	
श्री केशरी लाल	236
(दो) यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में नेहरू युवा केन्द्र ठीक प्रकार कार्य करें, प्रत्येक केन्द्र में एक समिति गठित किए जाने की आवश्यकता	
डा० असीम बाला	237
(तीन) दादरा और नगर हवेली में सहकारी चीनी कारखाना लगाए जाने के प्रस्ताव को छोड़ देने की आवश्यकता	
श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर	237
(चार) अरुणाचल प्रदेश में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के उचित कार्यकरण के लिए कदम उठाने की मांग	
श्री लेइता अम्बरी	237
(पांच) दरभंगा-फारबिसगंज लेटरल सड़क के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की मांग	
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	238
(छः) बिहार के भोजपुर जिले में उन व्यक्तियों को, जिनकी फसलें आग से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, मुआवजा दिए जाने की मांग	
श्री तेज नारायण सिंह	238
(सात) उत्तर प्रदेश में बरेली में मेडिकल और इन्जीनियरिंग कालेज खोले जाने हेतु आगामी योजना में धनराशि आवंटित किए जाने की मांग	
श्री संतोष कुमार गंगवार	238
अनुदानों की मांगें, (सामान्य) 1990-91	239-267
गृह मन्त्रालय	और 280-287
श्री मनोरंजन भक्त	239

विषय	पृष्ठ
श्री कृपाल सिंह	242
श्री तरित बरण तोपदार	250
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	252
श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता	254
श्री पीयूष तीरकी	255
श्री धर्मपाल शर्मा	256
श्री कपिल देव शास्त्री	258
श्री जगपाल सिंह	259
श्री कंकर मुंजारे	261
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ।	264
नियम 193 के अधीन चर्चाएं	263-280
(एक) देश में साम्प्रदायिक स्थिति	और 288-319
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद	263
(दो) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर अत्याचार	288-319
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा	288
श्री दिलीप सिंह भूरिया	292
श्री हेतराम	295
कुमारी मायावती	299
श्री आर० एन० राकेश	302
श्री रेशम लाल जांगड़े	306
श्री सरजू प्रसाद सरोज	308
श्री सुखेन्दु खां	310
श्री पीयूष तीरकी	313
श्रीमती विद्या चेन्नुपति	314
श्री खेदी पासवान	317

लोक सभा

बुधवार, 25 अप्रैल, 1990/5 वैशाख, 1912 (शक)

लोक सभा 11.03 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सरदार सरोवर परियोजना के लिए विश्व बैंक का दल

[अनुवाद]

+

*594. श्री हरिभाऊ शंकर महाले

श्री राम बहादुर सिंह :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी स्वयंसेवी संगठन ने सरदार सरोवर परियोजना के प्राधिकारियों के विरुद्ध विश्व बैंक प्राधिकारियों से यह शिकायत की है कि सरदार सरोवर परियोजना के प्राधिकारी विस्थापित व्यक्तियों को राहत देने और उनका पुनर्वास करने की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या विश्व बैंक ने इन शिकायतों की जांच करने हेतु एक दल भेजा है;

(ग) क्या विश्व बैंक के दल की सलाह पर, विश्व बैंक ने सरदार सरोवर परियोजना के लिए धनराशि का आबंटन रोक दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उन 90,000 लोगों के पुनर्वास के लिए कौन से उपाय किए हैं, जिनकी भूमि और घर परियोजना के अन्तर्गत जलमग्न हो गए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित पुनर्वास और पुनर्स्थापना मुद्दों पर विश्व बैंक को कुछ स्वैच्छिक अभिकरणों ने अभ्यावेदन किए हैं ।

(ख) और (ग) जी, नहीं ।

(घ) गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश तीनों राज्यों ने पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी अपनी नीतियां घोषित कर दी हैं । इनके अनुसार परियोजना की निर्माण अनुसूची को ध्यान में रखते हुए पुनर्वास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है । तथापि, अब तक कोई गांव जलमग्न नहीं हुआ है ।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ शंकर महाले : मान्यवर, सरदार सरोवर परियोजना के सम्बन्ध में लोगों के पुनर्वास के बारे में कई शिकायतें आई हैं और इस कारण विश्व बैंक ने धनराशि का आबंटन रोक दिया है, क्या यह सच है और दूसरी बात मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि इस परियोजना में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों के कितने-कितने गांव और कितनी-कितनी जमीन डूब में आती है और उनके पुनर्वास के लिए क्या नीति अपनाई है, उनके पुनर्वास का क्या तरीका है और कब तक उनका पुनर्वास हो जाएगा ? प्रत्येक राज्य के बारे में अलग-अलग ब्यौरेवार बताया जाए ?

[अनुवाद]

श्री मनुभाई कोटाड़िया : सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि विश्व बैंक ने अब तक की गई शिकायतों की जांच हेतु कोई दल नहीं भेजा है। मैं विश्व बैंक द्वारा 20 अप्रैल, 1990 को जारी किया गया एक पत्र प्रस्तुत करूंगा। इसमें कहा गया है—

> "इन शिकायतों की जांच के लिए बैंक का कोई दल विशेष रूप से नहीं भेजा गया है। परियोजना स्थल पर नियमित रूप से जाने वाले बैंक के निगरानी दल इन शिकायतों को ध्यान में रखते हैं।"

अतः मैं कहना यह चाहता हूं कि जहां तक सरदार सरोवर परियोजना का सम्बन्ध है, वहां अभी तक कोई दल नहीं भेजा गया है। केवल इतना ही नहीं, विश्व बैंक से पत्र भी प्राप्त हुआ है। यह पत्र 13 दिसम्बर, 1989 को लिखा गया था और उस पत्र में यह कहा गया है—

> "गुजरात में लोगों को पुनर्वास और उन्हें फिर से बसाने के संबंध में हो रही प्रगति से हम संतुष्ट हैं। बेघर हुए लोगों को भूरि आबंटन करने में उनकी उपलब्धि निश्चय ही ध्यान देने योग्य है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, यह मालूम होता है कि वर्ल्ड बैंक की कोई शिकायत नहीं है, जो शिकायत की गई है वह वन-साइडेड और जैसा मैंने कहा कि वर्ल्ड बैंक में रुकावट नहीं है, जो प्रोग्राम तय किया गया है उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा। गुजरात के बारे में बताऊंगा।

[अनुवाद]

पहले दो गांव—मोरवाड़ी और धुमना 1991-92 में अस्थायी रूप से डूब सकते हैं। सौ वर्षों में एक बार जो बाढ़ आती है। धुमना में जो 28 परिवार प्रभावित होने जा रहे हैं, उन्होंने कृषि भूमि का चयन कर लिया है और 21 परिवारों को दस्तावेज पूरे होने के बाद कृषि भूमि दे दी गई है। जहां तक मोखम का सम्बन्ध है, 116 परिवारों ने भूमि का चयन कर लिया है और 111 परिवारों को दस्तावेज आदि पूरा होने के बाद कृषि भूमि आवंटित कर दी गई है। मोरवाड़ी गांव के शेष परिवार स्थान का चयन कर रहे हैं।

जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है, सबसे पहले 1992-93 में पांच गांव जलग्मन हो जाएंगे। ये गांव हैं—धनखेड़ी, हनाल, भुखाड़ी, मांडवा और पौला। उनकी पुनर्स्थापना भारत सरकार के पर्यावरण और वन मन्त्रालय द्वारा पुनर्स्थापना के लिए करीब 2700 हैक्टेयर वन भूमि को स्वीकृति दिए जाने पर निर्भर है।

[हिन्दी]

परामर्श चल रहा है डिपार्टमैंट के साथ और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी जगह मिल जाएगी और जगह मिलने से इनकी प्राब्लम सौल्व हो जाएगी ।

[अनुवाद]

जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है, सरदार सरोवर परियोजना के कारण प्रभावित होने वाले 193 गांवों में से 1992 में केवल 1 गांव जलसिंधी और 1994 में अन्य 15 गांव जलमग्न हो जाएंगे ।

[हिन्दी]

अब कोई विलेज नहीं है, जब मानसून आएगा उसमें कुछ विलेज जाने वाले हैं और उनके लिए पूरी योजना तैयार की गई है ।

श्री हरिभाऊ शंकर महाले : महाराष्ट्र में 1972 से 1978 तक जिन लोगों के पास फोरेस्ट की जमीन थी वह जमीन अभी तक रिवैन्यू विभाग में वर्ग नहीं हुई है । इस जमीन के बारे में क्या सरकार नुकसान की भरपाई के बारे में सोचेगी ? यहां पर अभी तक खरीद-बिक्री का व्यवहार नहीं हुआ । गुजरात में जो खरीद बिक्री का व्यवहार हुआ है, उनको बहुत कम धनराशि मिलने वाली है । 20 मई को गुजरात में इस बात को लेकर विरोध भी प्रकट होने वाला है । क्या वह विरोध प्रकट होने से पहले सरकार उनको जमीन के हिसाब से धनराशि देने वाली है या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री मनुभाई कोटाड़िया : महोदय, जहां तक अनाधिकृत कब्जों का संबंध है, मैं अनुरोध करता हूं कि जिन लोगों ने 31 मार्च, 1979 से पहले अनाधिकृत कब्जे कर लिए हैं, वह 2 हैक्टेयर भूमि पाने का अधिकारी होगा ।

[हिन्दी]

वह पालिसी के तहत उनको मिलने वाला है । इसके अलावा कम्पेन्सेशन का जो प्रिसक्राइब्ड फार्मूला है उसके मुताबिक वह उनको दिया जाएगा ।

श्री हरिभाऊ शंकर महाले : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी इस संबंध में आपका फार्मूला है, वह बिल्कुल गलत है । गुजरात के लोगों को मुआवजे के रूप में कुछ भी मिलने वाला नहीं है । मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो उन्होंने इस संबंध में मांग की है, उसके मुताबिक उनको आप धनराशि दे रहे हैं या नहीं ?

श्री मनुभाई कोटाड़िया : महाराष्ट्र की फैमिलीज कुल 279 इससे एफेक्टिड हुई हैं । गुजरात का मामला भी हमने सैटल कर दिया है । वहां डेढ़ सौ से ज्यादा लोग ऐसे नहीं हैं ।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : अध्यक्ष महोदय, कुछ समय से सरदार सरोवर बांध को लेकर देश में बड़ी प्रतिक्रिया खड़ी होती जा रही हैं कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इसका जबर्दस्त समर्थन कर रहे हैं । इस मामले में चिन्ता की बात यह है कि जो मध्य प्रदेश के 193 गांव उजाड़े जाएंगे उन सब लोगों को बसाने की जो समस्या है उसके संबंध में सरकार ने कोई विचार किया है ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जिन लोगों को इस बांध के बनने

के कारण विस्थापित किया जाएगा उनके लिए कितनी जमीन गुजरात में निर्धारित कर दी गई है, उसका कितना विकास हो गया है और क्या सब प्रकार की सुविधाएं उनको पुनर्वास करने के लिए मिल गयी हैं ? एक भाग मेरे प्रश्न का यह है और दूसरा भाग मेरे प्रश्न का यह है कि क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने इस सारे मामले का पुनरीक्षण करने के लिए कोई पत्र केन्द्र सरकार को लिखा है ? अगर लिखा है तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मनुभाई कोटाड़िया : मैं माननीय सदस्य के दूसरे पार्ट का उत्तर पहले यह देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए कोई पत्र मुझे भेजा नहीं है। रिसैटिलमेंट के लिए जो योजनाएं तैयार की गई हैं उसमें से कुछ योजनाएं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हमें दी हैं। जिन लोगों की जमीन इससे प्रभावित होगी उनको उनको कम से कम दो एकड़ लैंड मिलने वाली है। इसके अलावा बसाने के जो प्रोग्राम हैं उनके तहत उन्हें 540 पर-स्कवेअर यार्ड जमीन दी जा सकती है।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, हमारे मन्त्री जी गुजरात के हैं। मैं मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के सारे के सारे विलेज इस बांध के बनने से डूबने वाले हैं। वह जमीन जो इससे प्रभावित होने वाली है वह बहुत अच्छी जमीन है और उस जमीन में पैदावार भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन दुख की बात है कि आप इसके बदले में ऊबड़-खाबड़ जमीन दे रहे हैं जिसे किसान भी पसंद नहीं करते हैं। इस बात को लेकर वहां बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। निर्माण के किनारे जलसिंधी नामक स्थान पर बाबा आमटे एक गुमटी बनाकर बैठे हुए हैं। अधिकतर आदिवासी लोगों की जमीन इसमें डूबने वाली है। अगर आप इसके बदले में धनराशि दे भी देंगे तो न जाने वह धनराशि कहां चली जाएगी। वह यहां दिल्ली में 17 तारीख को आंदोलन करने के लिए आए थे, उनको कोई नेता बता देता है कि आप फलां जगह पर जाओ, वह चले जाते हैं और परेशान हो गए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार नर्मदा पर जो सरदार सरोवर बांध है उसकी ऊंचाई को कम करके जो आदिवासी किसान हैं, जिनकी अच्छी जमीन डूब में जा रही है, उसके बदले में सिंचित जमीन आप उनको देने की व्यवस्था करेंगे ? आप रेगिस्तान में जाकर ऊबड़-खाबड़ जमीन किसानों को न दें, मैं यह मन्त्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं और मन्त्री जी से आशा करता हूं कि वे स्पष्ट उत्तर देंगे।

श्री मनुभाई कोटाड़िया : सबसे पहले मैं यह बता दूं कि कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए जमीन तो चाहिए, जमीन के बिना कुछ नहीं हो सकता। डैम बन रहा हो या कोई बिल्डिंग बन रही हो तो उसको बनाने के लिए जमीन की जरूरत होगी। हमारे देश में कई इतने बड़े प्रोजेक्ट भी तैयार किए गए हैं कि जिनमें 25 परसेंट सिंचित एरिया गया है, एक लाख हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा पाने के लिए···

श्री दिलीप सिंह भूरिया : वह मुझे मालूम है। आप क्या व्यवस्था करेंगे, यह जानना चाहता हूं ?

श्री मनुभाई कोटाड़िया : मध्य प्रदेश की सरकार ने भी उसके लिए एक योजना बनाई है और जिन लोगों की जमीन डूब में जाने वाली है, उन सबको दो हैक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड देने का प्रावधान किया गया है और जो जमीन उनको देने के लिए तैयार की गई है, वह भी कृषि के लायक है।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, सारा सदन जानता है कि गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जो पिछले 4-5 सालों से अकालग्रस्त होता जा रहा है, वहां सिंचाई की व्यवस्था और पीने के पानी की

व्यवस्था बहुत कम है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यह सरदार सरोवर योजना या नर्मदा योजना जो कि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के लोगों के लिए जीवन की एक अमूल्य वस्तु है, लाइफ लाइन है, जिसके बिना वह चल नहीं सकते हैं तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह यह योजना निर्धारित टाइम में पूरा करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री मनुभाई कोटाड़िया : अध्यक्ष महोदय, सदस्यों की जो चिन्ता है।

[अनुवाद]

मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं। लेकिन कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

[हिन्दी]

और स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए जो कार्यक्रम तय किया है, उस कार्यक्रम के मुताबिक आगे चलने के लिए हमने भी राज्य सरकार को एडवाइस दी है।

[अनुवाद]

प्रो० राम गजेश कापसे : भारत सरकार, विश्व बैंक और महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था। क्या उसमें यह शर्त रखी गई थी कि परियोजना के पूरा होने के बाद, लोगों को फिर से बसाए जाने के बाद, लोगों का जीवन-स्तर बेहतर हो जाएगा अथवा वैसा तो रहेगा ही अर्थात जैसा उनकी पुनर्स्थापना से पूर्व था ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस को पूरा किया जायेगा।

श्री मनुभाई कोटाड़िया : मैंने पहले भी इस सम्माननीय सदन में आश्वासन दिया था कि इस शर्त को पूरा किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : इस पर हाफ एन ऑवर डिस्कशन होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दीजिए, देखा जाएगा।

उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण योजनाएं

[अनुवाद]

*597. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पहले से शुरू की गई उन बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें धनराशि की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है;

(ख) इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी धन-राशि देने का विचार है;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में कुछ नई बाढ़ नियन्त्रण योजनाएं कार्यान्वित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) कार्य-बल ने लगभग 12.21 करोड़ रुपये की आगे लायी गई लागत सहित उड़ीसा के सुवर्ण-रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, वन्सधारा, महानदी तथा वुरहाब्लंग नदी बेसिनों में सातवीं योजना की निर्माणाधीन बाढ़ प्रबन्ध स्कीमों के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान 4.15 करोड़ रुपए के परिव्यय की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) आठवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

श्री गोपीनाथ गजपति : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या कार्य दल की सिफारिशों के अनुसार सातवीं योजना में 12.21 करोड़ रुपये की बढ़ाई गई राशि के स्थान पर चालू वर्ष के लिए केवल 4.12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यह कुल लागत का करीब एक-तिहाई है और इसे अपर्याप्त माना गया है। क्या मन्त्री महोदय हमें बताएंगे कि पिछले कुछ वर्षों में उड़ीसा राज्य में बाढ के कारण हुई अत्यधिक हानि को दृष्टिगत रखते हुए इस सहायता राशि को और बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री मनुभाई कोटाड़िया : महोदय, कार्य दल ने 1990-91 के दौरान 4.15 करोड़ रुपए के परिव्यय की सिफारिश की है। मैं यह पहले ही कह चुका हूं। हम जानते हैं कि बाढ़-नियन्त्रण उपाय और सिंचाई उपाय मुख्यत: राज्य सरकार द्वारा ही किए जाते हैं। राज्य सरकार को यह धनराशि अपने ही संसाधनों से जुटानी पड़ती है। राज्य सरकार के संसाधनों को देखते हुए, हमें यह कहना चाहिए कि केवल इतनी ही राशि जुटाई जा सकती है ?

श्री गोपीनाथ गजपति : महोदय, चूंकि ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार के पास धन की हमेशा कमी रहेगी, क्या सरकार समूचे देश में इन बाढ़ राहत योजनाओं के लिए धन देने के लिए विश्व बैंक से ऋण लेने के बारे में सक्रियता से विचार कर रही है ?

[हिन्दी]

श्री मनुभाई कोटाड़िया : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए राज्य सरकार से दरख्वास्त आएगी तो दरख्वास्त से अन्दाजा निकालकर जो हो सकता है, उसके लिए डैफिनेटली राज्य सरकार से पूछेंगे।

[अनुवाद]

श्री वी० कृष्ण राव : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह जानकारी है कि, कर्नाटक में, वर्ष 1988 और 1989 के दौरान जो धनराशि दी गई·····

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए अलग से नोटिस देने की आवश्यकता है। यह एक विशेष राज्य उड़ीसा के बारे में है।

श्री वी० कृष्ण राव : महोदय, राज्य अलग है किन्तु यह भी बाढ़ राहत कार्य से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु श्री राव इसके लिए एक विशेष नोटिस देने की आवश्यकता है।

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं मन्त्री महोदय से यह जाना चाहता हूं कि उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1990-91 में बाढ़ उपायों के लिए केन्द्र सरकार से कितना धन मांगा है। मेरे प्रश्न का दूसरा भाग

यह है। यदि कुछ राज्यों में आशा से अधिक नुकसान हुआ और यदि सम्बन्धित सरकार की स्थिति पहले ही से खराब हो और वह अधिक धनराशि उपलब्ध न करा सकती हो तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस स्थिति में केन्द्र सरकार उन योजनाओं को शुरू करेगी ताकि राज्य सरकार को उस स्थिति से बचाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री मनुभाई कोटाड़िया : अध्यक्ष जी, जैसाकि मैंने बतलाया, फ्लड कन्ट्रोल का काम राज्य सरकार का है और राज्य सरकार फण्ड मांग सकती है और उसके लिए सेंट्रल एसिस्टेंस जा सकती है।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि····

अध्यक्ष महोदय : यह स्पष्ट है।

श्री लोकनाथ चौधरी : नहीं, महोदय, यह स्पष्ट नहीं है। मैंने पूछा था कि क्या राज्य सरकार ने धनराशि मांगी है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, क्या राज्य सरकार ने कोई फंड मांगा है ?

श्री मनुभाई कोटाड़िया : राज्य सरकार ने केन्द्र से ऐसा कोई फंड नहीं मांगा है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, सरदार सरोवर परियोजना और ऐसे अन्य बाढ़ नियंत्रण उपायों के बारे में आजकल बहुत विवाद चल रहा है। दोनों तरफ से तर्क-वितर्क दिए गए हैं। जनता को इस सम्बन्ध में प्रकाश डालने के लिए और हमें विश्वास में लेने के लिए यह उचित है कि बांध की ऊंचाई, जलमग्न हुए कुल क्षेत्रफल और विस्थापितों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि आदि मामलों के बारे में एक श्वेत-पत्र जारी किया जाए। ये सब बातें श्वेत-पत्र में लिखी जानी चाहिए। क्या मन्त्री महोदय इस बात से सहमत हैं कि इस बारे में एक श्वेत-पत्र जारी किया जाना चाहिए।

श्री मनुभाई कोटाड़िया : वह सरदार सरोवर परियोजना के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

नसबंदी के नकली मामले

[हिन्दी]

*598. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में नसबंदी के नकली मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की जिला-वार संख्या कितनी है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या किसी ऐसी नीति का पालन किया जा रहा है कि यदि स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है, तो उसे दंड दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में परिवार नियोजन स्वीकारकर्ताओं के नमूना सत्यापनों के आधार पर पिछले दो वर्षों, अर्थात 1988-89 और 1989-90, के दौरान पुरुष नसबंदी के 180 मामले फर्जी पाए गए । सूचना मिली है कि इन व्यक्तियों ने सेवाओं का लाभ उठाने से इन्कार कर दिया । ऐसे मामलों की जिलेवार सूची का एक विवरण उपबंध में दिया गया है । जैसे ही कोई फर्जी मामले ध्यान में आते हैं, तो राज्य सरकार उनकी जांच कराती है ताकि संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके । उसके बाद वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिकूल इन्दराज करना, वार्षिक वेतन-वृद्धियां रोकना, दक्षतारोध पार न करने देना आदि कार्रवाइयां आरम्भ की जाती हैं । उत्तर प्रदेश में पुरुष नसबंदी के फर्जी सूचित किए गए 180 मामलों में से 18 मामलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निदेश दिए गए हैं कि वे संबंधित अधिकारियों से खर्च हुई धनराशि की वसूली करें और उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिकूल इन्दराज करें । अन्य 15 मामलों में कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया गया है और उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की जा रही है । शेष मामलों में जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है । भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम को देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुरूप पूर्णत: स्वैच्छिक आधार पर बढ़ावा दिया जा रहा है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कैफेटेरिया एप्रोच अपनाई जाती है जिसमें विभिन्न परिवार नियोजन तरीकों की सुविधा है और यह स्वीकारकर्ता पर छोड़ दिया जाता है कि वह अपनी जरूरत के अनुसार अपना मनपसंद कोई भी तरीका चुन सके । बहरहाल, परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों से आशा की जाती है कि वे उनके लिए समय-समय पर आबंटित लक्ष्यों को हासिल करें । परिवार नियोजन लक्ष्यों को हासिल करने के प्रति तात्कालिकता और महत्व की भावना पैदा करने के लिए राज्य सरकारें अनेक उपयुक्त कार्यनीतियां/कदम उठा रही हैं । इनमें कुछ ऐसे राज्यों में दण्ड की व्यवस्था भी शामिल है जहां पर कार्यनिष्पादन निर्धारित स्तरों की तुलना में काफी निराशाजनक है ।

अनुबन्ध

वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान उत्तर प्रदेश में नकली मामलों की जिलेवार सूची

क्र० सं०	जिले का नाम	संख्या
1.	बहराइच	5
2.	आजमगढ़	2

क्र०सं०	जिले का नाम	संख्या
3.	बांदा	1
4.	देहरादून	1
5.	सहारनपुर	2
6.	गोरखपुर	6
7.	बस्ती	2
8.	अलीगढ़	81
9.	बरेली	1
10.	शाहजहांपुर	3
11.	बाराबंकी	1
12.	फर्रुखाबाद	5
13.	बदायूं	3
14.	पीलीभीत	3
15.	कानपुर (देहात)	1
16.	उन्नाव	1
17.	मैनपुरी	1
18.	प्रतापगढ़	1
19.	मथुरा	2
20.	जौनपुर	24
21.	बिजनौर	15
22.	देवरिया	15
23.	इलाहाबाद	4
	योग :	180

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पास जो आंकड़े हैं और मंत्री जी ने जो आंकड़े अपने उत्तर में दिए हैं वे बहुत ही भिन्न हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार से ही हासिल करके ये आंकड़े दिए हैं। मेरे पास आंकड़े वर्ष 85-86, 86-87, 87-88 के हैं। इन वर्षों में एक सर्वे हुआ था और उसमें दस परसेंट केस फर्जी पाये गये थे। मजेदार बात यह है कि मैंने जो दो वर्ष के विवरण मांगे हैं उनके बारे में बताया गया है

कि दो वर्षों में 180 केस फर्जी पाये गये। उनमें से भी दस परसेंट केसिज में पैसे लिए जा रहे हैं। मजेदार बात यह है कि मैंने जो विवरण मांगे हैं दो वर्ष के उन दो वर्षों में मेरे जनपद बरेली में केवल एक केस दिखाया गया है। अगर मंत्रीजी कहें तो मैं केसिज ला कर के बता सकता हूं। पांच सौ रुपये चार सौ रुपये दे कर के फर्जी केस ला कर के दे सकता हूं। क्या मंत्री जी उस विवरण के बारे दुबारा जांच कराएंगे जो विवरण उन्होंने सभापटल पर रखा है ?

श्री रशीद मसूद : माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है उसको मैं मानता हूं। मैंने वह आंकड़े दिए हैं जो मुझे प्रस्तुत किए गए हैं। चूंकि हमारे पास कम्पलेंट्स आयी हैं उनके मुताबिक हमने उनको देखा है। हमारे मंत्रालय में जो प्रोफोर्मा होता है उसमें मैंने एक एडीशन करायी है। इनको देखने से पता चलता है कि किसी खास लोकेलिटी में पचास परसेंट केसिज ट्रेक आऊट नहीं हुए। मैंने कहा है कि इसको आप इसमें लगाएं कि ऐसा आदमी एग्जिस्ट नहीं करता है। जो आदमी एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो उसे केस कैसे माना जा सकता है। हमारे माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है उस सिलसिले में हम कोशिश करेंगे कि आइन्दा जो हम पैसा देंगे वह सही तौर पर इस्तेमाल हो। अगर माननीय सदस्य कोई केस देंगे तो हम उसकी जांच करायेंगे।

श्री संतोष कुमार गंगवार : मैं माननीन मंत्री जी के उत्तर से काफी संतुष्ट हुआ हूं। मुझे लगता है कि अगर केन्द्रीय सरकार जांच कराए तो साठ परसेंट से ज्यादा केसिज फर्जी पाए जायें। क्या इस समय जनसंख्या वृद्धि और परिवारों की आवश्यकता को देखते हुए सरकार कम्पलसरी परिवार नियोजन पर विचार कर रही है ? अगर कर रही है तो इसके सम्बन्ध में क्या योजना है ?

श्री रशीद मसूद : देखिये यह सरकार की पालिसी नहीं है। यह एक मेनमेंटिव इशु है और इस मामले में कम्पलसरी करने की सरकार की कोई नीति नहीं है। हम लोगों को इस बारे में इंसेंटिव दे करके इसे ज्यादा कर पायेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है।

[अनुवाद]

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : महोदय, एक सुस्पष्ट पद्धति निर्धारित की जानी चाहिए जिससे कि जाली मामले न हों। इसकी तत्काल आवश्यकता है। सभी नागरिकों के लिए परिचय-पत्र या पासपोर्ट जारी किए जा सकते हैं। राशन की दुकान से आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए नागरिक आपूर्ति कार्ड के साथ एक पासबुक भी होनी चाहिए जिसमें यह इंगित किया गया हो कि उस व्यक्ति के पास कितनी भूमि है ताकि उसी पासबुक के माध्यम से ऋण आदि सुविधाएं प्राप्त की जा सकें। इस संबंध में कोई सुस्पष्ट पद्धति अपनायी जानी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या मैं मन्त्रीजी के ध्यान में यह बात ला सकता हूं कि आई. ए. एस. अधिकारी और अन्य सरकारी कर्मचारी जैसे चौकीदार द्वारा नसबन्दी या नलबन्दी का आपरेशन करवाये जाने पर चाहे पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है ? परिवार नियोजन के आपरेशन करवाये जाने पर दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों को अलग-अलग लाभ दिए जा रहे हैं। राज्यों में एक आम सरकारी कर्मचारी जैसे चौकीदार को अगर वह परिवार नियोजन आपरेशन करवाता है तो उसको एक या दो अग्रिम वेतन-वृद्धि की जाती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, ऐसे व्यक्ति को दो अग्रिम वेतन-वृद्धियां दी जाती है। उस मामले में, उसे पूरे सेवा-काल में कुल 25,000 से 30,000 रुपए प्राप्त होंगे। क्या माननीय मन्त्री उन लोगों को जो परिवार नियोजन आपरेशन करवाते हैं उन्हें लाभ के रूप में कम से कम 10,000 रुपए देने पर विचार

करेंगे ? मैं यह भी सुझाव दूंगा कि आवास, बैंक ऋण और अन्य राजसहायता को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जाना चाहिए ।

श्री रशीद मसूद : वास्तव में, माननीय सदस्य द्वारा दिए गये सुझाव बहुत अच्छे हैं और हम उन पर विचार करेंगे और इस बारे में माननीय सदस्य को सूचित करेंगे ।

डा० राम चन्द्र डोम : हमने देखा कि देश में परिवार नियोजन का आपरेशन शुरू में अधिकतर पुरुषों द्वारा ही करवाये जाते थे । अब यह प्रवृत्ति कम होती जा रही है क्या मन्त्रीजी परिवार नियोजन का आपरेशन करवाने वाले पुरुषों के प्रतिशत के बारे में बता सकते हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार नसबन्दी आपरेशन करवाने वाले पुरुष के लिए कोई प्रोत्साहन देने और प्रेरित करने के लिए किसी कार्यक्रम के बारे में सोच रही है ?

श्री रशीद मसूद : यह अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है । इसलिए एक अलग से नोटिस की आवश्यकता है ।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, नसबंदी केसेज के बारे में विभागों में लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाते हैं और उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जायज-नाजायज नसबंदियां की जाती हैं । अगर इन लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जाता तो सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता, प्रमोशन रोक दिया जाता है । इस तरह से कम्पलसरी नसबंदी के नाम पर लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों से कहा जाता है कि अगर तुम कंपलसरी नसबंदी नहीं कराओगे, कोटा पूरा नहीं करोगे तो तुमको वेतन नहीं मिलेगा, इस बारे में मन्त्री महोदय का क्या कहना है ।

दूसरी बात यह है कि नसबंदी हो जाने के बाद भी बच्चे पैदा हो जाते हैं, नसबंदी का सर्टिफिकेट लिए घूमते हैं और बच्चे पैदा हो जाते हैं । इस तरह की नसबंदी के बारे में मन्त्री महोदय का क्या कहना है ।

श्री रशीद मसूद : माननीय सदस्य ने जो मसला उठाया है, केन्द्र सरकार तो इस तरह का कोई पनिशमेंट नहीं देती । राज्यों में इस तरह की बात है तो राज्यों की सरकारों को इसके लिए उचित निर्देश दिए जाएंगे ।

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष महोदय, नसबंदी का जो टारगेट फिक्स किया जाता है, होता यह है कि एडवांस्ड जिले जब अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते तो उस टारगेट को ट्राइबल एरियाज में शिफ्ट कर दिया जाता है, इस तरह से ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में वह टारगेट डबल हो जाता है । क्या इस बारे में केन्द्र सरकार की कुछ डायरेक्शंस हैं, यदि नहीं हैं तो क्या इसको चैक करके रोका जाएगा ।

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष महोदय, असल में जो ओरिजनल क्वैश्चयन है वह उत्तर प्रदेश के बारे में है । यह प्रोब्लम दूसरी जगह भी है, माननीय सदस्य अगर लिखकर भेजेंगे तो उस पर इन्क्वायरी करवायेंगे और एक्शन लेंगे ।

[अनुवाद]

डा० असीम बाला : जैसाकि हम जानते हैं, गांवों में 20-30 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति साक्षर

नहीं हैं, और 70 प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं। क्या सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर धन खर्च करने के बजाय शिक्षा पर अधिक धन खर्च करने पर विचार करेगी जिससे कि लोग शिक्षा के माध्यम से परिवार नियोजन के फायदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और स्वत: ही वे ऐसे तरीके अपनाएंगे। क्या सरकार ग्रामीण लोगों की शिक्षा पर धन खर्च करने पर विचार करेगी ?

श्री रशीद मसूद : धन को अन्य कार्यों पर खर्च करने का प्रश्न नहीं है, लेकिन इस माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री वी० शंकरानन्द : इस समय हमारी जनसंख्या 80 करोड़ है और शताब्दी के अन्त तक, मैं नहीं जानता इस देश की जनसंख्या क्या होगी ? 100 करोड़ हो सकती है जिन कार्यक्रमों में ज़बरदस्ती होती है उनका आम जनता द्वारा तथा उन कार्यक्रमों को लागू करने वालों द्वारा भी विरोध होता है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं जो यहां प्रथम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि क्या सरकार जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर कार्यक्रम जो जबरदस्ती के आधार पर नहीं हो, चलाने पर विचार कर रही है क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने इस देश का स्वास्थ्य नीति संबंधी दस्तावेज तैयार किया था। क्या आप इस कार्यक्रम को सरकार का कार्यक्रम बनाने के बजाय लोगों का कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं तथा क्या आप लोगों को स्वेच्छा से इस कार्यक्रम को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे ?

श्री रशीद मसूद : हम इस कार्यक्रम में स्वैच्छिक संगठनों को उच्च प्राथमिकता देंगे।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि वे एजूकेटिव मैयरस लेकर फैमिली प्लानिंग के टारगेटस को पूरा करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का फैमिली प्लानिंग का टारगेट कितना है और वह कौन-कौन से एजूकेटिव मैयरस लेने जा रही है ? सरकार की योजनाएं क्या हैं ?

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने मामला उठाया है, इस सैंच्यूरी के के अन्त तक हम टारगेट्स को 1.8 प्रतिशत लाना चाहते हैं। जो इस वक्त 2.04 प्रतिशत है। इस सिलसिले में हम एजूकेटिव पॉलिसी अपनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसको वाइडर पब्लिसिटी दी जाए। क्योंकि मुल्क के लिए और इंडीवीजुअल आदमी के लिए यह बहुत जरूरी है। अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं और हमारे बच्चों को तन्दुरुस्त रहना है तो हम फैमिली प्लानिंग का कोई न कोई तरीका अपनाएं। स्कूलों में जो टीचर्स है हम उनको भी कहेंगे, उनकी भी पायलेंटरी सर्विसिज को लेंगे। वे भी इंडीविजुअल को, लोगों को इस बारे में जानकारी दें।

जहां तक पब्लिसिटी मैयरस का सवाल है हम रेडियो और टी० वी० का प्रयोग जनरल पब्लिक को इनवाल्व करने के लिए कर रहे हैं।

किसानों को लाभकारी मूल्य

*599. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में किसानों को अपनी उपज का

बिचौलियों के कारण मंडियों में लाभकारी समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार ने इन किसानों को मंडियों में लाभकारी समर्थन मूल्य दिलाने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

[अनुवाद]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) और (ख) सरकार के पास इस आशय की कोई सूचना नहीं मिली है कि बिहार में किसानों को विनिर्दिष्टियों के अनुरूप अनाज को निर्धारित समर्थन मूल्यों से कम मूल्यों पर मजबूरन बेचना पड़ा था।

(ग) भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारों और उनकी एजेन्सियों के साथ सरकार द्वारा घोषित किए गए समर्थन मूल्यों पर अनाजों की खरीदारी करता है। जहां कहीं आवश्यक होता है, वहां क्रय केन्द्र खोले जाते हैं ताकि किसानों को मूल्य समर्थन दिया जा सके।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री का जवाब न केवल असंतोषजनक है, बल्कि अस्पष्ट है। माननीय मंत्री ने अस्पष्ट रूप से कहा है भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार की एजेंसीज के साथ सरकार द्वारा घोषित किए गए समर्थन मूल्य पर अनाजों की खरीद करती है और जहां आवश्यकता होती है वहां क्रय केन्द्र खोले जाते हैं। बाजार के अन्दर मण्डियां नहीं होने से, एफ० सी० आई० की व्यवस्था नहीं रहने के कारण बड़े व्यापारी और होर्डर्स किसान का कच्चा माल खरीद कर उनका भयंकर शोषण कर रहे हैं। क्या सरकार को इसकी जानकारी है ? सरकार ने क्या कोई जिलों में मण्डियों में क्रय केन्द्र खोलने के मापदण्ड निर्धारित किए हैं ?

श्री नाथू राम मिर्धा : केन्द्र नहीं खोलने या अन्न नहीं खरीदने की शिकायतें सरकार के पास बिहार के लोगों और वहां की सरकार द्वारा नहीं आई हैं। अभी भी गेहूं के दाम बिहार में 260 रुपये प्रति क्विंटल है और 215 रुपये मिनीमम प्राइस तय हुई है। सात स्थान एफ. सी. आई. खोलेगी और 62 सेन्टर आपकी राज्य सरकार खोलगी, वह खोलने की तैयारी में है, पर अभी भाव ऊंचे हैं खरीदने की गुंजाइश पैदा होगी तो हम मैदान में आएंगे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सरकार कोई ऐसे केन्द्र का नाम बता दे बिहार में जिसे नये केन्द्र खोलने के अन्तर्गत खोला हो जिससे किसानों को समर्थन मूल्य मिल सके ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपसे बोल रहा हूं कि तैयारी में है। पहले भी सेन्टर खुले हैं। जो केन्द्र अभी एफ० सी० आई० की तरफ से खोले गए हैं गया, सासाराम, आरा, बक्सर, चकिया, चनपटिया, मुजफ्फरपुर, गुलाब बाग में खोले गए हैं। उसका परिणाम क्या रहा यह भी मैं आपको बताता हूं। 1985-86 में जो सेंटर खोले उस समय 25 हजार टन चावल खरीदा गया और 4 हजार टन गेहूं खरीदा गया, 1986-87 और 1987-88 में कुछ नहीं खरीदा गया, क्योंकि कीमतें ऊपर रहीं और एफ० सी० आई० की जो मिनीमम प्राइस थी दोनों अनाजों की उस पर कोई बेचने वाला राज्य सरकार की संस्थाओं को कोई किसान तैयार नहीं था। 1988-89 में 14 हजार टन चावल खरीदा लेकिन गेहूं नहीं खरीदा। सन् 1989-90 में न गेहूं और न ही चावल खरीदा गया लेकिन इस साल खरीदने की तैयारी है। अब एफ० सी० आई० के सात केन्द्र हैं। मुझे केन्द्र खोलने

में कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिहार के माननीय सदस्य जाकर देखें कि किसान को 215 रु० से नीचे दाम मिल रहा है तो और बिक्री केन्द्र एफ० सी० आई० के खुलवा दूंगा। यदि राज्य सरकार भी चाहेगी तो उनसे खुलवा दूंगा। किसान को एक दमड़ी का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।

श्री वसंत साठे : यह बात तो ठीक है कि सरकार किसान को उसका उचित दाम दे रही है और दाम बढ़ा भी रही है ताकि किसान को ठीक दाम मिलें और यदि किसान को बाजार में अच्छा दाम नहीं मिलता तो एफ० सी० आई० खरीदे, यही उद्देश्य है। सर, आपने अभी कहा कि बाजार में अच्छे दाम मिलें तो क्यों वह जबरदस्ती बेचे ? इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि एफ० सी० आई० के गोदाम में सामान रखने का इंतजाम है, उसमें लॉस हो रहा है। इसलिए सरकार उन मिडिलमैन एजेंसीज को रिमूव करेगी क्योंकि एफ० सी० आई० के गरीब कर्मचारी ठेकेदारों द्वारा शोषित किए जा रहे हैं। यह शिकायत उन कर्मचारियों की आई है, आप इसके बारे में क्या करने वाले हैं, यह बताइये ?

श्री नाथू राम मिर्धा : अध्यक्ष जी, यह प्रश्न विषय से हटकर है। अगर ये अलग से सवाल उठायेंगे तो जवाब दूंगा। दूसरी जो जानकारी मैं देना चाहता हूं कि सरकार ने पहले नेफेड को कोर्स ग्रेन खरीदने के लिए एक तरह से तय किया हुआ था, उसको हटाकर अब खरीफ का धान, बाजरा, ज्वार, रागी इत्यादि जो भी पैदावार होगी, उसके खरीदने का इन्तजाम भी एफ०सी०आई० ने कर लिया है। इसलिए आगे उसके दाम घोषित किए जाएंगे जिसे एफ० सी०आई० खरीदेगी। गत बार नेफेड जो मिनिमम प्राईस कर पाती थी, और उसके पास शक्ति नही थी, एफ०सी०आई० के पास खरीफ फसल को रखने के लिए भी काफी शक्ति है।

श्री वसंत साठे : मेरा सवाल आपके ध्यान से निकल गया है। मैंने कहा कि आपका जितना सामान है, वह एफ० सी० आई० के लाखों कर्मचारी सुरक्षा कर रहे हैं लेकिन हो यह रहा है कि वे कर्मचारी ठेकेदारों के मार्फत कंट्रैक्चुअल सर्विस पर लिए जा रहे हैं, इसलिए वे सामान की बराबर सुरक्षा नहीं कर पा रहे है, मेरा यही कहना है।

श्री नाथू राम मिर्धा : अध्यक्ष जी, इस सवाल का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरे यहां पर चार तरह की लेबर है और चारों तरह के अलग-अलग हक-हकूक हैं। कई लोग जो कंट्रेक्टर के लेबर हैं, वे मेट सिस्टम में हमारे पास सीधे आना चाहते हैं। यह एक ग्रेजूअल प्रॉसेस है। हमारे पास चार सिस्टम हैं एक तो डिपार्टमेंटल और दूसरा मेट सिस्टम। उसमें लोगों को आगे लेते रहे हैं—प्रोवाईडिड कि लेबर को आगे लेते समय हमारी गड़बड़ ज्यादा न हो जो आमतौर पर आदत है। मैं उसको कम करना चाहता हूं और इस सारे सिस्टम को भी जमाने में बड़ा सतर्क हूं और मुझे उम्मीद है कि थोड़े दिनों में आपको संतोष प्राप्त हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री काडम्बुर एम० आर० जनार्दनन : प्रश्न का सार यह है कि मंडी वाले किसानों से भारी मुनाफा कमा रहे है। किसानों को घाटा हो रहा है। मंडी वालों को कभी घाटा नहीं होता। वे हर बार नियमित कमीशन लेते हैं। क्या सरकार कमीशन की दर कम करेगी जिससे किसान प्रभावित न हों और यह सुनिश्चित करेगी कि मंडियां किसानों का शोषण कर भारी लाभ न कमायें ? यह प्रश्न का सार है। मंत्री जी ने यह मान लिया है कि यह समर्थन मूल्य से कम नहीं बेचा जाता है। निःसन्देह, बाजार मूल्य समर्थन मूल्य से हमेशा ऊंचा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सदैव बाजार मूल्य से कम होता है। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार

मन्डियों पर नियन्त्रण रखेगी ताकि वे किसानों का शोषण न करें और यह सुनिश्चित करेगी कि उनके कमीशन की दर पर रोक लगाई जाए।

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा : अध्यक्ष जी, मण्डियां राज्य सरकारों का विषय है और प्रत्येक राज्य में वहां की राज्य सरकार और मण्डियां मिलकर किसानों के हित में काम करती हैं। मण्डियों में कुछ चार्जेज वसूल किए जाते हैं, जिन्हें राज्य सरकार रैगुलेट करती है। राज्य सरकारें उन मण्डियों से पैसा वसूल करके उन्हीं मण्डियों के विकास और सड़कों के विकास आदि पर लगाती हैं। इसलिए उनके रिसोर्सेज होना भी जरूरी है। यदि ऐसा लगे कि किसी राज्य में यह चार्जेज ज्यादा हैं तो उस राज्य विशेष की सरकार के साथ बातचीत की जा सकती है, लेकिन यहां कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है।

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती है और यह समर्थन मूल्य प्रत्येक फसल की बुआई के समय निश्चित किया जाता है। अब दूसरा प्रश्न है कि किसान को कौन सा लाभकारी समर्थन मूल्य दिया जाए, ताकि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल सके, अब समर्थन मूल्य या सपोर्ट प्राइस और लाभकारी समर्थन मूल्य में अन्तर है। सरकार चाहती है कि किसान ने जितनी फसल तैयार करने में लागत लगायी है, उससे अधिक उसे लाभ मिल सके। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि लाभकारी समर्थन मूल्य देने की दृष्टि से सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री नाथू राम मिर्धा : माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि खरीफ की फसलों का लाभकारी समर्थन मूल्य क्या हो और रबी की फसलों का लाभकारी मूल्य क्या हो। इससे पहले हमारा एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन, कुछ तरीके काम में लेकर, यह मूल्य घोषित करता था। परन्तु इस सरकार के आने के बाद, हमने ध्यान दिया कि लाभकारी समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय किसानों से सम्बन्धित और क्या-क्या बातें ध्यान में रखी जायें। काफी सोच-विचार के बाद हमने तीन मुख्य बिन्दु इसमें और शरीक किए, जिसमें किसानों का दस परसेंट मैनेजमैंट, उसके घर वालों की वेजेज, जो इससे पहले कभी नहीं जोड़ी जाती थीं और उसमें भी यदि मिनिमम वेजेज उससे ज्यादा है तो मिनिमम वेजेज अन्यथा जो भी दूसरी वेजेज हों, यानी दोनों में जो भी ज्यादा आये, उसे ही लाभकारी समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा उनके तीन प्रकार के लागत खर्चे, जो पहले नहीं जोड़े जाते थे, अब जोड़े जाते हैं। यही कारण है कि हमने अभी से गेहूं के दाम 215 रुपए घोषित किए हैं, जब कि अभी फसल नहीं आयी है। वैसे ही सरसों के दाम भी घोषित किए जायेंगे, चने का मूल्य भी घोषित किया जाएगा, जबकि अभी उनका मौसम नहीं आया है, मूल्य घोषित करने का। इन्होंने जाते-जाते 200 रुपये सपोर्ट प्राइस फिक्स किया था, जबकि पहले किसान को 183 रुपए ही मिलते थे परन्तु इन्होंने थ्यौरेटिकल आधार पर उस मूल्य को बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया। हमने सोचा कि यह भी कम है। काफी विचार के बाद, बिना मौसम के, हमने 215 रुपए की घोषणा की है और यह मूल्य किसानों के पूरी तरह हक में है। इसका मतलब है कि 17 वह और 15 यह, कुल मिलाकर 32 रुपए प्रति क्विंटल अब किसान को ज्यादा दाम मिलेंगे। (**व्यवधान**)

तरसों का दाम पहले 510 रुपए निश्चित किया गया था और हमने उसे बढ़ाकर 575 रुपए किया है। वैसे ही जौ के दाम भी बढ़ाकर 180 रुपये किए गए हैं, जो पहले बहुत कम थे। इसके

अलावा चने के दामों में भी 90 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि की है। (व्यवधान)

इसके अलावा अन्य चीजों के दाम भी बढ़ाये गए हैं। अब हम दोनों तीनों खर्चों को जोड़कर ही लाभकारी समर्थन मूल्य निश्चित करते हैं जो किसानों के ज्यादा हित में है। (व्यवधान)

यदि आप और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको समझा दूंगा।

कैंसर का इलाज

[अनुवाद]

+

*600. श्री वी० कृष्ण राव

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे मंत्री कि :

(क) क्या कैंसर से मरने वाले अधिकांश लोगों की मृत्यु का कारण मूल कैंसर ट्यूमर न होकर शरीर के अन्य भागों में इसके प्रभावस्वरूप ट्यूमरों का बन जाना है;

(ख) क्या वैज्ञानिकों को अब यह जानकारी है कि कैंसर शरीर के अन्य भागों में किस प्रकार फैलता है; और

(ग) यदि हां, तो इस नई जानकारी से ऐसी नई उपचार पद्धतियां खोजने में किस हद तक सहायता मिलेगी जिससे शरीर में अन्यत्र ट्यूमर बनने को रोका जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) कैंसर की प्राथमिक अवस्था में भी लोग मर सकते हैं, यदि उनका इलाज न किया जाए। कैंसर के वे रोगी, जो इस रोग की दूसरी अवस्था में होते हैं और यह रोग शरीर के अन्य भागों में भी फैल जाता है तो अधिकतर चिकित्सीय उपचार देरी से प्राप्त होने के कारण मर जाते है।

(ख) और (ग) शरीर के दूसरे हिस्सों में कैंसर सीधे भी फैल जाता है तथा लसीका और रक्त वाहिकाओं के जरिए भी फैलता है। कैंसर के उपचार का कार्यक्रम बनाने में इस ज्ञान का उपयोग किया जाता है। ट्यूमर के आसपास वाले सभी शक्य हिस्सों को, जो ट्यूमर कोशिकाओं को आश्रय दे सकते हैं, शल्य चिकित्सा, रसायन चिकित्सा अथवा विकिरण क्रिया द्वारा हटा दिया जाता है ताकि इसके फैलने की संभावनाओं को न्यूनतम किया जा सके।

श्री वी० कृष्ण राव : कैंसर के रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण इत्यादि में निरन्तर वृद्धि से कैंसर रोगियों के दुःख और बढ़े हैं। परसों माननीय पर्यावरण मंत्री, श्रीमती मेनका गांधी विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के कारण कैंसर के बढ़ते हुए खतरे का उल्लेख कर रही थीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को विदेशों में, विशेष तौर पर अमरीका में कैंसर के इलाज के क्षेत्र में किए गए नवीनतम शोध कार्यों की जानकारी है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस क्षेत्र में कोई सफलता हासिल की गई है।

श्री रशीद मसूद : माननीय सदस्य ने कैंसर के खतरे के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है।

बेशक, कैंसर एक बहुत खतरनाक बीमारी है और रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। सामान्यतः, हमें इस बीमारी का मुकाबला करना होगा और इससे पीड़ित लोगों का इलाज कराना होगा। निस्संदेह हमें शोध कार्यों का लाभ मिलेगा और हम इस क्षेत्र में शोध कार्यों के लिए धनराशि प्रदान करेंगे।

श्री वी० कृष्ण राव : क्या माननीय मंत्री सभा को भारतीय चिकित्सा शोधकर्त्ताओं द्वारा इस क्षेत्र में की गई प्रगति तथा प्रारम्भिक अवस्था में "सैकेन्ड्री ट्यूमर्स" का पता लगाने और "सैकेन्ड्री ट्यूमर्स" के बढ़ने को रोकने की दिशा में उनकी उपलब्धियों के बारे में बतायेंगे ? मन्त्री महोदय यह भी बताएंगे कि क्या सरकार अमरीकी राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के साथ संयुक्त शोध करना चाहती है जो इस सम्बन्ध में आरम्भिक कार्य कर रहा है ताकि कैंसर के रोगियों का उपचार करने के लिए इस शोध के परिणामों का भारत द्वारा लाभ उठाया जा सके ?

श्री रसीद मसूद : आमतौर पर कैंसर का पता दूसरी अवस्था में ही चलता है। प्रारंभिक अवस्था में इसका पता लगना मुश्किल है, इसलिए, आठवीं योजना के दौरान हम इसका प्रारंभिक अवस्था में ही पता लगाने और इसे रोकने पर बल देंगे। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम कैंसर के प्रारंभिक अवस्था में पता लगाने के लिए धनराशि प्रदान करेंगे और इस सम्बन्ध में हमने परियोजना क्षेत्रों के रूप में कुछ जिलों का चयन किया है और इन क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने हेतु कैंसर संस्थान के साथ जोड़ा जाएगा।

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा : इस देश में आधुनिक प्रौद्योगिकी सीमित और अपर्याप्त है। कैंसर के रोगी अस्पतालों में भर्ती होने की कोशिश कर रहे हैं। परन्तु अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, बिस्तर भी उपलब्ध नहीं हैं। इस देश में प्रौद्योगिकी का इतना विकास नहीं हुआ है और हमें इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिली हैं। इस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार चलती फिरती इकाइयां स्थापित करेगी ताकि आधुनिक प्रौद्योगिकी को गरीब लोगों तक पहुंचाया जा सके।

श्री रशीद मसूद : जैसाकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम कुछ जिलों का चयन परियोजना क्षेत्रों के रूप में करेंगे, और इन जिलों को कैंसर संस्थान के साथ जोड़ा जाएगा। कैंसर का प्रारंभिक अवस्था में पता लगाने तथा कैंसर के रोगियों का उपचार करने हेतु सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष महोदय, कैंसर बड़ा दुखदायी है लेकिन अस्पताल में जो मरीज दाखिल होते हैं, कुछ दिन दवाई करने के बाद उन मरीजों को भगवान के सहारे छोड़ दिया जाता है और छुट्टी दे दी जाती है। मेरा मन्त्री महोदय से पूछना है कि क्या ऐसे मरीजों को भगवान के सहारे न छोड़ते हुए अन्तिम समय तक उनकी दवाई करने का इरादा है ?

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष जी, इरादा तो हमारा यह है कि हर मरीज को अन्तिम समय तक दवाई दें और यह गवर्नमेंट की पालिसी है। लेकिन सवाल यह है कि बहुत सारे मरीज होते हैं, उनका शुरू का जो ट्रीटमेंट होता है वह करने के बाद जब उनकी जान को खतरा नहीं रहता है तो उनको रिलीव कर दिया जाता है और उनकी जगह दूसरे मरीजों को रखा जाता है। मरीजों का उपचार होता है, उनको दवाई देते हैं और उनका चैकअप होता रहता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चीनी का उत्पादन

[अनुवाद]

*595. **श्रीमती वासवराजेश्वरी**

श्री जी० एस० वासवराज :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष चीनी के आयात की संभावना समाप्त करने के लिए पर्याप्त उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु चीनी मिलों से निर्धारित समय से अधिक कार्य करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सलाह के प्रति इस उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है तथा सरकार ने किन अन्य प्रोत्साहनों का प्रस्ताव किया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी संभावनाओं का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) से (ग) सरकार ने वर्तमान चीनी मौसम 1989-90 के दौरान चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चीनी फैक्ट्रियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की है। 7 अप्रैल, 1990 को स्थिति के अनुसार कुल मिलाकर 86.7 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था जबकि 1988-89 और 1987-88 और 1988-89 में तदनुरूपी तारीखों तक क्रमश: 77.7 लाख मीटरी टन और 73 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था।

2. 1989-90 मौसम के दौरान चीनी का अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने चीनी फैक्ट्रियों द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त उत्पादन पर 80 प्रतिशत की दर पर (जबकि सामान्य दर 55 प्रतिशत है) मुक्त बिक्री की चीनी देने की निम्नानुसार घोषणा की है :—

(1) पिछले तीन मौसमों अर्थात् 1986-87, 1987-88 और 1988-89 में पहली अक्तूबर से 15 नवम्बर तक की अवधि के दौरान किए गए औसत उत्पादन की तुलना में पहली अक्तूबर, 1989 से 15 नवम्बर, 1989 तक की अवधि में प्राप्त किए गए अधिक उत्पादन के लिए।

(2) अधिक उत्पादन की सीमा की शर्त को पूरा करने पर राज्य सरकार के निश्चित आदेशों पर अपने सामान्य आरक्षित क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों से लाए गए गन्ने से पिछले मौसम की 16 नवम्बर से 30 अप्रैल तक की अवधि के दौरान किए गए उत्पादन की तुलना में 16 नवम्बर, 1989 से 30 अप्रैल, 1990 तक की अवधि के दौरान किए गए अधिक उत्पादन के लिए।

(3) पिछले वर्ष पहली मई से 31 जुलाई तक की अवधि के दौरान किए गए उत्पादन अथवा इसी अवधि में पिछले तीन चीनी मौसमों में प्राप्त किए गए औसत उत्पादन,

इनमें से जो भी विकल्प चीनी फैक्ट्रियों द्वारा चुना जाए, की तुलना में पहली मई, 1990 से 31 जुलाई, 1990 तक की अवधि के दौरान किए गए अधिक उत्पादन के लिए।

3. उपर्युक्त प्रोत्साहनों और वर्तमान वर्ष के दौरान गन्ने का अधिक उत्पादन होने के फल-स्वरूप तथा यदि मौसमी स्थितियां सामान्य रहती हैं तो आशा है कि 1989-90 मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन 104 लाख मीटरी टन के स्तर तक पहुंच जाएगा। यह उत्पादन अब तक 1987-88 मौसम के दौरान प्राप्त किए गए 91 लाख मीटरी टन के अधिकतम उत्पादन से काफी अधिक होगा।

दिल्ली में भिखारी

*601. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने भिखारी हैं; और

(ख) क्या राजधानी में भिक्षावृत्ति समाप्त करने के लिए कोई पुनर्वास कार्यक्रम शुरू करने तथा भिखारियों को रोजगार देने का विचार है ?

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री और बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, दिल्ली में भिक्षुकों की संख्या लगभग 10,000 है।

(ख) बम्बई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 का केन्द्र शासित प्रदेश, दिल्ली में भी विस्तार किया गया है और दिल्ली भिक्षावृत्ति निवारण नियम, 1960, केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में लागू है। ये राजधानी में भिक्षावृत्ति के खतरे को कम करने में काफी हद तक सहायता करते हैं। यद्यपि, राजधानी में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है, तथापि, उनके पुनर्वास के लिए भिक्षुकों को कटाई, सिलाई, साबुन बनाने, पट्टियों की कटाई, जूते बनाने, बुनाई, लांडरी, माचिस बनाने जैसे अनेक व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, जब तक वे भिक्षुक गृहों में होते हैं, सभी भिक्षुकों को निःशुल्क भोजन और आवास प्रदान किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में कपड़ा मिलों के विस्तार की योजना

[हिन्दी]

*602. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत किन्हीं मिलों का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, हां। स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथ मंजन और स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी के क्रमशः 4.57 करोड़ रु० और 7.69 करोड़ रु० के पूंजी परिव्यय वाले विस्तार प्रस्ताव पहले से ही वित्तीय संस्थानों को

प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया में हैं। राष्ट्रीय वस्त्र निगम रायबरेली टैक्सटाइल मिल्स के लिए 5.20 करोड़ रु० के पूंजी परिव्यय की एक विस्तार योजना बना रहा है।

तीस्ता बांध परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल को सहायता

[अनुवाद]

*604. **श्री सुधीर गिरि :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने तीस्ता बांध परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) क्या इस मामले पर मन्त्री-स्तर पर भी बातचीत हो चुकी है और यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने 50 : 50 के अनुपात में आठवीं योजना से परियोजना की लागत की हिस्सेदारी के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है।

(ग) राज्य सरकार के अनुरोध को योजना आयोग द्वारा स्वीकार्य नहीं पाया गया है।

(घ) जी, नहीं।

दिल्ली में बाल श्रमिक

[हिन्दी]

*605. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में फैक्टरियों के मालिक बाल श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जा रहे निवारक कदमों का ब्यौरा क्या है?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) कारखाना अधिनियम, 1948 और बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबन्धों को दिल्ली प्रशासन द्वारा लागू किया जाता है जो दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए समुचित सरकार है। दिल्ली प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कारखानों में बाल श्रमिकों के शोषण की कोई विशिष्ट शिकायत या उदाहरण उनके सामने नहीं आया है।

दिल्ली प्रशासन ने पहले से ही एक त्रिपक्षीय समिति गठित की है जो बाल श्रमिकों के प्रतिषेध और विनियमन से संबंधित उपायों की समय-समय पर पुनरीक्षा करेगी।

औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक

[अनुवाद]

*606. **श्री चित्त बसु** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में एक नया विधेयक लाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अभी तक क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) (क) और (ख) 21 और 22 अप्रैल, 1990 को हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 29वें अधिवेशन में की गई सिफारिशों के अनुसरण में, इस विषय पर सबसे पहले द्विपक्षीय समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाना है जिसमें ट्रेड यूनियनों और नियोजकों के संगठनों के प्रतिनिधि शामिल है ।

सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन में कर्मचारियों के स्थानांतरण सम्बन्धी नीति

*607 **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु कोई मार्गनिर्देश निर्धारित किए है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय खाद्य निगम में ठेका श्रमिकों को भविष्य निधि की सुविधा

[हिन्दी]

*608. **श्री शोपत सिंह मक्कासर** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कार्यरत ठेका श्रमिकों को भविष्य निधि की सुविधा प्राप्त है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : विभागीय और सीधे भुगतान की प्रणालियों के अधीन नियुक्त किए गए श्रमिक भारतीय खाद्य निगम (अंशदायी भविष्य निधि) विनियम, 1967 के अधीन कवर किए जाते है ।

प्राइवेट ठेके/श्रमिक सहकारी समितियों/प्रबंध समिति/मेट प्रणाली के अधीन नियुक्त श्रमिक कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और योजना 1952 द्वारा शासित होते है ।

अखिल भारतीय शिशु प्रशिक्षणार्थी कल्याण संघ की मांगे

[अनुवाद]

*609. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के अखिल भारतीय शिशु प्रशिक्षणार्थी कल्याण संघ ने दिसम्बर, 1989 में प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन देकर यह अनुरोध किया था कि उन्हें रोजगार दिया जाए, बेरोजगारी भत्ता दिया जाए ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना हेतु राष्ट्रीय बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाए और एक आयोग गठित किया जाए जो उनकी समस्याओं का अध्ययन करके उन्हें हल करने हेतु सुझाव दे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनकी मांगों पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) और (ख) ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

दूरदर्शन पर गर्भ निरोधकों के बारे में विज्ञापन

[हिन्दी]

*610. **कुमारी उमा भारती** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर गर्भ निरोधक उपायों के बारे में अश्लील विज्ञापनों के बारे में पिछले तीन महीनों के दौरान दूरदर्शन को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस संबंध में सुधार करने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) पिछले तीन महीनों के दौरान 10-4-90 तक विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों को लगभग 60 पत्र प्राप्त होने की सूचना मिली है जिनमें यह शिकायत की गई है कि बतौर माता-पिता के वे गर्भ निरोधक विधियों से संबंधित कुछ परिवार कल्याण स्पाटों को देखकर परेसानी महसूस करते हैं ।

इन विज्ञापनों में कोई अश्लील या अभद्र भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है । इन विज्ञापनों को दूरदर्शन पर दिखाने के लिए अनुमोदित करने से पहले इस मंत्रालय में और दूरदर्शन प्राधिकारियों द्वारा जांच की गई थी ।

दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए जाने वाले परिवार कल्याण संबंधी स्पाटों को कुल मिलाकर दर्शकों द्वारा समझा जाता है और स्वीकार किया जाता है । दिल्ली दूरदर्शन के श्रोतागण विश्लेषण अनुसंधान स्कंध ने प्रसारित किए जा रहे स्पाटों का एक सर्वेक्षण किया था जिससे पता चला कि साक्षात्कार किए गए प्रतिवादियों में से 15 प्रतिशत प्रतिवादियों ने कुछ परेशानी महसूस की थी लेकिन 85 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों ने इन संदेशों को सूचनाप्रद और उपयोगी पाया था ।

नवजात शिशुओं की मृत्यु

[अनुवाद]

*611. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शैशवावस्था से संबंधित विशिष्ट कारणों से अनेक नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार और राज्यवार कितने नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई; और

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक कोई उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) केवल शैशवकाल से ही संबंधित कारणों से मरने वाले नवजात शिशुओं की वास्तविक संख्या के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, भारत के महापंजीयक द्वारा किए गए **अध्ययनों के अनुसार देश में वर्ष 1988 के दौरान होने वाली कुल मौतों में से 9.8 प्रतिशत मौतें शैशव अवस्था से चुने हुए विशिष्ट कारणों से हुई हैं। इनमें अपरिपक्वता, जन्म के समय लगी चोट, जन्मजात कुरचना, नवजात शिशु को श्वसनीय संक्रमण तथा नवजात शिशु को अतिसार रोग आदि शामिल हैं। प्रमुख राज्यों में जिनके संबंध में आंकडे उपलब्ध हैं, पिछले तीन वर्षों के दौरान केवल शैशव काल से ही संबंधित कारणों से हुई मौतों के अनुमान कुल मौतों के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं—

राज्य	1986	1987	1988
आंध्र प्रदेश	11.0	10.1	10.8
असम	3.9	11.1	12.0
बिहार	5.3	4.6	5.2
गुजरात	12.7	9.8	7.8
हरियाणा	5.5	7.2	5.3
कर्नाटक	16.8	17.0	14.7
केरल	1.9	2.8	1.7
मध्य प्रदेश	5.4	4.4	5.1
महाराष्ट्र	12.0	14.0	12.2
उड़ीसा	14.4	12.1	14,9
पंजाब	2.7	4.8	5.0
राजस्थान	12.7	11.6	10.1
तमिलनाडु	7.7	7.1	7.1
उत्तर प्रदेश	17.8	16.5	16.3
भारत	10.5	10.2	9.8

** यह अध्ययन भारत के महापंजीयक द्वारा 1988 में किया गया है और केवल ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। इस अध्ययन के निष्कर्ष भारत के महापंजीयक की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित कर दिए गए हैं।

शिशु मृत्युदर को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपचारी उपायों में परम्परागत दाइयों को प्रशिक्षण देने तथा पुन: प्रशिक्षण देने, स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे का विस्तार करने तथा ग्रामीण उपकेन्द्रों में प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध कराने, प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने, अतिसार रोगों को रोकने के लिए ओरलरीहाइड्रेशन थिरेपी को बढ़ावा देने, मां के दूध पिलाने तथा उचित आहार प्रक्रिया को बढ़ावा देने और जन्मों में अंतर रखने की बात को बढ़ावा देने के लिए लोगों को शिक्षित करने तथा छोटे परिवार के आदर्श को स्वीकार करने के कार्यक्रम शामिल हैं। पोषणज रक्ताल्पता से बचाव की योजना एवं एकीकृत बाल विकास सेवाओं को भी प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम के एक भाग के रूप में तेजी से क्रियान्वित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम

*612 **श्री कल्पनाथ सोनकर**

श्री के० मानवेन्द्र सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 मार्च 1990 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की संख्या क्या थी;

(ख) क्या 1989-90 के दौरान कोई नया राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम आरम्भ किया गया था;

(ग) यदि हां, तो ऐसे नये कार्यक्रमों के नाम क्या है; और

(घ) किसी कार्यक्रम को हटाने या आरम्भ किए जाने के बारे में प्रक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) 1. मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (इसमें काला-आजार और जापानी एनसेफलाइटिस नियंत्रण शामिल है)

2. फायलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम।

3. कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम।

4. क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम।

5. दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम।

6. घेघा नियंत्रण कार्यक्रम।

7. यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम।

8. एड्स नियंत्रण कार्यक्रम।

9. मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम।

10. मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम।

11. कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम।

12. गिनीकृमि उन्मूलन कार्यक्रम।

13. [illegible] नियन्त्रण कार्यक्रम।

14. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यकलाप जिसमें रोग

जिसमें रोग प्रतिरक्षण, एनिमिया से बचाव, विटामिन "ए" की कमी से बचाव, आदि शामिल हैं)

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान कोई नया राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम नही जोड़ा गया ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) किसी कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में तब शामिल किया जाता है :

1. जब कोई विशेष स्वास्थ्य समस्या/रोग राज्य सीमा से बाहर फैल जाता है और यह काफी बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करने वाली एक क्षेत्रीय अथवा अन्तर-राज्यीय समस्या बन जाती है, जिससे रुग्णता और मृत्यु-दर में अधिक वृद्धि हो जाती है ।

2. जब ऐसी स्वास्थ्य समस्या/रोग के नियंत्रण/उन्मूलन से लोगों के स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी ।

एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम को उस समय समाप्त कर दिया जाता है, जब उसमें ऊपर बताए गए उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया हो, अर्थात् अमुक स्वास्थ्य समस्या/रोग को नियंत्रित कर लिया गया हो/देश से उसका उन्मूलन कर दिया गया हो और उस समस्या से होने वाली रुग्णता और मृत्युदर नगण्य अथवा शून्य हो गई हो ।

रुग्ण कपड़ा मिलों का अधिग्रहण

[हिन्दी]

*613. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रुग्ण कपड़ा मिलों का अधिग्रहण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) रुग्ण एककों के अधिग्रहण या राष्ट्रीयकरण से रुग्णता की समस्या का निदान नहीं हो जाता और सरकार नियमतः ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी ।

चीनी घोटाले की जांच

[अनुवाद]

*614. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चुनाव से पहले हुए चीनी घोटाले की जांच के इसी बीच आदेश दे दिए हैं, जैसाकि वायदा किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) 1989 के दौरान किए गए

चीनी के आयात से संबंधित मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में कृषि-फल उद्योग का विकास

6383. **श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कृषि पर आधारित फल उद्योग के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र सरकार ने केरल सरकार से केरल स्टेट हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड में ईक्विटी भागीदारी के लिए उनके अनुरोध पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं।

विदेशियों/विदेशी एजेंसियों द्वारा भारतीय बच्चों को गोद लेने के संबंध में मार्गनिर्देश

6384. **श्री एन० डेनिस** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने विदेशियों/विदेशी एजेंसियों द्वारा भारतीय बच्चों को गोद लेने के मसले पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) श्री लक्ष्मीकांत पांडेय द्वारा दी गई रिट याचिका (सी. आर. एल.) संख्या 1171/1982 में उच्चतम न्यायालय ने क्रम से निर्णय दिए हैं जिनमें उन्होंने भारतीय बच्चों के अन्त:देशीय दत्तक ग्रहण के नियमन के लिए विस्तृत मानदंड तथा प्रक्रिया निर्धारित की है। अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश इस प्रकार हैं :—

(i) जहां बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए तैयार भारतीय परिवारों के मिलने की संभावना न हो, वहां प्रथम वरीयता विदेशों में रहने वाले भारतीयों को देना और यदि ऐसे भारतीय उपलब्ध नहीं हैं, तो उन माता-पिता को वरीयता देना जिनमें कम से कम एक भारतीय मूल का हो;

(ii) दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी तथा राज्य स्तर की एजेंसियों की स्थापना;

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/लाइसेंस प्राप्त विदेशी एजेंसियों की सूची तैयार

करना तथा उनका उच्च न्यायालयों और देश के मान्यता प्राप्त सामाजिक/बाल कल्याण एजेंसियों को परिचालन करना;

(iv) बच्चों के अन्तःदेशीय दत्तक ग्रहण कार्रवाई के लिए भारत में उपयुक्त स्वैच्छिक एजेंसियों को मान्यता देना;

(v) दत्तकग्राही माता-पिता तथा दत्तक ग्रहण किए गए बच्चों के अभिलेख तैयार करना तथा उनका रखरखाव करना और अनुवर्ती कार्रवाई तथा दत्तक ग्रहण किए गए बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए इन अभिलेखों को सम्बन्धित देशों में भारत के कूटनीतिक मिशन को भेजना;

(vi) भारतीय स्थानन एजेंसियों तथा उनकी सहयोगी एजेंसियों की सूचियों का दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन करना;

(vii) मान्यता प्राप्त विदेशी बाल कल्याण एजेंसियों के प्रतिनिधियों को मान्यता देना;

(viii) जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित सरकार के समाज कल्याण विभाग अथवा पालन-पोषण गृहों सहित उनके अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले नर्सिंग होम/अस्पतालों में परित्यक्त/निराश्रित बच्चों के नाम सुनिश्चित करना;

(ix) विशेषकर भौगोलिक क्षेत्रों में भारतीय दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहन देने के लिए स्वैच्छिक समाज/बाल कल्याण एजेंसियों की समन्वयन एजेंसी के रूप में सहायता करने के लिए स्वैच्छिक समन्वयन एजेंसी का निर्माण।

सिंचित तथा जोत भूमि

6385. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी जोत भूमि है तथा कितनी सिंचित भूमि है;

(ख) कुल सिंचित भूमि में से सरकारी संसाधनों से सिंचित भूमि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत क्या है; और

(ग) देश के अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/करने का विचार किया गया है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) अनेक बृहद, मध्यम तथा लघु सिंचाई स्कीमें निर्माणाधीन हैं।

विवरण

(हजार हेक्टेयर में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सकल बुवाई क्षेत्र	मार्च, 1990 तक सृजित सिंचाई क्षमता	सर्वेक्षित क्षेत्र सिंचाई के माध्यम से सृजित सिंचाई क्षमता (मूल्यांकित)	कालम-4 के सम्बन्ध में कालम-5 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	11693	6273.04	4826.14	76.93
2.	अरुणाचल प्रदेश	201	55.85	55.85	100.
3.	असम	3644	744.45	592.08	79.53
4.	बिहार	10432	7710.09	4204.89	54.53
5.	गोवा	130	27.48	26.32	95.77
6.	गुजरात	10962	3096.80	1659.68	53.59
7.	हरियाणा	5661	3572.00	2267.00	63.46
8.	हिमाचल प्रदेश	983	138.42	123.75	89.40
9.	जम्मू तथा काश्मीर	1026	516.19	508.81	98.57
10.	कर्नाटक	11821	2749.49	2223.62	80.87
11.	केरल	2870	1097.52	1001.76	91.27
12.	मध्य प्रदेश	22214	4687.90	3374.44	71.98
13.	महाराष्ट्र	19838	4223.86	2935.96	69.50
14.	मणिपुर	189	107.44	107.17	99.75
15.	मेघालय	206	45.23	36.88	81.53
16.	मिजोरम	71	9.50	9.50	100.
17.	नागालैंड	191	74.03	72.86	91.41
18.	उड़ीसा	9270	2969.06	2403.23	80.54
19.	पंजाब	7217	5855.29	2953.33	50.43
20.	राजस्थान	17640	4212.28	2612.98	62.03
21.	सिक्किम	134	20.92	20.92	100.
22.	तमिलनाडु	6508	3382.80	2270.85	67.12

1	2	3	4	5	6
23.	त्रिपुरा	408	94.25	77.96	82.71
24.	उत्तर प्रदेश	25198	23399.00	9665.00	41.30
25.	पश्चिम बंगाल	8211	3755.18	2921.87	77.80
	संघ राज्य क्षेत्र	202	102.72	46.53	45.29

टिप्पण :—कालम-3 में सूचना भूमि उपयोग सांख्यिकी आंकड़े 1986-87 (अनन्तिम) के आधार पर है।

होमियोपैथिक फार्मासिस्टों का पंजीकरण

6386. **श्री गंगा चरण लोधी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न होमियोपैथिक औषधालयों/अस्पतालों में कार्यरत होमियोपैथिक फार्मासिस्टों के पंजीकरण हेतु केन्द्रीय फार्मेसी परिषद/राज्य फार्मेसी परिषद विद्यमान है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय होमियोपैथिक फार्मेसी परिषद की स्थापना के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) फार्मेसी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत गठित फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया अथवा राज्य फार्मेसी परिषदों द्वारा होमियोपैथिक औषधालयों/अस्पतालों में कार्यरत होमियोपैथिक फार्मेसिस्टों के पंजीकरण की व्यवस्था नहीं है। होमियोपैथिक फार्मेसिस्टों के पंजीकरण के लिए कोई वैधानिक अपेक्षा नहीं है।

(ख) होमियोपैथिक फार्मेसिस्टों के पंजीकरण के लिए कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) इस समय केन्द्रीय होमियोपैथिक फार्मेसी परिषद खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा में आवास योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्धियां

6387. **श्री अनादि चरण दास** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत वर्षवार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इनकी क्या-क्या उपलब्धियां रहीं हैं;

(ख) क्या इन लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई कमी रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) उड़ीसा में विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत सातवीं योजना के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियों का एक विवरण (वर्षवार) संलग्न है ।

(ख) लक्ष्य आंशिक रूप से प्राप्त कर लिए गए हैं तथा निष्पादन को "बहुत अच्छा" आंका गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

उड़ीसा

(28-2-90 की स्थिति के अनुसार)

मद संख्या तथा विषय	सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985—90) के दौरान लक्ष्य तथा उपलब्धियां				
	प्रथम वर्ष 1985-86	द्वितीय वर्ष 1986 87	तृतीय वर्ष 1987-88	चतुर्थ वर्ष 1988-89	पंचम वर्ष 1989-90
1	2	3	4	5	6
मद संख्या 14					
(क) आवास स्थलों	30,000	20,000	20,000	15,000	15,000
का प्रावधान	79,815	28,480	53,121	16,762	19,989
(परिवार)	266	142	266	112	133
(ख) निर्माण सहायता	6,667	3,333	3,333	3,000	3,333
(परिवार)	6,667	3,523	3,340	3,032	3,200
	100	106	100	101	96
(ग) इन्दिरा आवास	—	—	4,800	5,825	5,707
योजना (रिहायशी	—	—	7,091	5,958	2,371
एकक)	—	—	148	102	42

1	2	3	4	5	6
(घ) आर्थिक दृष्टि से	1,500	3,000	2,500	2,500	2,500
कमजोर वर्ग	1,630	3,109	2,510	2,301	2,170
आवास (रिहायशी एकक)	109	104	100	92	87
(ङ) निम्न आय वर्ग	—	—	500	2,000	2,000
आवास (रिहायशी	—	—	5,192	2,028	2,130
एकक)	—	—	1,038	101	107

— योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है ।

टेलीफोन आपरेटरों को समयोपरि भत्ते की बकाया राशि की अदायगी न किया जाना

6388. **श्री सी० एम० नेगी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री टेलीफोन आपरेटरों को समयोपरि भत्ते की अदायगी न किए जाने के बारे में 3 मई, 1989 के अतरांकित प्रश्न संख्या 7826 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेडी हार्डिग अस्पताल, नई दिल्ली में टेलीफोन आपरेटरों को बकाया राशियों अथवा प्रभारों और समयोपरि भत्ते की राशियों का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) उन्हें उक्त धनराशि का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज की टेलीफोन आपरेशन को समयोपरि भत्ते की बकाया धनराशि इसलिए नहीं दी जा सकी क्योंकि उसने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के 21 जुलाई, 1988 के निर्णय के अनुसार एक माह के भीतर समयोपरि भत्ते के दावे का बिल प्रस्तुत नहीं किया था ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

रुग्ण कपड़ा मिलों द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान किया जाना

6389. **श्री हरिन पाठक** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को रुग्ण कपड़ा मिलों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा निर्देशों में छूट देने के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं ताकि बकाया देय राशि का भुगतान और आवश्यकता पर आधारित कार्यचालन पूंजी की मंजूरी के लिए लम्बी अवधि दी जा सके;

(ख) क्या इस संबंध में गुजरात सरकार ने भी सुधारात्मक उपाय करने के लिए एककों की पुनरीक्षा करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) इस मामले पर गुजरात के मुख्य मंत्री के साथ विचार विमर्श किया गया है तथा इसे संबंधित विभागों/संगठनों के साथ उठाया गया है। वस्त्र नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए गठित आबिद हुसैन समिति की रिपोर्ट अभी हाल ही में प्राप्त हुई है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, औषधालय, लक्ष्मीनगर

6390. **श्री कमल नाथ**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लक्ष्मीनगर दिल्ली के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय संख्या 67 के अनुपयुक्त स्थान पर स्थित होने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) दिनांक 20-9-1989 के इण्डियन एक्सप्रेस में मौजूदा इमारत की अनुपयुक्तता के संबंध में एक समाचार प्रकाशित हुआ था। लक्ष्मीनगर स्थित पुरानी इमारत को जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय का संचालन किया जा रहा था, असुरक्षित घोषित किया गया था। अतः केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा दूसरा आवास स्थान प्राप्त करने का प्रयास किया गया। आर्किटेक्ट से परामर्श करके केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा मौजूदा भवन की उपयुक्तता की जांच की गई थी। आसपास के वातावरण की स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा प्रयास किए जायेंगे।

महाराष्ट्र की चीनी मिलों को केन्द्रीय सरकार से सहायता

6392. **श्री वसन्त साठे** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान महाराष्ट्र की विभिन्न चीनी मिलों ने चीनी विकास कोष से केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मिल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) लम्बित पड़े प्रस्तावों की, मिल-वार संख्या क्या है;

(ङ) लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(च) इन्हें मंजूरी देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) जी, हां। 1989-90 के दौरान महाराष्ट्र की चीनी मिलों से चीनी विकास निधि से ऋण के लिए गन्ना विकास

योजनाओं के लिए 15 आवेदन पत्र और आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन हेतु 11 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इन चीनी मिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (च) गन्ना विकास योजनाओं के लिए प्राप्त हुए 15 आवेदन पत्रों में से जांच समिति से 10 आवेदन-पत्रों के बारे में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है और ऋण प्रदान करने हेतु इन आवेदन पत्रों पर विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है तथा 5 आवेदन पत्र मूल्यांकन के लिए औद्योगिक वित्त निगम को भेज दिए गए हैं।

आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए प्राप्त हुए 11 आवेदन-पत्रों में से 6 आवेदकों को चीनी विकास निधि से ऋण मंजूर कर दिए गए हैं और 5 आवेदन-पत्रों की जांच की जा रही है।

विवरण

महाराष्ट्र की जिन चीनी मिलों ने चीनी विकास निधि से गन्ने के विकास हेतु ऋण के लिए आवेदन पत्र दिए हैं, उनकी सूची।

1. गंगापुर एस० एस० के० लि०,
   रशिन, जिला अहमदनगर
2. राहुड़ी एस० एस० के० लि०,
   राहुड़ी, जिला अहमदनगर
3. तुलजाभवानी एस० एस० के० लि०,
   तुलजापुर, जिला उस्मानाबाद
4. श्री गणेश एस० एस० के० लि०,
   गणेशपुर, जिला अहमदनगर
5. भोगवती एस० एस० के० लि०,
   शाहुनगर, जिला कोल्हापुर
6. प्रावरा एस० एस० के० लि०,
   प्रावरानगर, जिला अहमदनगर
7. वृदेश्वर एस० एस० के० लि०,
   वृदेश्वर, जिला अहमदनगर
8. जालना एस० एस० के० लि०,
   जिला जालना
9. ससवाद माली शुगर फैक्ट्री लि०,
   मालीनगर, जिला शोलापुर
10. के० के० बाघ एस० एस० के० लि०,
    काकासाहेब नगर,
    जिला नासिक

11. मै. यशवन्त शक्कर कारखाना लि०,
सांगली, महाराष्ट्र

12. मै. कालम्बर विभाग एस० एस० के० लि०,
नांदेड, महाराष्ट्र

13. मै. शीरपुर एस० एस० के० लि०,
शिवाजीनगर, धुले, महाराष्ट्र

14. संगमनेर एस० एस० के० लि०,
अमृतनगर, जिला अहमदनगर,
महाराष्ट्र

15. मै. सहकार महर्षि शंकरराव मोहिते पाटिल,
सहकारी शक्कर कारखाना लि०,
चिन्तामणिनगर, पुणे, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र की जिन चीनी मिलों ने आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र दिए हैं, उनकी सूची ।

1. मधुकर एस० एस० के० लि०,
फैजपुर, जिला जलगांव

2. पूर्णा एस० एस० के० लि०,
बासमथानगर, जिला पारभनी

3. श्री वारणा एस० एस० के० लि०,
वारणानगर, जिला कोल्हापुर

4. श्री दत्ता एस० एस० के० लि०,
शिरोल दत्ता नगर, जिला कोल्हापुर

5. शेतकारी एस० एस० के० लि०,
सांगली, जिला सांगली

6. श्री विट्ठल एस० एस० के० लि०,
वेणुनगर पंढारपुर,
जिला शोलापुर

7. श्री दानेश्वर एस० एस० के० लि०,
पो० आ० भिंडे, जिला अहमदनगर,

8. अम्बाजगाई एस० एस० के० लि०,
अम्बा शक्कर, जिला बीड,
महाराष्ट्र

9. जयभवानी एस० एस० के० लि०,
गढीराई, जिला बीड

10. वसंतराव दादा पाटिल एस० एस० के० लि०,
विठेवाड़ी, जिला नासिक

11. शिरपुर एस० एस० के० लि०,
धाईवाड़, जिला धुले

राज्यों में स्थित क्षेत्रीय कैंसर उपचार केन्द्र

6393. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने क्षेत्रीय कैंसर उपचार केन्द्र हैं;

(ख) उपरोक्त केन्द्रों में गत तीन वर्षों के दौरान संस्थापित किए गए निदानात्मक और रोगोपचार उपकरणों का विवरण क्या है;

(ग) क्या हाइपरथर्मिया सेवा—चतुर्थ जनरेशन कैंसर थ्रेपी (रोगोपचार) तकनीक देश में उपलब्ध है और यदि हां, इस प्रयोजन के लिए देश में कहां और कौन-कौन से सहायक चिकित्सा उपकरण केन्द्र संस्थापित किए गए हैं; और

(घ) उपरोक्त प्रत्येक केन्द्र में गत तीन वर्षों के दौरान अनुमानतः कितने आपरेशन किए गए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभापटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में वनस्पति मिलें

6394. **श्री डी० अमात** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में वनस्पति संयंत्रों की स्थापना करने की भारी सम्भावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान इस राज्य में कितने वनस्पति संयंत्रों की स्थापना करने के बारे में विचार किया गया है;

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री साधू राम सिर्धा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उड़ीसा स्टेट कोआपरेटिव आयलसीड्स ग्रोवर्स फैडरेशन लि०, उड़ीसा तथा इन्डस्ट्रियल प्रमोशन एण्ड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन लि० आफ उड़ीसा को क्रमशः पुरी तथा क्योंझर जिलों में वनस्पति एकक स्थापित करने के लिए दो आशय पत्र जारी किए गए हैं ।

(ग) और (घ) इस बारे में राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

दिल्ली में कुष्ठरोगी

6395. **श्री यशवंतराव पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी है;

(ख) इनके उपचार और पुनर्वास के लिए उपलब्ध सांस्थानिक सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली के विभिन्न भागों में भीख मांग कर जीविका कमाने वाले कुष्ठ रोगियों को इकठ्ठा करने तथा संबंधित संस्थानों में उन्हें रखने के लिए अगर कोई उपाय किए गए तो वे क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य (श्री रशीद मसूद) : (क) दिल्ली में कुष्ठ रोगियों की संख्या 28 फरवरी, 1990 को 3123 थी।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) बम्बई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 के उपबंधों के अनुसार, जो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में भी लागू किया गया है, पुलिस समय-समय पर कुष्ठ से पीड़ित भिखारियों को पकड़ती है। भिखारियों पर अभियोग चलाने के लिए उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। पकड़े गए भिखारियों को दिल्ली में उनके लिए बनाए गए भिक्षुगृहों में रखा जाता है।

विवरण

क्र०सं०	कुष्ठ संस्था का नाम	उपलब्ध सुविधाएं
1.	लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल नई दिल्ली	डिटेक्शन और उपचार यूनिट तथा पुनः संरचना शल्य चिकित्सा यूनिट
2.	सुचेता कृपलानी अस्पताल	—तदेव—
3.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	—तदेव—
4.	सफदरजंग अस्पताल	डिटेक्शन और उपचार यूनिट
5.	हिन्दू राव अस्पताल	—तदेव—
6.	लाल कुआं औषधालय (दि० न० नि०)	डिटेक्शन केन्द्र
7.	राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	डिटेक्शन और उपचार यूनिट
8.	गुरु तेग बहादुर अस्पताल, शाहदरा	—तदेव—
9.	कुष्ठ निधान अस्पताल, शाहदरा	डिटेक्शन और उपचार यूनिट तथा पुनः संरचना शल्य चिकित्सा यूनिट
10.	कुष्ठ गृह ताहिरपुर, शाहदरा	डिटेक्शन और उपचार यूनिट, पुनःस्थापन केन्द्र, आश्रय कार्यशाला और प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र

स्टाफ कारों का उपयोग

6396. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बार-बार मितव्ययिता उपायों के रूप में अपने कार्यालयों में स्टाफ कारों के उपयोग को बार-बार सीमित करने के लिए कहा है;

(ख) क्या इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में इसके अधिकारियों द्वारा स्टाफ कारों का अत्यधिक दुरुपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कौन-कौन से कारगर कदम उठाने का विचार है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस मामले की जांच की जा रही है ।

शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत चिकित्सीय उपस्करों का आयात

6397. **श्री दिलीप सिंह जू देव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शुल्क छूट योजना 1983 के अन्तर्गत वर्ष 1988 और 1989 के दौरान 5 लाख तथा इससे अधिक मूल्य के चिकित्सीय उपस्करों का आयात करने वाले संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन संगठनों ने किस प्रकार के उपस्करों का आयात किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) चिकित्सीय, शल्य चिकित्सीय और नैदानिक उपकरण ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में किसी बीमारी के उन्मूलन कार्यक्रम को शामिल करने का मानदण्ड

6398. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन मानदण्डों के आधार पर किसी बीमारी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया जाता है;

(ख) इस कार्यक्रम में किन-किन बीमारियों को शामिल किया गया है; और उनकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में बीमारियों को शामिल करने के बारे में निर्णय लेने हेतु कोई समिति गठित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क), (ग) और (घ) विवरण 1 संलग्न है।

(ख) विवरण 2 संलग्न है।

विवरण-1

किसी कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में तब शामिल किया जाता है:—

(i) जब कोई विशेष स्वास्थ्य समस्या/रोग राज्य सीमा से बाहर फैल जाता है और यह काफी बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करने वाली एक क्षेत्रीय अथवा अंतर-राज्यीय समस्या बन जाती है, जिससे रुग्णता और मृत्युदर में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है।

(ii) जब ऐसी स्वास्थ्य समस्या/रोग के नियन्त्रण/उन्मूलन से लोगों के स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम को उस समय समाप्त कर दिया जाता है, जब उसने ऊपर बताए गए उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया हो, अर्थात, अमुक स्वास्थ्य समस्या/रोग को नियन्त्रित कर लिया गया हो/देश से उसका उन्मूलन कर दिया गया हो और उस समस्या से होने वाली रुग्णता और मृत्यु दर नगण्य अथवा शून्य हो गई हो।

प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में नीतियां तैयार करने के दौरान इस प्रयोजन के लिए योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल और संचालन समिति राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों सहित विभिन्न चल रहे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं और पैदा होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं। आवश्यकता के अनुसार उपर्युक्त मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए कार्यकारी दल और संचालन समिति राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों सहित सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों को जोड़ने/उन्हें विलुप्त करने की सिफारिश करते हैं।

विवरण-2

1. मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम
   (इसमें काला आजार और जापानी एन्सेफलाइटिस का नियंत्रण शामिल है)
2. फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम
3. कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम
4. क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम
5. दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम
6. घेघा नियंत्रण कार्यक्रम
7. यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
8. एड्स नियंत्रण कार्यक्रम
9. मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
10. मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम

11. कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

12. गिनीकृमि उन्मूलन कार्यक्रम

13. अतिसारीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम,

14. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम (रोग प्रतिरक्षण, रक्ताल्पतता से बचाव, विटामिन "ए" की कमी से बचाव, आदि सहित।)

चंकि "स्वास्थ्य" राज्य का एक विषय है, इसलिए सभी संवर्धक, निवारक और उपचारी उपायों पर राज्यों द्वारा स्वयं ध्यान दिया जाता है।

डनलप इंडिया लिमिटेड तथा ओरसों एण्ड निहोन इंडिया लिमिटेड की ओर कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बकाया धनराशि

6399. **श्री कड़िया मुण्डा**

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डनलप इण्डिया लिमिटेड तथा ओरसो एण्ड निहोन इंडिया लिमिटेड कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया धनराशि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के संबंधित अधिकारियों के पास जमा करते रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के संबंधित अधिकारियों के पास गत तीन वर्षों के दौरान डनलप इंडिया लिमिटेड तथा ओरसों एण्ड निहोन इण्डिया लिमिटेड द्वारा क्या जमा न की गई धनराशि का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में तथा बकाया धनराशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) : मैसर्स डनलप इंडिया लिमिटेड अपने मद्रास और कलकत्ता स्थित कारखानों के नियमित कर्मकारों से संबद्ध कर्मचारी राज्य बीमा बकाया राशि को नियमित रूप से जमा करा रही है। तथापि, उनके मद्रास यूनिट ने ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के बारे में कुछ अंशदानों की अदायगी में चूक की है। अनुमान है कि बकाया राशि लगभग 327 लाख है। तथापि, इस बात की सूचना है कि नियोजक ने न्यायालय में दावे का प्रतिवाद किया है और इस प्रकार मामला न्यायाधीन है। मैसर्स आरसन एण्ड निहान इण्डिया लिमिटेड के बारे में सूचना का पता लगाया जा रहा है तथा वह अलग से सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र में मई दिवस मनाना

6400. **श्री ए. के. राय** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन एककों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी तक मई दिवस को एक छुट्टी दिवस में घोषित नहीं किया है;

(ख) क्या सरकार मई दिवस की छुट्टी रखती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मई दिवस छुट्टी रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बन्द कपड़ा मिलें

[हिन्दी]

6401. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिकों में असन्तोष के कारण कितनी कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हैं;

(ख) श्रमिकों में असन्तोष की समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) इन कपड़ा मिलों के बन्द होने के कारण कुल कितने श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार हड़ताल के कारण 28-2-90 की स्थिति अनुसार 17 सूती मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें, जिनमें 20,960 कामगार कार्यरत थे, बन्द पड़ी हुई थीं ।

संबंधित राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा संबंधित पक्षकारों के साथ समन्वय, बातचीत और विचार विमर्श करके अलग-अलग मामले के आधार पर श्रमिकों की समस्याओं का निवारण किया जाता है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के श्रमिकों को बोनस

[अनुवाद]

6402. **श्री कृपाल सिंह** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के श्रमिकों को बोनस देने तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने के लिए 2500 रुपए की अधिकतम आय सीमा कब निर्धारित की गई थी;

(ख) क्या इस आय सीमा के निर्धारित किए जाने के पश्चात् से विभिन्न आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों/पंचाटों तथा हाल ही के वर्षों में मूल्य में वृद्धि होने के कारण महंगाई भत्ते में निरन्तर वृद्धि होने से श्रमिकों/कर्मचारियों के वेतनों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस अधिकतम सीमा में वृद्धि करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में श्रमिकों को बोनस देने और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने के लिए बोनस संदाय अधिनियम में संशोधन द्वारा वर्ष 1985 में 2500 रुपए की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी थी ।

(ख) मजदूरी संशोधनों के कारण तथा मंहगाई भत्ते में समय-समय पर वृद्धि के कारण श्रमिकों/कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि हुई है।

(ग) जी, हां।

(घ) मामला विचाराधीन है। विभिन्न करकों पर विचार करने के पश्चात, यथा समय निर्णय लिया जाएगा।

दिल्ली में उचित दर की दुकानों/तेल के डिपों का आबंटन

[हिन्दी]

6403. **श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली में उचित दर की दुकानों/तेल के डिपो के आबंटन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) कितने आवेदकों को डिपो आबंटित किए गए हैं; और

(ग) शेष आवेदनों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली प्रशासन द्वारा आवेदकों को 362 उचित दर की दुकानें तथा 68 मिट्टी के तेल के डिपो आबंटित किए गए हैं।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा संबंधित मण्डल कार्यालय में उचित दर की दुकानों तथा मिट्टी के तेल के डिपुओं की अधिसूचित की जाने वाली प्रत्येक रिक्ति के लिए अनेक आवेदन प्राप्त होते हैं। आबंटन उस व्यक्ति को किया जाता है, जो निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार सबसे अधिक उपयुक्त पाया जाता है। बाकी आवेदनों को अस्वीकार किया गया मान लिया जाता है।

आई० एस० कैंडार थेरापि

[अनुवाद]

6404. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने वर्ष 1978 से 1982 के बीच आई. एस. कैंडार थेरापि में अनुसंधान किया है;

(ख) क्या यह सच है कि परिषद की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की सिफारिशों पर आई. एस. कैंडार थेरापि में अनुसंधान कार्य रोक दिया गया था; और

(ग) क्या आई. एस. कैंडार थेरापि में अनुसंधान कार्य वैज्ञानिक सलाहकार समिति की स्वीकृति लिए बिना ही फिर से शुरू किया गया था; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) कैंसर के लिए इस्केडॉर थिरेपी 1978 में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर परीक्षण के तौर पर आरम्भ की गई थी। इसे वापस लेने की कोई सिफारिश नहीं की गई। बहरहाल, चूंकि इसके बारे में कुछ संदेह था, इसलिए वैज्ञानिक सलाहकार समिति ने इस पर पुनः विचार-विमर्श किया और 9 अगस्त, 1984 को इसे फिर से अनुमोदित किया।

(ग) परिषद में इस्केडॉर थिरेपी में अनुसंधान कार्य वैज्ञानिक सलाहकार समिति की सिफारिश पर फिर से आरंभ किया गया।

पंजाब के लिए हुडको-योजनाएं

6405. **श्री कमल चौधरी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में मकानों के निर्माण के लिए हुडको द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत और वित्त घोषित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब राज्य में ऋण लेने वाले अभिकरणों को हुडको द्वारा स्वीकृत योजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

वर्ष	योजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	नियतन	स्वीकृत ऋण	स्वीकृत रिहायशी एकक
				(करोड़ रुपयों में)	
1987-88	14	17	7.81	11	1312
1988-89	37	42	9.77	36	43349
1989-90	32	23	12.51	15	1310

(ख) उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार 103789 स्वीकृत रिहायशी एककों की संख्या में से 31-3-90 की स्थिति के अनुसार 48051 एकक पूर्ण हो गए हैं।

आयुर्वेदिक औषधियों के लिए निविदाएं

6406. **श्री रामदास सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत अपनी आयुर्वेदिक और पेटेंट औषधियों के लिए निविदाएं आमन्त्रित करती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) जी हां, उन औषधियों की सफाई के लिए जो सूत्र संहिता में शामिल हैं, लेकिन भारत सरकार के

उपक्रम मै. आई. एम. पी. सी. एल. द्वारा जिनका विनिर्माण और सप्लाई नहीं की जाती है, हर वर्ष केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के साथ पंजीकृत फर्मों से निविदाएं मांगी जाती हैं।

रमजान अवधि के लिए विशेष कोटा

6407. **श्री अजीत कुमार पांजा :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रमजान अवधि के दौरान राज्यों के चीनी और मिट्टी का तेल आदि पदार्थों के नियमित कोटे में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्ष-वार, रमजान अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को जारी किए गए संवर्धित कोटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार को इस वर्ष बढ़ा हुआ कोटा जारी नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) से (घ) जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के अधीन राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिए लेवी चीनी का मासिक कोटा आवंटित किया जाता है और किसी भी राज्य सरकार को रमजान के त्यौहार सहित त्यौहारों के लिए चीनी की कोई मात्रा आवंटित नहीं की जाती है। तथापि, सितम्बर-अक्तूबर/अक्तूबर-नवम्बर के त्यौहारों के महीनों के लिए अतिरिक्त त्यौहार-आवंटन किए जाते हैं।

जहां तक मिट्टी के तेल का संबंध है, बाढ़ों, सूखे, त्यौहारों आदि की वजह से उत्पन्न हुई आपातिक मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के अतिरिक्त तदर्थ आवंटन विषयक अनुरोध पर उनके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों में रमजान की अवधि के दौरान अथवा इस वर्ष रमजान की अवधि के लिए मिट्टी के तेल के कोटे में वृद्धि करने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से कोई अलग अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था। गेहूं और चावल के संबंध में इस अवधि के दौरान कोई वृद्धि नहीं की गई है लेकिन राज्यों से समय-समय पर प्राप्त हुए अनुरोधों पर केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता और संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर विचार किया जाता है।

पंजाब में मल व्ययन हेतु विश्व बैंक सहायता

[हिन्दी]

6408. **स० अतिन्दर पाल सिंह :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब की उन नगरपालिकाओं/अधिसूचित क्षेत्र समितियों और ग्रामीण इलाकों का ब्यौरा क्या है जहां आधुनिक मल निकासी व्यवस्था है;

(ख) क्या सभी क्षेत्रों में यह प्रणाली लागू करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस सम्बन्ध में आठवीं पंचवर्षीय योजना में किन प्रस्तावों को शामिल करने का विचार है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिए पंजाब सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी; यदि हां, तो कितनी;

(च) क्या इसके लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यह सुविधा सभी क्षेत्रों में कब तक प्रदान किये जाने की आशा है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पंजाब सरकार से यथा प्राप्त सूचना के अनुसार, 95 नगरपालिकाओं तथा 11 अधिसूचित क्षेत्र समितियों में से 70 नगरपालिकाओं तथा 5 अधिसूचित क्षेत्र समितियों में आंशिक मल-निर्यास प्रणाली विद्यमान है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(च) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि मलनिर्यास के लिए विश्व बैंक सहायता हेतु उनका एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का विचार है।

(छ) पंजाब सरकार के अनुसार, इस अवस्था में कोई निश्चित समय सीमा बताई नहीं जा सकती है।

रायगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

6409. **श्री नन्द कुमार साय** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रायगढ़ जिले में लुडेंग में सहकारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

किसी भी क्षेत्र में नये एककों की स्थापना कई बातों पर निर्भर करेगी जैसे कि कच्चे माल और अन्य मूलभूत सुविधाओं आदि की उपलब्धता।

पश्चिम बंगाल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

[अनुवाद]

6410. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय का पश्चिम बंगाल में खाद्य प्रसंस्करण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, देश में 1990-91 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए कई योजना स्कीमें तैयार की गई हैं।

सूची-बाह्य औषधियां

6411. **डा० भगवान दास राठौर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडिकल स्टोर आर्गेनाइजेशन के अधीन मेडिकल स्टोर डिपो को प्राथमिकता वाली औषधियों की सूची बाह्य आधार पर खरीदने की अनुमति दी जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो वर्ष 1985 से प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में सूची बाह्य औषधियां खरीदी गई;

(ग) सूची-बाह्य औषधियों को प्राथमिकता के आधार पर खरीदने के लिए मानदण्ड क्या हैं; और

(घ) प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक डिपो द्वारा किन-किन कम्पनियों से और कितनी-कितनी धन-राशि की सूची-बाह्य औषधियां खरीदी गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ग) जी, हां। वर्ष 1985 में इन डिपुओं को निम्नलिखित परिस्थितियों में सूची-बाह्य औषधियों को खरीदने की अनुमति दी गई थी :—

(i) बाढ़, सूखा और भूचाल इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं और राष्ट्रीय आपदाओं में आकस्मिक मांगों को पूरा करने के लिए।

(ii) डिपुओं में निर्दिष्ट विशेष मांगें जैसे हज यात्रियों के लिए भूचाल इत्यादि में औषधालय के लिए।

(iii) विदेश मन्त्रालय से विदेश सहायता के लिए प्राप्त मांगों के लिए।

(iv) हमारे विदेश स्थित दूतावासों से प्राप्त मांगों को पूरा करने के लिए।

(v) फैक्टरी और डिपुओं को चलाने के लिए और गृह व्यवस्था सम्बन्धी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए।

(vi) विशेष परिस्थितियों में सरकार द्वारा प्राप्त मांगें पूरी करने के लिए।

(vii) निम्नलिखित की सुनिर्धारित मांगें :—

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह

(ख) डाक तार औषधालय

(ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स

(घ) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स

(ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

(च) राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

(छ) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

(ज) दिल्ली अस्पताल ।

तथापि, इसे 1986 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/दिल्ली अस्पतालों और 1987 से आगे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सीमित कर दिया गया ।

(ख) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

हस्तशिल्प के सम्बन्ध में अध्ययन

[हिन्दी]

6412. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हस्तशिल्प उद्योग सम्बन्धी तकनीक, वित्तीय ढांचे, कला कौशल तथा अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या विभिन्न राज्य सरकारों के विकासात्मक प्रयासों में समन्वय रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा किये गये विभिन्न अध्ययनों में 105 शिल्प विशिष्ट सर्वेक्षण/अध्ययन, 19 शिल्प प्रलेखन, उच्च अधिकार प्राप्त समिति की एक रिपोर्ट और हस्तशिल्प सम्बन्धी टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट शामिल है ।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय राज्य और केन्द्रीय हस्तशिल्प विकास निगमों के प्रबन्ध निदेशकों के साथ नियमित बैठकें करके विभिन्न राज्यों के विकासात्मक प्रयासों का समन्वय करता है । इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प बोर्ड, जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, में हस्तशिल्प सम्बन्धी नीति के मुख्य विषय उठाये जाते हैं और इन पर विचार किया जाता है ।

पानी के लिए पक्की नालियों के निर्माण पर व्यय

[अनुवाद]

6413. **श्री दौलत राम सारण** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कृषि विकास के लिए पानी हेतु पक्की नालियों के निर्माण और अन्य कार्यों पर इन्दिरा गांधी नहर के चरण-एक और चरण-दो के निर्माण कार्य पर कुल कितना व्यय करना पड़ेगा;

(ख) क्या चरण दो के कुछ क्षेत्रों में यह उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने लिया है; और

(ग) क्या हरियाणा और पंजाब ने अपने-अपने क्षेत्रों में पानी की पक्की नालियों के निर्माण की लागत राशि किसानों को दिये जाने वाले ऋणों में से कम करके बट्टे खाते में डाल दी है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना चरण-I में कुल देयताएं मूल का 43-52 करोड़ रुपये हैं (साधारण ऋणों को छोड़कर) और चरण-II में शून्य है।

(ख) 1-1-1986 से लागू केन्द्रीय सहायता के संशोधित वित्तीय स्वरूप के अन्तर्गत निकास-द्वार से 5-8 हेक्टेयर ब्लाक तक जलमार्गों के निर्माण की लागत भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर आधार पर अनुदान के रूप में वहन की जा रही है इसमें किसानों पर कोई देयता नहीं है। इसलिए वर्तमान वित्तीय ढांचे के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी नहर परियोजना चरण-II में जलमार्गों के निर्माण कार्यों पर आने वाली लागत सामान्यता भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। कमान क्षेत्र विकास की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत परियोजना के चरण-II का केवल 1.24 लाख हेक्टेयर शामिल किया गया है।

(ग) जहां तक हरियाणा और पंजाब का सम्बन्ध है, जलमार्गों के निर्माण के लिए कृषकों से वसूल किए जाने वाले ऋण की वसूली, यदि कोई हो, को माफ करने का निर्णय लेते समय भारत सरकार से हरियाणा और पंजाब ने कोई अनुरोध नहीं किया।

कृषि उत्पादों के मूल्य

[हिन्दी]

6415. **श्री मित्रसेन यादव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का किसानों को उनके कृषि-उत्पादों के लाभकारी मूल्य देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) किसानों को उनके उत्पादों के समर्थन मूल्य देने के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान सरकार का कितने खरीद केन्द्र खोलने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) और (ख) सरकार प्रमुख कृषि वस्तुओं के समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। इस प्रकार निर्धारित किये गये वसूली मूल्य न केवल किसानों की उत्पादन लागत को पूरा करते हैं बल्कि उनके लिए उपयुक्त लाभ भी सुलभ करते हैं। देश भर में क्रय केन्द्रों का जाल बिछाया जाता है और आवश्यकतानुसार इनकी संख्या को समय-समय पर बढ़ा दिया जाता है ताकि किसानों को मजबूरी की हालत में बिक्री करने की सम्भावना से बचाया जा सके। किसानों के लिए उचित लाभ को सुनिश्चित करने की दृष्टि में सरकार ने हाल ही में फसल की पैदावार की लाभकारिता में सुधार लाने के लिए अन्य उपायों की जांच और सिफारिश करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की है।

(ग) 7749।

रुई का उत्पादन और आयात

[अनुवाद]

6416. **डा. वेंकटेश काबडे** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में रुई के रिकार्ड उत्पादन की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का विचार किसानों को कच्ची रुई के अच्छे मूल्य देकर इसके निर्यात को बढ़ावा देने का है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी रुई का निर्यात किया गया; और

(घ) महाराष्ट्र के रुई उत्पादकों को रुई के बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने किसानों को उच्च अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से रुई वर्ष 1989-90 के दौरान रुई की 13.85 लाख गांठों के निर्यात के लिए पहले से ही कोटा रिलीज कर दिया है।

(ग) वर्ष 1986-87 मौसम के दौरान रुई की 13.67 लाख गांठों का निर्यात किया गया, वर्ष 1987-88 मौसम के दौरान रुई की 0.44 लाख गांठों का निर्यात किया गया और रुई वर्ष 1988-89 के दौरान रुई की 0.77 लाख गांठों का निर्यात किया गया।

(घ) महाराष्ट्र में रुई की खरीद राज्य सरकारों द्वारा संचालित एकाधिकार खरीद योजना के माध्यम से शासित की जाती है।

नारियल के तेल का आयात

6417. **श्री के. मुरलीधरण** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय नारियल के तेल का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का नारियल उगाने वाले किसानों के लाभ के लिए नारियल तेल आयात को बंद करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) नारियल का तेल एक मार्गीकृत मद है और मार्गीकरण एजेन्सी राज्य व्यापार निगम अभी नारियल के तेल का कोई आयात नहीं कर रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली सब्जी और फल उपभोक्ता सहकारी महासंघ

[हिन्दी]

6418. **श्री रीतिलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली सब्जी और फल उपभोक्ता सहकारी महासंघ की सभी दुकानें ठेका आधार पर चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या ये दुकानें कपड़ा, चीनी और अन्य वस्तुओं का व्यापार कर रही हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस महासंघ की सभी सदस्य समितियां बन्द पड़ी हैं; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह महासंघ जाली खाते रख रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(च) क्या रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली का विचार इस मामले की जांच कराने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) सहकारी समितियों के पंजीयक, दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उक्त महासंघ की दुकानों का संचालन महासंघ के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है।

(ख) महासंघ, वस्त्र, चीनी और अन्य वस्तुओं का व्यापार कर रहा है, जिसके लिए वह दिल्ली प्रशासन के खाद्य, आपूर्ति और उद्योग विभागों से आवश्यक लाइसेंस/परमिट प्राप्त हो चुका है।

(ग) यह सूचना मिली है कि 78 सदस्य/भंडारों/समितियों में से 14 परिसमापन की स्थिति में हैं।

(घ) उक्त महासंघ के खातों की 1987-88 तक की लेखा-परीक्षा, सहकारी समितियों के पंजीयक, दिल्ली द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार द्वारा की जा चुकी है। लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में महासंघ की लेखा पुस्तिकाओं के रखरखाव में दोष/अनियमितताओं का संकेत दिया गया है, लेकिन यह बात सिद्ध नहीं हुई है कि लेखा पुस्तिकाएं बोगस या फर्जी हैं।

(ङ) से (छ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कपड़ा समिति द्वारा अध्ययन

[अनुवाद]

6419. **श्री कमालुद्दीन अहमद** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता द्वारा वस्त्रों की खरीद के संबंध में वस्त्र संबंधी समिति की बाजार अनुसंधान विंग ने अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) वस्त्र समिति का बाजार अनुसंधान स्कंध देश के विभिन्न शहरी और ग्रामीण केन्द्रों में फैले नमूना परिवारों से वस्त्रों की उपभोक्ता खरीदारियों के बारे में आकड़े एकत्र करने के लिए सतत आधार पर सर्वेक्षण करता रहता है।

(ख) वस्त्र समिति की वस्त्र उपभोक्ता खरीदारी के सम्बन्ध में प्रकाशित रिपोर्टों में कोई सिफारिश नहीं की जाती है।

(ग) विभिन्न सरकारी विभाग, अनुसंधान संगठन तथा उद्योग क्षेत्र आगे अध्ययन करने के लिए वस्त्र की खपत के प्राक्कलनों का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय सांख्यकीय संस्थान भी राष्ट्रीय आकड़े तैयार करने के उद्देश्य से वस्त्र की खपत का अनुमान लगाने के लिए इन प्राक्कलनों का प्रयोग करता है।

इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नालाजी

[हिन्दी]

6420. **डॉ० महादीपक सिंह शाक्य** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नालाजी' देश में अपनी किस्म का एक ही इंस्टीट्यूट है;

(ख) क्या सरकार का देश में ऐसे कुछ और इंस्टीट्यूट खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) हालांकि सरकार देश में और ऐसे संस्थान खोलने का प्रस्ताव नहीं करती फिर भी एन. आई. एफ. टी., बम्बई, बंगलौर, अहमदाबाद, मद्रास, लुधियाना और तिरुपुर स्थित परिधान उत्पादक केन्द्रों में 2 सप्ताह से 4 महीनों की अवधि के बीच के अल्पकालिक पाठ्यक्रम चला कर क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है: इन पाठ्यक्रमों में सम्मिलित हैं, परिधान उत्पादन, परिधान डिजायन, विपणन और व्यापार कौशल। एन. आई. एफ. टी. का ऐसे और पाठ्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उसके लिए निधियां उपलब्ध हों।

कर्नाटक में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध न होना

[अनुवाद]

6421. **श्री एच० सी० श्रीरामुलु** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ ने इस बात पर रोष प्रकट किया है कि कर्नाटक में उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त हैदराबाद, बम्बई, मद्रास, दिल्ली और अन्य स्थानों पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है; और

(ग) कर्नाटक में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वैसी ही सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

रुग्ण कपड़ा मिलें

[हिन्दी]

6423. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ऐसी रुग्ण कपड़ा मिलों का प्रबंध श्रमिकों को सौंपने का विचार है, जिनका श्रमिक संचालन करने के लिए तैयार हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) सरकार को कामगार सहकारी समितियों द्वारा रुग्ण वस्त्र मिलों को चलाने की अनुमति देने पर कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि वे अर्थक्षम पाई जाएं और ऐसी मिलों के पुनर्वास पैकेज में उनसे अपेक्षित राहतों और रियायतों के बारे में सभी संबंधित पक्षकार सहमत हों ।

यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया द्वारा बछावत अवार्ड का कार्यान्वयन

[अनुवाद]

6424. **प्रो० के० वी० थामस**
श्री ए० विजयराघवन :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया के प्रबन्धकों द्वारा बछावत अवार्ड को दोषपूर्ण और आंशिक रूप से कार्यान्वित करने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया के प्रबन्धकों द्वारा बछावत अवार्ड को समुचित रूप से कार्यान्वित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया (यू. एन. आई.) से एक अभ्यावेदन तथा 16 अक्तूबर, 1989 के पत्र की प्रति जिस पर यू.एन.आई. के प्रबंध तथा कर्मचारी यूनियन द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए गए थे और यू. एन. आई. के प्रबन्धतंत्र तथा कर्मचारियों के बीच हुए समझौता ज्ञापन प्रति 20 मार्च, 1990 को प्राप्त हुई है। इस अभ्यावेदन में कर्मकारों की मांगों के बारे में कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

(ग) सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कहा है बछावत मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें लागू करें तथा सभी समाचार और न्यूज एजेंसियों में उनके उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें।

महिलाओं में मृत्यु दर

6425. **श्री इरा अन्बारासु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिलाओं की मृत्यु-दर अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इस मृत्यु-दर की अधिकता के लिए कौन-सी बातें उत्तरदायी हैं; और

(ग) महिलाओं में मृत्यु-दर को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति के नवीनतम अनुमानों के अनुसार वर्ष 1987 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति हजार महिला जनसंख्या पर महिला मौतों की संख्या 11.0 है। वर्ष 1987 में पुरुषों में यह मृत्यु दर 10.9 है।

(ख) गर्भ धारण और बच्चे के जन्म में काफी जोखिम होता है जिससे महिला के जीवन को खतरा हो सकता है।

(ग) गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के समय महिलाओं को प्रसव पूर्व, प्रसवकालीन और प्रसवोत्तर परिचर्या प्रदान की जाती है, पोषण की कमी से होने वाली रक्ताल्पता की रोकथाम की जाती है। टेटनस टाक्साइड के टीके लगाये जाते हैं, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सीय गर्भ समापन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तथा समन्वित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत पूरक आहार की व्यवस्था की जाती है।

कर्मचारी भविष्य निधि का भुगतान

6426. **श्री राम सागर** (सैदपुर) : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि के भुगतान में तीन माह से अधिक के विलम्ब वाले मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) लाभार्थियों को या उनकी मृत्यु के मामलों में उनके परिवारों को भविष्य निधि का शीघ्र भुगतान कराने हेतु की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मूल्य नियंत्रण प्रणाली

6427. **श्री गुलाब चन्द कटारिया :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आवश्यक वस्तुओं को मूल्य नियंत्रण प्रणाली जारी रखने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दोहरी मूल्य नीति के कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसे समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) औचित्य और सामाजिक न्याय के व्यापक हित को देखते हुए चावल, गेहूं, चीनी आदि जैसी मूलभूत आवश्यक वस्तुओं, जो गरीबों की उपभोज्य मदों का आवश्यक हिस्सा है, के मूल्यों को पूर्णत: बाजार शक्तियों द्वारा निश्चित किए जाने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता।

(ग) और (घ) दोहरी मूल्य-निर्धारण नीति से होने वाले लाभ, हानि, यदि कोई हो, की तुलना में बहुत अधिक है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम और अन्य संगत कानूनों के अन्तर्गत बनाए गए उपबन्धों के माध्यम से कदाचारों को रोकने और सजा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

बिहार में सिंचाई कार्यों के लिए ट्यूबवैल

[हिन्दी]

6428. **श्री तेज नारायण सिंह :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई कार्यों के लिए बिहार में कुल कितने ट्यूबवैल लगाए गए है तथा इस समय उसमें से कितने खराब पड़े हैं; और

(ख) खराब पड़े ट्यूबवैलों की मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) 31 मार्च, 1990 तक कुल 5,523 नलकूल लगाए गए थे, जिनमें से 2790 नलकूप चालू हैं।

(ख) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही परियोजना के अन्तर्गत आधुनिकीकरण और पुन:स्थापना के माध्यम से नलकूपों को चालू कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त समर्पित विद्युतीय फीडर लाइनों के लिए व्यवस्था की जा रही है। इस परियोजना को 1993-94 तक पूरा किया जाना है।

केरल में "हुडको" योजनाओं का कार्यान्वयन

[अनुवाद]

6429. **श्री टी० बशीर :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में मकानों के निर्माण के लिए "हुडको" द्वारा कितनी योजनाएं मंजूर की गई और वित्त पोषण किया गया; और

(ख) इन योजनाओं के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है;

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल राज्य में ऋण लेने वाले अभिकरणों को हुडको द्वारा स्वीकृत योजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	योजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	नियतन	स्वीकृत ऋण	स्वीकृत रिहायशी एकक
		(करोड़ रुपयों में)			
1987-88	35	64	10.67	45	46171
1988-89	50	55	12.02	38	15804
1989-90	75	126	15.41	95	70003

(ख) इसके प्रारम्भ से, अब तक हुडको ने केरल राज्य में 431504 रिहायशी एकक स्वीकृत किए हैं जिसमें से लगभग 333200 रिहायशी एकक पूर्ण हो गए बताया गया है।

राज्यों में कुष्ठ रोगियों के लिए आश्रम

[हिन्दी]

6430. श्री हरीश रावत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रत्येक राज्य में कुष्ठ रोगियों को रखने हेतु आश्रमों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने आश्रमों की स्थापना की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में धोबी घाट

6432. डा० बंगाली सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में धोबियों के लिए सरकार द्वारा निर्मित किए गए धोबी घाटों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का जनसंख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए और अधिक धोबी घाटों के निर्माण करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन के अनुसार स्थानीय निकायों द्वारा बनाये गए धोबी घाटों की कुल संख्या 69 है। बापा नगर में एक अन्य धोबी घाट बनाया जा रहा है।

पूर्वी क्षेत्र की मिलों के आधुनिकीकरण संबंधी समिति

[अनुवाद]

6434. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के पूर्वी क्षेत्र की मिलों के आधुनिकीकरण और एकीकरण करने हेतु एक समिति का गठन किया है;

(ख) क्या समिति रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। फिर भी सरकार ने एक समिति गठित की है जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम (धारक कम्पनी), नई दिल्ली के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक शामिल हैं। इसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल में स्थित एन. टी. सी. मिलों की विभिन्न समस्याओं की जांच करना तथा उपचारी उपाय सुझाना है। समिति के विचारार्थ विषय और उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :—

(1) पिछले पांच वर्षों के दौरान इन मिलों में हुए नकद घाटों और निवल घाटों के कारणों को अभिज्ञात करना।

(2) कताई और प्रोसेसिंग क्षमताओं की उपयोगिता का प्रतिशत कम होने तथा कम यार्न उत्पादन और यार्न की कम बाजार बिक्री होने के कारणों को अभिज्ञात करना।

(3) पश्चिम बंगाल में एन. टी. सी. मिलों द्वारा सामना की जा रही अन्य विशिष्ट समस्याओं को अभिज्ञात करना।

(4) पश्चिम बंगाल में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की यार्न की आवश्यकताओं को अभिज्ञात करना तथा एन टी सी मिलों द्वारा यार्न के उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करने के सुझाव देना ताकि राज्य/क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, और

(5) उपरोक्त (1), (2), (3) और (4) मदों तथा अन्य संबंधित पहलुओं पर भावी कार्रवाई करने के बारे में सुझाव देना। ये अल्पकालिक उपचारी उपायों तथा दीर्घ-कालिक योजनाओं के रूप में होंगे ताकि बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल में एन. टी. सी. के सहायक निगमों की किफायती अर्थक्षमता सुनिश्चित की जा सके।

समिति ने अभी तक सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

स्वास्थ्य सेवाओं पर सामाजिक नियंत्रण

6435. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं पर सामाजिक नियंत्रण को कल्याण उपाय के रूप में मजबूत बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) सरकार विशेष तौर से पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए वचनबद्ध है और स्वास्थ्य सेवाओं पर सामाजिक नियंत्रण को सुदृढ़ करना उन उपायों में से एक है जिसे सरकार उच्च प्राथमिकता देती है। इसके ब्यौरे राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके तैयार किए जा रहे हैं।

हथकरघा बुनकर

6436. **श्री हेत राम** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में हथकरघा बुनकरों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आदानों की कीमतों, श्रम, बिचौलिए का लाभ तथा हथकरघा उत्पादों, विशेषकर दरियों तथा खादी कपड़े के सम्बन्ध में उपभोक्ता मूल्य के बारे में कोई अध्ययन आरम्भ किया है; और

(घ) हथकरघा बुनकरों के लिए उचित मजदूरी सुनिश्चित करने तथा इस उद्योग में नियोजित ठेका श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा, कर्मचारी भविष्य निधि एवं अन्य सांविधिक सुरक्षा-उपायों के अन्तर्गत शामिल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) वर्ष 1987-88 के दौरान भारत सरकार ने राज्य सरकारों के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर हथकरघों की गणना की थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हथकरघा बुनकरों के सामाजिक आर्थिक पहलुओं से संबंधित कुछ आंकड़े भी शामिल हैं।

(ख) देश में हथकरघा बुनकरों के बारे में की गई गणना के मुख्य निष्कर्ष निम्न अनुसार हैं।

1. रोजगार

(लाख व्यक्ति)

(क) बुनकर परिवारों की कुल संख्या	:	156.08
(ख) बुनाई की प्रारम्भिक और बाद की क्रियाओं में लगे व्यक्तियों की कुल संख्या :		

	प्रारम्भिक क्रिया	बुनाई	कुल
(1) पूर्णकालिक	10.95	22.43	33.38
(2) अंशकालिक	10.62	21.33	31·95
योग :	21.57	43.76	65.33

2. परिवार और गैर-परिवार

(गैर-परिवार एकक ऐसे एकक हैं जिनमें उनके निजी लूम शैड हैं जिनमें करघा रहित बुनकर कार्य करते हैं

(संख्या लाख में)

(1) परिवार	:	30.60
(2) गैर-परिवार	:	0.24
योग :	:	30.84

3. बुनकर परिवारों का मासिक आय संबंधी वितरण

(संख्या लाख में)

(क) केवल हथकरघा बुनाई से		
(1) 200 रुपये तक	:	16.56
(2) 201 रुपये से 500 रुपये तक	:	10.50
(3) 501 रुपये और उससे अधिक		3.54
(ख) सभी स्रोतों से		
(1) 200 रुपये तक	:	2.04
(2) 201 रुपये से 500 रुपए तक		13.24
(3) 501 रुपये और उससे अधिक		15.32

4. लिंगवार वितरण

(लाख व्यक्तियों में)

(1) पुरुष		17.69
(2) स्त्रियां		40.04
(8) बच्चे	:	7.60
योग	:	65.33

5. जातिवार वितरण

(लाख व्यक्तियों में)

(1) अनुसूचित जाति	:	7.94
(2) अनुसूचित जनजाति	:	13.10
(3) अन्य	:	44.29
योग :	:	65.33

6. पूर्णकालिक बुनकरों का कार्य का स्तर

(लाख व्यक्तियों में)

(1) सहकारी समितियों के अन्तर्गत		4.55
(2) राज्य निगमों के अन्तर्गत	:	0.47
(3) सिद्धहस्त बुनकरों के अन्तर्गत		3.45
(4) स्वतंत्र बुनकर		12.11
(5) अन्य		1.85
योग		22.43

(ग) जी, नहीं ।

(घ) भारत सरकार के आग्रह पर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य ने न्यूनतम हथकरघा उद्योग के सम्बन्ध में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन अधिसूचित किए हैं । अन्य राज्यों से भी अनुरोध किया गया है कि वे भी इसी प्रकार का अनुसरण करें । हथकरघा बुनकरों को अधिक आय सुनिश्चित करने तथा उनकी सामाजिक-आर्थिक दशा में सुधार लाने के लिए सरकार विभिन्न उपायों के जरिये प्रयास कर रही है जैसे :—

(1) करघों के आधुनिकीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता,

(2) उन्नत प्रौद्योगिकी पर बुनकरों को प्रशिक्षित करने के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण योजना,

(3) उन्नत प्रौद्योगिकी के अन्तरण में बुनकरों को सहायता प्रदान करने के लिए 'बुनकर सेवा' के संवर्ग की प्रशिक्षण योजना,

(4) कुछ प्रकार के कपड़ों का उत्पादन हथकरघा क्षेत्र में ही विशेष रूप से आरक्षित करके हथकरघा को संरक्षण प्रदान करना,

(5) देश में अनेक बुनकर सेवा केन्द्रों के जरिये प्रौद्योगिकीय अन्तर-निविष्टियां प्रदान करना तथा डिजाइन सहायता देना,

(6) विद्युत करघों की तुलना में हथकरघों की लागत सम्बन्धी कठिनाई को दूर करने के लिए हथकरघा क्षेत्र को विशेष वित्तीय रियायतें देना,

(7) बुनकरों को सहायता प्रदान करना ताकि वे औद्योगिक किस्म की सहकारी समितियां स्थापित कर सकें,

(8) बचत-निधि योजना जिसमें ग्रुप-बीमा योजना शामिल है,

(9) शीर्ष समितियों और राज्य निगमों को विशेष छूट, शेयर-पूंजी सहायता से निहित बाजार विकास सहायता योजना ताकि हथकरघा उत्पादों को बाजार सहायता प्रदान की जा सके, और

(10) जनता कपड़ा योजना, जिसके अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि हथकरघा बुनकरों को उचित वेतन की अदायगी होती है।

खाड़ी के देशों से भारतीय कामगारों की वापसी

6437. **श्री रमेश चेन्नीथाला** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान रोजगार में कमी के कारण खाड़ी के देशों से वापस आने वाले भारतीय कामगारों की, देशवार, संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) यह सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कैंसर की चिकित्सा के उपाय और इसके लिए औषधि की खोज

6438. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैंसर रोग के उन्मूलन हेतु अब तक क्या कार्रवाही की गई है तथा करने का विचार किया गया है;

(ख) क्या किसी प्रभावी औषधि की खोज की जा चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) अब तक चिकित्सा विज्ञानियों को कैंसर रोग के उन्मूलन के लिए किसी प्रभावकारी विधि का पता नहीं चला है। तथापि, कैंसर रोगियों के काफी अधिक मामलों को उपयुक्त स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए रोका जा सकता है अथवा उन्हें इस रोग का शुरू में पता लगाकर ठीक किया जा सकता है। सरकार द्वारा इस दिशा में आवश्यक उपाय किए जा रहे है।

सरकारी क्वार्टरों के बरांडों में शीशा लगाना

6439. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामाकृष्ण पुरम, नई दिल्ली आदि में कुछ समय पहले बड़ी संख्या में सरकारी क्वार्टरों में शीशा लगाने का कार्य आरम्भ किया गया था लेकिन अचानक यह कार्य रोक दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बरांडों में शीशा लगाने का कार्य पुनः आरम्भ करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कितने क्वार्टरों के मामलों में शीशा लगाने के लिए मंजूरी दी गई थी, लेकिन अभी तक यह कार्य पूरा नहीं किया गया है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां ।

(ख) तत्कालीन प्रभावी सूखा परिस्थितियों के कारण व्यय में कमी करने और केवल अनिवार्य मरम्मतों और दैनिक अनुरक्षण के लिए सरकार द्वारा 1987 में जारी किए गए निर्देशनों के अनुसरण में ।

(ग) प्रतिबन्ध के शिथिल किए जाने के बाद बरामदों में शीशे लगाने के कार्य की सिफारिश की गई थी ।

(घ) 17, जहां तक रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली का सम्बन्ध है ।

बम्बई में कैंसर रोगियों के लिए विशिष्ट अनुसंधान केन्द्र

[हिन्दी]

6440. **श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रेटर बम्बई में कैंसर रोगियों के लिए कितने विशिष्ट अनुसंधान केन्द्र हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने कैंसर रोगियों, विशेष रूप से 11 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का उपचार किया गया है; और

(ग) छोटे बच्चों में इस रोग के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इस रोग के अत्याधुनिक उपचार हेतु कितनी राशि दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कयाण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभापटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में कर्मचारी भविष्य निधि अग्रिम ऋण के सम्बित मामले

6441. **श्री केशरी लाल** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्यवार करमपुरा दिल्ली स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में कर्मचारी भविष्य निधि अग्रिम ऋण के कितने मामले प्राप्त हुए हैं;

(ख) तीन महीने, छह महीने और एक वर्ष की अवधि के भीतर अलग-अलग कितने मामले निपटाये गये;

(ग) तीन महीने से अधिक समय से लम्बित मामलों की संख्या कितनी है;

(घ) पंजाब के विशेष रूप से ब्रिटिश मोटर कार कम्पनी जालंधर और अन्य राज्यों के कितने मामले लंबित हैं; और

(ङ) इन मामलों को शीघ्र निपटाने की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

वर्ष	अग्रिम राशि के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या (इनमें पूर्व वर्ष के अंत में लम्बित आवेदन-पत्र शामिल हैं)	3 माह के अन्दर निपटाये गये आवेदन-पत्रों की संख्या	6 माह के अन्दर निपटाये गए आवेदन-पत्रों की संख्या	एक वर्ष के अन्दर निपटाये गये आवेदन-पत्रों की संख्या	वर्ष के अन्त में 3 माह से कम समय से लंबित उन आवेदन-पत्रों की संख्या जिन्हें अगले वर्ष में ले जाया गया
1988-89	2286	2230	2	शून्य	54
1989-90	2280	2190	53	शून्य	37

वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए ऋण

[अनुवाद]

6442. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए वर्षवार कितना ऋण दिया गया;

(ख) क्या रुग्ण मिलें अब लाभ देने वाले उपक्रम बन गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) वस्त्र आधुनिकीकरण निधि के अन्तर्गत वर्ष 1987 तक 140.74 करोड़ रुपये, वर्ष 1988 में 166.84 करोड़ रु० तथा वर्ष 1989 में 149.18 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई थी।

(ख) और (ग) जबकि योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त एककों की उत्पादकता में सामान्यतम सुधार हुआ था, फिर भी सभी मामलों में दान प्रदता में सुधार नहीं हुआ क्योंकि रुग्ण एककों की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए आधुनिकीकरण एक अन्तर निर्दिष्ट मात्र ही है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की गैर सरकारी क्षेत्र में कुटीर और लघु उद्योग से सम्बन्धित नीति

[हिन्दी]

6444. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम सिले सिलाए वस्त्र तैयार करने के लिए गैर सरकारी क्षेत्र की स्वरोजगार पर आधारित सहकारी संस्थाओं और कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों को कटपीसों की सप्लाई करने की नीति, वास्तविक रूप से लागू कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो बिहार की उन संगठनों के नाम क्या है, जिन्हें राष्ट्रीय कपड़ा निगम से कपड़ा प्राप्त होता है; और

(ग) यदि किसी संगठन को कपड़ा प्राप्त नहीं होता है तो इन्हें राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा कपड़े की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यदि ऐसा कोई संगठन सम्पर्क करता है तो एन. टी. सी. इस सम्बन्ध में निर्धारित नीति परक मार्ग निर्देशी सिद्धांतों तथा गुणावगुण आधार पर अलग-अलग मामले पर विचार करना चाहिए।

कपड़ा मजदूर पुनर्वास कोष योजना

[अनुवाद]

6445. **श्री शंकर सिंह वघेला**
श्री काशीराम राणा :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बन्द पड़ी कपड़ा मिलों के बेरोजगार मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अहमदाबाद में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने बन्द पड़ी कपड़ा मिल के मजदूरों को कपड़ा मजदूर पुनर्वास कोष योजना में से सेवान्त (टर्मिनल) लाभों के रूप में भुगतान करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने कपड़े पर उत्पादन शुल्क कम करने और इस उत्पादन शुल्क को धागे के स्तर पर लगाने का विचार किया है, जैसाकि गुजरात सरकार ने मांग की थी; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह इस सम्बन्ध में अपना विशिष्ट प्रस्ताव भारत सरकार के समुचित मन्त्रालय/विभाग को प्रस्तुत करें ।

(ग) जी, हां ।

(घ) मामले पर मुख्य मन्त्री, गुजरात के साथ विचार विमर्श किया गया है और इसे सम्बन्धित विभागों के साथ उठाया गया है ।

(ङ) और (च) यार्न/फैब्रिकों पर उत्पाद शुल्क के सुव्यवस्थीकरण के प्रश्न पर हाल के बजट में विचार किया गया है ।

हिमाचल प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

[हिन्दी]

6446. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से कतिपय सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) लगभग 26536 हेक्टेयर को वार्षिक सिंचाई प्रदान करने के लिए 49.3 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की केवल एक सिंचाई परियोजना नामश: शाहनहर सिंचाई परियोजना, जिसमें व्यास जल के उपयोग की परिकल्पना की गयी है, का केन्द्र में तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किया जा रहा है ।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य पर तेल के उच्च मूल्यों का प्रतिकूल प्रभाव

[अनुवाद]

6447. **प्रो० पी० जे० कुरियन**
श्री डी० अमात :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के मूल्यों में वृद्धि होने और भीमा मछली के कम मात्रा में मिलने के कारण गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग को सहायता देने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) भारतीय मछली उद्योग संघ से प्राप्त एक अभ्यावेदन के अनुसार तेल की अधिक कीमतों और मछली कम पकड़े जाने के कारणों सहित ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण हाल ही में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जब कभी प्रभावित कम्पनियां पुनर्स्थापना सहायता के लिए सरकार/एस. सी. आई. सी. आई. से अनुरोध करती है तो ऐसे अनुरोधों पर गुणदोष के आधार पर विचार किया जाता है। गहरे समुद्र में झींगा मछली पकड़ने के ट्रावलरों को शुरू करने के लिए आगे कोई अनुमति नहीं दी गई है। स्थान परिवर्तित मछली पकड़ने के लिए मौजूदा जलपोतों में संशोधन करने के लिए 1990-91 की योजना स्कीम के अंतर्गत एक योजना तैयार की गई है।

दिल्ली में भिखारियों की रिहाई

6448. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **कल्याण मन्त्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या वे हाल ही में नई दिल्ली स्थित भिक्षु गृह (बैगर्स होम) गए थे तथा वहां कुछ भिखारियों की रिहाई के निर्देश दिए थे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उनके द्वारा दिए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती ऊषा सिंह) : (क) से (ग) : कल्याण मंत्री ने 27 मार्च, 1990 को दिल्ली में सेवा कुटीर का दौरा किया तथा वहां के निवासियों से साक्षात्कार किया। उन व्यक्तियों की समीक्षा करने के बाद जो स्पष्ट रूप से भिखारी प्रतीत नहीं होते थे मंत्री महोदय द्वारा 58 संवासियों का निर्धारण किया गया जिनमें से 13 को 17-3-90 को छोड़ दिया गया। कल्याण मंत्री ने यह भी निदेश दिया कि भिक्षुक गृहों में रहने वाले संवासियों के सभी मामलों की समीक्षा की जाए। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में दिल्ली प्रशासन को दिल्ली में विभिन्न भिक्षुक गृहों में रहने वाले सभी संवासियों के मामले की समीक्षा करने की सलाह दी गई है।

दिल्ली में पानी की दरें

6449. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को दिल्ली नगर निगम द्वारा पानी की दरों में वृद्धि करने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) जी, हां। उन सभी उपभोक्ताओं से, जिनकी मासिक खपत 20 किलोलीटर से अधिक नहीं है और जो ग्रामीण गांवों और पुनर्वास कालोनियों में रह रहे हैं तथा 7.50 रुपए की मासिक दर से फ्लैट दर अदा कर रहे हैं, वर्ष 1990-91 के लिए लगाया गया 20% अधिभार रद्द कर लिया गया है।

कच्चे रेशम का आयात

6450. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कच्चे रेशम का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कच्चे रेशम का आयात करने से कच्चे रेशम का उत्पादन करने वाले कर्नाटक जैसे राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन राज्यों के हित में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) रेशम के आयात की अनुमति केवल आयात-निर्यात नीति की निर्यात संवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत दी जाती है। फिर भी, घरेलू खपत के लिए रेशम के आयात को सामान्यतः घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। आपूर्तियों में कमी और कीमतों में वृद्धि को देखते हुए सरकार ने कीमत स्थिरीकरण उपायों के लिए 100 टन कच्चे रेशम के आयात हेतु वर्ष 1988 में केन्द्रीय रेशम बोर्ड को तदर्थ अनुमति मंजूर की थी। इसमें से अब तक केवल 36 टन कच्चे रेशम का आयात किया गया है। बकाया मात्रा के आयात के लिए तदर्थ अनुमति की वैधता को बढ़ाने के लिए सरकार को अनुरोध प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, सरकार के पास चालू वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू खपत के लिए कच्चे रेशम के आयात का कोई नया प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय सरकार के पास लंबित पड़ी गुजरात की सिंचाई परियोजनायें

6451. **श्री गोविन्दभाई कानजीभाई शेखड़ा** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की उन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार के पास लंबित पड़ी है;

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (ग) 6 परियोजनाएं जिनसे लगभग 88.6 हजार हेक्टेयर को लाभ पहुंचाने हेतु लगभग 171 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर डान्टीवड़ा, भदार, शेतरंजी, फतेहवादी, उकई-कंकरापर एवं खारीकट नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण की परिकल्पना की गई है, का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया गया और परामर्श समिति द्वारा जनवरी, 1989 तक स्वीकार्य पाई गई, किन्तु राज्य सरकार को अन्य के साथ-साथ इन

परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय और वन दृष्टिकोण से स्वीकृति प्राप्त करनी है। इसके अतिरिक्त, वतरक जलाशय परियोजना तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए जनवरी, 1990 में प्राप्त हुई।

जूट उत्पाद बनाने वाली मशीनों का शुल्क मुक्त आयात

6452. **श्री के० एस० राव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जूट उत्पाद बनाने वाली मशीनों के शुल्क मुक्त आयात की सुविधा के 31 दिसम्बर, 1090 तक बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न प्रकार के जूट उत्पादों का निर्माण करने के लिए अपेक्षित कुछ और मदों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध की जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां। सरकार ने 31-12-1990 तक पटसन उत्पादों के विनिर्माण हेतु विभिन्न मशीनी मदों के आयात की अनुमति देने के लिए शुल्क में छूट संबंधी अधिसूचना की वैधता की अवधि पहले ही बढ़ा दी है।

(ख) और (ग) जी, हां। पटसन उद्योग में विविधीकरण कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार ने दिनांक 29-12-89 की अधिसूचना सं. 283/89-सीमा शुल्क द्वारा दिनांक 18-12-86 की शुल्क में छूट संबंधी अधिसूचना संख्या 489/86 सीमा शुल्क में विविधीकृत पटसन उत्पादों के विनिर्माण के लिए अधिकांशतः जरूरी दस और मशीनी मदों को शामिल किया है।

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में गंगा नदी से भू-कटाव

[हिन्दी]

6453. **श्री अनवार अहमद** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में गंगा नदी से गंगाघाट नगरपालिका क्षेत्र का कटाव हो रहा है;

(ख) क्या इससे उन्नाव और कानपुर को जोड़ने वाले रेल और सड़क पुलों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है।

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : क्योंकि राज्य सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ 7.25 किलोमीटर तटबंध तथा 12 ठोकरों (स्पर) वाली 20.23 करोड़ रुपये की लागत की एक स्कीम को आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया, इसलिए राज्य सरकार ने केन्द्र द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों पर उन्नाव की ओर के किनारे वाले बंध के लगभग 7 किलोमीटर अनुप्रवाह के साथ रेल पुल के प्रतिप्रवाह पर एक बहुप्रयोजनी बराज सहित एक परियोजना प्रतिपादित की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन कार्यवाही

[अनुवाद]

6454. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत महीनों के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी;

(ख) क्या सरकार का विचार जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए अधिनियम के अधीन लगाए गए प्रतिबंध को और अधिक कठोर बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दिसम्बर, 1989 से फरवरी, 1990 के दौरान की गई कार्यवाही के परिणामों के बारे में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है—

मारे गए छापों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त की गई वस्तुओं का मूल्य (लाख रुपये में)
21055	1342	269.53

(ख) और (ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी किए गए विजिन्न आदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार के विनयमों की व्यवस्था की गई है। नियंत्रण आदेशों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। कदाचारों पर नियन्त्रण रखने तथा सजा दिलाने के लिए उन्हें समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे अधिनियम को सख्ती तथा नियमित रूप से लागू करें।

प्राइवेट फर्मों द्वारा श्रमिकों को सुविधाएं

6455. **श्री गुमान मल लोढा** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/फैक्टरी द्वारा श्रमिक को, काम के दौरान हुई दुर्घटना में उसके अपंग होने पर कितनी मुआवजा राशि मिलती है;

(ख) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कोई अतिरिक्त मुआवजा/पेंशन दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे मामलों में मुआवजा देने के लिए क्या मानदंड अपनाये जाते हैं ?

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) क० रा० बी० योजना के अन्तर्गत शामिल निजी कम्पनियों/कारखानों के कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत अशक्तता/आश्रित लाभ के हकदार हैं। लाभ की यह दर कर्मचारी की मृत्यु के समय अशक्तता/मजदूरी का लगभग 70

प्रतिशत होती है। निजी कम्पनियों/कारखानों के कर्मचारी, जो क० रा० बी० योजना के अंतर्गत नहीं आते है, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन मुआवजे के हकदार होंगे, बशर्ते कि वे अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट किसी भी जोखिमपूर्ण नियोजन में काम कर रहे हों। अशक्तता के लिए मुआवजे की दरें 24,000 रुपये से लेकर 1,14,000 रुपये के बीच और मृत्यु के लिए मुआवजे की दरें 20,000 रुपये से लेकर 90,000 रुपए के बीच होती हैं, जो कर्मकार की मृत्यु के समय उसके वेतन तथा उसकी आयु पर निर्भर करती है। इस मामले में मुआवजा संबंधित नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

छात्रों में नशीली औषधियों के सेवन की रोकथाम के लिए विधान

6456. **श्री एस० टी० पाटिल : क्या कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या** यह सच है कि छात्रों, लड़कों और लड़कियों दोनों में ही नशीली औषधियों के सेवन की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का देश में नशीली औषधियों के व्यसन की रोकथाम के लिए कोई विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) ऐसी कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकले कि छात्रों में नशीली औषधियों के सेवन के प्रभाव में वृद्धि हो रही है। फिर भी, 1986-87 में 9 शहरों में छात्रों के किए गए अध्ययन से पता चला कि इस समस्या में सामान्यतः 1976 से वृद्धि नहीं हुई थी।

(ख) स्वायक औषध और मनोविकारी पदार्थ अधिनियम, 1985 में नशीली औषधियों के व्यसनियों को पकड़ने, उपचार करने तथा पुनर्वास करने के लिए पहले से ही व्यवस्था की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में पटसन मिलें

[हिन्दी]

6457. **श्री सूर्यनारायण यादव : क्या वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में, विशेष रूप से सहरसा जिले में पटसन मिलें स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए आवश्यक वस्तुएं

6458. **श्री रेशम लाल जांगड़े : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश के आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान गेहूं, चावल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कितनी-कितनी मात्रा सप्लाई की थी; और

(ख) रायपुर जिले में उन उप-योजना क्षेत्रों और संशोधित क्षेत्र विकास एजेंसी क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें उपर्युक्त मदों की सप्लाई की गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों और आदिवासी बहुल राज्यों में विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति करने विषयक भारत सरकार की योजना के अधीन केवल गेहूं और चावल का वितरण किया जाता है। इस योजना के अधीन 1988-89 और 1989-90 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्य प्रदेश को जारी किए गए गेहूं और चावल की मात्राओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

अनन्तिम

(हजार मीटरी टन में)

	गेहूं	चावल
1988-89	135.6	89.7
1989-90	65.7	60.6
(अप्रैल, 1989—दिसम्बर, 1989)		

(ख) उपर्युक्त योजना समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के अधीन आने वाले क्षेत्रों पर लागू है। इस योजना के अधीन "माडा" क्षेत्र नहीं आते हैं। मध्य प्रदेश में समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के क्षेत्रों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

मध्य प्रदेश में समन्वित आदिवासी विकास परियोजनाओं की सूची

क्र० सं०	स० आ० वि० प० का नाम	जिले का नाम
1	2	3
1.	झाबुआ	झाबुआ
2.	अलीराजपुर	झाबुआ
3.	धार	धार
4.	कुक्शी	धार
5.	बरवानी	खरगोन
6.	खरगोन	खरगोन

1	3	3
7.	सेन्धवा	खरगोन
8.	महेश्वर	खरगोन
9.	खल्वा	खण्डवा
10.	जगदालपुर	बस्तर
11.	भानुप्रतापपुर	बस्तर
12.	नारायणपुर	बस्तर
13.	कोंडागांव	बस्तर
14.	दान्तेवाडा	बस्तर
15.	कोंटा	बस्तर
16.	बीजापुर	बस्तर
17.	गरियाबन्द	रायपुर
18.	डोंडी	दुर्ग
19.	चौकी	राजनन्दगांव
20.	अम्बीकापुर	सरगुजा
21.	सूरजपुर	सरगुजा
22	बैकुंठपुर	सरगुजा
23.	पाल (रामानुजगंज)	सरगुजा
24.	कटघोरा	बिलासपुर
25.	गौरेला	बिलासपुर
26.	जशपुरनगर	रायगढ़
27.	धर्मजयगढ़	रायगढ़
28.	मंडला	मंडला
29.	डिंडोरी	मंडला
30.	निवास	मंडला
31.	बैहार	बालाघाट
32.	लखानदोन	सिवनी
33.	तमिया	छिन्दवाड़ा
34.	सौसर (बिछुआ)	छिन्दवाड़ा
35.	कुंडम	जबलपुर

1	2	3
36.	कुस्मी	सिधी
37.	देवसर	सिधी
38.	शहडोल	शहडोल
39.	पुष्पराजगढ़	शहडोल
40.	जयसिंहनगर	शहडोल
41.	वान्धोगढ़	शहडोल
42.	बेतुल	बेतुल
43.	भयनदेही	बेतुल
44.	सैलाना	रतलाम
45.	कुराई	सिवनी
46.	देवास	देवास
47.	कराहाल	मोरेना
48.	कोसला	होशंगाबाद
49.	हरदा	होशंगाबाद

डानिया पौधे का आयात

[अनुवाद]

6460. **श्री राम सजीवन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के औषध नियंत्रक ने मई, 1987 में डानिया पौधे, जो होम्योपैथिक औषधियां बनाने के काम आता है, के आयात के लिए अनुमति देने से मना कर दिया था;

(ख) क्या अनुमति न दिए जाने के बावजूद अक्तूबर, 1987 में डानिया पौधे का आयात किया गया था और इसे देश में खुले आम बेचा जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इससे बनी औषधि से औषधि और चमत्कारिक उपचार अधिनियम का उल्लंघन होता है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां। मैसर्स एसोसिएटेड एजेन्सीज दिल्ली को डामियाप्लान्ट के आयात की न कि डानिया प्लांट आयात की अनुमति देने से मार्च, 1987 में इन्कार किया गया न कि मई, 1987 में।

(ख) आयातकर्ता से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात अक्तूबर, 1987 में डामियाप्लान्ट के आयात की अनुमति दी गई।

(ग) बम्बई पत्तन के जरिए मैसर्स एसोसिएटेड एजेन्सीज द्वारा अक्तूबर, 1987 में डामिया-प्लान्ट की लेप का आयात किया गया। इस औषध के पैकेट में किए गए कुछ दावों से औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम और नियमों का उल्लंघन होता था। इसलिए पैकेट पर दिए गए आपत्तिजनक दावों को हटाने के लिए फर्म से कहा गया था। पैकेट में दिए गए आपत्तिजनक दावों को फर्म द्वारा हटा लिए जाने के बाद सामग्री को रिलीज कर दिया गया था।

"तस्करी भी होती है अनाथ बच्चों की" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

[हिन्दी]

6462. **श्री सरजू प्रसाद सरोज** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अप्रैल, 1990 के "जनसत्ता" में "तस्करी भी होती है अनाथ बच्चों की" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अनंगपुर (फरीदाबाद) स्थित एस. ओ. एस. बाल ग्रामों तथा अन्य स्थानों में यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों की समस्याओं की जांच करने का है कि वहां तीन वर्ष पहले बच्चों की कुल संख्या कितनी थी और इस समय कितनी है तथा कितने बच्चों को इन बाल ग्रामों को छोड़ना पड़ा है; और

(घ) सरकार द्वारा बच्चों का उत्प्रवास रोकने हेतु तथा इस कदाचार के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पैकिंग करने वास्ते जूट के बक्से

[अनुवाद]

6463. **श्री टी० बाल गौड़**
श्रीमती जे० जमुना
श्री बी० एन० रेड्डी
श्री के० एस० राय :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेबों की पैकिंग करने के वास्ते पटसन विनिर्माण विकास परिषद के प्रयास पर विकसित किए गए जूट के बक्सों के प्रयोग का अनुभव बहुत ही उत्साहजनक और सफल सिद्ध हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989 के दौरान सेबों की पैकिंग के लिए जूट के कितने बक्सों का प्रयोग किया गया;

(ग) क्या सरकार को संतरे और अंगूर जैसे फलों की पैकिंग करने के वास्ते भी जूट बक्सों के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या पटसन विनिर्माता विकास परिषद ने भी इस मामले पर विचार किया है; और यह सुझाव दिया है कि जूट की विविध वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रोत्साहन अभियान तेज करने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस परिषद को सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए अनुमति दी गई है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां। आरम्भ में प्रतिक्रिया अच्छी थी।

(ख) वर्ष 1989 में तीन राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में सेबों की पैकिंग के लिए लगभग 20,000 पटसन बक्सों का इस्तेमाल किया गया।

(ग) जी, हां,

(घ) और (ङ) पटसन विविधीकृत उत्पादों की नोडीय एजेंसी पटसन विनिर्माण विकास परिषद इन उत्पादों के लिए संवर्धन अभियान तेजी से चलाने के लिए सभी प्रयास कर रही है।

परिषद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग ले रही है। इसने स्वयं भी कुछ मेलों का आयोजन किया है। सम्बद्ध विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद ही मेलों/प्रदर्शनियों में इसके भाग लेने पर निर्णय किया जाता है।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन मिलें

6464. **श्री बी० एन० रेड्डी**
श्री टी० बाल गौड़ :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के नियंत्रणाधीन 14 मिलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कुछ सहायक मिलों की तुलना में घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मिलों के कार्यकरण की जांच के लिए हाल ही में एक समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस समिति के पदाधिकारियों के नाम क्या हैं और इस समिति के निदेश पद क्या हैं;

(घ) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने एक समिति गठित की है जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम (भारत कम्पनी), नई दिल्ली के अध्यक्ष सह-प्रबन्धक निदेशक शामिल हैं। इसका

उद्देश्य पश्चिम बंगाल में स्थित एन. टी. सी. मिलों की विभिन्न समस्याओं की जांच करना तथा उपचारी उपाय सुझाना है। समिति के विचारार्थ विषय और उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :

(1) पिछले पांच वर्षों के दौनात इन मिलों में हुए नकद घाटों और निबल घाटों के कारणों को अभिज्ञात करना;

(2) कताई और प्रोसेसिंग क्षमताओं की उपयोगिता का प्रतिशत कम होने तथा कम यार्न उत्पादन और यार्न की कम बाजार बिक्री होने के कारणों को अभिज्ञात करना;

(3) पश्चिम बंगाल में एन. टी. सी. मिलों द्वारा सामना की जा रही अन्य विशिष्ट समस्याओं को अभिज्ञात करना;

(4) पश्चिम बंगाल में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की यार्न की आवश्यकताओं को अभिज्ञात करना तथा एन. टी. सी. मिलों द्वारा यार्न के उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करने के सुझाव देना ताकि राज्य/क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके; और

(5) उपरोक्त (1), (2), (3) और (4) मुद्दों तथा अन्य सम्बन्धित पहलुओं पर भावी कार्रवाई करने के बारे में सुझाव देना। ये अल्पकालिक उपचारी उपायों तथा दीर्घ-कालिक योजनाओं के रूप में होंगे ताकि बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल में एन. टी. सी. के सहायक निगमों की किफायती अर्थक्षमता सुनिश्चित की जा सके।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की "स्लम विंग" द्वारा फ्लैटों का आबंटन

6466. **श्री प्रतापराव बाबूराव भोंसले :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की "स्लम विंग" ने फ्लैटों के आबंटन के लिए कोई योजना प्रारम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक श्रेणी के फ्लैटों का कितना मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत श्रेणीवार और स्थानवार अब तक कितने फ्लैट आबंटित किए जा चुके हैं; और

(घ) चालू वर्ष और आगामी वर्ष के दौरान आबंटित किए जाने वाले फ्लैटों का श्रेणीवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) रिहायशी फ्लैट पंजीकरण योजना, 1985 के अन्तर्गत विभिन्न इलाकों में आबंटित किए गए फ्लैटों की कीमत इस प्रकार है :—

इलाका	भूतल	प्रथम तल	द्वितीय तल	अन्तिम तल (राशि रुपयों में)
मादीपुर	54,098	51,201	51,201	15,201
जहांगीरपुरी	51,597	48,800	48,800	48,800
सरायरोहिल्ला	66,000	62,800	62,800	51,500
रघुबीर नगर	55,866	52,876	52,876	52,876

(ग) 1264 फ्लैट नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार आबंटित किए गए हैं :—

श्रेणीवार स्थिति	आबंटित किए गए फ्लैटों की संख्या
सामान्य	903
अनुसूचित जातियां	316
शारीरिक रूप से विकलांग	13
भूतपूर्व सैनिक	13
विधवाएं	19

इलाका-वार स्थिति

इलाके का नाम	आबंटित किए गए फ्लैटों की संख्या
मादीपुर डी. एस. आई. डी. सी. के समीप	552
मादीपुर "ई" ब्लाक	320
जहांगीरपुरी	136
रघुबीर नगर	144
सरायरोहिल्ला	112

(घ) 1990-91 और 1991-92 के दौरान फ्लैटों के आबंटन की योजनाएं इस प्रकार हैं :—

1990-91

इलाका	फ्लैटों की संख्या
बुलवर्ड रोड	150
तिलक नगर (समीप गुरुद्वारा)	288
रघुबीर नगर—ओवर हैड टैंक के साथ	144
जहांगीरपुरी	56
सनलाईट कालोनी	12
सराय काले खां चरण-II	256
	906

1991-92

इलाका	फ्लैटों की संख्या
मंगोलपुरी चरण-I	192
मंगोलपुरी चरण-II	192
रघुबीर नगर चरण-I	160
रघुबीर नगर चरण-II	192
रघुबीर नगर चरण-III	144
रघुबीर नगर चरण-IV	112
	992

पंजाब रेड क्रास सोसाइटी

6467. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब रेड क्रास सोसाइटी का संगठनात्मक ढांचा क्या है;

(ख) क्या अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती धनराशि एकत्र करने और इसका दुरुपयोग करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) भारतीय रेड क्रास सोसाइटी से प्राप्त हुई सूचना से अनुसार, पंजाब राज्य शाखा संसद के 1920 के भारतीय रेड क्रास सोसाइटी अधिनियम XV के अधीन गठित की गई भारतीय रेड क्रास सोसाइटी की एक राज्य शाखा है। इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। पंजाब के राज्यपाल इसके अध्यक्ष और मुख्य मन्त्री, पंजाब (जब पदासीन हों) इसके उपाध्यक्ष और राज्य शाखा के प्रबन्ध निकाय के अध्यक्ष हैं। पंजाब राज्य भवन की प्रथम महिला और मुख्य मन्त्री पंजाब की धर्मपत्नी प्रतिउपाध्यक्ष हैं। प्रबन्ध निकाय में 55 सदस्य है जिनमें से 4 सदस्य नामित, 10 पदेन, 9 निर्वाचित, 4 सहयोजित, 12 सामाजिक कार्यकर्ता और 12 जिला रेड क्रास शाखाओं के प्रतिनिधि हैं। भारतीय रेड क्रास सोसाइटी, पंजाब राज्य शाखा की राज्य के सभी 12 जिलों में जिला रेड क्रास शाखाएं हैं, जिनके अध्यक्ष उपायुक्त हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रेड क्रास सोसाइटी ने सूचित किया है कि अधिकारियों द्वारा धन के दुरुपयोग/जबरदस्ती एकत्र करने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, राज्यपाल की उनके फिरोजपुर के दौरे के दौरान ग्राम पंचायत, बंदालानु, फिरोजपुर जिले के ब्लाक जिरा द्वारा दिए गए एक ज्ञापन में यह बताया गया था कि सरकार को रेड क्रास के लिए धन एकत्र करने की पद्धति को बन्द कर देना चाहिए, क्योंकि इसे जनता पर एक बोझ समझा गया है। यह मामला उपायुक्त और

जिला रेड क्रास शाखा, फिरोजपुर के अध्यक्ष को भेजा गया था, जिन्होंने भारतीय रेड क्रास सोसाइटी को सूचित किया है कि धन एकत्रण स्वैच्छिक आधार पर किया जाता है और इसे स्वास्थ्य के संवर्धन रोगों के निवारण और प्राकृतिक अथवा मनुष्य द्वारा पैदा की गई महामारियों जैसे, युद्ध और बाढ़ों द्वारा ग्रस्त लोगों के दुःखों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

राजस्थान की भीमसागर सिंचाई परियोजना

6468. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के झालावाड़ जिले में मध्यम श्रेणी की भीमसागर सिंचाई परियोजना कब शुरू की गई थी;

(ख) इस परियोजना के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक पूरा किया जाएगा ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (ग) राज्य सरकार के वार्षिक योजना कागजात (वर्ष 1990-91) के अनुसार, यह पहली प्लान परियोजना सातवीं योजना के अन्त तक पूरी हो जाएगी।

यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज को मान्यता

6469. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा**
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक मंच द्वारा की गई मांग की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइन्सेज को मान्यता न देने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइन्सेज के छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई एम० बी० बी० एस० की डिग्री एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता है और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के प्रयोजनों के लिए यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइन्सेज एक मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज है।

यमुना विहार में जल निकास नालियों का निर्माण

6470. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** दिल्ली विकास निगम द्वारा यमुना विहार में नालियों को आपस में जोड़ने के बारे में 12 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5922 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना विहार में वर्षा के पानी की नालियों के साथ बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली प्रशासन द्वारा स्थायी जल निकास नालियों का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) जल निकास की नालियों को किस तारीख तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है तथा इन कार्यों के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) यदि इसमें कोई विलम्ब हुआ है, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चम्बल कमान क्षेत्र विकास परियोजना चरण-दो

[हिन्दी]

6471. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चम्बल कमान क्षेत्र विकास परियोजना चरण-दो को आर्थिक विभाग के माध्यम से विश्व बैंक के पास भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब भेजा गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे विश्व बैंक को कब भेजा जाएगा ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोठारिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परियोजना प्रस्ताव की जांच की गई तथा राजस्थान सरकार से अन्य बातों के साथ-साथ अद्यतन लागत अनुमान दर्शाते हुए संशोधित परियोजना रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया था। संशोधित परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

श्रम बल

[अनुवाद]

6472. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगठित क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र में अलग-अलग राज्यवार, श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से पूर्ण रोजगार प्राप्त, आंशिक रोजगार प्राप्त अथवा बेरोजगार लोगों की संख्या कितनी है; और

(ग) संगठित क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र में मजदूरी के स्तर में कितना अन्तर है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम से मार्च, 1989 में यथा उपलब्ध संगठित क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। असंगठित क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों की संख्या संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 43वें दौर से यथा उपलब्ध 1987-88 के

दौरान मुख्य स्तर में सामान्यतः नियोजित, अनुषंगी स्तर में सामान्यतः नियोजित तथा बेरोजगार (मुख्य तथा अनुषंगी स्तर के अनुसार) व्यक्तियों की संख्या भी संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वेतन का भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत, जिसमें 1600 रुपये प्रतिमाह तक लेने वाले कर्मकार शामिल हैं, 1986 के दौरान कारखानों, खानों तथा बागवानी क्षेत्र (संगठित) में औसत अखिल भारत प्रति व्यक्ति दैनिक आय 34.62 रुपये थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार, असंगठित क्षेत्र में, देश के विभिन्न भागों में कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम वेतन 8.50 रुपए से 33.80 रुपए प्रतिदिन है।

विवरण

(लाखों में)

राज्य /संघ शासित प्रदेश	सामान्यतः नियोजित		सामान्यतः बेरोजगार (मुख्य तथा अनुषंगी स्तर)	मार्च, 1989 में संगठित क्षेत्र में नियोजित
	मुख्य स्तर	अनुसंगी स्तर		
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	273	23	8.27	16.81
असम	65	14	3.02	9.95
बिहार	242	31	4.61	16.54
गुजरात	146	17	3,03	16.15
हरियाणा	45	14	1.90	5.87
हिमाचल प्रदेश	20	4	0.28	2.78
जम्मू और कश्मीर	22	7	0.54	2.03
कर्नाटक	171	15	4.15	13.86
केरल	90	21	15.24	10.96
मध्य प्रदेश	247	20	3.21	16.13
महाराष्ट्र	296	20	7.48	35.64
मणिपुर	5	0	0.10	0.51
मेघालय	6	3	0·03	0.63
नागालैंड	1	0	0.03	0·60
उड़ीसा	110	12	3.77	7.25
पंजाब	61	18	2.10	7.65
राजस्थान	168	15	3.65	11.25

1	2	3	4	5
सिक्किम	1	0	0.04	×
तमिलनाडु	242	17	10.47	22.29
त्रिपुरा	7	1	0.29	0.93
उत्तर प्रदेश	421	40	6.45	26.45
पश्चिम बंगाल	196	34	10.34	24.65
अंडमान और निकोबार	1	0	0.00	0.32
अरूणाचल प्रदेश	3	0	00.1	×
चंडीगढ़	2	1	0.16	0.73
दादर और नागर हवेली	0	0	0.00	×
दिल्ली	27	0	1.35	8.17
गोवा दमन द्वीप	4	0	0.25	0.89
लक्षद्वीव	0	0	0.01	×
मिजोरम	3	0	0.00	0.30
पांडिचेरी	2	1	0.15	0.51

टिप्पणी—1. कालम 2, 3 तथा 4 के आंकड़े रा. न. स. सं. के 43वें दौर में रोजगार एवं बेरोजगारी 1987-88 के सर्वेक्षण के मुख्य परिणामों से है।

2. कालम 5 के आंकड़े रोजगार बाजार सूचना (ई. एम. आई.) कार्यक्रम पर आधारित हैं जिनमें सभी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान तथा निजी क्षेत्र में 10 या अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले गैर-कृषिय प्रतिष्ठान शामिल हैं।

× = रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल नहीं है।

होम्योपैथिक फार्मेसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

6473. **श्री गंगा चरण लोधी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होम्योपैथिक फार्मेसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त कोई कालेज/संस्था है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में विभिन्न डिस्पेन्सरियों/अस्पतालों में होम्योपैथिक फार्मोसिस्टों के रूप में कार्य करने के लिए गैर-योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को भर्ती किया जाता है;

(घ) क्या सरकार को होम्योपैथी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) केन्द्रीय मान्यता प्राप्त कोई भी कालेज/संस्थान होम्योपैथी फार्मेसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित नहीं करता है।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत केवल उन व्यक्तियों को जो, अधिसूचित भर्ती नियमों में निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट के पदों पर भर्ती किया जाता है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा विधिवत अधिसूचित होम्योपैथी (डिप्लोमा पाठ्यक्रम) विनियम, 1983 के अनुसार होम्योपैथी कालेजों में होम्योपैथी में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया है।

केन्द्रीय भांडागार निगम के कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करना

6474. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय भांडागार निगम के दैनिक दिहाड़ी पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) और (ख) केन्द्रीय भांडागार निगम कार्य की तात्कालिकता को ध्यान में रखकर मुख्यतया सफाई वाला/चौकीदार और भांडागार सहायक ग्रेड-II के सन्दर्भ में सीमित संख्या में दिहाड़ी पर/नैमित्तिक आधार पर व्यक्तियों को नियुक्त करता है। नियमित रिक्तियों और आवश्यकता को देखते हुए भर्ती विषयक अनुदेशों के अनुसार जो दिहाड़ी के नैमित्तिक कामगार पात्र होते हैं उन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार नियमित करने के बारे में विचार किया जाता है।

चम्बल आयाकट को मशीनों की खरीद के लिए धनराशि का आबंटन

[हिन्दी]

6476. **श्री छविराम अर्गल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चम्बल आयाकट के सिंचाई विभाग के लिए नई मशीनें खरीदने हेतु वर्ष 1990-91 में कोई धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार का इसके लिए धनराशि आबंटित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो यह धनराशि कब तक आबंटित किए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) (क) नई मशीनों को खरीदने

के लिए अकाल आकाट हेतु सिंचाई विभाग (मध्य प्रदेश राज्य) के वास्ते 1990-91 में कोई आबंटन नहीं किया गया है।

(ख) बजट को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) शून्य

ओपन हार्ट सर्जरी के लिए सुविधाएं

[अनुवाद]

6477. **श्री सखत कुमार मण्डल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में किन-किन अस्पतालों/केन्द्रों में इस समय ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : देश के उन अस्पतालों/केन्द्रों के नामों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है जिनमें ओपन हार्ट सर्जरी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

विवरण

1. इंटिग्रल रेलवे अस्पताल पेरम्बूर, मद्रास।
2. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, वेल्लोर।
3. के० ई० एम० अस्पताल, बम्बई।
4. अखिल भारतीत आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
5. बम्बई अस्पताल, बम्बई।
6. जी० बी० पन्त अस्पताल, नई दिल्ली।
7. श्री चित्रा तिरूमल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज, त्रिवेन्द्रम।
8. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़।
9. एस० एस० के० एम० अस्पताल, कलकत्ता।
10. एन० एम० वाडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, पुणे।
11. अपोलो अस्पताल, मद्रास।
12. निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सिज, हैदराबाद।
13. मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, त्रिवेन्द्रम।
14. बत्रा अस्पताल, नई दिल्ली।
15. एस्कार्ट्स हार्ट इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली।

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम में संशोधन

6478. **श्री सखत कुमार मण्डल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

"नकली व खराब दवाओं का गिरोह सक्रिय" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

[हिन्दी]

6479. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 और 20 जनवरी, 1990 के दैनिक "जागरण" के बरेली संस्करण में "नकली व खराब दवाओं का गिरोह सक्रिय" शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि ग्लूकोस की बोतल में तथा इन्जेक्शन की शीशी में कीटाणु और चीटियां पायी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लारेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र में झुग्गियां बनाना

6480. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में लारेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र में कई नई झुग्गियां बनाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो झुग्गियां बनाने की इस प्रक्रिया को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की विस्तृत जाच करने और वहां झुग्गियां हटवाने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) लारेन्स रोड औद्योगिक क्षेत्र में, दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर कोई नई झुग्गियां नहीं बनाई गई हैं। तथापि, रेलवे की भूमि पर कुछ नयी झुग्गियां डाले जाने की सूचना दी गई है ?

(ख) से (घ) नए अतिक्रमणों को अनुमति न देना और उनको हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई करना, सरकार की दृढ़ नीति है। जनता द्वारा अतिक्रमणों की तत्काल सूचना देने को सरल बनाने के लिए स्थानीय अभिकरणों द्वारा नियन्त्रण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं। इन उपायों को ध्यान में रखते हुए, सरकार एक अलग जांच-पड़ताल करना आवश्यक नहीं समझती है।

खाद्य तेल उद्योग को बढ़ावा देना

[अनुवाद]

6481. **श्रीमती वासव राजेश्वरी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का देश में खाद्य तेल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कार्यदल गठित करने का प्रस्ताव है, जैसा कि कर्नाटक और पश्चिम बंगाल राज्यों ने मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) देश में राज्य वार कितने खाद्य तेल एकक कार्य कर रहे हैं; और

(घ) राज्यों में खाद्य तेल एककों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) नीतिगत रूप में, राज्यों में खाद्य तेल एकक स्थापित करने की अनुमति कुछ विशेष पैरामीटरों, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, उपकरणों और प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण, पिछड़े क्षेत्रों के विकास और क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने की जरूरत आदि को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। नए एककों को भी आमतौर पर, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, बिक्री कर इत्यादि के संबंध में कई लाभ प्राप्त होते हैं।

विवरण

खाद्य तेल एकक

क्र० सं०	राज्य	औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त एकक	विलायक निष्कर्षित तेल (एस. ई. ओ.) नियंत्रण आदेश के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त एकक
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	37	20
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
3.	असम	1	—
4.	बिहार	1	1
5.	गोवा	1	—
6.	गुजरात	58	64
7.	हरियाणा	4	3
8.	हिमाचल प्रदेश	—	1
9.	जम्मू तथा कश्मीर	—	—

1	2	3	4
10.	कर्नाटक	33	12
11.	केरल	5	—
12.	मध्य प्रदेश	27	26
13.	महाराष्ट्र	71	27
14.	मणिपुर	—	—
15.	मेघालय	—	—
16.	मिजोरम	—	—
17.	नागालैंड	—	—
18.	उड़ीसा	4	2
19.	पंजाब	20	3
20.	राजस्थान	12	3
21.	सिक्किम	—	—
22.	तमिलनाडु	19	6
23.	त्रिपुरा	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	29	4
25.	पश्चिम बंगाल	10	2
26.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—
27.	चंडीगढ़	—	—
28.	दादरा तथा नागर हवेली	—	—
29.	दिल्ली	1	—
30.	दमन	—	—
31.	दीव	—	—
32.	लक्षद्वीप	—	—
33.	पांडिचेरी	2	—

सिलेसिलाए वस्त्रों का निर्यात

[हिन्दी]

6482. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलेसिलाए वस्त्रों के निर्यातकों को अनुदान दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1989-90 के लिए उत्तर प्रदेश के सिलेसिलाये वस्त्र निर्यातकों के लिए मंजूर की गई अनुदान की राशि दी गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) अनुमोदित निर्यात संवर्धन कार्यकलापों के लिए ही ए. ई. पी. सी. को एम. डी. ए. अनुदान रिलीज किया जाता है और न कि परिधान निर्यातकों को सीधा अनुदान दिया जाता है।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान एम. डी. ए. के अनुमोदित कार्यकलापों में उत्तर प्रदेश के तीन निर्यातकों ने भाग लिया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य तेलों का आयात

6483. **श्री राजवीर सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1989 के दौरान खाद्य तेलों के आयात करने के सौदे में घाटा हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मूल्य निर्धारण नीति क्या है;

(ग) क्या इस नीति के कारण मुनाफाखोरी हुई है, क्योंकि पहले तो आयातित खाद्य तेलों के मूल्य कम निर्धारित किए गए थे और बाद में इन्हें इसकी ऊंची दरों पर उपभोक्ताओं को बेचा गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी किए जाने वाले आयातित खाद्य तेलों के निर्गम मूल्य को, तिलहनों के समर्थन मूल्य के आधार पर खाद्य तेलों के प्राप्त मूल्यों, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आयातित खाद्य तेलों के मूल्यों, विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता, सीमा मूल्य तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। राज्य सरकारों के लिए निर्गम मूल्य तथा उपभोक्ताओं के लिए खुदरा मूल्यों की अधिकतम सीमा का ब्यौरा नीचे दिया गया है। इस तालिका से पता चलेगा कि इसमें कोई मुनाफाखोरी नहीं की गई है :

	थोक में सप्लाई किए जाने वाले तेल के लिए	15 किलोग्राम के टीनों में सप्लाई किए जाने वाले तेल के लिए
केन्द्रीय निर्गम मूल्य	13,150 रु० प्रति मी० टन	14,500 रु०
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खुदरा बिक्री के लिए अनुसंशित अधिकतम मूल्य	15.40 रु० किलो-ग्राम	16.60 रु०

सोयाबीन तेल का आयात

[अनुवाद]

6484. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अमरीका, ब्राजील, अर्जेन्टीना और अन्य यूरोपीय देशों से सोयाबीन तेल का आयात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सोयाबीन सहित विभिन्न तिलहनों का उत्पादन और उपज बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण तिलहन उत्पादक राज्यों में दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं अर्थात राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना और तिलहन उत्पादन अग्रणी परियोजना चल रही हैं। उपर्युक्त दो परियोजनाओं में निम्नांकित क्षेत्रों पर जोर दिया गया है :—

— उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन ।

— बुनियादी और प्रमाणित बीजों का बड़े पैमाने पर उत्पादन ।

— कृषि औजारों की आपूर्ति ।

— बीज, उर्वरक, मिनिकिट और रसायनों का वितरण ।

— पौध संरक्षण उपाय आदि ।

समर्थन उपायों के फलस्वरूप सोयाबीन का उत्पादन जो 1987-88 में 8.98 लाख मी० टन था, 1988-89 में बढ़कर 15 लाख मी० टन पर पहुंच गया ।

विभिन्न किस्म के कपड़ों की क्वालिटी में सुधार

6485. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़ों की विभिन्न किस्मों के उत्पाद, उत्पादन सुविधाओं को सशक्त बनाने और क्वालिटी में सुधार लाने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) सरकार ने उत्पादन आधार के विविधीकरण, विनिर्माण सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने तथा वस्त्र उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं नये स्पिनिंग और प्रोसेसिंग एककों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को उदार बनाना, वस्त्र आधुनिकीकरण निधि का सृजन तथा वस्त्र एककों को फाईबर की सोच्छसिलता की अनुमति देना । इसके अतिरिक्त आयात-निर्यात नीति भी ओ. जी. एल. के अन्तर्गत अत्याधुनिक वस्त्र मशीनों

के आयात के साथ-साथ निर्यात दायित्व सहित सीमा शुल्क की रियायती दर पर, कुछ प्रकार की वस्त्र मशीनों के आयात की अनुमति देती है। परीक्षण और गुणवत्ता नियन्त्रण उपस्करों के आयात की भी अनुमति है। विद्युत करघा उद्योग को उपयुक्त सहायता प्रदान करने के लिए वस्त्र आयुक्त के प्रशासनिक नियन्त्रण के अंतर्गत 13 विद्युत करघा सेवा केन्द्र भी चल रहे हैं। ये केन्द्र वस्त्र उद्योग के लिए नये डिजाइनों का विकास भी करते हैं।

उत्तर प्रदेश में चावल मिलें

[हिन्दी]

6486. **श्री राजवीर सिंह : :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान नई चावल मिलें खोलने के लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए;

(ख) ये मिलें कहां-कहां खोली गई हैं; और

(ग) इनमें से कितनी मिलों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कुष्ठ रोगियों की मांगें

[अनुवाद]

6487. **श्रीमती वासव राजेश्वरी :**
श्री जी० एस० वासवराज :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक कुष्ठ रोगियों ने 26 मार्च, 1990 को प्रधान मन्त्री आवास के सामने प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने प्रधानमन्त्री को कोई ज्ञापन दिया था;

(ग) कुष्ठ रोगियों की क्या मांगें हैं; और

(घ) सरकार का उनकी मांगों पर कब तक विचार करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) उनकी मांग है कि प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 300 रुपये का रखरखाव भत्ता दिया जाए जैसाकि 1-1-1981 से पहले से दिल्ली में रहने वाले व्यक्तियों के मामले में दिया जाता है।

(घ) इस मामले की एस. डी. एम. शाहदरा, दिल्ली द्वारा जांच की जा रही है।

ठाकुर हरिप्रसाद मानसिक अपंगता संस्थान, हैदराबाद को अनुदान

6488. **श्रीमती वासव राजेश्वरी :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य वित्तीय नियमों के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को सहायतानुदान राशि मंजूर करने के लिए कुछ मापदंड निर्धारित हैं;

(ख) क्या सरकार ने हैदराबाद के ठाकुर हरिप्रसाद मानसिक अपंगता संस्थान को अनुदान मंजूर किया है;

(ग) यदि हां, तो अनुदान राशि किस मापदंड के आधार पर मंजूर की गई थी;

(घ) क्या सरकार द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को मंजूर की गई सहायतानुदान राशि को सरकार निर्धारित मापदंडों के अनुसार कड़ाई से जांच करती है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऐसा अनुदान देने के बारे में कोई आरक्षण नीति तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) विकलांगों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान मंजूर करते समय कल्याण मन्त्रालय द्वारा अपनाए जा रहे मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों के अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु पदों के आरक्षण के लिए एक आरक्षण नीति निर्धारित की गई है। इस नीति के अंतर्गत "विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता की योजना" के अन्तर्गत स्वैच्छिक सहायता प्राप्त कर रही स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 15% तथा 7½% पदों का आरक्षण अपेक्षित है।

विवरण

विभिन्न प्रयोजनों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायक-अनुदान देने के लिए मानदंड।

I. भवन निर्माण

भवन निर्माण के लिए अनुदान निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित होंगे :—

(1) प्रत्येक दस छात्रों (अथवा इसके भाग) के लिए प्रत्येक कक्षा-कक्ष हेतु 50,000 रु.।

(2) प्रत्येक दस छात्रों (अथवा इसके भाग) के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा रोजगार केन्द्र के लिए 80,000 रुपये।

(3) छात्रों/प्रशिक्षणार्थियों के लिए होस्टल निर्माण हेतु सहायक अनुदान निम्नलिखित आधार पर स्वीकृत किया जाएगा :—प्रति छात्र 120 वर्ग फुट से अनाधिक क्षेत्र का निर्माण करने के लिए सहायता दी जाएगी। इसके लिए सरकारी सहायक अनुदान 12,000 रुपये प्रति व्यक्ति से अधिक नहीं होना चाहिए और यह 15 छात्रों से कम के लिए स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

(4) किसी भी प्रकार के भवन निर्माण हेतु कुल सहायक अनुदान 5.00 लाख से अधिक नहीं होगा ।

(5) ऐसे किसी भी स्कूल दिवस केन्द्र के भवन निर्माण के लिए जिसमें छात्रों की संख्या 40 से कम हो और होस्टल के लिए जिसमें संवासियों की संख्या 15 से कम हो कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा ।

(6) मद वृद्धि के लिए संस्थाओं को अहाता दीवार का निर्माण करने के लिए भी अनुदान दिया जाएगा ।

II. भवन के लिए किराया

1. यदि संगठन के पास अपना कोई भवन न हो तब किराये पर लिए गए भवन के लिए उपयुक्त किराया प्रदान किया जा सकता है :—

(i) "ग" श्रेणी के नगरों में स्थित परियोजनाओं के लिए 0.50 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह ।

(ii) "ख" श्रेणी के नगरों में स्थित परियोजनाओं के लिए 0.75 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह ।

(iii) "क" श्रेणी के नगरों में स्थित परियोजनाओं के लिए 1 रुपया प्रति वर्ग फुट प्रति माह की दर से अथवा दस छात्रों के प्रति कक्षा कक्ष के लिए 500 वर्ग फुट की दर से ।

III. अनुरक्षण अनुदान

(क) स्कूल इत्यादि के कर्मचारियों के लिए वेतन

(i) प्रत्येक दस छात्रों (अथवा इसके भाग) अथवा प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक/मद वृद्धि के मामलों में अध्यापक तथा छात्रों के बीच 1 : 6 का अनुपात होना चाहिए ।

(ii) भवन के लिए अनुरक्षण अनुदान का निर्धारण या तो पूंजी लागत के 1% के रूप में अथवा एक निश्चित राशि के अनुसार जिसकी अधिकतम सीमा 20,000 रुपये हो, किया जाना चाहिए ।

(iii) विद्यालय के लिए एक पर्यवेक्षणीय स्टाफ/यदि विद्यालय में छात्रों की संख्या 100 से अधिक हो तो दो पर्यवेक्षणीय कार्मिक प्रदान किए जाएंगे ।

(iv) आकस्मिक व्यय प्रति छात्र/प्रशिक्षणार्थी 100 रुपये प्रति वर्ष की दर तक सीमित रखा जाएगा ।

(v) यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता वार्षिक वेतन के 10% से अधिक न हो ।

(vi) संगठन को इसी प्रयोजन हेतु अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान के बारे में सूचित करना चाहिए ।

(ख) होस्टलों में छात्रों/प्रशिक्षणार्थियों के लिए खर्चे :

यदि संगठन को उनकी देखभाल के लिए अलग से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है

तो भोजन के लिए प्रति छात्र/प्रशिक्षणार्थी को 150 रुपये प्रति माह की दर से वजीफे स्वीकृत किए जा सकते है ।

IV. परिवहन भत्ता

(i) क तथा ख श्रेणी के नगरों में 75 रुपये प्रति बालक प्रति माह की दर से तथा अन्य नगरों/कस्बों में 50 रुपये प्रति बालक प्रति माह की दर से परिवहन भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।

(ii) वाहन खरीदने अथवा इसके अनुरक्षण के लिए अथवा चालक के वेतन इत्यादि जैसे अन्य परिवहन व्यय के लिए कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा ।

V. फिजियोथेरापी एकक

एक मध्यम दर्जे की फिजियोथेरापी एकक तथा श्रवण परीक्षण के लिए अनुबन्ध में उल्लिखित उपकरण स्वीकृत किया जा सकता है ।

तकनीकी कर्मचारियों तथा अन्य उपकरणों को स्वीकृत करने के लिए दिशा-निर्देशों का निर्धारण राष्ट्रीय संस्थानों के साथ परामर्श करके किया जाना चाहिए ।

VI. व्यावसायिक प्रशिक्षण

(1) व्यवसायिक यूनिटों को आवश्यकता के अनुसार स्टाफ तथा उपस्कर स्वीकृत किए जाएं ।

(2) कच्चा माल, बिजली, पानी, स्टेशनरी आदि के लिए उचित धनराशि स्वीकृत की जाए कच्चे माल की स्थिति में इसकी सीमा संस्वीकृत अन्य अनुदान का 25% होगी । कच्चा माल, बिजली, पानी, स्टेशनरी इत्यादि के मामले में प्रत्येक के लिए 5% होगी ।

(3) यदि कच्चे माल के लिए धनराशि संस्वीकृत की जाए तब तैयार माल की बिक्री बढ़ेगी, यदि कोई है तो उसे लेखा परीक्षित लेखे में दिखाया जाना चाहिए तथा सहायक अनुदान स्वीकृत करते समय पूर्ण रूप से समायोजित किया जाए ।

VII. फर्नीचर तथा कार्यालय उपस्कर

1. प्रत्येक छात्र/प्रशिक्षणार्थी के लिए एक कुर्सी तथा एक मेज 250 रु० प्रति सेट ।

2. स्वीकृत किए गए प्रत्येक स्टाफ के लिए एक मेज तथा एक कुर्सी 350 रुपये प्रति सेट तथा मांगे जाने पर 2-6 अतिरिक्त कुर्सियां ।

3. 10 छात्रों/प्रशिक्षणार्थी या भाग के प्रत्येक समूह के लिए एक अलमारी 500 रुपये प्रत्येक के लिए ।

4. प्रत्येक पर्यवेक्षक स्टाफ के एक अलमारी 500 रु० की दर से प्रत्येक की स्वीकृत की जाए ।

5. होस्टल के प्रत्येक छात्र के लिए एक खाट, गद्दा, चद्दर, तकिया, कम्बल आदि प्रत्येक छात्र के लिए 500 रुपये प्रति छात्र की दर से ।

6. 40 छात्रों के समूह के लिए एक टाइप मशीन । दो से अधिक टाइप मशीन स्वीकृत नहीं

किए जाएं। यदि संस्थान में 100 छात्र हैं तो एक साइक्लो स्टाईलिंग मशीन प्रदान की जाए।

VIII. पुनर्वास तथा अंग लगाने के केन्द्र

केवल सहायक यन्त्र/उपकरण की योजना के कार्यान्वयन के लिए अवसंचना सहायता हेतु सहायक अनुदान 20 रुपये प्रति लाभकर्ता तक सीमित रहेगा तथापि किसी वर्ष विशेष में अनुदान 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगा।

घेरा बी० फिजियोथ्रेपी यूनिट

मध्यम आकार की फिजियोथ्रेपी यूनिट के लिए सामान्यतः निम्नलिखित यन्त्र मंजूर किए जाते हैं :—

1. शार्ट वेव डायथ्रेपी	15,000 रुपये
2. अल्टरासाउंड यन्त्र	12,000 रुपये
3. इफराऐ यन्त्र	15,000 रुपये
4. पेरापाइन वाक्स बाथ	3000 रुपये
5. कारडिकल टरेक्शन यन्त्र	1000 रुपये (मेनुयल) या 20,000 रुपये (इलैक्ट्रानिक्स)
6. अभ्यास यन्त्र (8)	30,000 रुपये

नोट :—इन यन्त्रों से व्यवस्थित फिजियोथ्रेपी यूनिट एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने में सक्षम होगी।

राष्ट्रीय विकास वित्त निगम

6490. **श्री अनादि चरण दास** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित आई. डी. एस. एम. टी तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षत्र योजनाओं को छोड़कर स्थानीय निकायों को सहायता प्रदान करने के लिए "हुडको" के एक अलग डिवीजन के रूप में एक राष्ट्रीय शहरी अवसंरचना विकास वित्त निगम स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्यों को, राज्यवार, दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष में किन स्थानीय निकायों को सहायता दी जायेगी एवं इनकी पहचान पात्रता के लिए क्या मानदंड निर्धारित किया गया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सरकार ने एक अलग नेशनल अर्बन इन्फ्रॉस्ट्रक्चर कार्पोरेशन को अभी तक स्थापित नहीं किया है। तथापि, शहरी आधारभूत सेवा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्थानीय निकायों और राज्य स्तर के अभिकरणों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हुडको में वर्ष 1989-90 से अलग से एक शहरी आधारभूत सेवा (अर्बन इन्फ्रॉस्ट्रक्चर) विंग खोला गया है।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान संलग्न विवरण के अनुसार हुडको ने 507 करोड़ रुपये की

परियोजना लागत और सहायता के रूप में 172 करोड़ रुपये के हडको ऋण की 8 राज्यों में 24 शहरी आधारभूत सेवा योजनाएं स्वीकृत की है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हडको का शहरी आधारभूत सेवा योजनाओं के लिए 400 करोड़ रुपए तक की सीमा तक वित्त व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

परियोजना प्रस्ताव हडको के मार्ग-निर्देशों के अनुरूप होने चाहिए। तथापि, जल आपूर्ति, कम लागत की स्वच्छता, मल निर्यास और जल निकास (ड्रेनेज) की योजनाओं और 10 लाख से अनाधिक जनसंख्या वाले छोटे और मध्यम दर्जे के कस्बों में आधारभूत सेवा योजनाओं को वरीयता दी जाएगी।

विवरण

31-03-1990 की स्थिति के अनुसार 1989-90 के दौरान शहरी आधारभूत सेवा योजनाओं की राज्यवार स्थिति।

क्र० सं० राज्य	योजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (रु० लाखों में)	ऋण राशि
1. हिमाचल प्रदेश	4	1167.86	547.73
2. मध्य प्रदेश	3	1691.97	1079.46
3. उत्तर प्रदेश	5	2232.31	1115.95
4. उड़ीसा	1	211.99	92.00
5. गुजरात	2	9750.98	5105.88
6. कर्नाटक	1	24000,00	3000.00
7. केरल	2	2966.80	2036.94
8. तमिलनाडु	5	8579.96	4107.28
9. आंध्र प्रदेश	1	116.00	116.00
योग :	24	50717.87	17201.24

ट्रेड यूनियनों की सदस्यता की जांच

[हिन्दी]

6491. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**
प्रो० के० वी० थामस :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्रेड यूनियनों की सदस्यता की जांच के सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ख) इससे सम्बन्धित कार्य कब पूरा हो जाएगा; और

(ग) ऐसी ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का ब्यौरा क्या है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों की सदस्यता के आम सत्यापन से सम्बन्धित औपचारिक आदेश अभी नहीं दिए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कर्नाटक की मालप्रभा परियोजना

[अनुवाद]

6492. **श्री वी० कुण्णराव :**
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने मालप्रभा परियोजना के दूसरे चरण को पूरा करने के लिए आवास तथा शहरी विकास निगम से सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता दिए जाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारी

[हिन्दी]

6493. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में कितने कर्मचारी और अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं;

(ख) ऐसे कितने कर्मचारी और अधिकारी है जो अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि के पूरा हो जाने के बाद भी यहीं कार्यरत हैं;

(ग) सरकार का उन्हें उनके मूल कार्यालयों को कब तक वापिस भेजने का विचार है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) अधिकारी—120
कर्मचारी—68

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि समूह "क" तथा "ख" के

किसी भी अधिकारी के प्रतिनियुक्ति की 5 वर्ष की अधिकतम सीमा को पार नहीं किया है। तथापि, समूह "ग" के 19 कर्मचारियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यक विशिष्ट पदों पर जन-हित में 5 वर्ष से अधिक समय के लिए रखा गया है।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

6494. **शिव शरण वर्मा** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1989-90 के दौरान उत्तर प्रदेश की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए, परियोजना-वार, कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) उत्तर प्रदेश की ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं जिनके लिए वर्ष 1990-91 के दौरान धनराशि आबंटित की जायेगी; और

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की जाएगी ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) वर्ष 1989-90 के लिए उत्तर प्रदेश में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए संशोधित परिव्यय निम्नवत है :—

	(करोड़ रुपये में)
(क) बृहद एवं मध्यम सिंचाई	253.05
(ख) लघु सिंचाई	140.33
(ग) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	10.94
(घ) बाढ़ नियन्त्रण	17.25

(ख) और (ग) वर्ष 1990-91 के लिए परिव्यय को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय भांडागार निगम के गोदाम

[अनुवाद]

6495. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भांडागार निगम ने आर० आई० सी०, बेनहुगली, बेहाला सी० पी० टी० भूमि, कलकत्ता, लावे डिपो स्थित डब्ल्यू० जी० सरकारी भूमि और नाबरा बरसात स्थित भूखंडों पर क्षेत्रीय कार्यालय के गोदामों के निर्माण का विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इनका निर्माण-कार्य पूरा हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) से (ग) केन्द्रीय भांडागार निगम द्वारा स्वयं अपने गोदामों का करना एक निरन्तर प्रक्रिया है और निगम कलकत्ता क्षेत्र सहित देश भर में स्वयं अपनी निर्मित क्षमता को नियमित रूप से बढ़ा रहा है। किसी भी केन्द्र पर स्वयं अपने गोदाम का निर्माण करने का निर्णय दीर्घकालिक कारोबार की सम्भाव्यता, उपयुक्त स्थानों पर भूमि की उपलब्धता, परियोजना की आर्थिक सक्षमता, स्वयं निर्मित गोदामों की तुलना में किराए के गोदाम

लेने के लागत लाभ विश्लेषण, आदि जैसे कई एक तथ्यों पर निर्भर करता है। प्रश्न के भाग (क) में विशेष रूप से उल्लिखित केन्द्रों के बारे में स्थिति नीचे दी जाती है :—

(1) **आर० आई० सी० बोनहुगली** : खाद्यान्नों, उर्वरकों आदि जैसी परम्परागत वस्तुओं का भण्डारण करने के लिए गोदाम का निर्माण करने की योजना को आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाया गया था।

(2) **बेहला** : गोदाम का निर्माण करने के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है।

(3) **तारातोला में सी० पी० टी० लैंड** : कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ने केन्द्रीय भाण्डागार निगम को भाण्डागार का निर्माण करने के लिए तारातोला में कुछ भूमि की पेशकश की थी लेकिन वह भूमि उपयुक्त नहीं पाई गई थी।

(4) **लेक डिपो** : लेक डिपो में कोई भूमि उपलब्ध नहीं है क्योंकि पश्चिम बंगाल आवश्यक वस्तु निगम इस काम्पलेक्स में स्वयं अपने गोदामों का निर्माण कर रहा है।

(5) **हावड़ा** : भण्डारण सम्भाव्यता का जायजा लेने और दीर्घकालिक आधार पर भण्डारण करने के लिए जो वस्तुएं उपलब्ध हो सकती हैं, उनका पता लगाने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस केन्द्र पर निर्माण उचित दामों पर भूमि की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगा।

(6) **बारासात** : पर्याप्त कारोबार की सम्भाव्यता के अभाव में निगम का बारासात में स्वयं अपने गोदामों का निर्माण करने की कोई योजना नहीं है।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए धनराशि का आबंटन

6496. **श्री मनोरंजन भक्त** : : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्वास्थ्य केन्द्रों और परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए वर्ष 1987-88 और वर्ष 1988-89 के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई थी; और

(ख) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान इन केन्द्रों पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) 1987-88 और 1988-89 के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्वास्थ्य केन्द्रों और परिवार नियोजन केन्द्रों के संबंध में किए गए आबंटन और व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपए)

	1987-88		1988-89	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
स्वास्थ्य खंड	140.00	209.14	214.00	232.84
परिवार कल्याण केन्द्र				
(क) ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र/उप केन्द्र	5.09	4.19	6.00	4.31
(ख) जिला स्तर के प्रसवोत्तर केन्द्र	2.85	3.94	3.50	2.30

दैनिक मजूरी पर काम करने वाले श्रमिक

[हिन्दी]

6497. **श्री शोपत सिंह मक्कासर** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्रों सहित विभिन्न राज्य सरकारों के विभागों में दैनिक मजूरी पर कार्यरत श्रमिकों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) विभिन्न राज्यों में निर्धारित न्यूनतम मजूरी दर क्या है ?

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) श्रम मन्त्रालय द्वारा यह सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन, राज्य सरकारें कर्मकारों के ऐसे वर्गों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए "समुचित सरकार" हैं। श्रम मन्त्रालय यह सूचना नहीं रखता हैं।

अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना

[अनुवाद]

6498. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य काडू कुरुबास और जेनू कुरुबास वेलफेयर एसोसिएशन ने केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को उन कर्मचारियों से अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र पुनः मांगने पर जोर नहीं देना चाहिए जिन्होंने आरम्भिक नियुक्ति के समय ये प्रमाण-पत्र दे दिए थे;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देश जारी किए गए हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समय-समय पर संशोधित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के अनुसार कुरुबास समुदाय को कर्नाटक राज्य के कूर्ग जिले के अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया हुआ है। अतः इस समुदाय में संबंधित व्यक्तियों को कूर्ग जिले के अलावा अन्य जिलों में अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए जा सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए, कुरुबास समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को राज्य के अन्य भागों में (कूर्ग जिले के अलावा) काडू कुरुबास इत्यादि समुदायों के नाम से प्रमाणपत्र नहीं दिए जा सकते।

इस मन्त्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों तथा सेवाओं में रोजगार चाहने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित सभी उम्मीदवारों से अपेक्षित है कि वे कम से कम तहसीलदार स्तर के निर्धारित प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों से निर्धारित फार्म में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। जाति प्रमाणपत्र का फार्म सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों/भारत सरकार के मन्त्रालयों/विभागों को पहले ही परिचालित किया जा चुका है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वे व्यक्ति, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/

निगमों/बैंकों इत्यादि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती हो चुके हैं और जिन्होंने भारत सरकार द्वारा परिचालित प्रमाणपत्र के निर्धारित फार्म में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं, से भी यह अपेक्षित है कि वे अपने दावे के समर्थन में यथा उपर्युक्त उल्लिखित फार्म में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। प्रमाणपत्र जारी करने वाले अथवाभर्ती प्राधिकारी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का दावा करने वाले उम्मीदवारों के बारे में या तो पुनः जांच कर सकते हैं अथवा असली या अन्यथा उनकी पृष्ठभूमि की पुनः जांच करने के लिए कह सकते हैं।

दिल्ली में मण्डावली—फाजलपुर में भूमि का अधिग्रहण

[हिन्दी]

6499. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में मंडावली—फाजलपुर में खसरा नं० 598, 599 और 600 की भूमि का अधिग्रहण किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन सभी व्यक्तियों को, जिनके उस भूमि पर मकान थे, अभी तक वैकल्पिक भूखंड अथवा मकान नहीं दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है और इसके कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार का शेष व्यक्तियों को कब तक भू-खंड अथवा मकान उपलब्ध कराने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) मंडावली—फाजलपुर गांव के खसरा सं० 598, 599 और 600 (और न कि 560) में पड़ने वाली भूमि को दिल्ली प्रशासन ने अर्जित किया था परन्तु उच्च न्यायालय के रोकादेश के कारण (खसरा सं० 599 के लगभग 0.8 विस्वा के सिवाय) इसका कब्जा नहीं लिया गया है।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि खसरा संख्या 598, 599 तथा 600 में पड़ने वाली अर्जित भूमि के मालिकों से वैकल्पिक प्लाटों के आवंटनार्थ कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1990-91 के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना

6500. **श्री हरि केवल प्रसाद**: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की सम्भावना है;

(ग) इनमें से कितने केन्द्र शहरी क्षेत्रों में और कितने ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) राज्यों/

संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार देश में कार्य कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या 19,640 है।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करके योजना आयोग द्वारा लगाए हिसाब के अनुसार वर्ष 1990-91 के दौरान खोले जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या 1344 है जिसमें पंजाब राज्य शामिल नहीं है, जिसके लिए अभी लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाते हैं।

सिंचाई परियोजनाएं

6501. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्माणाधीन बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय होगी तथा ये कब तक बनकर तैयार होंगी;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू किए जाने का विचार है; और

(घ) इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय होगी ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) आठवीं योजना के लिए प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	निर्माणाधीन बृहद परियोजनाएं				निर्माणाधीन मध्यम परियोजनाएं			
		संख्या	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	परियोजनाएं जिन्हें 7वीं योजना में पूर्ण किए जाने की संभावना है	परियोजनाएं जिन्हें 8वीं योजना में आगे ले जाए जाने की संभावना है	संख्या	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	परियोजनाएं जिन्हें 7वीं योजना में पूर्ण किए जाने की संभावना है	परियोजनाएं जिन्हें 8वीं योजना में आगे ले जाये जाने की संभावना है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	14	5254.14	3	11	45	591.14	18	27
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	2	123.3	—	2	11	135.72	4	7
4.	बिहार	16	3291.64	1	15	41	713.86	14	27
5.	गोवा	1	131.04	—	1	2	32.12	1	1
6.	गुजरात	11	5559.59	1	10	82	816.43	36	46
7.	हरियाणा	11	796.87	4	7	4	95.28	1	3

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. हिमाचल प्रदेश	1	49.30	—	1	3	15.63	—	3
9. जम्मू और कश्मीर	1	84.60	—	1	16	96.15	8	8
10. कर्नाटक	14	3645.23	2	12	19	287.90	4	15
11. केरल	12	1249.80	5	7	5	144.60	—	5
12. मध्य प्रदेश	20	5746.58	2	18	40	629.66	9	31
13. महाराष्ट्र	42	6045.85	5	37	86	937.39	31	55
14. मणिपुर	4	179.89	1	3	3	18.94	3	—
15. मेघालय	—	—	—	—	1	12.00	—	—
16. मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—
17. नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—
18. उड़ीसा	6	1807.79	2	4	30	557.70	15	15
19. पंजाब	3	968.79	1	2	2	4.00×	2	—
20. राजस्थान	7	2465.83	4	3	14	263.50××	7	7
21. सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—
22. तमिलनाडु	3	153.90	2	—	14	108.42	10	4
23. त्रिपुरा	—	—	—	—	3	50.60	—	3
24. उत्तर प्रदेश	27	4076.59	7	20	22	166.86	16	6
25. पश्चिमी बंगाल	4	822.19	1	3	16	29.90	8	8

× एक परियोजना का

×× एक को छोड़कर

एक्स-रे एककों से स्वास्थ्य को खतरा

[अनुवाद]

6502. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में अस्पतालों में चल रहे एक्स-रे एकक स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) सरकारी अस्पतालों में सभी संभव उपाय किए जाते हैं जिनमें अलग कमरों में एक्स-रे यूनिटें, जिन्हें विकिरण जोखिम से बचने के लिए सुरक्षित बनाया जाता है, लगाना भी शामिल है। तथापि प्राइवेट क्लिनिकों में बिना समुचित सुरक्षा के लगाये गये यूनिट चिंता का कारण हो सकते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग इस स्थिति की निगरानी कर रहा है और राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों को समुचित कार्रवाई करने की सलाह दे रहा है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों के लिए धनराशि का नियतन

6503. **श्री ईरा अन्बारासु :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 और 1989-90 में तमिलनाडु के लिए स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केन्द्रों हेतु कुल कितनी धनराशि नियत की गई थी; और

(ख) इस संबंध में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) 1988-89 और 1989-90 के दौरान तमिलनाडु में स्वास्थ्य केन्द्रों तथा परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए आबंटन और व्यय का विवरण इस प्रकार है :

(लाख रुपए)

	1988-89		1989-90	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	अनुमानित व्यय
स्वास्थ्य केन्द्र	1450.00	1155.00	1400.00	1570.00
परिवार कल्याण केन्द्र				
(क) ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	600.00	894.19	769.61	1127.51
(ख) उपकेन्द्र	613.50	55.47	660.43	60.00
(ग) शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	163.97	254.06	176.25	136.01
(घ) प्रसवोत्तर केन्द्र	184.85	261.93	163.00	289.36

महाराष्ट्र में गन्ने की बकाया देय राशि

6504. **श्री बसन्त साठे** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में 1988-89 की अवधि का, वर्ष-वार, विभिन्न चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को गन्ने की कितनी बकाया धनराशि का भुगतान किया जाना शेष है;

(ख) तत्संबंधी मिल-वार, बकाया राशि कितनी है; और

(ग) बकाया राशि के भुगतान हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) 15 मार्च, 1990 को स्थिति के अनुसार गन्नों उत्पादकों की महाराष्ट्र की चीनी मिलों की तरफ गन्ने के मूल्य की बकाया राशि की स्थिति नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपए में)

चीनी मौसम	मौसम के दौरान देय गन्ने का कुल मूल्य	मौसम के लिए देय गन्ने की बकाया राशि	पिछले मौसम के लिए देय गन्ने के मूल्य की बकाया राशि
1988-89	519.51	3.32	3.21
1989-90	629.99	6.69	2.46

(ख) 15-3-90 को स्थिति के अनुसार देय गन्ने की मूल्य की कुल बकाया राशि का मिल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) किसानों को गन्ने के मूल्य का समय पर भुगतान करवाने की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों की होती है। तथापि, केन्द्रीय सरकार इस संबंध में स्थिति पर नजर रखती है और जहां कहीं अपेक्षित होता है वहां इस मामले में वह राज्य सरकारों को लिखती है। इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार से भी अनुरोध किया गया है।

15-3-1990 को स्थिति के अनुसार मिलवार गन्ने के मूल्य की कुल बकाया देय राशि के ब्यौरे बताने वाला विवरण।

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	मिल का नाम	बकाया देय राशि	पूर्व के मौसमों के लिए देय बकाया राशि
1	2	3	4
	दक्षिण महाराष्ट्र		
1.	गिरना	शून्य	शून्य
2.	निफाड	5.61	शून्य

1 2	3	4
3. कर्मवीर	18.85	शून्य
4. मेतरवाड़ी	शून्य	शून्य
5. पाल्से	शून्य	शून्य
6. विट्ठेवाडी	7.86	शून्य
7. संजीवनी	शून्य	शून्य
8. कोपरगांव	शून्य	शून्य
9. गणेशनगर	शून्य	12.99
10. अशोकनगर	शून्य	शून्य
11. प्रवरानगर	शून्य	शून्य
12. राहुड़ी	शून्य	शून्य
13. श्रीगोंडा	7.35	शून्य
14. संगमनेर	शून्य	शून्य
15. भिंडे	शून्य	शून्य
16. वृद्धेश्वर	23.36	शून्य
17. जगदम्बा	शून्य	शून्य
18. सोनाई	शून्य	शून्य
19. परनेर	शून्य	शून्य
20. नीरा	शून्य	6.57
21. मालेगांव	शून्य	शून्य
22. भवानीनगर	शून्य	शून्य
23. थ्यूर	शून्य	शून्य
24. पटास	शून्य	शून्य
25. जुनार	शून्य	शून्य
26. अक्लुज	शून्य	शून्य
27. सदाशिवनगर	शून्य	शून्य
28. कुमठे	शून्य	शून्य
29. गुरसाले	शून्य	शून्य
30. बैराग	0.01	शून्य

1	2	3	4
31.	भीमा	शून्य	8.21
32.	श्रीराम	शून्य	शून्य
23.	कृष्णा	शून्य	शून्य
34.	मूंज	शून्य	0.48
35.	मराली	शून्य	शून्य
36.	सह्याद्री	शून्य	शून्य
37.	सांगली	शून्य	शून्य
38.	शिन्द्रे	शून्य	शून्य
39.	वल्वा	शून्य	शून्य
40.	विश्वास	शून्य	शून्य
41.	हुतात्मा	शून्य	शून्य
42.	अटपाड़ी	शून्य	शून्य
43.	नागेवाडी	54.60	शून्य
44.	महांकाली	शून्य	शून्य
45.	वारना	शून्य	शून्य
46.	इचालकरंजी	शून्य	शून्य
47.	कुम्भी केसरी	शून्य	शून्य
48.	विदरी	शून्य	शून्य
49.	भोगवती	शून्य	शून्य
50.	शिरोल	शून्य	शून्य
51.	दौलत	शून्य	शून्य
52.	गांधिगलाज	शून्य	शून्य
53.	कागल	शून्य	शून्य
54.	असुरले	शून्य	शून्य
55.	रायलगांव	शून्य	1.21
56.	सहरवाड़ी	शून्य	शून्य
57.	लक्ष्मीवाड़ी	शून्य	शून्य
58.	सांगदेव	शून्य	शून्य

1 2	3	4
59. बेलापुर	शून्य	शून्य
60. तिलकनगर	शून्य	50.51
61. बालचन्दनगर	शून्य	शून्य
62. मालीनगर	41.63	शून्य
63. बिरमा	शून्य	83.81
64. फाल्टन	शून्य	शून्य
65. कोल्हापुर	शून्य	शून्य
जोड़ दक्षिण महाराष्ट्र	159.27	163.73
उत्तरी महाराष्ट्र		
66. गंगापुर	0.98	56.59
67. सिल्लोद	66.62	0.55
68. कन्नड़	शून्य	शून्य
69. परसोडा	शून्य	शून्य
70. पैथान	शून्य	शून्य
71. तेरना	0.55	शून्य
72. नालदुर्ग	शून्य	शून्य
73. कालम्बार	77.26	1.58
74. शंकरनगर	49.58	शून्य
75. पंजारकान	शून्य	शून्य
76. सतपुड़ा	58.36	शून्य
77. जीजामाता	1.28	0·36
78. पुसाद	शून्य	शून्य
79. डोंगरखाड़ा	शून्य	5.96
80. पथरी	शून्य	शून्य
81. बासमथनगर	शून्य	0.04
83. अम्बाजोगई	शून्य	0.14
83. येवराई	शून्य	शून्य
84. काड़ा	32.71	शून्य

1 2	3	4
85. गजानन	शून्य	शून्य
86. कसोदा	शून्य	शून्य
87. फैजपुर	2.70	0.69
88. भोरस	शून्य	शून्य
89. संजय	67.18	शून्य
90. श्रीपुर	शून्य	शून्य
91. समरथ	शून्य	शून्य
92. जालना	शून्य	शून्य
93. नालेगांव	53.48	शून्य
94. मंजारा	0.29	6.37
95. किल्लारी	शून्य	शून्य
96. धामनगांव	शून्य	10.14
97. मौडा	शून्य	0.02
98. जामनी	शून्य	शून्य
99. वैनगंगा	13.24	शून्य
100. बालाजी	शून्य	शून्य
101. गोलेगांव	41.85	शून्य
जोड़ उत्तरी महाराष्ट्र	510.05	82.44
कुल जोड़ महाराष्ट्र	669.32	246.22

महाराष्ट्र को छोटे और मध्य श्रेणी के शहरों के विकास के लिए सहायता

6505. **श्री वसंत साठे :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों के एकीकृत विकास की योजना के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र के छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों के विकास के लिए शहर-वार और वर्ष-वार कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई ?

शहरी विकास मंत्री (श्री धुरासोनी मारन) : केन्द्र द्वारा प्रवर्तित छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास की योजना के अधीन सातवीं योजनावधि के दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न कस्बों को 679.106 लाख रुपए की राशि दी गई है जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास की योजना के अन्तर्गत सातवीं योजना पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र को रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	कस्बे का नाम	सातवीं योजना रिलीज												
		85-86		86-87		87-88		88-89		89-90		योग		
		आई.डी. एस.एम. टी.	एल.सी. एस.	आई.डी. एस.एम. टी.	एल.सी. एस.	आई.डी. एस.एम. टी.	एल.सी. एस.	आई.डी. एस.एम. टी.	एल.सी एस.	आई.डी. एस.एम. टी.	एल.सी. एस.	आई.डी. एस.एम. टी.	एल.सी एस.	कुल रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	पार्लीवैजनाथ	15.00	—	—	—	—	—	200	—	—	—	17.00	—	17.00
2.	यौतमल	12.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.50	—	12.50
3.	सतौरा	10.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.00	—	10.00
4.	रतनगिरी	15.00	—	—	—	1.25	—	—	—	—	—	16.25	—	16.25
5.	हिंचन घाट	8.00	—	—	—	—	—	2.80	—	—	—	10.60	—	10.80
6.	अम्बेजोगाई	15.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.00	—	15.00
7.	इस्लामपुर	11.00	—	—	—	—	—	10.85	—	0.15	—	22.00	—	22.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	पंधनपुर	20.00	—	—	—	15.00	4.00	4.00	—	—	—	39.00	4.00	43.00
9.	रामटेक	16.00	—	—	—	—	5.86	—	—	22.00	—	38.00	5.86	43.86
10.	नीलंगा	11.00	—	—	—	—	—	22.00	—	4.00	2.69	37.00	2.69	39.69
11.	चिपलम	19.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.00	—	19.00
12.	अकोट	15.00	—	—	—	18.00	8.00	—	—	13.00	—	46.00	8.00	54.00
13.	तुलजापुर	10.00	2.75	5.00	—	18.00	—	—	—	13.00	—	46.00	2.75	48.00
14.	वर्धा	10.00	—	10.00	—	—	—	—	6.00	13.04	—	33.04	6.00	39.04
15.	इगतपुरी	19.20	0.80	6.80	—	—	—	—	1.61	—	—	26.00	2.41	28.41
16.	बूसोद	10.00	—	10.00	—	—	7.00	—	—	25.375	—	45.375	7.00	52.375
17.	कराड	10.00	—	10.00	—	—	—	25.00	—	—	—	45.00	—	45.00
18.	मनमेड	—	—	10.00	—	—	—	2.25	—	2.25	—	14.50	—	14.50
19.	खारली	—	—	2.65	—	—	—	0.505	—	—	—	3.115	—	3.155
20.	कैंटोल	—	—	10.00	—	—	—	2.72	—	—	—	12.72	—	12.72
21.	अंबानलेर	—	—	3.00	—	—	—	—	—	—	—	3.00	—	3.00
22.	प्रेमीनी	—	—	2.00	—	—	—	—	—	—	—	2.00	—	2.00
23	उस्मानाबाद	—	—	3.00	—	—	—	—	—	—	—	3.00	—	3.00
24.	भाद्रा	—	—	10.00	—	—	—	—	—	—	—	10.00	—	10.00
25.	बसीम	—	—	10.00	—	5.10	—	—	—	—	—	15.10	—	15.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26.	कैम्पटी	—	—	—	—	6.24	—	—	—	—	—	6.24	—	6.24
27.	किनवट	—	—	—	—	11.00	—	—	—	—	—	11.00	—	11.00
28.	मुरसी	—	—	—	—	10.00	—	—	—	—	—	10.00	—	10.00
29.	सेलु	—	—	—	—	7.826	—	—	—	—	—	7.826	—	7.826
30.	बारामती	—	—	—	—	3.24	—	—	—	—	—	3.24	—	3.24
31.	किरास	—	—	—	—	—	—	8.56	—	—	—	8.56	—	8.56
32.	बीड	—	—	—	—	—	—	20.00	2.34	—	—	20.00	2.34	22.34
33.	चंद्रापुर	—	—	—	—	—	—	—	—	29.75	—	29.75	—	29.75
		226.70	3.55	92.45	—	95.656	24.86	100.685	9.95	122.565	2.89	638.056	41.05	679.106

आई०डी०एस०एम०टी०=छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बे का एकीकृत विकास

एल०सी०एस० =कम लागत की स्वच्छता

नगर प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए कर्नाटक को केन्द्रीय सहायता

6506. **श्री एच० सी० श्री कांतय्या :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य की कुछ सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता हेतु कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उन सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) कुल कितनी सहायता मांगी गई है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय सहायता मंजूर कर ली है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (घ) कर्नाटक सरकार से नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय/बाह्य सहायता प्रदान करने के वास्ते कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

आयुर्वेदिक औषधि "सुरा"

[हिन्दी]

6507. **श्री हरीश रावत :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि "सुरा" को बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है तथा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के कुछ उपबंधों का लाभ उठाते हुए इसे आयुर्वेदिक औषधि के रूप में बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि सुरा का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है;

(ग) क्या सरकार इसके उत्पादन को रोकने अथवा नियंत्रित करने के लिए विद्यमान अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) बहुत सी आयुर्वेदिक फार्मेसियों द्वारा "मृत संजीवनी सुरा" नाम की आयुर्वेदिक औषध का निर्माण किया जा रहा है । आयुर्वेद की औषधों के लाइसेंस देने और नियन्त्रण रखने का कार्य राज्य सरकार के प्राधिकारियों को सौंपा हुआ है, अतः इस मन्त्रालय के पास तैयार की जा रही और बेची जा रही प्रत्येक औषध की मात्रा के बारे में कोई सूचना नहीं है । इस मन्त्रालय को इस उद्देश्य के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के किसी उपबन्धों से उठाए जा रहे लाभ की भी कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) यदि इसको एक औषध के रूप में निर्धारित मात्रा में लिया जाए तो "मृत संजीवनी सुरा" स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है ।

(ग) और (घ) इस प्रयोजन के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में संशोधन

करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस मन्त्रालय ने सम्बन्धित राज्यों के मौजूदा उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत एक अल्कोहल के रूप में "मृत संजीवनी सुरा" के दुरुपयोग को रोकने के लिए पहले ही सरकारों को कह दिया है।

बंधुआ मजदूर

6508. श्री ईश्वर चौधरी :
श्री गंगाचरण होशी :
श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1989-90 के दौरान राज्यवार कितने बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास किया गया; और

(ख) केन्द्रीय सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा इस कार्य पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रमांक	राज्य का नाम	31-1-1990 को पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या	31-3-1990 तक दी गई केन्द्रीय राशि (रु० लाखों में)
1.	आंध्र प्रदेश	7	—
2.	बिहार	47	1.37
3.	मध्य प्रदेश	2707	123.41
4.	महाराष्ट्र	255	—
5.	उड़ीसा	557	65.13
6.	हरियाणा	शून्य	—
7.	राजस्थान	77	0.81
8.	कर्नाटक	1392	205.10
9.	तमिलनाडु	368	—
10.	उत्तर प्रदेश	80	48.84

टिप्पणी : चौथे कालम में दी गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास की योजना के अधीन केन्द्र द्वारा दी गई सहायता की राशि है। राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे भी अपना हिस्सा राशि दें।

सरकारी अस्पतालों द्वारा औषधों की खरीद

[अनुवाद]

6509. **डा० भगवान दास राठौर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अस्पताल अपनी आवश्यकता की औषध और दवाइयां मेडिकल स्टोर्स संगठन के अन्तर्गत आने वाले मेडिकल स्टोर्स डिपुओं से खरीद रहे हैं;

(ख) क्या मेडिकल स्टोर्स संगठन इन अस्पतालों को निदेश देता है कि वे अपनी आवश्यकताओं की औषधों का चयन केवल अपनी बी. एम. एस. सूची में से ही करें तथा जो मदें सूची में शामिल नहीं हैं, उनकी मांग न करें और ये उन्हें सप्लाई नहीं की जाएंगीं;

(ग) क्या इन सरकारी अस्पतालों पर उनके औषध कोष के अनुसार जो इन अस्पतालों के वरिष्ठ डाक्टरों द्वारा निर्मित होता है, औषध और दवाइयों सम्बन्धी वास्तविक आवश्यकता न भेजने का दबाव डाला जाता है; और

(घ) क्या मेडिकल स्टोर्स डिपुओं द्वारा इन अस्पतालों को, उनके द्वारा मूल रूप से मांगी गई औषधों के बदले अन्य औषध लेने का निदेश देता है चाहे इन औषधों के तत्व और संघटक इनसे बिल्कुल भिन्न ही क्यों न हों ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) सरकारी अस्पताल उन औषधों तथा अन्य सामग्री के मांगपत्र मेडिकल स्टोर डिपुओं को भेज रहे हैं जिनकी वार्षिक लागत हर मामले में 10,000 रुपये से अधिक लेकिन, एक लाख से कम होती है।

(ख) मेडिकल स्टोर डिपुओं की तरफ से अस्पतालों को इस आशय के कोई निदेश नहीं दिए गए हैं कि वे अपनी जरूरत की औषधों केवल उनकी बी. एम. एस. सूची में से ही चुनें, लेकिन सूचीबद्ध न की गई वस्तुएं आमतौर पर उनके द्वारा खरीदी और सप्लाई नहीं की जाती हैं।

(ग) जी, नहीं। जो औषधें मेडिकल स्टोर डिपुओं द्वारा सप्लाई नहीं की जाती हैं, जरूरतों को पूरा करने के लिए वे पूर्ति और निपटान महानिदेशालय और सुपर बाजार आदि जैसे अन्य स्रोतों से प्राप्त की जाती हैं।

(घ) जी, नहीं।

लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल द्वारा लिथोट्रिएटर की खरीद

6510. **डा० भगवान दास राठौर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल ने "लिथोट्रिप्टर" की खरीद की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके मूल्य तथा सप्लायर आदि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) यह उपकरण आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय के जरिए मैसर्स सीवन्स लिमिटेड से

2,36,05,748 रुपये की लागत से खरीदा गया था ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अमरीकी प्रौद्योगिकी

6511. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में अपनी प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता देने की पेशकश की है;

(ख) क्या अमरीकी सरकार के साथ कोई समझौता किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस नई प्रौद्योगिकी से देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितना सुधार होने की संभावना है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अमेरिकी सरकार से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में विशेषज्ञता के हस्तांतरण के लिए कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं किए हैं, और ना ही इस सम्बन्ध में उस सरकार के साथ कोई समझौता किया है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कपड़ा मिलों द्वारा मशीनों का आयात किए जाने के सम्बन्ध में उदार नीति

6512. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :**
श्री एन० जे० राथवा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ने कपड़ा मिलों द्वारा मशीनों के आयात पर शुल्क को बिल्कुल समाप्त करने अथवा बहुत कम करने हेतु उदार आयात नीति बनाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1990-93 की अवधि के लिए घोषित आयात नीति में 10 करोड़ रु० तक के पूंजीगत माल के आयात की अनुमति, 25 प्रतिशत के रियायती शुल्क पर दी जाती है जो कि निर्यात दायित्व के आधार पर होती है । यह निर्यात चार वर्ष की अवधि के भीतर आयातित मशीनों के मूल्य से तिगुना तथा पूर्ववर्ती तीन लाइसेंस वर्षों में किए गए निर्यात के औसत स्तर से अधिक होना चाहिए ।

गुजरात में बांध का निर्माण

6513. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात स्थित कच्छ की खाड़ी के निकट मेघ जल के भंडारण हेतु इंग्लैंड की

सरकार अथवा विश्व बैंक के सहयोग से कोई योजना शुरू करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का इस प्रयोजन के लिए कोई वित्तीय सहायता देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, गुजरात सरकार ने मीठा जल के भण्डारण, ज्वारीय विद्युत उत्पादन, भूमि सुधार, नौवहन, सिंचाई एवं मत्स्य विकास को सुनिश्चित करने हेतु कैम्बे की खाड़ी के बहुउद्देश्यीय विकास के लिए इस सहायता से व्यवहार्यता अध्ययन प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ) इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय वित्त सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) अध्ययनों द्वारा व्यवहार्यता स्थापित किए जाने के पश्चात् ही परियोजना के कार्यान्वयन पर विचार किया जा सकता है।

उपभोक्ता मंच

[हिन्दी]

6514. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उपभोक्ता मंच गठित करने के लिए वर्ष 1989 और 1990 के दौरान कितनी धनराशि निर्धारित की गई;

(ख) क्या उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए कोई प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध किया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग स्थापित करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है और राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। केन्द्रीय सरकार ने 1989-90 में राष्ट्रीय आयोग के वास्ते 25.00 लाख रुपए की राशि निर्धारित की है। वर्ष 1990-91 के लिए राष्ट्रीय आयोग के लिए 20.00 लाख रु. की राशि निर्धारित की गई है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य आयोग या जिला मंचों के लिए कोई राशि निर्धारित नहीं की है।

(ख) और (ग) सरकार स्वैच्छिक आधार पर उपभोक्ता आंदोलन का विकास चाहती है। तथापि, संगोष्ठियों, दृश्य श्रव्य कार्यक्रमों, साहित्य के प्रकाशन आदि के जरिए उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के वास्ते केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के सीमा क्षेत्र से टेलीफोन सेवाओं को बाहर रखा जाना

6515. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री महानगर टेलीफोन निगम के सम्बन्ध में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के क्षेत्राधिकार के बारे में 14 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न सं० 334 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरसंचार विभाग ने केन्द्रीय विधि मन्त्रालय से अनुरोध किया है कि टेलीफोन सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के सीमा क्षेत्र में न लाया जाए;

(ख) यदि हां, तो यह छूट किस आधार पर मांगी गई है; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) छूट इस आधार पर मांगी गई है कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए उपबंध शामिल हैं और दूर संचार विभाग में एक अलग उपभोक्ता शिकायत प्रतितोष प्रणाली काम कर रही है ।

(ग) नागरिक पूर्ति विभाग कोई छूट देने के पक्ष में नहीं है।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नर्सिग होम में अपर्याप्त कमरे

6516. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नर्सिग होम में कमरों की संख्या रोगियों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त नर्सिग होम में कुछ और कमरों की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रारूप आठवीं पंचवर्गीय योजना में इस अस्पताल के उपचर्यागृह आवास में वृद्धि करने के लिए 76 कमरों का निर्माण करने का एक प्रस्ताव शामिल किया गया है ।

विकलांग व्यक्तियों को मकानों का आबंटन

6517. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अगस्त, 1989 में विकलांग व्यक्तियों को बारी से पहले मकान आवंटित करने के लिए आवेदन पत्र मांगे थे;

(ख) यदि हां, तो कितने विकलांग व्यक्तियों ने मकानों के लिए आवेदन किया था और उनमें से कितने व्यक्तियों को मकान आवंटित किए गए और क्या आवेदकों को इसकी सूचना दी गई;

(ग) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां इन विकलांग व्यक्तियों को मकान आवंटित किए गए हैं;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विकलांगों के लिए शहर के मध्य क्षेत्र में कुछ और मकानों का निर्माण करने का विचार है ताकि उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें और बस आदि से उन्हें कम से कम यात्रा करनी पड़े; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) 1530 व्यक्तियों ने आवेदन किया था। चार मामलों में आवंटन रोहिणी में किया गया है। एक मामले में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत फ्लैट का नियतन किया गया है लेकिन क्षेत्र नहीं बताया गया है। इन पांच आवेदकों को भी आवंटन/नियतन के बारे में बता दिया गया है। सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, वर्ष में आवंटित प्लाटों की कुल संख्या का अधिकतम ढाई प्रतिशत अत्यधिक कठिनाई तथा अनुकम्पा जैसे विधवा, शारीरिक रूप से विकलांग आदि के मामलों में बिना बारी के आधार पर आवंटन किया जा सकता है। तथापि, ऐसे बिना बारी के आवंटनों के लिए कोई विशिष्ट कालोनियां उधिष्ठ नहीं होती हैं क्योंकि संपूर्ण दिल्ली में फ्लैटों का निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की भांति विकसित करने का प्रस्ताव

6518. **श्री मदन लाल खुराना :**
श्री यशवंत राव पाटिल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल को विकसित करने तथा जनता को अच्छी सुविधाएं प्रदान करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस अस्पताल को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की भांति विकसित करने के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, नई दिल्ली, जिसमें फिलहाल 400 पलंग हैं, का विस्तार कार्य चल रहा है। हृदविज्ञान विभाग तथा गहन हृदय-परिचर्या यूनिट एवं प्रसूति सेवाएं कर्मचारियों के उपलब्ध होते तथा शेष निर्माण कार्य के पूरा होते ही शुरू कर दी जाएंगी। स्नायु-शल्य चिकित्सा, कार्डियो थेरासिक शल्य चिकित्सा, बर्न्स/प्लास्टिक शल्य चिकित्सा जैसे अति विशिष्ट विभाग अगली पंचवर्षीय योजना में शुरू करने का प्रस्ताव है। आधुनिक जुगतें (गैजेट्स) प्राप्त कर ली गई हैं और अस्पताल में इस्तेमाल की जा रही हैं। आधुनिक चिकित्सा उपकरण, जिनमें, होलबॉडी कैट स्कैन, टी० एम० टी० ईको, कार्डियोग्राम होल्टर मॉनिटर एवं आधुनिक वेन्टिलेटर शामिल हैं, प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है।

भारत सरकार मुद्रणालय के कर्मचारियों द्वारा सरकारी आवास को खाली करना

6519. **श्री मदनलाल खुराना** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिंटो रोड स्थित भारत सरकार के मुद्रणालय में कितने कर्मचारी हैं और उनमें से कितनों को सरकारी आवास आवंटित किया गया है;

(ख) इस समय प्रेस पूल में उपलब्ध मकानों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) जनवरी, 1986 से 31 अक्तूबर, 1989 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(घ) कितने सेवा निवृत्त कर्मचारियों ने आवास खाली कर दिए हैं तथा अन्य द्वारा आवास खाली न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आवास खाली करने वाले कर्मचारियों को मकान छोड़ने के नोटिस जारी किए गए हैं; और

(च) क्या प्रेस पूल से सामान्य पूल में स्थानांतरित किए मकानों को वापस प्रेस पूल में दे दिया गया है; और यदि नहीं, तो इस बारे में उठाए गए कदमों सहित तत्सम्बन्धी कारणों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) कुल मिलाकर 1971 कर्मचारी हैं सेवारत कर्मचारियों के कब्जे में 1038 क्वार्टर हैं। इसके अलावा, क्वार्टर (1) सेवा निवृत्त कर्मचारियों, (2) दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों, के कब्जे में, (3) न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के रोका देशाधीन, और (4) दिल्ली प्रशासन को अन्तरिक करने आदि के लिए भी उधिष्ट हैं।

(ख) श्रेणीवार क्वार्टरों की संख्या इस प्रकार है:—

टाइप I	367
टाइप II	684
टाइप III	127
टाइप IV	51
टाइप V	5

(ग) 366, जिनमें से 15 गैर आवन्टी थे।

(घ) और (ङ) 208 ने आवास छोड़ दिए हैं/खाली कर दिए हैं। निःसंदेह नियमानुसार क्वार्टर रखने की सामान्य अवधि अनुमेय करते हुए, जो व्यक्ति अभी भी क्वार्टर रखे हुए हैं; उन्हें क्वार्टर खाली करने के लिए पत्र जारी किए गए हैं। जिस मामले में आवश्यक होता है, उसमें लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत भी कार्रवाई की गई है।

(च) जी, नहीं। इन्हें वापस लेने की कार्रवाई की गई है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा उत्पादित वस्त्रों की भरमार

6520. **श्री एन० डेनिस** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा उत्पादित वस्त्रों की भरमार हो गई; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए अनुसंधान और विकास संस्थान

6521. **प्रो० पी० जे० कुरियन :**
श्री रमेश चेन्नीथाला :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय चिकित्सा पद्धति में और अधिक अनुसंधान केन्द्र खोलने का विचार है ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में केरल में किन्हीं संस्थाओं को कोई अनुदान दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वहां पर क्या कार्य किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । फिर भी सरकार ने आयुर्वेद और सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में केन्द्रीय अनुसंधान परिषदों की स्थापना की है और ये परिषदें समय-समय पर ऐसे प्रस्तावों पर विचार करती हैं ।

राष्ट्रीय श्रम संस्थान

6522. **श्री ए० के० राय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम विभाग और औद्योगिक न्यायाधिकरणों औद्योगिक विवादों को शीघ्र निपटाने के लिये हाल ही में एक कार्यशाला राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा प्रायोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सिफारिशें की गई थीं और उस पर क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां ।

(ख) गोष्ठी की कुछ सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

(i) अतिरिक्त औद्योगिक अधिकरणों और श्रम न्यायालय के मानदंड के अनुसार स्थापित करने के लिए उपाय किए जाएं;

(ii) पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों को शीघ्र ही भरा जाये;

(iii) औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन में अपनाई गई प्रक्रिया सरल होनी चाहिए तथा विवादों के शीघ्र निपटान के अनुकूल होनी चाहिए । इस उद्देश्य के लिये श्रम मन्त्रालय एक मैन्यूअल तैयार करे ।

(iv) पीठासीन अधिकारियों के लिये गोष्ठियां और कार्यशालाएं समय-समय पर आयोजित की जाएं ताकि औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के सिद्धांतों और उनकी प्रक्रियाओं के बारे में विचार-विमर्श किया जा सके ।

(v) संराधन मशीनरी को सुदृढ़ किया जाए ताकि पक्षक के बीच विवादों का निपटान हो सके और न्यायनिर्णयन प्रणाली पर बोझ कम हो।

गोष्ठी में न्यायनिर्णय पद्धति के गठन तथा उनके क्षेत्राधिकार के बारे में कुछ सुझाव भी दिए।

गोष्ठी की सिफारिशें राज्य सरकारों को परिचालित कर रही हैं। उन कुछ सिफारिशों को, जहां तक वे केन्द्रीय सरकार से संबंधित हैं, लागू करने के लिये कार्रवाई भी शुरू की गई है।

हथकरघा बुनकरों हेतु कल्याण योजनाएं

6523. **श्री अनादिचरण दास** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में हथकरघा बुनकरों के लिए शुरू की गई कल्याण योजनाओं अर्थात कार्य-स्थल-सह-आवास योजना और अंशदायी बचत निधि योजना के अन्तर्गत अब तक क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में निकट भविष्य में क्या विस्तार योजना बनाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क)

(i) **वर्कशेड सह आवास योजना** :

5380 वर्कशेड और 600 ग्रामीण आवास सह वर्कशेड

(ii) **अंशदायी थ्रिफ्ट निधि योजना** :

13,856 सहकरघा बुनकर

(ख) **वर्ष 1990-91 के लक्ष्य**

(i) 1,000 वर्कशेड

(ii) 16,656 हथकरघा बुनकर

कर्नाटक की बड़ी तथा मझोली सिंचाई परियोजनाएं

6524. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कार्यान्वयनाधीन बड़ी तथा मझोली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी-कितनी है; और

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (ग) कावेरी बेसिन से उन परियोजनाओं जिन पर अभी विवाद चल रहा है; को छोड़कर कर्नाटक की चालू बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(करोड़ रुपये/हजार हेक्टेयर)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत	सातवीं योजना के अन्त तक व्यय	1990-91 के संक्षेप रिकार्ड के अनुसार सिफारिश किया गया परिव्यय	चरम क्षमता	सातवीं योजना के अन्त तक सृजित किए जाने की संभावित क्षमता
1	2	3	4	5	6	7
बृहद परियोजनाएं						
चालू परियोजनाएं						
1.	अपर कृष्णा	1500	585.79	80.00	425	112.43
2.	तुंगभद्रा बायांतट नहर और बांध	112.41	93.09	6.00	244.38	242.41
3.	तुंगभद्रा दायांतट उच्च स्तरीय नहर	27.58	17.57	3.00	80.91	68.27
4.	घाटप्रभा चरण-III	370.50	106.66	20·00	178.06	25.34
5.	मालप्रभा	342.00	232.24	20.00	218.19	149.43
6·	कारजा	98.00	54.40	6.00	35.61	2.50
7.	बेनीथोरा	60.00	17.12	3.70	20.24	0.00
8.	वारही	70.00	2.14	0.00	15.70	0.00
9.	दुधगंगा (अन्तर्राज्यीय)	26.00	3.57	4.00	19.67	0.00
10.	हीप्पारगी	186.70	7.23	0·00	59.69	0.00
मध्यम परियोजनाएं						
चालू परियोजनाएं						
1.	मनचनेबल	27.67	19.15	2.00	3.85	1.15
2.	एफ सी से रानीकेरे	7.06	3.91	0.40	3.24	0.28
3.	बोटेहोल	23.07	19.37	1.75	7.49	5.24
4.	अघरजा	32.00	9.75	3.50	8.90	0.00

1 2	3	4	5	6	7
5. लोवर मुल्लामरी	31.45	5.83	1.00	7.71	0.00
6. चुल्कीनाला	19.45	3.76	3.00	4.05	0.00
7. मस्कीनाला	15.90	2.79	2.00	2.83	0.00
8. हीरा हाला	36.29	3.10	2.00	0.01	0.00

पंजाब में सिंचाई क्षमता

6525. **श्री कमल चौधरी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पंजाब में उपलब्ध सिंचाई सुविधाएं राष्ट्रीय स्तर की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो पंजाब में उक्त अवधि के दौरान अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की; और

(घ) सातवीं योजना अवधि के दौरान पंजाब में कुल कितनी अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) वर्ष 1986-87 तक समग्र देश के 30.7 प्रतिशत की तुलना में पंजाब के कुल बुआई क्षेत्र के लगभग 88.6 प्रतिशत की सिंचाई की गई थी।

(ग) और (घ) सातवीं योजना अवधि के दौरान पंजाब में प्राप्त की जाने वाली प्रत्याशित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता लगभग 2.3 लाख हेक्टेयर है।

सुवर्ण रेखा बहुद्देशीय परियोजना

6527. **श्री डा० अनात** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सुवर्ण रेखा बहुद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन में अब तक हुई प्रगति की कोई समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) परियोजना पर प्रगति की त्रैमासिक रूप से समीक्षा की जाती है। सितम्बर, 1989 तक सूचित की गई प्रगति चंडिल बांध पर 75%, ईचा बांध पर 26% तथा गलुडीह बराज पर 87% है। इसके साथ-साथ नहर कार्यों पर सूचित की गई प्रगति चंडिल बांया तट नहर पर 60% ईचा बांया और दांया तट नहरों पर क्रमशः 50% तथा 27% गलुडीह दांया तट नहर पर 53% और दांया एवं बांया तट नहरों पूर्व-खरकई बराज पर 42% है।

उत्तर प्रदेश में बीड़ी मजदूर

[हिन्दी]

6528. **श्री मित्र सेन यादव** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बीड़ी मजदूरों की संख्या कितनी है; और

(ख) उन्हें शोषण से बचाने के लिए तथा उनके रहन-सहन और सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) उत्तर प्रदेश में बीड़ी कर्मकारों की अनुमानित संख्या 4.50 लाख है।

(ख) बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 को विशेष रूप से बीड़ी प्रतिष्ठानों में नियोजित कर्मकारों की काम की दशाओं को विनियमित करने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम को राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है। बीड़ी प्रतिष्ठानों और कर्मकारों को अन्य अनेक लाभ प्रद कानूनों जैसे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 आदि की परिधि में लाया गया है।

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अन्तर्गत, चिकित्सा, आवास, शैक्षिक, मनोरंजन और परिवार कल्याण सुविधाएं बीड़ी कर्मकारों को उत्तर प्रदेश में भी प्रदान की जाती हैं। उत्तर प्रदेश में, मुफ्त चिकित्सा इलाज प्रदान करने के लिए ग्यारह औषधालय स्थापित किए गए हैं और गुरु-सहायगंज में 10 बिस्तरों वाले अस्पताल को मंजूरी दी गई है। कैंसर, टी० बी०, कुष्ठ रोग और मानसिक बीमारियों से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों के लिए प्रोटोटाइप योजनाएं लागू की जा रही हैं। वर्ष 1988-89 में बीड़ी कर्मकारों के 2724 बालकों को 8,99,940 रु. की राशि छात्र वृत्ति के रूप में दी गई और स्कूल वर्दी की खरीद के लिए बीड़ी कर्मकारों के 700 बालकों को 35,000 रु. की राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी गई।

भारतीय जनसंख्या परियोजना

[अनुवाद]

6529. **श्री रमेश चेन्नीथाला** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जनसंख्या परियोजना के कार्यान्वयन के लिए देश में कितने जिलों का चयन किया गया है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का इस कार्यक्रम में और जिलों को शामिल करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राशिद आलम) : (क) भारत जनसंख्या परियोजनाएं विश्व बैंक की सहायता से देश के 36 जिलों में आरम्भ की गई हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में राज्यव्यापी आधार पर लागू करने के लिए छठी राष्ट्रीय परिवार कल्याण प्रशिक्षण और जनशक्ति विकास जनसंख्या परियोजना (आई. पी. पी.-VI) स्वीकृत की गई है। विश्व बैंक से बिहार, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों में सातवीं राष्ट्रीय प्रशिक्षण और जनशक्ति विकास जनसंख्या परियोजना (आई. पी. पी.-VII) के लिए सहायता देने का अनुरोध किया गया है।

केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान का विस्तार

6531. **श्री रमेश चेन्नीथाला** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवोथामापुरम, कोट्टायम, केरल में केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संस्थान की अनुसंधान सम्बन्धी गतिविधियां कम करने का है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस निर्णय के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान (सी. आर. आर. एच.), कोट्टायम, मधुमेह, एलर्जिक रोगों और व्यवहारात्मक विकारों के अनुसंधान काम में लगी हुई है। केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद की वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एस. ए. सी.) ने यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, कोट्टायम को व्यवहारात्मक विकारों से सम्बन्धित समस्याएं सौंपी जाएं। बहरहाल मौजूदा अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों को कम नहीं किया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

सेवा निवृत्त व्यक्तियों को रोजगार

6532. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन सुपर बाजार सहित निगमित क्षेत्र में तथा परामर्शदात्री संगठनों में काम कर रहे सेवा-निवृत्त व्यक्तियों को ब्यौरा क्या है;

(ख) इन व्यक्तियों को काम पर लगाने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे सभी व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) इस मंत्रालय के प्रशासनिक

नियंत्रण के तहत आने वाले निगमित क्षेत्र तथा परामर्शदात्री संगठनों, जिनमें सुपर बाजार, दिल्ली शामिल है, में कार्य कर रहे सेवानिवृत्त व्यक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) इन संगठनों में की गई अधिकांश नियुक्तियां अन्तरिम व्यवस्था के रूप में हैं और जैसे ही उपयुक्त व्यक्तियों की भर्ती होगी, उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। तथापि, कुछ मामलों में कार्य की अत्यावश्यकता के कारण सेवा निवृत्त अधिकारियों को अल्पकालिक अथवा अंशकालीन आधार पर नियुक्त किया गया है।

विवरण

क्र० सं०	व्यक्तियों की संख्या क्रमानुसार	से	तक	पदनाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1. भारतीय खाद्य निगम (1 व्यक्ति)	1	1-11-89 से	30-4-90 तक	भूतपूर्व प्रबन्धक (संचलन)	रेलवे के साथ तालमेल करने के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया।
2. केन्द्रीय भांडागार निगम (3 व्यक्ति)	1	4-1-90 से	3-7-90 तक	परामर्शदाता (कन्टेनर कार्गो डेवलपमेंट)	कन्टेनर फ्रेट स्टेशन, जवाहर लाल नेहरू पत्तन, नई बम्बई में माल के रख रखाव का कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया।
	2	3-7-89 से	2-7-90 तक	वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (लेखा)	वाणिज्यिक लेखाओं तथा साथ ही कन्टेनर फ्रेट सेवा स्टेशन के साथ जुड़े सरकारी लेखाओं से संबंधित कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया।
	3	20-1-89 से	20-9-90 तक	परामर्शदाता	सम्पर्क कार्य तथा भर्ती नियमों को युक्तियुक्त बनाने से सम्बन्धित कार्य के लिए नियुक्त किया गया।

1	2	3	4	5	6
3. हिंदुस्तान वेजिटेबल आयल्स कारपोरेशन (3 व्यक्ति)	1	अप्रैल, 89 से जून, 90 तक		परामर्श-दाता जांच अधिकारी	हिंदुस्तान वेजिटेबल आयल्स कारपोरेशन में जांच (अनुशासनिक) कार्रवाई के लिए नियुक्त किया गया।
	2	मार्च, 89 से अगले आदेशों तक		सचिवालय अधीक्षक	पदधारी के स्थान पर उपयुक्त व्यक्ति के कार्य ग्रहण करने तक।
	3	फरवरी, 90 से जुलाई, 90 तक		तकनीकी पर्यवेक्षक	संयंत्रों के बारे में अध्ययन करने तथा प्रबन्धकों को रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया।
4. सुपर बाजार दिल्ली (5 व्यक्ति)	1	1-1-90 से अगले आदेशों तक		लेखा व वित्त नियन्त्रक	पूर्व पदधारी के परावर्तन के बाद काफी समय तक पद खाली रहा। अतः पद को दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक अर्हता प्राप्त सेवानिवृत्त लेखाकार को प्रतिनियुक्ति पर लेकर 1-1-90 से भर लिया गया।
	2	1-1-1986 से आगे		वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	नियुक्ति सुपर बाजार के भूतपूर्व अध्यक्ष के कार्यकाल पर्यन्त तक के लिए थी। सुपर बाजार की प्रबंध समिति 17-4-90 को पुनर्गठित की गयी है। नई प्रबंध समिति इस बारे में निर्णय करेगी।
	3	17-3-76 से आगे		अंशकालिक मेडीकल प्रैक्टिशनर	कार्य के स्वरूप को देखते हुए अंशकालिक नियुक्ति की गई है।
	4	1-1-81 से आगे		—वही—	

1	2	3	4	5	6
	5	1-5-1985 से आगे		प्रबंधकों का प्रतिनिधि तथा श्रम संबंधी अधिकारी	पदधारी के स्थान पर उपयुक्त व्यक्ति के कार्य ग्रहण करने तक ।

चीनी का मूल्य

[हिन्दी]

6533. **श्री रामदास सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत महीने सभी राज्यों में, विशेष रूप से बिहार में चीनी के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) से (घ) सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों के कारण हाल ही में खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में वृद्धि हुई है। अतः सरकार ने अप्रैल के लिए मुक्त बिक्री की अतिरिक्त 50,000 मीटरी टन स्वदेशी चीनी निर्मुक्त की है जिससे इस मास के लिए निर्मुक्त की गई चीनी की कुल मात्रा बढ़कर 6.00 लाख मीटरी टन हो गई है जबकि अप्रैल, 1989 में 4.50 लाख मीटरी टन मात्रा निर्मुक्त की गई थी। इसके अलावा, मई, 1990 के लिए 6.50 लाख मीटरी टन मुक्त बिक्री की चीनी निर्मुक्त की गई है जबकि मई, 1989 में 5.00 लाख मीटरी टन की मात्रा निर्मुक्त की गई थी। इसके परिणामस्वरूप मूल्यों में पहले ही गिरावट आ गई है।

केरल को सेला चावल

[अनुवाद]

6534. **श्री रमेश चेन्नीथाला** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल को सेला चावल की सप्लाई में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम का स्टाक की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए यथा सम्भव राज्य सरकारों की किस्मवार पसंद के अनुसार चावल मुहैया करने का प्रयास रहता है।

बीड़ी श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा की सुविधायें उपलब्ध कराना

6535. **श्री कैलाश मेघवाल :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बीड़ी श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा योजना उन बीड़ी विनिर्माता प्रतिष्ठानों पर पहले से ही लागू है जो बिजली से चलाए जाते हैं और 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करते हैं या बिना बिजली से चलाए जाते हैं तथा 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करते हैं और उन क्षेत्रों में स्थित हैं जहां कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कार्यान्वित कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हुडको योजना, 1979 के अन्तर्गत फ्लैटों का मूल्य

6536. **श्री प्रतापराव बाबूराव भोंसले :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "न्यू पैटर्न हुडको स्कीम" वर्ष 1979 में शुरू की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक श्रेणी के फ्लैटों के लिए कितना मूल्य निर्धारित किया गया था तथा वास्तव में कितना मूल्य वसूल किया गया है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) 1979 में घोषित योजना के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

1979 में घोषित मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

मध्यम आय वर्ग	42,000 रुपये
निम्न आय वर्ग	18,000 रुपये
जनता	8,000 रुपये

विवरण के पैरा 13 में स्पष्ट कहा गया है कि ये कीमतें सांकेतिक मात्र हैं और अन्तिम लागत नहीं दर्शाती हैं। मार्च, 1990 को वास्तविक आधार पर अन्तिम लागत इस प्रकार थी :—

मध्यम आय वर्ग	1.80 लाख रुपये से 2.28 लाख रुपए तक
निम्न आय वर्ग	0.95 लाख रुपए से 1.17 लाख रुपए तक
जनता	0.54 लाख रुपए से 0.83 लाख रुपए तक

कीमतों में वृद्धि का कारण सामान की लागत में सामान्य तीव्र वृद्धि, हुडको पैटर्न के अन्तर्गत विनिदेशों में सुधार तथा फ्लैटों के कुर्सी क्षेत्र में वृद्धि है।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित किए जाने वाले फ्लैटों के इच्छुक खरीदारों की नवीन पद्धति पंजीकरण योजना

योजना का उद्देश्य :

1. इस योजना का नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण को "नवीन पद्धति पंजीकरण योजना-1979" होगा। यह योजना मध्यम आय वर्ग/निम्न आय वर्ग तथा जनता फ्लैटों की कीमत कम करने के लिए बनाई गई हैं ताकि ये आम व्यक्ति की पहुंच के भीतर हों। भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रणाली को सरल बनाया गया है।

पंजीकरण की अवधि

2. पंजीकरण 1 सितम्बर, 1979 को आरम्भ होगा और 30 सितम्बर, 1979 को बन्द हो जाएगा।

पात्रता की शर्तें :

3. आवेदक का दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में या तो स्वयं अपने नाम या अपनी पत्नी/अपने पति या अपने नाबालिग या आश्रित बच्चों या आश्रित माता पिता या नाबालिग भाईयों और बहिनों के नाम लीज होल्ड या फ्री होल्ड आधार पर पूर्ण या आंशिक रूप से अपना स्वयं का कोई रिहायशी मकान या प्लाट नहीं होना चाहिए। तथापि, यदि संयुक्त स्वामित्व वाले प्लाट या रिहायशी मकान के अन्तर्गत भूमि में आवेदक का व्यक्तिगत भाग 75 वर्ग गज से कम हैं, तो फ्लैट के आवंटन के लिए आवेदन पर विचार किया जा सकता है। आवंटन के मामले में, फ्लैट का उपयोग आवंटी द्वारा अपने स्वयं के निवास के लिए किया जाएगा। तथापि जिन व्यक्तियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 75 वर्ग गज से कम क्षेत्र का मकान या प्लाट आवंटित किया गया है वे भी पंजीकरण के पात्र नहीं होंगे।

4. आवेदक भारत का नागरिक हो।

5. आवेदक वयस्क हो।

6. फ्लैटों के आवंटन में निम्नलिखित श्रेणियों के लिए आरक्षण होगा :—

(क) 25% फ्लैट नितान्तः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है;

(ख) 1% फ्लैट शारीरिक रूप से विलकांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है;

(ग) 1% फ्लैट युद्ध के दौरान मारे गए रक्षा कार्मिकों की विधवाओं के लिए आरक्षित है;

(घ) 1% फ्लैट भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है।

यदि उपर्युक्त वर्गों से अपेक्षित संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं, तो गैर आरक्षित वर्गों के व्यक्तियों को फ्लैटों की पेशकश की जाएगी।

7. आवेदकों को निम्न प्रकार से राशि जमा करानी होगी :—

श्रेणी	आय सीमा	पंजीकरण जमा	
		सामान्य	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति
	रु.	रु.	रु.
मध्यम आय वर्ग	7201 से 18000 तक	4500	3500
निम्न आय वर्ग	4201 से 7200 तक	1500	1200
जनता	4200 तक	250	200

8. इस योजना के प्रयोजनार्थ आवेदक की वित्तीय वर्ष 1978-79 की आय पर विचार किया जाएगा। तथापि, पंजीकरण से पूर्व की आय या सेवानिवृत्ति के वित्तीय वर्ष की आय को भी विशिष्ट श्रेणी फ्लैट के लिए पात्रता हेतु शामिल किया जा सकता है।

आय का अर्थ वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिए पति/पत्नी या उसके अवयस्क तथा या आश्रित बच्चे या आश्रित माता-पिता या आश्रित अवयस्क बहिनों की वार्षिक आय है (गृह किराया भत्ता छोड़कर)।

9. इस योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का आवंटन लाटरी जैसे स्व-वित्त पोषित योजना द्वारा किया जाएगा। सभी आवेदक जिन्होंने सितम्बर, 1979 तथा 30 सितम्बर, 1979 के बीच पंजीकरण कराया है, समान वरिष्ठता के पात्र होंगे।

10. इस पंजीकरण योजना के अन्तर्गत फ्लैट आवंटित करने के मामले में 40 मध्यम आय वर्ग फ्लैट नकद खरीद आधार पर तथा 60% फ्लैट किराया खरीद आधार पर आवंटित किए जाएंगे। निम्न आय वर्ग/जनता फ्लैटों को 25% नकद खरीद आधार पर तथा 75% किराया खरीद आधार पर बेचा जाएगा।

11. किराया खरीद आधार पर आवंटित फ्लैटों के मामले में भूमि की कीमत जमा फ्लैट की शेष कीमत का 20% आवंटन के समय प्राथमिक धरोहर के रूप में वसूल किया जाएगा तथा शेष राशि को मध्यम आय वर्ग के मामले में 7 वर्षों में, निम्न आय वर्ग के मामले में 10 वर्ष तथा जनता फ्लैटों के मामले में 15 वर्षों की मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा।

12. फ्लैट की कीमत के अलावा तथा फ्लैट के अन्तर्गत भूमि की भूमि किराया के रूप में प्रथम दो वर्षों के लिए एक रुपए प्रति वर्ष की दर से तथा तत्पश्चात भूमि के प्रीमियम पर $2\frac{1}{2}\%$ प्रतिवर्ष की दर से आवंटिती द्वारा प्राधिकरण को अदा करना होगा। यह दर 30 वर्षों में संशोधित की जाने की शर्त पर है।

आवास तथा फ्लैट की अनुमानित लागत

13. नये पैटर्न के अन्तर्गत निर्मित फ्लैट का कुर्सी क्षेत्र इस प्रकार होगा :—

मध्यम आय वर्ग	60 से 65 वर्ग मीटर के बीच
निम्न आय वर्ग	लगभग 38 वर्ग मीटर
जनता	24 वर्ग मीटर तक

विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत फ्लैटों में रिहायशी स्थान निम्न प्रकार से होगा :—

मध्यम आय वर्ग	एक कमरा बैठक का, सोने वाले दो कमरे, रसोई, स्नान-घर, तथा डब्ल्यू० सी० और खुला आंगन ।
निम्न आय वर्ग	2 कमरे, रसोई, स्नान घर और डब्ल्यू० सी० ।
जनता	एक कमरा, रसोई, स्नानघर तथा डब्ल्यू० सी० ।

इस योजना के अन्तर्गत निर्मित फ्लैटों की सम्भावित लागत इस प्रकार होगी :—

मध्यम आय वर्ग	42,000 रु०
निम्न आय वर्ग	18,000 रु०
जनता	8,000 रु०

यह कीमतें सांकेतिक हैं और अन्तिम लागत नहीं दर्शाती है ।

14. यह ध्यान में रखा जाए कि विवरणिका में दर्शायी गई फ्लैटों की कुर्सी क्षेत्र तथा आकलित मूल्य दर्शानी है और ले आऊट, निर्माण लागत इत्यादि की अपेक्षाओं पर आधारित संशोधन/परिवर्तन किए जा सकते हैं ।

15. आवंटन के लिए फ्लैट दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में बनाये जा रहे हैं । इस समय विकासपुरी (बोडेला), शालीमार बाग, पीतमपुरा, जनकपुरी, गुलाबी बाग, बजीरपुर, हरीनगर, लारेन्स रोड इत्यादि में बनाये जाएंगे ।

16. जब भी जहां भी आवंटन के लिए मकान बनकर तैयार हो जायेंगे समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाएगा । केवल पंजीकृत व्यक्ति ही निर्धारित प्रपत्र में अपने पंजीकृत प्रमाण पत्र की संख्या के तथा जमा रसीद संख्या इंगित करते हुए आवेदन करने के लिए पात्र होगा ।

कैसे आवेदन करें :—

17. पंजीकरण के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र (अनुबन्ध-I) चालान की एक प्रति सहित बैंक ड्राफ्ट काउन्टर नं० 4, विकास मीनार, नई दिल्ली पर देना होगा ।

18. आवेदन, पंजीकरण राशि को दिल्ली में बैंक की निम्नलिखित शाखाओं में चालान अनुबन्ध-II (चार प्रतियों में) के द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के खाते में जमा करवाएगा ।

भारतीय स्टेट बैंक

1. चांदनी चौक
2. कमला नगर
3. रूप नगर
4. आजादपुर
5. पंजाबी बाग
6. करोल बाग
7. दक्षिणी पटेल नगर
8. तिलक नगर
9. जनकपुरी
10. इन्द्रपुरी
11. नारायणा
12. रामकृष्णपुरम
13. मालवीया नगर
14. लाजपत नगर (रिंग रोड)

15. कालका जी
16. ग्रीन पार्क एक्सटेंशन
17. पार्लियामेंट स्ट्रीट (मुख्यालय)
18. पार्लियामेंट स्ट्रीट (भुगतान कार्यालय)
19. फ्रेंड्स कालोनी
20. दिल्ली कैंट
21. शाहदरा
22. विकास मीनार
23. इन्द्रप्रस्थ स्टेट
24. जहांगीरपुरी
25. मायापुरी
26. मदनगीर
27. बजीरपुर इन्डस्ट्रीयल एरिया
28. पुराना रोहतक रोड

सिंडीकेट बैंक

1. बिजवासन
2. नरेला
3. हैदरपुर

सेन्ट्रल बैंक

1. बदरपुर
2. घोंडा
3. पटपडगंज

पंजाब नेशनल बैंक

1. देवनगर
2. हरीनगर
3. सिविल लाइन्स
4. नजफगढ़ गांव
5. ओखला इन्डस्ट्रीयल एरिया
6. त्रिनगर
7. कोटला मुबारक पुर
8. विजय नगर
9. महरौली

18. चालान की मूल प्रति और दूसरी प्रति बैंक द्वारा रखी जाएगी और तीसरी और चौथी प्रति बैंक द्वारा जमाकर्ता को वापिस कर दी जाएगी। जमा कराई गई राशि के प्रमाण के रूप में आवेदनकर्ता, आवेदन पत्र के साथ चालान की तीसरी प्रति संलग्न करे। वह चालान की चौथी प्रति अपने पास संभाल कर रखे ताकि जमा राशि वापिस लेने या रिहायशी एकक की कीमत के साथ जमा राशि के समायोजन, जैसा भी मामला हो, के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जा सके। बैंक लेखे से जमा की प्राप्ति पर लेखा अधिकारी (आवास) दिल्ली विकास प्राधिकरण के हस्ताक्षर से जमा की रसीद जारी की जाएगी।

19. वे आवेदनकर्ता जो दिल्ली से बाहर से आवेदन पत्र भेज रहे हैं, वे दिल्ली विकास प्राधिकरण के पक्ष में जो नई दिल्ली में देय होगा, बैंक ड्राफ्ट भेज सकते हैं। स्थानीय लोग भी जमा राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेज सकते हैं।

20. प्रत्येक आवेदनकर्ता जिसका नाम इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत है, को पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसमें पंजीकरण संख्या और जमा राशि का उल्लेख होगा।

21. राशि कम से कम एक वर्ष के लिए जमा होगी। जिस पर प्रतिवर्ष 7% की दर से ब्याज मिलेगा। विशेष परिस्थितियों और वित्त सलाहकार (आवास) दिल्ली विकास प्राधिकरण के सम्पूर्ण स्वविवेक के सिवाय एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व जमाराशि की निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। नियत जमा प्राप्ति और ब्याज

के बारे में सभी प्रकार के पत्राचार लेखा अधिकारी (आवास) से करे।

तथापि, जमाकर्ता को यह विकल्प होगा कि वह प्रत्येक वर्ष ब्याज प्राप्त करें या उन्हें आवंटित किए जाने वाले रिहायशी एकक पर अन्तिम रूप से इसे समायोजित कराए। बाद की स्थिति में वह चक्रवृद्धि ब्याज का पात्र होगा अर्थात उनकी जमा राशि पर अर्जित साधारण ब्याज पर भी ब्याज अनुमेय होगा। इस प्रकार जो चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें तब तक ब्याज वापिस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक रिहायशी एकक का आवंटन नहीं हो जाता। अपवादस्वरूप मामलों में, जिनमें उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी गई है, वे सम्पूर्ण अवधि के लिए केवल साधारण ब्याज के पात्र होगे। जो रिहायशी एकक के आवंटन से पूर्व और राशि के जमा करने के एक वर्ष पश्चात जमा राशि निकालते हैं, उक्त दर पर केवल साधारण ब्याज के हकदार होंगे।

22. पंजीकरण के समय पर आवेदकों की पात्रता की जांच करना संभव नहीं है। जो व्यक्ति पात्र नहीं है, अपने जोखिम पर पंजीबद्ध होंगे और फ्लैट के आवंटन अथवा उनकी जमा राशि पर कोई ब्याज, अगर वे पंजीकृत भी है, के पात्र नहीं होंगे।

23. दिल्ली विकास प्राधिकरण की अन्य योजनाओं में पंजीकृत व्यक्ति, अपने पंजीकरण की इस विवरणिका में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन इस योजना के अन्तर्गत परिवर्तित करा सकते हैं। इस योजना में अन्तरण के लिए विकल्प केवल इस पंजीकरण की अवधि तक खुला है और एक बार विकल्प देने के पश्चात कोई और परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

24. आवंटिती द्वारा फ्लैट के लिए भुगतान उनके द्वारा पंजीकरण के समय जमा कराई गई राशि और ब्याज यदि कोई हो, को समायोजित करने के पश्चात किया जाएगा।

25. ड्रा में सफल आवेदक के मामले में देय/समायोज्य ब्याज उस तिथि तक का होगा, जिस तिथि को विशिष्ट फ्लैट हेतु ड्रा निकाला जाता है।

26. उपर्युक्त निबंधनों और शर्तों का सामान्यत: अनुसरण किया जाएगा परंतु, दिल्ली विकास प्राधिकरण को उनमें से किसी को भी अपने स्व-निर्णय में जब कभी भी आवश्यक समझे, परिवर्तित करने का अधिकार है।

27. जमाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि समय-समय पर उनके पते में परिवर्तनों को लेखा अधिकारी (आवास) तथा प्रतिलिपि उप निदेशक (आवास I) को तारीखों सहित जमा रसीद और पंजीकरण संख्या का हवाला देते हुए, संप्रेषित करें।

28. यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति किसी भी कालोनी में फ्लैट प्राप्त करता है अथवा फ्लैट छोड़ देता है/अपेक्षाओं का अपालन करता है, उसे फ्लैट आवंटन करने की दिल्ली विकास प्राधिकरण की बाध्यता को पूरा कर दिया गया माना जाएगा।

29. इस पंजीकरण योजना के अंतर्गत किए जाने वाले आवंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवास समुदायों का प्रबंध और निपटान) विनियम, 1968 द्वारा प्रशासित होंगे।

राशन कार्ड जारी करना

6537. **श्री प्रतापराव बाबूराव भोंसले** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राशन कार्ड आवेदकों को एक निश्चित समयावधि के अन्दर राशन कार्ड जारी किए जाने के बारे में कुछ अनुदेश विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली के सभी परिमण्डल कार्यालयों में इन अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भी ऐसे ही अनुदेश जारी करने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली प्रशासन ने यह सूचित किया है कि मौजूदा अनुदेशों के अनुसार यदि आवेदन के साथ आवास का प्रमाण और कार्ड वापिस किए जाने, नाम कटाने का प्रमाण हो तो खाद्य कार्ड तत्काल जारी कर दिया जाता है।

आवास के प्रमाण के लिए, किराए की रसीद, आवंटन-पत्र, बिजली/पानी/टेलीफोन बिल, मकान कर की रसीद या मकान मालिक से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र जैसे कोई दस्तावेजी प्रमाण हो सकते हैं जिन मामलों में आवास के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं दिया जाता है वहां आवेदक के आवास के बारे में तथ्यों की जांच के बाद खाद्य कार्ड जारी किया जाता है।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि दिल्ली के सभी मण्डल कार्यालयों में इन अनुदेशों का पालन किया जा रहा है।

(ङ) और (च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रशासन, जिसमें प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेना शामिल है, की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों की है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन क्षेत्रीय रोग निदान जांच केन्द्र

6538. **श्री प्रतापराव बाबूराव भोंसले** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन कितनी क्षेत्रीय रोग निदान जांच केन्द्र (क्लिनिकल पैथालॉजी) चल रहे हैं;

(ख) इस संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का ब्यौरा क्या है और विभिन्न नैदानिक नमूनों को स्वीकार करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न जोनों में ऐसे और केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) दो क्षेत्रीय क्लीनिकल प्रयोगशालाएं केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन कार्य कर रही हैं।

(ख) इन प्रयोगशालाओं में निम्नलिखित पैथोलॉजिकल परीक्षण किए जाते हैं—

(i) मूत्र की सामान्य परीक्षा, एल्बुमिन, शर्करा के लिए मूत्र, आर० बी० सी० पस्सेल, क्रस्ट्स, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट्स और एसिटोन के लिए माइक्रोस्कोपिक।

(ii) ओवल क्रस्ट ट्राफोजायट्स, पस्सेल्स, आर० बी० सी० और बोल्ड परीक्षणों के लिए मल।

(iii) एच० बी० डब्ल्यू० बी० सी०, टी० एल० ओ०, डी० एल० सी०, ई० एस० आर० के लिए रक्त की जांच, शर्करा, यूरिया और कोलेस्ट्रोल के लिए रक्त (नीच रसायन)।

इन परीक्षणों के अतिरिक्त, केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना पॉलिक्लिनिकों में स्थित प्रयोगशालाएं भी निम्नलिखित परीक्षण कर रही हैं—

(क) गर्भावस्था परीक्षणों के लिए मूत्र;

(ख) प्रसवपूर्व मामलों में ए० बी० ओ०, आर० एच० समूहीकरण के लिए रक्त;

(ग) रक्ताल्पता और एम० पी० तथा माइक्रोफाइलेरिया जैसे हेप्रासाइट्स की टाइपिंग हेतु आर० बी० सी० मार्फोलॉजी के लिए रक्त।

इन प्रयोगशालाओं में ये नमूने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में कार्यरत विशेषज्ञों/चिकित्सा अधिकारियों के मांगपत्रों पर स्वीकार किए जाते हैं।

(ग) और (घ) वित्तीय संगठनों के कारण ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उड़ीसा को लेवी चीनी का आवंटन

6539. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान उड़ीसा को महीने-वार कितनी लेवी चीनी आवंटित की गई;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1989-90 में उड़ीसा को आवंटित लेवी चीनी की मात्रा आवश्यकता से कम थी; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 में उड़ीसा को आवंटित की जाने वाली लेवी चीनी की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) और (ख) आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के अधीन पहली फरवरी, 1987 से प्रभावी 1-10-1986 को स्थिति के अनुसार परियोजित जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति मासिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एकसमान मानदण्ड के आधार पर राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को लेवी चीनी आवंटित की जाती है। तदनुसार उड़ीसा के लिए लेवी चीनी का मासिक कोटा 12393 मीटरी टन है।

(ग) चीनी के वर्तमान अनुमानित उत्पादन और उपलब्धता की दृष्टि में फिलहाल राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए लेवी चीनी के आवंटनों के मानदण्डों में संशोधन करना संभव नहीं होगा।

वनस्पति के लिए हल्की श्रेणी वाले खाद्य तेल

6540. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वनस्पति के निर्माण में हल्की श्रेणी के खाद्य तेलों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन तेलों को अधिक समय तक प्रयोग करने से कैंसर हो सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का वनस्पति के निर्माण में हल्की श्रेणी के खाद्य तेलों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) जहां तक खाद्य तेलों का संबंध है, हल्की श्रेणी के खाद्य तेल जैसा कोई तेल नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

किराए की मत्स्यन नौकाओं के संबंध में प्राप्त आवेदनों का निपटान

6541. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने किराए की मत्स्यन नौकाएं लगाने के संबंध में अगस्त, 1989 में प्रस्ताव आमंत्रित किए थे;

(ख) यदि हां, तो किराए की मत्स्यन नौकाओं के संबंध में आवेदन करने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं; और

(घ) शेष प्रस्तावों को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) किराया जांच समिति द्वारा सभी प्रस्तावों पर विचार किया गया था। अब तक कोई आशय पत्र जारी नहीं किया गया है।

विवरण

उन कंपनियों की सूची जिन्होंने मत्स्यन नौकाएं किराये पर लेने के लिए आवेदन किया है

1. सिन्धुरी सी फूड्स (प्रा०) लि० हैदराबाद।
2. सुनन्दा सी फूड्स (प्रा०) लि०, उदयपुर।

3. विजेता फिशरीज (प्रा०) लि०, हैदराबाद ।
4. तरन्या सी फूड्स (प्रा०) लि०, हैदराबाद ।
5. फारवर्ड फिशरीज (प्रा०) लि०, हैदराबाद ।
6. कृतिका फिशरीज, मद्रास ।
7. डेल्टा फिशरीज, मद्रास ।
8. प्रियंश सी फूड्स (प्रा०) लि०, विशाखापत्तनम ।
9. वन्दना इन्जीनियरिंग कंपनी (प्रा०) लि०, विजाग ।
10. इयप्पा फिशरीज, मद्रास ।
11. विजय सी लाइनर, मद्रास ।
12. श्रीनिवास फिशरीज, मद्रास ।
13. प्रेम सागर इन्टरप्राइजिज, मद्रास ।
14. ट्रिटन इण्डिया, नई दिल्ली ।
15. विजेता मैरिन्स (प्रा०) लि०, विशाखापत्तनम ।
16. चान्दना फिशरीज (प्रा०) लि०, विशाखापत्तनम ।
17. मोबी डिक सी. फूड्स लि०, हैदराबाद ।
18. सीमैन फिशरीज लि०, मद्रास ।
19. रॉयल फिशरीज हैदराबाद ।
20. ट्रिडैन्ट फिशरीज, मद्रास ।
21. शक्ति मैरिन्स, मद्रास ।
22. सिन्धु सी फूड्स, मद्रास ।
23. ब्राइनलाइन फिशरीज, नई दिल्ली ।
24. सरस्वती सी फूड्स, नई दिल्ली ।
25. मुलगढ़ा मैरिन्स (प्रा०) लि०, विशाखापत्तनम ।
26. अनुग्रह फिशरीज (प्रा०) लि०, मद्रास ।
27. मनास सी फूड्स (प्रा०) लि०,
28. ओसिएनिक फूड्स दिल्ली ।
29. कोल इण्डिया, नई दिल्ली ।
30. आशिमा सी फूड्स (प्रा०) लि०, नई दिल्ली ।
31. मडाला मैरीन्स (प्रा०) लि० हैदराबाद ।

32. सी मैक्स सी फूड्स (प्रा०) लि० हैदराबाद ।

33. जल पुष्प सी फूड्स (प्रा०) लि० विशाखापट्टनम ।

34. मोरेसा एंटरप्राइजेज, त्रिवेन्द्र ।

35. माहेश्वरी फिशरीज (प्रा०) लि० आंध्र प्रदेश ।

36. संदीप फिशरीज (प्रा०) लि० आंध्र प्रदेश ।

37. कावेरी मैरीन्स, मद्रास

38. जारा फिशरीज, मद्रास ।

39. वैगाई फिशरीज, मद्रास ।

40. जे० आर० एडवेंचरर्स, मद्रास ।

41. आंध्र प्रदेश फिशरीज कारपोरेशन लि०, हैदराबाद ।

42. काम्पूरथ मैरीन्स, कोचीन ।

43. हिंदुस्तान फिशिंग एक्सपोर्ट, नई दिल्ली ।

44. तमिलनाडु फिशिरीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० मद्रास ।

45. रीवा इलेक्ट्रोनिक्स (प्रा०) लि० दई दिल्ली ।

46. श्री कुमारन् फिशरीज (प्रा०) लि०, मद्रास ।

47. रींगा मैरीन कंसलटेंट्स एण्ड सर्वेयर्स, मद्रास ।

48. पोन्नी मैरीन्स, मद्रास ।

49. ई० एस० पी० मैरीन्स, मद्रास ।

50. आर० एस० मैरीन्स, नई दिल्ली ।

51. मानबुबानी इण्डस्ट्रीज, मद्रास ।

52. डायमण्ड सी फूड्स (प्रा०) लि० मद्रास ।

53. एल० बी० मैरीन्स (प्रा०) लि० विशाखापट्टनम ।

54. सीरी सी० प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि० विशाखापट्टनम ।

55. लक्ष्मी प्रसून मैरीन इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि० विशाखापट्टनम ।

56. डब मैरीन एक्सपोर्ट (प्रा०) लि० विशाखापट्टनम ।

57. इण्डस फूड्स लि , हैदराबाद ।

58. आरिएंटल फिशरीज (प्रा०) लि० ।

59. हकीम मैरीन्स मद्रास ।

60. सी ट्रक्स (प्रा०) लि० कोचीन ।

61. सी किंग्स फिशरीज, मद्रास ।
62. महासागर फिशरीज (प्रा०) लि० गुन्टूर ।
63. राजा फिशरीज (प्रा०) लि० गुन्टूर ।
64. सरवनस फिशरीज मद्रास ।
65. सेवन फिशरीज, मद्रास ।
66. अश्विनी एग्रो एंटरप्राइजेज (प्रा०) लि० काकीनाडा (आ० प्र०) ।
67. पी०जी०बी०सी० फूड्स (प्रा०) लि० विशाखापट्टनम ।
68. यू० प्रिंट्स, नई दिल्ली ।
69. थाई फिशरीज, मद्रास ।
70. टोकाज फूड्स एण्ड मैरीन्स लि०, नई दिल्ली ।
71. पी०ए०सी० फूड्स, मद्रास ।
72. सी पर्ल्स फिशरीज (प्रा०) लि० मद्रास ।
73. कुमारन फिशरीज, बेल्लूर ।
74. कर्स फिशरीज (प्रा०) लि० टूटीकोरीन ।
75. रवीना एण्ड एसोसिएट्स (प्रा०) लि० नई दिल्ली ।
76. यूनिवर्सल फूड्स (प्रा०) लि० नई दिल्ली ।
77. संगम फिशरीज, दिल्ली ।
78. वरुण एग्रो प्रोटीन्स लि०, नई दिल्ली ।
79. गुरू सी फूड्स, मद्रास ।
80. एंकर मैरीन एण्ड कैमिकल्स (इण्डिया) (प्रा०) लि०, नई दिल्ली ।
81. एक्वा मैरीनर्स, नई दिल्ली ।
82. नेपच्यन सेल्स नई दिल्ली ।
83. पशुपति इन्टरनेशनल (प्रा०) लि० ।
84. टूना इण्डिया ।
85. दुर्गा मैरीन एक्सपोर्टर्स, विजयवाड़ा ।
86. शशि एंटरप्राइजेज, मद्रास ।
87. डाल्फिन एंटरप्राइजेज, नई दिल्ली ।
88. वेस्टर्न वाटरक्राफ्ट एण्ड फिशिंग (प्रा०) लि० विशाखापट्टनम ।
89. सुपर मैरीन, नई दिल्ली ।

90. सीफेयरर फिशरीज, मद्रास ।
91. वसुन्धरा ओशिएन प्राडक्ट्स (प्रा०) लि० विशाखापट्टनम ।
92. ईस्ट वेस्ट इन्टरनेशनल होटल्स (प्रा०) लि० गोवा ।
93. एक्वेरिअस फिशरीज (प्रा०) लि० गोआ ।
94. चारू फूड्स (प्रा०) लि० मद्रास ।
95. गीता सर्विसिज (प्रा०) लि० नई दिल्ली ।
96. लक्ष्मी मैरीन इण्डस्ट्रीज, नई दिल्ली ।
97. द्वीप सी वेंचर्स (प्रा०) लि० सिकन्दराबाद ।
98. सवरन सी फूड्स, मद्रास ।
99. प्रान मैग्नेट (प्रा०) लि० विशाखापट्टनम ।
100. गाइटेक मैरीन कारपोरेशन, मद्रास ।
101. ओशिएशन मैरीन एंटरप्राइजेज, मद्रास ।
102. आर० के० फिशरीज, नई दिल्ली ।
103. कुमार फिशरीज, हैदराबाद ।
104. वी० आई० पी० मैरीन्स, (प्रा०) लि० तमिलनाडु ।
105. ओवरसीज फिशरीज लि० गुन्टूर, आंध्र प्रदेश ।
106. रोन फिशरीज, केरल ।
107. मेरिन एसोसिएट्स, नई दिल्ली ।
108. फ्रेस्ट एम० ट्रफ्स, नई दिल्ली ।
109. सीनू फिसिंग (प्रा०) लि०, विशाखापत्तनम ।
110. सीता सी फूड्स (प्रा०) लि० काकिनाडा ।
111. श्री पंचजन्य मेरीन प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि०, काकीनाडा ।
112. पट्टावेश मेरीन्स, मद्रास ।
113. होनरुक फिशरीज, नई दिल्ली ।
114. ए० आर० बधान, जालंधर, पंजाब ।
115. बेबी मेरीन्स, काकीनाडा ।
116. श्री विजय सागर फूड्स (प्रा०) लि०, विशाखापत्तनम ।
117. टारगेट मेरीन्स एंड इंजीनियर्स (प्रा०) लि०, नई दिल्ली ।
118. वेदुल्लापल्ली सी फूड्स (प्रा०) लि०, हैदराबाद ।

119. चौडाइमान मेरीन (प्रा०) लि०, मद्रास ।

120. अंकर फिशरीज एंड सी फूड्स लि०, नई दिल्ली ।

121. ए० बी० एम० फूड एंड मेरीन प्रोडक्ट्स, नई दिल्ली ।

122. ग्रीनफील्ड इन्टरप्राइजेज, बंगलौर ।

123. पेलिकान फिशरीज, नई दिल्ली ।

124. स्वान सी फूड्स, नई दिल्ली ।

125. अलंकार मेरीन, (प्रा०) लि०, मद्रास ।

126. वाड्वुडायल सी फूड्स, मद्रास ।

127. टूना फिशिंग कंपनी, दिल्ली ।

128. रीबा इन्टरप्राइजेज, पंजाब ।

129. इंटेग्रेटेड इन्टरनेशनल, उत्तर प्रदेश ।

130. रेवती मेरीन्स, मद्रास ।

131. सोफोस इण्डिया, मेरठ ।

132. ग्रास मेरीन ऐजेन्सी, कुड्डालोर ।

133. सारथ सी फूड्स, मद्रास ।

134. जे० के० एण्ड कम्पनी, मद्रास।

135. इन्दु ओवरसीज, कारपोरेशन, मद्रास ।

136. सरस्वती फिशरीज, मद्रास ।

137. भुवनेश्वरी मेरीन्स, मद्रास ।

138. गल्फ मेरीन्स, मद्रास ।

139. मेरमेड फिशरीज, गुन्तूर (आन्ध्र प्रदेश) ।

140. बानू एक्सपोर्ट्स, मद्रास ।

141. बालाराम इन्टरप्राइजेज, मद्रास ।

142. सागरिका मेरीन्स, मद्रास ।

143. किंग्स मेरीन, मद्रास ।

144. यश बी० मेरीन्स, मद्रास ।

145. ब्ल्यू डायमंड, नई दिल्ली ।

146. श्री लक्ष्मी बालाजी सी प्रोडक्टस, आन्ध्र प्रदेश ।

147. मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि०, नई दिल्ली ।

148. मुदारू सी फूड्स (प्रा०) लि०, हैदराबाद ।

149. एस० ए० आई० इन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली ।

150. सिद्दिका मेरीन्स, मद्रास ।

151. निशा सी फूड्स, मद्रास ।

152. मनीपल्ली मेरीन प्रोडक्टस, आन्ध्र प्रदेश ।

153. मदुरा मेरीन्स, मद्रास ।

154. साहूबन मेरीन्स, मद्रास ।

155. बाल्ली मेरीन्स, मद्रास ।

156. सिलवर फिशरीज (प्रा०) लि०, बम्बई ।

157. एस० एस० सेठ इन्टरप्राइजेज, बम्बई ।

158. न्यू सेंचुरी इन्टरप्राइजेज, मद्रास ।

159. उद्यम फिशरीज, मद्रास ।

160. मंजू सागर इन्टरप्राइजेज, मद्रास ।

161. निक्कू फिशरीज, नई दिल्ली ।

162. दीप सी फूड एक्सपोर्ट, दिल्ली ।

163. चोलन इन्टरप्राइजेज, मद्रास ।

164. सदर्न मेरीन एक्सपोर्ट, मद्रास ।

165. वैलडन सी फूड्स, मद्रास ।

166. यूनीक फिशरीज, मद्रास,

167. प्रगति इन्टरनेशनल, नई दिल्ली ।

168. नाजिया फिशरीज, मद्रास ।

169. ब्ल्यू स्काई इन्टरप्राइजेज, शिमला ।

170. श्री हनुमत बालाजी आयल्स (प्रा०) लि०, हैदराबाद ।

171. मयूरी फिशरीज, मद्रास ।

172. अगरावनम कंस्ट्रक्शन कम्पनी (प्रा०) लि०, बंगलौर ।

173. फिश कैच, नई दिल्ली ।

174. श्री वेंकटेश्वर ब्रिक्स एंड बिल्डिंग मैटीरियल इण्डस्ट्रीयल को-आपरेटिव सोसायटी लि० हैदराबाद ।

175. इन्दु ओवरसीज कारपोशन, मद्रास ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बंधुआ मजदूर

6542. **श्री परशराम भारद्वाज :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरों के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन पूर्वोत्तर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास संबंधी योजनाएं लागू की गई हैं; और

(ग) इन क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों में बंधुआ श्रमिकों के होने की सूचना नहीं दी गई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम को शॉ एण्ड वालेस और वीडियोकॉन लिमिटेड पर बकाया देय धनराशि

6543. **श्री कड़िया मुंडा :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शॉ एण्ड वालेस लिमिटेड और वीडियोकॉन लिमिटेड कम्पनियां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के संबन्धित प्राधिकारियों के पास धनराशि जमा नहीं करा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन कम्पनियों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पास जमा करायी गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) मैसर्स शॉ वालेस लि० की दो विनिर्माण यूनिटें हैं, एक कलकत्ता में और दूसरी हैदराबाद में है । इन दोनों यूनिटों के बारे में क० रा० बी० अंशदान को नियमित रूप से जमा किया जा रहा है । मैसर्स वीडियोकॉन लिमिटेड औरंगाबाद क० रा० बी० अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता है क्योंकि यह ऐसे क्षेत्र में आता है जहां क० रा० बी० योजना को अभी तक लागू नहीं किया गया है । तथापि, बम्बई में मैसर्स वीडियोकॉन के एक प्रतिष्ठान को क० रा० बी० अधिनियम के अन्तर्गत 1-4-1989 से अनंतिम रूप से लाया गया है । व्याप्ति के बारे में सूचना कम्पनी को 9-3-1990 को भेज दी गई है । इस यूनिट से अनुपालन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

शॉ एण्ड वैलेस लिमिटेड और विडियोकोन कम्पनी लिमिटेड पर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

6544. **श्री कड़िया मुण्डा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शॉ एण्ड वैलेस लिमिटेड और विडियोकोन कम्पनी लिमिटेड संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालयों में राशि जमा नहीं करा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालयों में गत तीन वर्षों के दौरान जमा

कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बकाया राशियों की वसूली हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नई दिल्ली स्थित वसन्त कोंटिनेन्टल के निकट दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

6545. **श्री सी० एम० नेगी** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली स्थित वसन्त कोंटिनेन्टल के निकट बेशकीमती भूमि के एक बड़े भूखंड पर चारों ओर कांटेदार तार लगाकर अनधिकृत कब्जा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस अनधिकृत कब्जे को खाली कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वसन्त कोंटिनेन्टल होटल के समीप सरकारी भूमि पर उसके संरक्षण के लिए तथा इसके विकास के लिए अपनी ओर से तार की बाड़ लगाई है। वहां किसी को नए अतिक्रमण की सूचना नहीं है ।

रेशम उत्पादन हेतु बांज वन

6546. **श्री सी० एम० नेगी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश से पौड़ी गढ़वाल का खिरसू ब्लाक विश्व के सबसे बड़े बांज वनों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस क्षेत्र में बांज टसर रेशम के उत्पादन हेतु परियोजनाओं की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो रेशम उत्पादन हेतु विस्तृत बांज वन का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) उत्तर प्रदेश में 3,00,000 हैक्टेयर के कुल क्षेत्र में बीज के पेड़ लगे हुए हैं, यह क्षेत्र गढ़वाल, पिथौरागढ़, चमोली उत्तरकाशी. टेहरी, नैनीताल और अलमोड़ा में फैला हुआ है जिसमें खिरसू ब्लाक भी शामिल है।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश में जिसमें गढ़वाल क्षेत्र भी शामिल है, गहन बांज बागान की उपलब्धता को महसूस करते हुए केन्द्रीय रेशम बोर्ड, उत्तर प्रदेश के रेशम उत्पादन विभाग के समन्वय से राज्य में बांज टसर के विकास कृषि के उद्देश्य से विशिष्ट ग्रामों को अभिज्ञात करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण कर रहा है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राज्य में आवश्यक अनुसंधान विकास करने तथा

बांज टसर उद्योग को विस्तार सहायता देने के लिए पहले से ही क्षेत्रीय टसर अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया हुआ है।

भारत में निर्मित औषधियों का आयात

6547. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत देश में किस-किस प्रकार की औषधियां आयात करने की अनुमति है;

(ख) क्या देश में निर्मित एलोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों प्रकार के औषधों तथा भेषजों को भी आयात करने की अनुमति दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) भारत सरकार, वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित आयात और निर्यात नीति (खंड-1) की सूची 3 परिशिष्ट 6 में जीवन रक्षक और कैंसर रोधी औषधियों को आयात करने की अनुमति दी गई है। वस्तुतः औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम औषध की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने का कानून है।

(ख) और (ग) जीवन रक्षक और कैंसर रोधी औषधें जो कि इस देश में तैयार नहीं की जाती या देश की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त मात्रा में प्राप्त नहीं हैं उन्हें खुले सामान लाइसेंस के अन्तर्गत आयात करने के लिए आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

वनस्पति इकाइयों को खाद्य तेल

6548. **श्री राम दास सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति उद्योगों को आयातित खाद्य तेलों के आबंटन के लिए क्या मानदंड और नियम निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) इस वर्ष के दौरान जिन वनस्पति इकाइयों को आयातित खाद्य तेल दिए जाने का विचार है, उनका ब्यौरा क्या है तथा यदि किसी वनस्पति इकाइयों को कार्य सूची में रखा गया है, तो ऐसी इकाइयां कौन-कौन सी हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान, वनस्पति उद्योग को आयातित तेल का कोई आबंटन नहीं किया जा रहा है।

पंजाब में मंड क्षेत्र का विकास

[हिन्दी]

6549. **स० अतिन्दर पाल सिंह** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के "टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग विंग" ने मंड क्षेत्र तथा ब्यास और सतलज नदियों के बीच एवं इसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है;

(घ) क्या इस योजना पर वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान कार्य आरम्भ हो जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पंजाब सरकार को कितनी धनराशि आबंटित की गयी है और

(च) यदि नहीं, तो इस योजना पर कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा और इस सम्बन्ध विलम्ब होने के क्या कारण है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (च) ब्यौरे एकत्र किए जा रहे तथा इन्हें सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

फरक्का में "नैविगेशनल लॉक गेट"

[अनुवाद]

6550. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का में नैविगेशनल लॉक गेट" किस वर्ष चालू हो गया था;

(ख) क्या इस गेट के चालू होने के समय से ही इसका नौवहन के प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) वर्ष 1987 ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

फरक्का बांध परियोजना

6551. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध परियोजना की सुरक्षा और इसके सुचारू रूप से कार्य करने के लिए नए निर्माण कार्य को आवश्यक समझा गया है, जैसाकि वर्ष 1987 में तैयार किए गए दूसरे संशोधित प्राक्कलन में अनुमान लगाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो शुरू किए जाने वाले नये निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अनुमानत: कितना खर्चा वहन करना पड़ेगा ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) भयंकर बाढ़ों के कारण हुई क्षति को दूर करने के लिए अपेक्षित तट सुरक्षा कार्यों के वास्ते दूसरे संशोधित अनुमान में लगभग 44 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ।

पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में बीड़ी कामगारों के लिए अस्पताल

6552. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में बीड़ी कामगारों के लिए एक अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अन्तर्गत, पश्चिम बंगाल में 11 औषधालय और एक चैस्ट क्लीनिक स्थापित किया गया है । यह भी निर्णय लिया गया है कि मुर्शिदाबाद जिले में धुलियान में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल स्थापित किया जाए ।

केरल में नारियल जटा सम्बन्धी श्रमिकों के लिए आवास

6553. **श्री टी० बशीर** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से एक योजना प्राप्त हुई है, जिसमें नारियल-जटा सम्बन्धी श्रमिकों की आवास व्यवस्था के लिए राज सहायता मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) केरल सरकार ने सूचित किया है कि नारियल जटा सम्बन्धी श्रमिकों के लिए आवास हेतु केन्द्रीय सरकार के आर्थिक सहायतार्थ केन्द्रीय सरकार को कोई अनुरोध नहीं भेजा गया है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योग

6554. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित ऐसे उद्योगों का, जिनके लिए कच्चे माल के स्रोत इनके निकट ही उपलब्ध हों तथा जहां रोजगार के अवसर पैदा हो सकें, आय अर्जित हो सके और जिससे शहरी क्षेत्र की ओर लोगों के पलायन को रोका जा सके, पता लगाने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की सम्भावना के बारे में कोई आंकलन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकासार्थ 1990-91 के लिए कुछ प्लान स्कीमें तैयार की हैं। फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों, मांस प्रसंस्करण उद्योगों, समुद्री मत्स्य उद्योग तथा पैकेजिंग उद्योग आदि सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों के विकासार्थ समय-समय पर कई अध्ययन किए जाते हैं ।

कर्नाटक बंक सिंचाई परियोजना के लिए विश्व बंक से सहायता

6555. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक टोंक सिंचाई परियोजना विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब आरम्भ की गई थी; और

(ग) इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु अब तक विश्व बैंक से प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (ग) वर्ष 1981-89 के दौरान 54 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व बैंक सहायता से कर्नाटक टोंक सिंचाई परियोजना क्रियान्वित की जा रही थी। इस परियोजना के लिए ऋण सहायता पूरी तरह उपयोग किए जाने के बाद 31-3-1989 को समाप्त हो गई थी।

मानव शरीर के रोगों का पता लगाने के लिए नई तकनीक

6556. **श्री पी० पेंचालैया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ब्रिटिश विशेषज्ञों ने मानव शरीर के रोगों का पता लगाने के लिए नये तरीके विकसित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें हमारे देश के अस्पतालों में अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) यह बात भारत सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कपूरथला भू-खंड

6557. **श्री टी० बशीर** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में कपूरथला भू-खंडों को केरल सरकार को वापस करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निरंतर मांग की जाती रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन भू-खंडों को कब तक वापस किया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कपूरथला प्लाट के कुल 6.05 एकड़ में से 2.164 एकड़ भूखंड पहले ही केरल सरकार को सौंप दिया गया है। शेष क्षेत्र में दिल्ली पुलिस की सुरक्षा लाइनें स्थित हैं। इस भूमि को केरल सरकार को सौंपना, दिल्ली पुलिस द्वारा इसे खाली करने पर निर्भर है, जिसके लिए कोई निश्चित समय देना सम्भव नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों का उपलब्ध होना

6558. **श्री टी० बशीर :**

श्री हरिभाऊ शंकर महाले :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में वहां उपलब्ध चिकित्सकों की संख्या संतोषजनक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस असंतुलन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकारी ढांचे के अन्तर्गत विशेषज्ञों सहित 21006 चिकित्सा अधिकारी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं जो औसतन लगभग 28,200 की ग्रामीण आबादी को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत इन चिकित्सा अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य निजी चिकित्सा व्यवसायी भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जिनमें भारतीय चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध पद्धतियों के चिकित्सक भी शामिल हैं।

राज्य सरकारों पर ग्रामीण क्षेत्रों में और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने के अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए जोर दिया गया है ताकि सामान्य क्षेत्र में प्रति 30,000 की और आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति 20,000 की आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रतिमान को प्राप्त किया जा सके।

गैर-मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज

6559. श्री टी० बशीर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐसे अनेक मेडिकल कालेज हैं जिन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद ने मान्यता प्रदान नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मान्यता प्राप्त किए बिना मेडिकल कालेजके रूप में चल रहे इन कालेजों के छात्रों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) सरकार का इस पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) विश्वविद्यालयों या मेडिकल संस्थानों, जिनसे मेडिकल कालेज सम्बद्ध होते हैं, द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाती है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद यह सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल कालेजों का निरीक्षण करती है कि वे परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों का पालन कर रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत आयुर्विज्ञान परिषद आवश्यकता पड़ने पर किसी खास कालेज की मान्यता समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध कर सकती है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार कुछ मेडिकल कालेज सभी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं।

(ग) छात्रों ने इन मेडिकल कालेजों में यह अच्छी तरह जानते हुए प्रवेश लिया है कि ये कालेज भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं। बहर-

हाल, जिन विश्वविद्यालयों से ये कालेज सम्बद्ध हैं, उनकी मेडिकल डिग्रियां मान्यता प्राप्त हैं, इसलिए इन कालेजों से डिग्रियां प्राप्त करने या संबंधित राज्य में चिकित्सा व्यवसाय करने में उम्मीदवारों को कोई कठिनाई नहीं है।

(घ) सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को पहले ही सूचित कर दिया है कि देश में भारी संख्या में अर्हताप्राप्त चिकित्सकों की उपलब्धता को देखते हुए उन्हें नये मेडिकल कालेज नहीं खोलने चाहिए। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद भी देश में नए मेडिकल कालेज खोलने के विरुद्ध राज्य सरकारों को सलाह देने के संबंध में संकल्प पारित करती रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक संसद के समक्ष है जिसमें नए मेडिकल कालेजों को खोलने से पहले भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और भारत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने संबंधी उपबंध का भी प्रस्ताव है।

अनुसूचित जातियों के निर्धन लोगों को आरक्षण के लाभ

6560. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित आरक्षण के लाभ अनुसूचित जातियों के ही निर्धन लोगों को नहीं पहुंच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का आरक्षण के लाभ प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जातियों के अमीर लोगों एवं निर्धन लोगों के बीच कोई अन्तर निर्धारित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उपमंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) से (ग) संविधान में प्रदान किए गए सुरक्षोपायों, जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी सेवा में आरक्षण शामिल है, का उद्देश्य दर्जे तथा अवसर में समानता लाना है। प्रशासन का यह प्रयास रहा है कि छात्रवृत्तियों, विशेष प्रशिक्षण इत्यादि जैसी उपयुक्त शैक्षिक रियायतों के माध्यम से आरक्षित श्रेणियों में अति योग्य व्यक्तियों को प्रभावी शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार किया जाए। इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप अत्यन्त असुरक्षित तथा आश्रित क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण नीति से लाभ प्राप्त हुआ है। यह भी कथनीय है कि सरकार के आर्थिक सहायता/गरीबी उन्मूलन प्रयासों के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सतत आधार पर गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए सहायता दी जा रही है।

हरीशचन्द्र सागर परियोजना के लिए धनराशि का आबंटन

6561. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के झालावाड़ जिले में हरीशचन्द्र सागर मध्यम सिंचाई परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ अब तक उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित करने का विचार है;

(घ) क्या इस आबंटन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) (क) 17.93 करोड़ रुपए (1989 के मूल्य स्तर पर)।

(ख) राज्य योजना के अन्तर्गत प्रदान किए गए 5.91 करोड़ रुपए के अतिरिक्त लगभग 0.2 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता प्रदान की गई।

(ग) वर्ष 1990-91 के लिए राज्य की योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय प्रशिक्षण परियोजना के अन्तर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण

6562. **श्री के० एस० राव** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय प्रशिक्षण परियोजना के अन्तर्गत महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु एक त्वरित कार्यक्रम प्रारम्भ कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केवल महिलाओं के लिए ही अनेक नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों में कितने-कितने ऐसे संस्थान खोले जाएंगे ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने तथा उनमें विविधता लाने के लिए विश्व बैंक सहायता से राष्ट्रीय प्रशिक्षण परियोजना के अंतर्गत उपयुक्त योजनागत स्कीमें तैयार की गई हैं। इन योजनाओं में 100 नए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/विंगों की स्थापना करने और 64 वर्तमान महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/विंगों में नए व्यवसाय शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने पर बल दिया गया है। यह सहायता उपकरणों, कर्मचारियों, प्रशिक्षण सामग्री तथा सिविल निर्माण कार्यों के लिए होगी। केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान/क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए व्यवसायों के सुदृढ़ीकरण और विविधीकरण के अतिरिक्त चार और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, मुख्यालय, में महिला प्रशिक्षण सैल का दर्जा बढ़ाने और उसे सुदृढ़ करने का भी प्रस्ताव है।

(ग) जी, हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

महिलाओं के राज्यवार नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/विंगों का खोलना

क्र०	राज्य का नाम	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	13
2.	असम	3
3.	गुजरात	4
4.	हरियाणा	5
5.	केरल	5
6.	मध्य प्रदेश	10
7.	उत्तर प्रदेश	9
8.	पश्चिम बंगाल	4
9.	महाराष्ट्र	9
10.	बिहार	8
11.	कर्नाटक	10
12.	तमिलनाडु	5
13.	राजस्थान	4
14.	उड़ीसा	6
15.	पंजाब	5
		100

पंजाब में कताई वाले मिलों की अधिष्ठापित क्षमता का कम उपयोग

[हिन्दी]

6563. स० अतिन्दर पाल सिंघ : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में कताई से संबंधित मिलों में उनकी अधिष्ठापित क्षमता से कम क्षमता का उपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन मिलों के नाम क्या हैं जिनमें अधिष्ठापित क्षमता से कम क्षमता का उपयोग किया जा रहा है और जिनका उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम हो रहा है, और इसका मिल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग न करने के क्या कारण हैं;

(ख) इन मिलों को पूरी क्षमता का उपयोग करने में समर्थ बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं और ये मिलें कब तक ऐसा करने में समर्थ हो जायेंगी; और

(ङ) चालू वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का मिल-वार ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और जैसे ही यह तैयार हो जाएगी सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) सरकार ने कोई मिल-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है ।

पंजाब में उत्पादित कपास का उपयोग

6564. **स० अतिन्दर पाल सिंह** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब में उत्तम किस्म का सबसे अधिक कपास का उत्पादन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी कोई व्यापक योजना तैयार की है ताकि कपास की राज्य में ही पूरी खपत की जा सके;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी कोई व्यापक योजना लागू करने का है जिसके अन्तर्गत पंजाब में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तम कोटि के सूती कपड़ों का उत्पादन किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो पंजाब में बड़े टेक्सटाइल उद्योग न लगाये जाने और राज्य के किसानों को उनके उत्पादन का पूरा लाभ न पहुंचाने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) पंजाब, देश में छोटे/मध्यय स्टेपल की रूई का सर्वाधिक उत्पादन करता है ।

(ख) और (ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) सरकार स्थान संबंधी मौजूदा मानदण्डों और अन्य नीतियों के अनुसार सभी राज्यों में वस्त्र उद्योगों की स्थापना की अनुमति देती है ।

राजस्थान में झालावाड़ और धौलपुर जिलों में मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनायें

[अनुवाद]

6565. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान के झालावाड़ और धौलपुर जिलों में आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कुछ मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत और सिंचाई क्षमता का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) (क) और (ख) आठवीं योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, तथापि, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उनका झालावाड़ जिले में लगभग 16 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सहित लगभग 20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की चौली, पिपलाद और गुलन्दी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और आठवीं योजना में धौलपुर जिले में लगभग 8 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता वी 11 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की लोअर पार्वती मध्यम सिंचाई परियोजना शुरू होने का प्रस्ताव है;

पंजाब में भूमि अधिग्रहण के बदले में रोजगार देना

6566. **श्री बाबा सुच्चा सिंह** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब तथा चण्डीगढ़ में शहरी विकास के लिए अधिगृहीत की जा रही भूमि के मालिकों के पुनर्वास हेतु यदि कोई योजना बनाई गई है तो वह क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनकी भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप उत्पन्न रोजगार के अवसरों में इन्हें रोजगार देने हेतु कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) (क) से (घ) ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं तथा सभापटल पर रख दिया जाएगा।

दक्षिण के राज्यों को चावल

6567. **श्री श्रीकांत वत्स नरसिंहराज वाडियर** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण के अनेक राज्यों ने अपने चावल-कोटा के आवंटन में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के आवंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार-उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों सहित राज्यों से उनके मासिक आवंटनों में वृद्धि करने विषयक अनुरोधों पर ऊपर उल्लिखित तथ्यों की पृष्ठभूमि में विचार किया जाता है।

अधिक खाद्य प्रसंस्कररण उद्योगों की स्थापना

[हिन्दी]

6568. **स० अतिन्दर पाल सिंघ** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में, विशेषकर आगामी पंचवर्षीय योजना के

दौरान कुछ और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या सरकार का विचार मुर्गी पालन और अंगूर पर आधारित उद्योग स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो ये उद्योग कब तक और कहां-कहां स्थापित करने का प्रस्ताव है, और परियोजनावार उत्पादन और खपत का अनुमान कितना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे उद्योग स्थापित न करने के क्या कारण है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अन्य उद्योगों के अलावा फलों (अंगूरों सहित) पर आधारित उद्योगों तथा मुर्गी पालन उद्योग के विकास हेतु 1990-91 के लिए कुछ प्लान स्कीमें तैयार की हैं। स्थापना स्थल या समय सीमा के बारे में बिल्कुल ठीक-ठीक कुछ कह पाना संभव नहीं है क्योंकि यह विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों की प्रतिक्रिया पर निर्भर होगा।

राजस्थान की लहासी सिंचाई परियोजना

[अनुवाद]

6570. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कोटा की लहासी सिंचाई परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) इस परियोजना के कार्यान्वयन के वास्ते वर्ष 1990-91 के लिए कितनी धनराशि आबंनित की गई है अथवा करने का विचार किया गया है; और

(घ) क्या यह परियोजना आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण हो जाएगी ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) राजस्थान सरकार ने आठवी योजना में इस परियोजना को शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) परियोजना को 5.45 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के लिए मार्च, 1982 में परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकार्य पाया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा सूचित नवीनतम अनुमानित लागत 10.02 करोड़ रुपए है।

(ग) शून्य।

(घ) जी, हां।

"मीडियम स्टेपल कॉटन" का निर्यात

6571. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान "मीडियम स्टेपल काटन" का निर्यात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न देशों को "मीडियम स्टेपल कपास" की कुल कितनी गांठें निर्यात करने का विचार है; और

(ग) भारतीय रुई निगम द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 1989-90 के रुई मौसम के दौरान निर्यात के लिए 24.5 मि० मीटर और उससे अधिक लम्बे स्टेपल की (जिसमें मध्यम स्टेपल भी शामिल है) रुई की 5.25 लाख गांठों का कोटा रिलीज किया है।

(ग) 12 अप्रैल, 1990 तक भारतीय कपास निगम ने उसको आबंटित किए गए 24.5 मि० मीटर और उससे अधिक लम्बे स्टेपल की रुई की 2.90 लाख गांठों में से 2.08 लाख गांठें निर्यात के लिए पंजीकृत की हैं तथा 0.32 लाख गांठों का लदान कर दिया है।

चावल की खरीद और आबंटन

6572. **श्री के० एस० राव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मांग को पूरा करने तथा केन्द्रीय पूल के आरक्षित भंडार में आई कमी की भरपाई करने के लिए प्रतिवर्ष अनुमानतः चावल की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार चावल की कितनी मात्रा में खरीद की गयी; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्यों को कितनी मात्रा में चावल दिया गया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल की आवश्यकता वर्ष-प्रति-वर्ष भिन्न-भिन्न होती है। तथापि, सरकार की बफर स्टाक रखने की नीति के अनुसार सरकारी एजेन्सियों द्वारा 5 मिलियन मीटरी टन चावल का बफर स्टाक रखा जाना चाहिए। यह बफर स्टाक परिचालन स्टाक के अलावा होना चाहिए, जोकि वर्ष की विभिन्न तारीखों को पहली अक्तूबर को निम्नतम 1.5 मिलियन मीटरी टन और वर्ष की पहली जनवरी को उच्चतम 5.9 मिलियन मीटरी टन होगा।

(ख) विवरण 1 संलग्न है, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

(ग) विवरण 2 संलग्न है, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

विवरण 1

1986-87 से 1988-89 के विपणन मौसमों के दौरान चावल (चावल के हिसाब से धान समेत) की राज्यवार वसूली।

(हजार मीटरी टन)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1471	1517	1481
अरुणाचल प्रदेश	1	नग०	—

1	2	3	4
असम	13	7	5
बिहार	—	—	15
गुजरात	—	—	—
हरियाणा	678	319	674
जम्मू तथा कश्मीर	23	6	6
कर्नाटक	121	66	123
मध्य प्रदेश	459	279	284
महाराष्ट्र	नग०	नग०	नग०
उड़ीसा	123	68	134
पंजाब	4278	3361	2857
राजस्थान	20	20	21
तमिलनाडु	887	564	754
उत्तर प्रदेश	1015	607	1216
पश्चिम बंगाल	49	64	97
चण्डीगढ़	8	7	12
दिल्ली	—	—	3
पांडिचेरी	10	9	10
अखिल भारत	9156	6894	7692

नग० 500 मीटरी टन से कम

विवरण 2

1987 से 1989 के वर्षों के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल के किए गए आबंटन को बताने वाला विवरण ।

(हजार मीटरी टन में)

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	आबंटन 1987	आबंटन 1988	आबंटन 1989
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1165.0	845.0	850.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	68.5	78.9	87.9

1 2	3	4	5
3. असम	530.0	440.0	420.0
4. बिहार	345.0	200.0	150.0
5. गोआ	51.75	52.2	47.1
6. गुजरात	390.0	420.0	350.0
7. हरियाणा	42.0	38.0	30.0
8. हिमाचल प्रदेश	78.0	67.5	78.0
9. जम्मू तथा कश्मीर	305.0	277.0	245.0
10. कर्नाटक	675.0	610.0	510.0
11. केरल	1660.0	1550.0	1270.0
12. मध्य प्रदेश	330.0	250.0	310.0
13. महाराष्ट्र	720.0	750.0	675.0
14. मणिपुर	58.5	66.0	78.0
15. मेघालय	108.0	114.0	116.0
16. मिजोरम	79.0	83.0	90.0
17. नागालैंड	92.0	105.0	88.0
18. उड़ीसा	255.0	325.0	312.5
19. पंजाब	18.0	18.0	15.0
20. राजस्थान	30.0	48.0	39.2
21. सिक्किम	54.0	55.0	54.0
22. तमिलनाडु	600.0	725.0	605.0
23. त्रिपुरा	167.0	152.0	151.63
24. उत्तर प्रदेश	635.0	510.0	405.0
25. पश्चिम बंगाल	1500.0	1070.0	810.0
26. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	12.0	15.0	19.5
27. चण्डीगढ़	6.0	6.0	5.0
28. दादर तथा नगर हवेली	2.3	3.6	6.0
29. दमन और दीव	2.25	5.4	5.45
30. दिल्ली	300.0	300.0	260.0
31. लक्षद्वीप	5.5	5.5	5.5
32. पांडिचेरी	23.0	30.0	25.0
जोड़ :	10307.80	9215.1	8113.78

आटा मिलों को लाइसेंस देना

[हिन्दी]

6573. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान देश में आटा मिलों की स्थापना के लिए राज्य वार कितने लाइसेंस जारी किए गए ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : रोलर फ्लोर मिलिंग उद्योग को 1986 में लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है, और इसलिए ऐसे मामलों को छोड़कर जहां प्रस्तावित स्थापना स्थल सरकार की स्थापना स्थल संबंधी नीति में आता है, आटा चक्की लगाने के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है । पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में केवल एक लाइसेंस जारी किया गया था ।

अनधिकृत वाणिज्यिक निर्माण

6574. **श्री राम सागर** (सैंदपुर) : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनधिकृत वाणिज्यिक निर्माण हटाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन महीनों में कितने अनधिकृत निर्माण हटाए गए; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) वाणिज्यिक निर्माणों सहित अवैध संरचनाओं को हटाने का कार्य स्थानीय निकायों द्वारा इस विषय पर प्रचलित कानूनों तथा नीतियों के अनुसार स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है ।

गत तीन महीनों के दौरान कुल 290 अनधिकृत वाणिज्यिक निर्माणों को स्थानीय निकायों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्रों में हटाया गया था ।

राष्ट्रीयकृत कोयला उद्योग के साथ विवादों को निपटाने में असफलता

[अनुवाद]

6575. **श्री ए० के० राय :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को राष्ट्रीयकृत कोयला उद्योग से सम्बद्ध विवादों को निपटाने की असफलता संबंधी मिली रिपोर्टों का वर्षवार और कम्पनी वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) न्यायालय को सौंपे गए, रद्द किए गए और तीन महीनों से अधिक समय से लम्बित पड़े विवादों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

कम्पनी का नाम	प्राप्त संराधन विफलता रिपोर्टें			न्यायनिर्णयन को निर्दिष्ट किए गए मामले ×			न्यायनिर्णय के लिए अस्वीकृत मामले ×			31-12-89 को तीन माह से अधिक समय से लम्बित मामले
	1987	1988	1989	1987	1988	1989	1987	1988	1989	
भारत कोकिंग कोल लि०	337	288	240	164	131	107	214	159	88	
सेंट्रल कोल-फील्ड्स लि०	76	72	53	73	16	29	37	15	20	
ईस्टर्न कोल-फील्ड्स लि०	137	93	71	118	67	68	85	39	27	
कोल माइंस प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टी-ट्यूट लि०	—	—	—	2	—	—	—	—	1	31
कोल इंडिया लिमिटेड	—	3	15	1	1	6	—	—	4	
साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड	27	58	50	29	28	54	9	13	23	
वेस्टर्न कोल-फील्ड्स लि०	84	69	130	76	44	57	4	8	35	
नार्दर्न कोल-फील्ड्स लि०	4	6	3	4	1	4	—	—	2	
कुल	665	589	562	467	288	325	349	234	200	

× इनमें पहले वर्ष के दौरान प्राप्त संराधन विफलता रिपोर्टें शामिल हैं।

धनबाद में औद्योगिक विवाद

6576. **श्री ए० के० राय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सी), धनबाद के समझौता तंत्र द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से संबंधित निपटाए गए औद्योगिक विवादों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) समझौते के जरिए निपटाए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जो बाद में असफल रहे तथा छः महीनों से भी अधिक समय से विचाराधीन पड़े हैं ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

	1987		1988		1989	
	बी. सी. सी. एल.	ई. सी. एल.	बी. सी. सी. एल.	ई. सी. एल.	बी. सी. सी. एल.	ई. सी. एल.
निपटाए गए विवादों की संख्या	1998	17	1492	15	1499	45
संराधन के माध्यम से निपटाए गए विवादों की संख्या	250	6	391	3	345	5
विफल हुए विवादों की संख्या	268	2	248	8	246	13
31 दिसम्बर को छह माह से अधिक समय से लम्बित पड़े विवादों की संख्या	201	—	324	—	242	—

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाना

6577. श्री के० एस० राव : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के कार्य-निष्पादन में वर्ष 1988-89 की तुलना में वर्ष 1989-90 के दौरान काफी सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान हुए सुधार का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1989-90 में राष्ट्रीय कपड़ा निगम को हुए हानि के लिए कितनी धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में दी गई;

(घ) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का कार्य-निष्पादन में सुधार होने के कारण हानि के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में वास्तव में दी जाने वाली राशि बजट में उसके लिए किए गए प्रावधान से कम होगी; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी कम होगी ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, 1989 से फरवरी, 1990 तक की अवधि के दौरान एन. टी. सी. के अधीन

वस्त्र मिलों में 167.39 करोड़ रुपए का अन्तिम निवल घाटा हुआ जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह घाटा 271.33 करोड़ रुपए का था, अप्रैल, 1989 से फरवरी, 1990 के दौरान 103.65 करोड़ रुपए का अनन्तिम नगदी घाटा हुआ था जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह घाटा 209.85 करोड़ रुपए का था।

यह सुधार निगम द्वारा अनुपालन की जा रही नीति से संभव हो पाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है खर्चीली क्षमताओं की काट-छांट अर्थक्षम और किफायती कार्यकलापों की उपयोगिता में सुधार, यानं उत्पादन में वृद्धि, उत्पाद उन्नयन, कीमत वसूली में वृद्धि, श्रमिकों को सुव्यवस्थीकरण तथा रूई की खरीदारी में किफायत करना आदि।

(ग) एन. टी. सी. मिलों को हुए नकद घाटों की प्रतिपूर्ति के लिए सरकार ने वर्ष 1989-90 में 287 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की थी।

(घ) और (ङ) वर्ष 1989-90 के दौरान सरकार ने एन. टी. सी. को 287 करोड़ रुपए की सम्पूर्ण राशि रिलीज कर दी। इसमें वर्ष 1989-90 के दौरान के नगद घाटों की प्रतिपूर्ति तथा 31-3-1989 की स्थिति अनुसार 167 करोड़ रुपए मूल्य के पिछले नगद घाटे भी शामिल हैं जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी।

खाद्यान्नों को क्षति

[हिन्दी]

6578. **श्री के० डी० सुलतानपुरी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान, राज्य वार प्रति वर्ष चावल और गेहूं की कितनी मात्रा क्षतिग्रस्त हुई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : वर्षा, बाढ़ों, चक्रवातों आदि जैसे मानव नियंत्रण के बाहर के कारणों से भंडारण, परिवहन और बहु-हैंडलिंग के दौरान खाद्यान्नों के कुछ स्टाक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। सरकार के स्टाक को हैंडल कर रही प्रमुख सरकारी एजेंसी भारतीय खाद्य निगम के पास गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्नों का वर्षवार और क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के पास क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्नों के वर्षवार और क्षेत्रवार ब्यौरे बताने वाला विवरण

(आंकड़े मीटरी टन में)

	1986-87		1987-88		1988-89	
क्षेत्र	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
1	2	3	4	5	6	7
जम्मू तथा कश्मीर	2	45	1138	7	31	5
पंजाब	563	171	1122	323	10007	967

1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	240	1266	174	2	19	3
उत्तर प्रदेश	26619	1605	1316	50	1203	267
दिल्ली	816	2	4233	5	19	8
राजस्थान	539	20	553	1	321	39
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	32	—	—
आन्ध्र प्रदेश	746	1284	138	1333	590	62
तमिलनाडु	1767	765	1988	357	1563	459
कर्नाटक	1356	651	382	449	162	498
केरल	148	836	110	618	273	629
मद्रास (पी ओ)	301	336	120	35	61	63
विजाग (पी ओ)	433	2	232	1	990	—
मध्य प्रदेश	4772	1841	4099	1647	2421	380
महाराष्ट्र	5898	1134	4241	1790	2488	870
गुजरात	2268	110	1827	68	467	108
कांडला (पी ओ)	15234	116	18259	87	2396	10
कलकत्ता (पी ओ)	1206	4046	1488	1951	1452	2460
बिहार	1418	253	2814	526	777	107
उड़ीसा	306	56	103	90	1227	118
असम	2906	244	362	569	156	569
एन० ई० एफ०	230	1125	127	1124	55	1986
पश्चिम बंगाल	1740	2107	1198	1241	435	2573
	69508	18015	46024	12296	27113	12081

कथित भ्रष्टाचार के मामले

6579. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय, अधीनस्थ कार्यालयों और सरकारी उपक्रमों के उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार के मामले न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय और उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के किन्हीं अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कोई

मामले न्यायालयों में लम्बित नहीं हैं । भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भांडागार निगम में कार्यरत जिन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले न्यायालयों में लम्बित हैं, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भांडागार निगम में कार्यरत जिन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले न्यायालयों में लम्बित हैं, उनके ब्यौरे

भारतीय खाद्य निगम

क्र० सं०	नाम और पदनाम	ड्यूटी का स्थान
1.	सर्वश्री के० एन० धर, स०प्र० (क्यू०सी०)	भा०खा०नि० डिपो, मायापुरी, नई दिल्ली
2.	एम० एम० ए० खान, स०प्र० (क्यू०सी०)	भा०खा०नि० डिपो, मायापुरी, नई दिल्ली
3.	के० सामू, स०प्र० (क्यू०सी०)	भा०खा०नि० डिपो, मायापुरी, नई दिल्ली
4.	एस० सी० गुप्ता, स०प्र० (क्यू०सी०)	भा०खा०नि० डिपो, मायापुरी, नई दिल्ली
5.	जी० एस० तरनी, उ०प्र० (जी०)	भा०खा०नि० जिला कार्यालय, पटियाला
6.	ए० एल० दोहरी, स०प्र० (लेखा)	भा०खा०नि० जिला कार्यालय, पटियाला
7.	जीत सिंह, स०प्र०	भा०खा०नि० जिला कार्यालय, पटियाला
8.	वी० गोपीनाथन, स०प्र० (क्यू०सी०)	यू०/एस०, आर०ओ० पंजाब
9.	पी० राधाकृष्णन, स०प्र० (क्यू०सी०)	भा०खा०नि० क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर
10.	के० एन० राव डोरा, मुख्य श्रम निरीक्षक	भा०खा०नि० क्षेत्रीय कार्यालय, उड़ीसा
11.	एम० एन० कोहली, प्रबन्धक (यू०/एस०)	भा०खा०नि० मुख्यालय
12.	अरुण कुमार, स०प्र० (जी०)	भा०खा०नि०, गया
13.	समीर रंजन घोष, स०प्र० (लेखा)	भा०खा०नि० जिला कार्यालय, भागलपुर
14.	राजेन्द्र सिन्हा, स०प्र०	भा०खा०नि० जिला कार्यालय, भागलपुर
15.	प्रेम बिहारी अग्रवाल, भूतपूर्व डी० एम०	भा०खा०नि० जिला कार्यालय, गया
16.	राज किशोर मौर्य, स०प्र० (क्यू०सी०)	भा०खा०नि० जिला कार्यालय, गया
17.	वी० चांगथुमा, जिला प्रबन्धक	नवगांग, असम
18.	आर० के० दास, स०प्र० (क्यू०सी०)	भा०खा०नि० जिला कार्यालय कापा, रायपुर
19.	आर० एस० यादव, स०प्र० (डी)	भा०खा०नि० जिला कार्यालय, नागपुर
20.	आर० सी० साने, स०प्र० (डी)	भा०खा०नि० जिला कार्यालय, बम्बई
21.	आर० वैद्यनाथन, स०प्र० (लेखा)	भा०खा०नि० जिला कार्यालय, मद्रास
22.	के० वी० सुब्रह्मण्यम, स०प्र० (डी)	भा०खा०नि० जिला कार्यालय, मद्रास

केन्द्रीय भांडागार निगम

क्र० सं० नाम और पदनाम	ड्यूटी का स्थान
1. श्री आर० पी० सिंह, अधीक्षक	केन्द्रीय भांडागार शिवपुरकलां (म० प्र०)
2. श्री प्रेम प्रकाश, अधीक्षक	केन्द्रीय भांडागार, हिसार
3. श्री एस० पी० शर्मा, अधीक्षक	केन्द्रीय भांडागार, हिसार
4. श्री एम० ई० अरूणाचलम, अधीक्षक	केन्द्रीय भांडागार विरूगामबक्कम (मद्रास)
5. श्री एम० रंगा राज, भांडागार सहायक ग्रेड-2	केन्द्रीय भांडागार, विरूगामबक्कम (मद्रास)
6. श्री टी० रामचन्द्र राव, अधीक्षक	केन्द्रीय भांडागार, विशाखा पत्तनम
7. श्री विजेन्द्र सिंह, तकनीकी सहायक	केन्द्रीय भांडागार, गोरखपुर

अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या

[अनुवाद]

6580. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाई गई विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऐसे कितने परिवारों को लाभ मिला है; और

(ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने परिवारों को लाभ मिला है ?

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 1987-88 से 1989-90 में फरवरी, 1990 तक अनुसूचित जाति विकास निगम की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के कार्यक्रमों सहित विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत 67,11,632 अनुसूचित जाति परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की गई । इनमें से 5,70,841 अनुसूचित जाति परिवार मध्य प्रदेश के थे ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 1987-88 से 1989-90 में फरवरी, 1990 तक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यक्रमों सहित लाभोन्मुखी कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल 31,16,043 अनुसूचित जनजाति परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई । इनमें से 7,22,194 अनुसूचित जनजाति परिवार मध्य प्रदेश के हैं ।

1981 की जनगणना के अनुसार राज्यवार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अ० जा० जनसंख्या	अ० ज० जा० जनसंख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7,961,730	3,176,001
2.	अरूणाचल प्रदेश	2,919	441,167
3.	असम	1,480,000*	218,600*
4.	बिहार	10,142,368	5,810,867
5.	गोवा, दमन एवं दीव	23,432	10,721
6.	गुजरात	2,438,297	4,848,586
7.	हरियाणा	2,464,012	विनिर्दिष्ट नहीं
8.	हिमाचल प्रदेश	1,055,950	197,265
9.	जम्मू एवं काश्मीर	907,363**	183,963**
10.	कर्नाटक	5,595,353	1,825,203
11.	केरल	2,540,382	261,475
12.	मध्य प्रदेश	7,358,553	11,987,031
13.	महाराष्ट्र	4,479,763	5,772,038
14.	मणिपुर	17,753	387,977
15.	मेघालय	5,792	1,076,345
16.	मिजोरम	135	461,907
17.	नागालैंड	—	650,885
18.	उड़ीसा	3,865,543	5,915,067
19.	पंजाब	4,511,703	विनिर्दिष्ट नहीं
20.	राजस्थान	5,838,879	4,185,124
21.	सिक्किम	18,281	73,623
22.	तमिलनाडु	8,881,295	520,226
23.	त्रिपुरा	310,384	583,920
24.	उत्तर प्रदेश	23,455,339	232,705

1 2	3	4
25. पश्चिम बंगाल	12,000,768	3,070,672
26. अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	—	22,361
27. चण्डीगढ़	63,621	विनिर्दिष्ट नहीं
28. दादरा एवं नगर हवेली	2,041	81,714
29. दिल्ली	1,121,645	विनिर्दिष्ट नहीं
30. पांडिचेरी	96,636	विनिर्दिष्ट नहीं
31. लक्षद्वीप	—	37,760
	10,62,34,623	52,031,201

नोट : *प्रक्षिप्त आंकड़े

**प्राक्कलित आंकड़े

नागपुर नगर के लिए सहायता

6581. **श्री वसंत साठे** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर शहर को राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री सुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कारखाना अधिनियम में संशोधन

[हिन्दी]

6582. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन करने हेतु एक कानून बनाने का विचार है जिसके अन्तर्गत बेरोजगारी समस्या को दूर करने के लिए कार्य घण्टों को 48 से घटाकर 36 करने का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार का कानून कब तक बनाए जाने की संभावना है ?

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों की स्थापना

[अनुवाद]

6583. **श्री वसन्त साठे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में विभिन्न नगरों/कस्बों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय स्थापित किए जाने हेतु अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त हुए/विचाराधीन अनुरोध से/प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संबंधी विस्तार कार्यों का ब्यौरा क्या है और आठवीं योजना के लिए कौन-कौन से प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के परिव्यय को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

रावी-व्यास के जल में से राजस्थान के हिस्से से नोहर और सिद्धमुख परियोजनाओं के लिए पानी की व्यवस्था करना

[हिन्दी]

6584. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने 8.60 मिलियन एकड़ फुट रावी-व्यास जल के राजस्थान के हिस्से में से गंगा नगर जिले में नोहर और भाद्रा की भूमि की सिंचाई के लिए प्रस्तावित नोहर और सिद्धमुख परियोजनाओं के लिए 0.47 मिलियन एकड़ फुट पानी देने हेतु अपनी तकनीकी-आर्थिक सहमति दे दी है;

(ख) क्या पर्यावरण मंत्रालय ने भी इसे स्वीकृति दे दी है;

(ग) क्या सरकार ने इस पानी को हरियाणा राज्य से ले जाने के लिए केन्द्रीय जल आयोग को अपनी सहमति भेज दी है;

(घ) क्या योजना आयोग ने इन परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है;

(ङ) यदि हां, तो उपरोक्त परियोजनाओं के निर्माण पर कितनी लागत आयेगी और इससे कितनी भूमि सिंचित होगी; और

(च) यदि नहीं, तो योजना आयोग द्वारा इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) से (ग) जी हां ।

(घ) और (च) निर्माणाधीन वृहद और मध्य सिंचाई परियोजनाओं की आगे लाई गई बड़ी वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग ने राज्य सरकार से आठवीं योजना में उपलब्ध संसाधनों में परियोजनाओं के वास्ते राज्य द्वारा दी जाने वाली प्राथमिकता को निर्दिष्ट करने का अनुरोध किया है।

(ङ) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा यथा स्वीकृत दोनों परियोजनाओं की लागत तथा उनसे लाभान्वित होने वाले क्षेत्र निम्नवत हैं—

परियोजना	लागत	वार्षिक सिंचाई
सिद्धमुख	103 करोड़ रुपए	33,620 हेक्टे०
नोहर	40.59 करोड़ रुपए	13,665 हेक्टे०

"न्यूक्लिअर मेगनेटिक रीसोनेन्स एमेजिंग" सुविधा

[अनुवाद]

6585. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कौन-कौन से अस्पताल/सेन्टर/आर्गेनाइजेशन्स हैं जहां पर इस समय "न्यूक्लिअर मेगनेटिक रीसोनेन्स एमेजिंग" सुविधा उपलब्ध है और अगले एक अथवा दो वर्षों के दौरान इस प्रकार की सुविधा कहां-कहां उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ख) आयातित उपकरणों के प्रत्येक मामले में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है;

(ग) क्या इन उपकरणों के आयात करने की अनुमति को विनियमित करने संबंधी शर्तों में निर्धन व्यक्तियों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की भी कोई शर्त शामिल करने का विचार है; और

(घ) उपरोक्त उपकरण को लगाने के पश्चात अब तक केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में अनुमानतः कितने रोगियों की चिकित्सा की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) नाभिकीय औषधि और सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, दिल्ली, शीव कैंडी अस्पताल, बम्बई, पैरामाउन्ट एम० आर० आई० केन्द्र, बम्बई और निजाम संस्थान, हैदराबाद में न्यूक्लिअर मेगनेटिक रेसोनेन्स इमेजिंग सुविधा उपलब्ध है। स्वयंसेवी संगठन रूबी हॉल एंड संचित ईसा संस्थान, पुणे और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में शीघ्र ही यह सुविधा स्थापित की जा रही है।

(ख) एक उपकरण का आयात करने के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा लगती है।

(ग) सरकार स्वयं सेवी संगठनों को इस उपकरण के नैदानिक उद्देश्यों के लिए आयात हेतु इस शर्त पर सीमा-शुल्क में छूट दे रही है कि बहिरंग रोगी विभाग में 40% रोगियों को और 10% पलंगों को निःशुल्क उपचार के लिए आरक्षित रखा जाए।

(घ) दिल्ली के तीन केन्द्रीय अस्पतालों में से किसी भी अस्पताल में इस उपकरण को स्थापित नहीं किया गया है।

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में संशोधन करने के लिए अभ्यावेदन

6586. **श्री रामेश्वर प्रसाद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में संशोधन करने का है जैसा कि इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन ने मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) (क) और (ख) संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा बताए अनुसार भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 को संशोधित करने संबंधी विधेयक संसद के समक्ष विचार एवं पारित करने के लिए लम्बित पड़ा है। इसमें आगे संशोधन करने के लिए भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा दिए गए सुझावों को नोट कर लिया गया है।

त्रिपुरा में मेडीकल कालेज की स्थापना

6587. **श्री के० बी० के० देव बर्मन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में एक मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच नराड़ी-बनासा विवाद

6588. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने उड़ीसा सरकार के साथ नेराड़ी बनासा विवाद का निपटान करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें उठाए गए मुख्य मुद्दे क्या-क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित पिछली बैठक के दौरान उड़ीसा सरकार के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कुछ मुद्दों पर उड़ीसा सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से असहमति प्रकट की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (घ) बराज द्वारा जलमग्नता के संबंध में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच अन्तर्राज्यीय मुद्दे को हल कर दिया गया है। अब, उड़ीसा सरकार द्वारा परियोजना को औपचारिक सहमति दिए जाने की आवश्यकता है। इसके

अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश सरकार को पर्यावरणिक एवं वन दृष्टि से परियोजना के लिए स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता है।

संसद सदस्यों के वैयक्तिक स्टाफ को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधायें

6589. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संसद सदस्यों के वैयक्तिक सहायकों/निजी सचिवों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्ड जारी करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशों में कार्यरत भारतीय

6590. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कार्य करने वाले भारतीयों का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) विदेशों में कार्य करने वाले भारतीयों द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा स्वदेश भेजी गयी है ?

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) विदेशों में काम कर रहे भारतीय कर्मकारों से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं। तथापि, उन व्यक्तियों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है जिन्हें उत्प्रवासी संरक्षी द्वारा वर्ष 1989 के लिये विदेशों में रोजगार के लिए उत्प्रवास अनुमति प्रदान की गई थी।

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान विदेशों में काम कर रहे भारतीय कर्मकारों द्वारा कुल भेजी गई राशि 3,533 करोड़ रु० (लगभग) थी।

विवरण

वर्ष 1989 के दौरान देशवार उत्प्रवास अनुमति दर्शाने वाला विवरण

बहरीन	ईराक	कुवैत	लीबिया	अमन	कतार	साउदी अरब	वाई. ए. एस./ पी. डी. आर. वाई.	यू. ए. ई.	जार्डन	यू. एस. एस. आर.	सूडान	अन्य	कुल
8520	5085	5679	632	16574	7991	49710	181	26189	171	118	56	5880	125786

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए दवाओं की खरीद हेतु बजट में निर्धारित की गई राशि

6591. **श्री ईरा अन्थारासु :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सभी चिकित्सा पद्धतियों के लिए दवाओं की खरीद हेतु बजट में कितनी राशि रखी गई है; और

(ख) वर्ष 1989-90 के प्रथम नौ महीनों के दौरान दवाओं की खरीद पर वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) वर्ष 1989-90 के दौरान औषधियों की खरीद के लिए 1069.8 लाख रुपये के कुल बजट का प्रावधान था जिसमें से 825.7 लाख रुपये पहले नौ महीनों (अप्रैल से दिसम्बर, 1989) के दौरान खर्च किए गए।

धूम्रपान की आदत के बारे में सर्वेक्षण

6592. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में धूम्रपान की प्रवृत्ति के बारे में अब तक कोई सर्वेक्षण किया गया है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है;

(ख) क्या इन सर्वेक्षणों के आधार पर इस प्रवृत्ति में क्षेत्र तथा राज्यवार कोई अन्तर पाया गया है और यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) सरकार द्वारा धूम्रपान के रुझान के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तम्बाकू तथा तम्बाकू पर आधारित उत्पादों से बीमारियां

6593. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन :**
श्री सरजू प्रसाद सरोज :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी चिकित्सा विशेषज्ञ इस बात पर एकमत हैं कि तम्बाकू तथा तम्बाकू पर आधारित उत्पादों से बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में कोई अध्ययन किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न रूपों में तम्बाकू के सेवन से हुए हृदय, फेफड़ों, श्वास आदि रोगों सहित प्रत्येक बीमारी अनुमानित रोगियों का राज्यवार और वर्षवार, ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विहित धूम्रपान-रहित दिवस पूरे विश्व में उचित रूप से मनाया गया था, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में "सील्ड कवर प्रक्रिया" का अपनाया जाना

6594. **श्री हरीश रावत** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में "सील्ड कवर" प्रक्रिया केवल ग्रुप "ख" और "ग" श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में अपनाई जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि यह प्रक्रिया ग्रुप "क" श्रेणी के अधिकारियों के मामले में लागू नहीं की जाती है;

(ग) यदि हां, तो इस पक्षपातपूर्ण बर्ताव के क्या कारण है;

(घ) क्या ग्रुप "क" के अधिकारियों की पदोन्नति उनके विरुद्ध सतर्कता के मामलों के रहते हुए भी कर दी जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारियों द्वारा क्या नीति अपनाई जाती है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) उन अधिकारियों जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित है, के मामलों पर कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के आदेशों तथा नियुक्ति प्राधिकारियों के अनुमोदन को ध्यान में रखते हुए तदर्थ पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है ।

आयोडीन युक्त नमक की बिक्री

6595. **श्री ए० आर० अन्तुले** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में केवल आयोडीन युक्त नमक की ही बिक्री की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को सामान्य व्यक्ति पर आयोडीन युक्त नमक के दुष्प्रभावों के बारे में विभिन्न क्षेत्रों से कोई शिकायत या रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) सरकार ने 1992 तक देश में खाद्य नमक के व्यापक आयोडीकरण की नीति को क्रमिक रूप में कार्यान्वित करने का निर्णय किया है ।

(ख) और (ग) सरकार को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि व्यापक आयोडीकरण का कुछ जनसंख्या पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, देश में आयोडीकृत नमक के इस्तेमाल के कारण प्रतिकूल प्रभाव का कोई मामला सरकार के समक्ष नहीं आया है। भारतीय चिकित्सा परिषद के एक अध्ययन के अनुसार आयोडीन की कमी से होने वाले विकार देश के कई भागों में व्याप्त हैं। आयोडीन युक्त नमक आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों के निवारण की एक सबसे सस्ती और प्रमाणित विधि है। यदि देश में आयोडीकृत नमक के उपयोग के प्रतिकूल प्रभावों से संबंधित कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट अथवा आंकड़े सरकार के ध्यान में लाए गए, तो यह मामला जांच के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को भेजा जा सकता है।

'सन् 2000 ई० तक सबके लिए स्वास्थ्य' योजना के अन्तर्गत बीमारियों का उन्मूलन

6596. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान सन् 2000 ई० तक सभी के लिए स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत भारत से यदि किन्हीं बीमारियों का पूर्णतः उन्मूलन किया गया है, तो वे बीमारियां कौन-कौन सी हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : जी, नहीं। सन् 2000 ई० तक सबके लिए स्वास्थ्य योजना के अधीन पिछले तीन वर्षों में भारत से किसी भी रोग का पूरी तरह से उन्मूलन नहीं किया गया है।

औषधियों की बिक्री

6597. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि राजधानी में दवाओं की दुकानों में मानक स्तरीय औषधियां ही बेची जाएं;

(ख) 1989 से 1990 तक की अवधि के दौरान, वर्षवार राजधानी में स्तरहीन अथवा संक्रमणियों के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) वर्ष 1989 और 1990 के दौरान संक्रमणित/मिलावटी/स्तरहीन औषधियों, अन्तः शिरा द्रव्यों (आई. वी. फ्ल्यूड्स) आदि के कारण हुई मौतों को दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना इस प्रकार है :—

(क) इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) बिक्री प्रतिष्ठानों का निरीक्षणालय के कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है और सन्देह की स्थिति में परीक्षण/विश्लेषण के लिए औषधों के नमूने लिए जाते हैं।

(2) निरीक्षणालय कर्मचारियों द्वारा दिल्ली में स्थित औषध निर्माण यूनिटों का निरीक्षण किया जाता है और समय-समय पर परीक्षण/विश्लेषण के लिए औषधों के नमूने लिए जाते हैं।

(3) दिल्ली के विभिन्न भागों के रसायनज्ञों से प्रलोभन देने वाले ग्राहकों के माध्यम से औषधों के निगरानी नमूनों को परीक्षण के लिए खरीदा जाता है। इन नमूनों की पहचान करने के लिए जांच की जाती है। औषध की गुणवत्ता के बारे में सन्देह की स्थिति में रसायनज्ञ, जिससे यह नमूना खरीदा गया था, के परिसर पर छापा मारा जाता हैं और समुचित कार्यवाही की जाती है।

(4) औषधों की गुणवत्ता के बारे में जनता से प्राप्त शिकायतों की छान-बीन की जाती है यदि औषधों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो तो परीक्षण/विश्लेषण के लिए औषधों के नमूने लिए जाते हैं।

(5) घटिया/नकली औषधों, घटिया/मिलावटी/नकली औषधों के निर्माण/बिक्री के बारे में सूचना रखने के लिए व्यापारी/निर्माता संघों से निकट सम्पर्क रखा जाता है।

(ख) यह सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1989	55
1990 (पहली जनवरी, 90 से 31 मार्च, 90 तक)	8

(ग) प्रदूषित/मिलावटी/घटिया औषधों को देने के कारण हुई मौतों के बारे में कुछ समाचार छपे थे। परन्तु इन मामलों में की जांचों से पता चला है कि सूचित की गई मौतें औषधों के कारण नहीं हुई।

मेडीसन में स्नातकोत्तर परीक्षा आरम्भ करना

6598. **श्री मुस्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अखिल भारतीय स्तर पर मेडीसन में एक समान स्नातकोत्तर परीक्षा आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपरोक्त परीक्षा किसी स्वायत्तशासी निकाय द्वारा कराई जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जम्मू व कश्मीर और आंध्र प्रदेश को छोड़कर सभी सम्बन्धि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बिना किसी आरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट मेडिकल/डेंटल कालेजों को छोड़कर विभिन्न स्नातकोत्तर मेडिकल/डेंटल पाठ्यक्रमों, जिसमें सामान्य चिकित्सा भी शामिल है, में अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए प्रत्येक मेडिकल/डेंटल कालेज अथवा संस्थान में 25 प्रतिशत स्नातकोत्तर मेडिकल/डेंटल सीटों का अंशदान करते हैं और अखिल भारत के आधार पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा ऐसी एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है।

"30,000 किड्स गेट ब्लाइंड एवरी डे" शीर्षक से समाचार

6600. श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री आर० एन० राकेश :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 मार्च, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स में "30,000 किड्स गेट ब्लाइंड एवरी डे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बच्चों की आंखों में तकलीफ होने में तथा उनकी दृष्टि के दोषपूर्ण होने की घटनाएं हमारे देश में सबसे अधिक हैं;

(ग) क्या सरकार की उचित पोषण के महत्व के बारे में माताओं में जागरूकता पैदा करने तथा आंख में किसी प्रकार की तकलीफ होने पर समय पर उपचार करने के सम्बन्ध में कोई नीति अपनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) इस मन्त्रालय के जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 1-5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाली दृष्टिहीनता की रोकथाम की एक योजना है । इसके अन्तर्गत उक्त आयु वर्ग के बच्चों को हर छह महीने में विटामिन "ए" की 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की खुराक पिलाई जाती है ।

आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग से उत्पन्न समस्याओं को हल करने हेतु समिति

[हिन्दी]

6601. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवार्य रूप से आयोडीन युक्त नमक को प्रयोग करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न समस्याओं को हल करने हेतु किसी समिति का गठन किया गया है;

(ख) सामान्य नमक की बिक्री पर किन-किन राज्यों में प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(ग) क्या सामान्य नमक को आयोडीन युक्त नमक के बदले के लिए पोटाशियम आयोडेट नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है;

(घ) इस रसायन का किन देशों से आयात किया जाता है;

(ङ) क्या यह रसायन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और वैज्ञानिकों ने पोटाशियम आयोडेट जिसका प्रयोग आयोडीन-युक्त नमक बनाने में किया जाता है, को एक जहर घोषित किया गया है और चिकित्सकों द्वारा इसे कुछ रोगियों को दिया जाता है और वह केवल उन्हीं के लिए उपयोगी है; और

(च) आम जनता के लिए आयोडीन युक्त नमक को प्रयोग अनिवार्य किए जाने का क्या कारण है और क्या सरकार का इस मामले पर पुनर्विचार करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने-अपने संपूर्ण राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में अनायोडीकृत नमक की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी अधिसूचना जारी कर दी हैं, वे हैं : अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, असम, दिल्ली और दादरा व नागर हवेली ।

आंध्र प्रदेश (3 जिले), गुजरात (3 जिले), मध्य प्रदेश (12 जिले), पश्चिम बंगाल (10 जिले), महाराष्ट्र (7 जिले), उड़ीसा (1 जिला), कर्नाटक (1 जिला), राज्यों ने आंशिक प्रतिबन्ध की अधिसूचना जारी कर दी है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) पोटाशियम आयोडेट का आयात नहीं किया जाता है । इस रसायन का विनिर्माण जापान से आयोडीन का आयात करने के पश्चात स्थानीय तौर पर किया जाता है ।

(ङ) नमक को आयोडीकृत करने के लिए पोटाशियम आयोडेट की जितनी मात्रा का इस्तेमाल किया जा रहा है वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है ।

(च) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि देश का कोई भी क्षेत्र घेंघा रोग तथा आयोडीन की कमी वाले अन्य विकारों से पूर्णतया मुक्त नहीं माना जा सकता । नमक को आयोडीकृत करना आयोडीन की कमी वाले विकारों की रोकथाम करने का सबसे सस्ता और प्रमाणित तरीका है । यदि देश में आयोडीकृत नमक की खपत के विपरीत प्रभावों के बारे में किन्हीं विशिष्ट वैज्ञानिक आंकड़े सरकार के ध्यान में लाये जाते हैं तो मामले को जांच के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को भेजा जा सकता है ।

राज्यों में संशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को लागू न किया जाना

[अनुवाद]

6602. **श्री गंगा चरण लोधी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 में संशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कुछ राज्यों में लागू नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह अधिनियम किन-किन राज्यों में लागू नहीं किया जा रहा है; और

(ग) इसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग)

खाद्य अपमिश्रण (संशोधन) अधिनियम, 1956 मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम को लागू करने के लिए मिजोरम राज्य द्वारा कदम उठाए गए हैं।

प्रोटीन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

6603. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति व्यक्ति प्रोटीन की उपलब्धता कितनी है;

(ख) गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों में प्रोटीन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए प्रोटीन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) देश में प्रोटीन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 53 ग्राम है।

(ख) राष्ट्रीय पोषण जांच ब्यूरो द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से शहरी क्षेत्रों की गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों द्वारा लिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा इस प्रकार ज्ञात हुई है :

शहरी गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग	57.8 ग्राम
ग्रामीण	60.5 ग्राम

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार दालों, तिलहनों और दूध, जो प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं, के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठा रही है। गरीब लोगों की खरीद करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं। एक अल्पकालीन उपाय के रूप में जनसंख्या के अतिसंवेदनशील वर्गों को एकीकृत बाल विकास स्कीम, विशेष पोषण कार्यक्रम, गेहूं पर आधारित पोषण कार्यक्रम और बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अनुपूरक पोषण प्रदान किए जाते हैं। ये कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं।

नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लिए आयोडीन का आयात

6604. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक का अनिवार्य रूप से आयोडीनीकरण करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है;

(ख) इस कार्यक्रम के लिए कितनी मात्रा में आयोडीन का आयात किया जाता है तथा इस आयात पर कितनी धनराशि खर्च होती है;

(ग) क्या देश में उपलब्ध समुद्री नमक में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन होता है; और

(घ) यदि हां, तो आयोडीन के आयात किए जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्सिंग अर्दली के रिक्त पद

6605. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के "सी एंड एन" केन्द्र तथा नशे की लत छुड़ाने वाले केन्द्र में नर्सिंग अर्दली की श्रेणी में अनेक पद लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो सृजित पदों का ब्यौरा क्या है तथा कितने पद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं;

(ग) क्या रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए नामों पर इन दोनों केन्द्रों के संबंधित अधिकारियों द्वारा विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले की नवीनतम स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सी० एन० केन्द्र तथा नशा निवारण केन्द्र में नर्सिंग अर्दली की श्रेणी में कुछ पद रिक्त पड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें चरणबार ढंग में भरा जाना है।

(ख) 25-10-88 को सी० एन० केन्द्र के लिए नर्सिंग अर्दली के 78 पदों का सृजन किया गया था जिसमें 42 पद आवश्यकता के अनुसार भरे जा चुके हैं और 36 पद रिक्त हैं। इस संस्थान में पलंगों की संख्या 150 से बढ़कर 332 हो जाने के कारण शेष पद भरने का निर्णय लिया है। भरे जाने वाली 36 रिक्तियों की आरक्षण स्थिति इस प्रकार है—अनुसूचित जाति 6, अनुसूचित जनजाति 3 और भूतपूर्व सैनिक 3।

जहां तक नशा निवारण केन्द्र का सम्बन्ध है, दिसम्बर, 1988 में नर्सिंग अर्दली के 9 पदों का सृजन किया गया था जिसमें से 3 पद, 2 अनुसूचित जाति और एक भूतपूर्व सैनिक से भरे गए। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित एक पद और 5 पद (अनारक्षित) रिक्त हैं।

(ग) और (घ) रोजगार केन्द्र द्वारा प्रायोजित किए गए नामांकन मार्च, 1990 के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुए हैं और साक्षात्कार करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

टीकों का देश में उत्पादन

[हिन्दी]

6606. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलियो, खसरा और डी० पी० टी० के टीकों का देश में उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या इन टीकों के कोई परीक्षण किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) डी० पी० टी० समूह की वैक्सीनों और खसरा वैक्सीनों का विनिर्माण देश में ही किया जा रहा है। तथापि, मुखसेव्य पोलियो वैक्सीन का आयात किया जा रहा है, उसे मिलाया जा रहा है और मोनोवेलन्ट बल्क के कंटेनरों में भरा जा रहा है।

(ख) और (ग) वैक्सीनों के सभी बैचों की जिन्हें आयात किया जाता है अथवा जिन्हें देश में तैयार किया जाता है, राष्ट्रीय नियन्त्रण प्रयोगशाला, कसौली द्वारा जांच की जाती है। वैक्सीनों के प्रत्येक बैच को केवल तभी जारी किया जाता है जब केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में उसकी गुणवत्ता नियन्त्रण जांच कर ली जाती है।

गुजरात में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र

[अनुवाद]

6607. **श्री बाबूभाई मेघजी शाह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गत तीन वर्षों के दौरान खोले गए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए गुजरात सरकार को कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ग) जिन मदों पर यह धन खर्च किया गया है उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में खोले गए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है—

वर्ष	खोले गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	खोले गए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
1987-88	175	25
1988-89	49	34
1989-90	155	25

(ख) और (ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मदों के लिए राज्य सेक्टर के अन्तर्गत धन-राशि दी जाती है। गुजरात राज्य के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल परिव्यय और व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है—

वर्ष	परिव्यय (लाख रुपए में)	व्यय (लाख रुपए में)
1987-88	928	956
1988-89	1121	1100
1989-90	1275	1042.05 (केवल दिसम्बर, 89 तक

उपर्युक्त आंकड़ों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र जैसे मदों पर किया गया व्यय भी शामिल है ।

सफदरजंग अस्पताल के मूत्र रोग विशेषज्ञों के लिए सुविधाएं

6608. **श्री ए० एन० सिंह देव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में मूत्र रोग विभाग खोला गया है;

(ख) क्या यहां मूत्र रोग विशेषज्ञों को वार्ड बैड, स्टाफ जैसी समुचित सुविधाएं उपलब्ध हैं और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां

(ख) अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग में पलंगों, आपरेशन थियेटर, स्टाफ आदि सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारी

[हिन्दी]

6609. **श्री छेदी पासवान :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में क्लीनिकल और गैर-क्लीनिकल विभाग में ऐसे वरिष्ठ डाक्टरों की संख्या कितनी है जो फैकल्टी के सदस्य हैं;

(ख) इस संस्थान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और असिसटेन्ट प्रोफेसरों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित वरिष्ठ डाक्टरों की भर्ती तथा पदोन्नति के लिए रोस्टर रखा जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के क्लीनिकल और गैर-क्लीनिकल विभागों में वरिष्ठ डाक्टरों, जो संकाय के सदस्य हैं, की संख्या 322 है जिसमें से 14 सहायक प्रोफेसर अनुसूचित जाति के हैं।

(ग) और (घ) केवल सीधी भर्ती के लिए सहायक प्रोफेसर के प्रवेश स्तर तक ही रोस्टर रखा जाता है। इस संस्थान के शासी निकाय के निर्णय के अनुसार प्रवेश स्तर (सहायक प्रोफेसरों) तक के पदों को उनकी विशेषज्ञता बताये बिना आरक्षित किया जाता है और जिसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध हैं और जो योग्य पाये जाते हैं, उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अपेक्षित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित समझा जाता है। यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है तो पदों को सामान्य उम्मीदवारों में से भर लिया जाता है और आरक्षण को अगले वर्ष के विज्ञापन के लिए आगे ले जाया जाता है। बहरहाल, इस संस्थान में वरिष्ठ संकाय पदों के लिए न तो सीधी भर्ती के लिए कोई आरक्षण किया जा रहा है और न पदोन्नति के लिए।

राशन कार्ड के लिए झुग्गी-झोपड़ियों का सर्वेक्षण

[अनुवाद]

6610. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में उचित दर की दुकानों की संख्या में वृद्धि करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जे० जे० कालोनियों में झुग्गी-झोपड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वहां उचित दर की दुकानों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी; और

(घ) इन कालोनियों में नयी दुकानें कब तक खोल दी जाएंगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य कार्डों की संख्या के संदर्भ में उचित दर की दुकानों की पर्याप्त संख्या होने के बारे में स्थिति की समय-समय पर पुनरीक्षा करता रहता है और जब आवश्यक समझा जाता है, नयी उचित दर की दुकानें खोलने पर विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन ने अभिज्ञात झुग्गी-झोंपड़ी समूहों में रहने वाले लोगों को हाल में राशन कार्ड जारी करने का कार्य आरम्भ किया है। नए राशन कार्डों को सम्बन्धित झुग्गी-झोंपड़ी वाले क्षेत्र में स्थित मौजूदा उचित दर की दुकानों के साथ जोड़ा गया है। जब कभी आवश्यक होगा, दिल्ली प्रशासन ऐसे किसी भी क्षेत्र में नई उचित दर की दुकानें खोलने पर विचार करेगा।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अभियंता संवर्ग में पदोन्नति के अवसरों में गतिरोध

6611. **श्री हरीश रावत** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ग्रुप "ए" अभियन्ता पदों की एक संवर्ग समीक्षा पहले ही की जा चुकी है और दूसरी संवर्ग समीक्षा भी शुरू कर दी गई है; और

(ख) सहायक अभियन्ता, कार्यकारी अभियन्ता और अधीक्षक-अभियन्ता पदों के संवर्ग में सम्बद्ध ग्रेडों में पदोन्नति सम्बन्धी पवित्रता को देखते हुए पदोन्नति के अवसरों में गतिरोध का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) अवरोधता दस से पन्द्रह वर्षों की है और कार्यपालक इंजीनियरों (सिविल) के सम्बन्ध में बीस वर्षों की। व्यक्तियों की सही संख्या के बारे में अवरोधता का आंकलन करने के लिए विभिन्न मानदण्ड अपनाये जाते हैं।

पंजाब में अनुसूचित जातियों के लोगों को भूमि की बिक्री

6612. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में अनुसूचित जातियों के लोगों को नीलामी में बेची गई भूमि उच्च सरकारी अधिकारियों द्वारा खरीद ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इस लेन-देन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस राज्य में अनुसूचित जातियों के निर्धन लोगों को जमीन वापस दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) :

(क) से (ग) सूचना पंजाब सरकार से मंगवाई गई है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रूई की खरीद

6613. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में जनवरी-मार्च, 1990 के दौरान भारतीय रूई निगम और "नेफेड" द्वारा कितनी रूई-गांठों की खरीद की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कर्नाटक में बाजार में कुल कितनी रूई आई; और

(ग) बाजार में रूई की भरमार को देखते हुए रूई उत्पादकों के लिए समर्थन मूल्य की व्यवस्था करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) कर्नाटक में जनवरी से मार्च, 1990 तक की अवधि के दौरान कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन परिसंघ के सहयोग से सी० सी० आई० द्वारा रूई की 17765 गांठों के बराबर कपास की खरीद की गई थी और नेफेड द्वारा रूई की 3400 गांठों के बराबर कपास की खरीद की गई थी।

(ख) इस अवधि के दौरान कर्नाटक में रूई की 3.44 लाख गांठों की आवक का अनुमान लगाया गया है।

(ग) चालू मौसम के दौरान कर्नाटक में कीमत समर्थन कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं

है क्योंकि कपास की सभी किस्मों की कीमतें समर्थन स्तर से बिल्कुल ऊपर रहीं। फिर भी सी० सी० आई० ने आवश्यकता पड़ने पर कीमत समर्थन कार्य करने के लिए अपने आपको तैयार रखा हुआ है।

खाद्यान्नों का निर्यात

6614. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्यान्न निर्यात करने का है; और

(ख) किन-किन देशों को निर्यात करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) और (ख) सहमति के अनुसार अंगोला को सहायता के रूप में दिए जाने वाले 200 मीटरी टन चावल की मात्रा को छोड़कर फिलहाल सरकारी खाते पर खाद्यान्नों का निर्यात करने का कोई इरादा नहीं है।

दूरदर्शन पर परिवार नियोजन के विज्ञापन

6615. **श्री सूबेदार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर "जब प्यार को जी मचलाए", "न रोज-रोज गर्भ निरोधक उपायों का झंझट" आदि जैसे प्रसारित किए जाने वाले परिवार नियोजन के अधिकांश विज्ञापन अप्रिय, अश्लील और अप्रासंगिक होते हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के साथ देखना पसंद नहीं कर सकता; और

(ख) यदि हां, तो इन विज्ञापनों का स्तर सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) उल्लिखित विज्ञापन निरोध और पुरुष नसबन्दी से संबंधित हैं जिन्हें डेढ़ वर्ष से भी अधिक समय से दूरदर्शन पर प्रसारित किया जा रहा है। इन विज्ञापनों में किसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। दूरदर्शन पर दिखाये जाने के लिए अनुमोदित किए जाने से पहले इस मन्त्रालय और दूरदर्शन में भी इन विज्ञापनों की बारीकी से जांच की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चुंगी प्रणाली पर खर्च

[हिन्दी]

6616. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुंगी प्रणाली का प्रशासनिक खर्च इसके राजस्व से अधिक है;

(ख) क्या सरकार वर्तमान चुंगी प्रणाली का अध्ययन करने के लिए आयोग गठित कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसका गठन कब किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार यातायात बाधाओं को रोकने और वर्तमान चुंगी प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कोई ठोस उपाय कर रही है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) राज्य का विषय होने के नाते, चुंगी शुल्क से अर्जित राजस्व और इसके संग्रहण पर किए गए व्यय से संबंधित आंकड़े किसी भी अभिकरण द्वारा अखिल भारत स्तर पर नियमित आधार पर एकत्रित नहीं किए जा रहे हैं। तथापि, विशेषज्ञ दलों द्वारा किए गए कुछ अध्ययन प्रकट करते हैं कि छोटे कस्बों के संबंध में सकल चुंगी आय के प्रतिशत के रूप में संग्रहण की लागत अधिक थी, जबकि नगर निगम जैसे बड़े नगर पालिका कस्बों के सम्बन्ध में यह नगण्य थी।

(ख) से (घ) 1984 में सम्पन्न हुए महापौर सम्मेलन में पारित किए गए एक संकल्प के अनुसरण में भारत सरकार ने चुंगी समाप्त करने की स्थिति में "स्थानीय निकायों की होने वाली हानि की पूर्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निकायों के संशोधनों में वृद्धि करने के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति गठित की थी।

समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यह रिपोर्ट राज्य सरकारों को प्रेषित की जा रही है जो चुंगी के प्रशासनार्थ उत्तरदायी है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों का भरा जाना

6617. **श्री बालेश्वर यादव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री तथा बाल विकास विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 31-12-1988 की स्थिति के अनुसार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

	समूह "ग"	समूह "घ"
दृष्टिबाधितार्थ	153	52
श्रवण विकलांग	166	90
अस्थि विकलांग	215	95

पिछली रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान आरम्भ किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकारी एजेंसियां अर्थात 23 विशेष रोजगार केन्द्र, रोजगार केन्द्रों में 42 विशेष सैल और 17 व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र विकलांगों को रोजगार दिलाने में सहायता कर रहे हैं।

दिल्ली प्रशासन के स्कूल अध्यापकों के लिए आवास सुविधा

[अनुवाद]

6618. **श्री आनन्द सिंह** :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के स्कूलों के गैर-शिक्षक कर्मचारी सरकारी आवास के आबंटन के अधिकारी हैं जबकि अध्यापकों को सरकारी आवास की आबंटन सुविधा से वंचित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार यह सुविधा अध्यापकों को भी उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले सब बैठ जाएं । श्री मिश्रा, आप बैठ जाएं । चिल्लाने से काम नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहन करें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा० विश्वनाथम कानिती । क्या वह यहां हैं ? श्री पी० आर० कुमारमंगलम ।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के एक मामले की ओर इस सम्माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । यह इस बात से संबंधित है कि आज श्री गुजराल पाकिस्तान के विदेश मन्त्री से कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए शायद मिलने वाले हैं । किन्तु इसी बीच, पाकिस्तान की प्रधान मन्त्री को मौका मिल गया कि वह सऊदी सरकार को संतुष्ट कर सकें और मई के अन्त में होने वाली 'इस्लामी देशों के संगठन' की बैठक में कश्मीर के मुद्दे को उठाने के लिए उनका समर्थन प्राप्त कर सकें । उनकी योजना यह है कि इसके बाद वे 'इस्लामी देशों के संगठन' के पूरे समूह की ओर से इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में रखेंगे । मैं 'सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे शीघ्रता से सभी राजनयिक प्रयास करें ताकि इस प्रकार की बातें न हों ।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में पीने के पानी का इस बार इतना संकट आ गया है कि गांव के कई लोग बाहर से पानी लेकर आ रहे हैं और बिहार सरकार इसका कोई इन्तजाम नहीं कर रही है । दिल्ली में भी पीने के पानी का संकट है । मैं चाहूंगा कि यह सरकार सब जगहों पर जल्द से जल्द पानी निकालने की मशीन से व्यवस्था करे, नहीं तो वहां आदमी और जानवर दोनों की मृत्यु होने की पूरी सम्भावना है । अध्यक्ष महोदय, मैं

आपके माध्यम से सरकार को यह राय देना चाहता हूं कि वह जल्द से जल्द पीने के पानी का प्रबन्ध करवा दे।

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष जी, आज पूरे भारतवर्ष के करीब एक लाख बैंक कर्मचारी एन. ओ. बी. डब्ल्यू. संगठन के माध्यम से हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि वेतन की समानता होनी चाहिए और कम्प्यूटरीकरण बैंकों में जो हो रहा है, उसके बारे में भी सरकार ध्यान दे। इसके कारण प्रतिवर्ष बैंकों के अन्दर भर्ती में क ी हो रही है। स्वयं रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने ऐसा कहा है कि बैंकों के अन्दर भर्ती में कमी की जा रही है। इसके कारण बेरोजगारी देश के अन्दर बढ़ रही है और वेतन में भी असमानता आ रही है। बैंक जो कि देश का बहुत अच्छा माध्यम हैं, अतः सरकार इस ओर विशेष ध्यान देकर स्थिति में सुधार लाये।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं जिससे इस देश के करोड़ों नहीं तो लाखों कामगारों में असंतोष व्याप्त हो रहा है। मैं "बंगाल पॉट्रीज" नामक एक औद्योगिक उपक्रम का उल्लेख करता हूं, जो क्राकरी और इंसूलेटर बनाने वाले उपक्रमों में मुख्य है और अपने उत्पाद की अकृष्टता के लिए जिसकी संसार भर में प्रतिष्ठा थी। वर्ष 1976 में यह कम्पनी रुग्ण हो गई और तत्कालीन सरकार ने 'औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम' के अन्तर्गत इसका प्रबन्ध अपने हाथों में ले लिया और, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को इसे चलाने का अधिकार दे दिया। किन्तु इसका प्रबन्ध उचित ढंग से नहीं किया गया और कम्पनी और भी ज्यादा रुग्ण हो गई। 1985 में पश्चिमी बंगाल की सरकार ने इसे राहत उपक्रम घोषित कर दिया। किन्तु तब भी, कोई कारगर उपाय नहीं किए गए। दूसरी तरफ, 1987 में, इसे दुबारा चालू करने, इसके आधुनिकीकरण के लिए उचित कदम उठाने की बजाय सरकार ने इसे बन्द करने का निर्णय ले लिया। परिणामस्वरूप कम्पनी बंद हो गई और 4,750 कर्मचारी बेरोजगार हो गए। उस समय, संसद सदस्यों ने और कर्मचारी संघों ने कई बार अभ्यावेदन दिए, हम तत्कालीन प्रधान मन्त्री से भी मिले, किन्तु इसे दोबारा चालू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। तब, कर्मचारी संघों के पास इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं बचा कि वे अदालत का दरवाजा खटखटाएं और वहां से इस कम्पनी को बंद करने के आदेश के खिलाफ स्थगन आदेश प्राप्त करें। इसके परिणामस्वरूप, भत्ते और वेतन तो दिया जा रहा है, पर 1987 से इस कम्पनी को दोबारा चालू करने के लिए, और इसे कच्चा माल उपलब्ध करवाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। अब, "टाटा कन्सल्टेन्सी सर्विसेज" जो कि इन मामलों में एक विशेषज्ञ संस्था है, जो इस कम्पनी की व्यावहार्यता की जांच की और यह रिपोर्ट दी कि 10 करोड़ रुपए इसके आधुनिकीकरण के लिए चाहिए और 5 करोड़ रुपये पूंजी के रूप में—कुल 15 करोड़ रुपये। किन्तु फिर भी यह राशि नहीं दी गई और स्थिति को बदतर होने दिया गया। अब नई सरकार के सत्ता में आने के पश्चात्, हमने भी उद्योग मन्त्री को बार-बार प्रतिवेदन दिए, हम मन्त्री महोदय से मिले। हमें यह सुनकर आघात पहुंचा कि कुछ कदम उठाने की अपेक्षा, यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी रुग्ण उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा चाहे उसमें कितनी ही क्षमता क्यों न हो।

यह एक ऐसा एकक है जो कार्यसक्षम है तथा जिसे और अधिक कार्यसक्षम बनाया जा सकता है यदि कुछ प्रबन्धकीय कदम उठाये जायें तथा इसके लिए कुछ धन की व्यवस्था की जाये तो 4,750 कामगरों तथा उनके परिवारों को बचाया जा सकता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि यह एक ऐसा मामला है जिसे अब और अधिक नहीं बिगड़ने दिया जाना चाहिए। हमने बार-बार

अनुरोध किया है कि किसी मामले विशेष की जो कुछ भी अपनी विशेषताएं हों, परन्तु उन्हें ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए तथा वे ऐसा नहीं करेंगे। बंगाल पॉट्रीज एक उदाहरण है जिसे पुनर्जीवित किया जा सकता है तथा लगभग 5,000 मजदूरों को बचाया जा सकता है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एकक है जिसके उत्पादों की विश्वभर में प्रतिष्ठा है। जब इसे बंद किया गया था, उस समय इसकी आर्डर पुस्तिका में पांच वर्ष तक के आर्डर बुक थे। अतः मेरा कहना यह है कि सरकार को तुरन्त कार्रवाई करनी चाहिए। कार्यक्षमता संबंधी रिपोर्ट को अद्यतन तैयार किया जाना चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तब इसका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। अन्यथा इसकी रक्षा नहीं की जा सकती। अतएव, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले में शीघ्र निर्णय ले।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, बंगाल पाट्रीज की सबसे बड़ी यूनियन के अध्यक्ष तथा एक ऐसा व्यक्ति जो इस सदन में इस मामले को बारह वर्षों से उठा रहा है की हैसियत से मेरा सरकार से विशेष अनुरोध है कि इस कम्पनी ने एक प्रतिकूल सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए मजदूरों के साथ भी कारखाने को चलाये रखा और यदि आज मित्र सरकार के रहते हुए भी यदि हमारे मजदूरों को निकाल दिया जाता है तब यह एक अत्यन्त दुखद् घटना होगी। अतः मैं उद्योग मन्त्री से अनुरोध करती हूं कि कल मुख्यमन्त्री जी के आगमन पर कुछ सकारात्मक कदम उठाए जाएं जिनके बारे में श्री सोमनाथ चटर्जी, जिनका मैं समर्थन करती हूं पहले ही कह चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री वसंत साठे···

(व्यवधान)

श्री संफुद्दीन चौधरी (कटवा) : अध्यक्ष महोदय।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : चौधरी साहब, हो गया।

[अनुवाद]

श्री संफुद्दीन चौधरी : महोदय, यह केवल पश्चिम बंगाल के सदस्यों की ही भावनायें नहीं हैं बल्कि देश के विभिन्न भागों से अनेक दलों के कई सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी और श्रीमती गीता मुखर्जी ने पहले ही इस मुद्दे को उठाया है। अब मैंने श्री साठे को बुलाया है।

श्री संफुद्दीन चौधरी : महोदय, नहीं, यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है। इस सदन में सरकार द्वारा कहा गया था कि अब और राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा। परन्तु हम इस सरकार से अनुरोध करते हैं कि विशेषताओं के आधार पर जिन उद्योगों को पुनर्जीवित किया जा सकता है, उनका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इससे पहले वाले प्रबन्ध को इसकी उपेक्षा करने हेतु दंडित किया जाना चाहिए तथा एकक को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक वित्त प्राप्त करने हेतु उस पर कर लगाया जाना चाहिए।

श्री वसंत साठे (वर्धा) : महोदय, मुझे पूरा यकीन है कि आपको तथा इस पूरे सदन को इस बारे में चिंता होगी कि दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चे आज काफी भयभीत हैं कि उनके शिक्षकों पर हमला किया जा रहा है। एक विद्यालय के प्राचार्य को पीटा गया तथा विद्यालय में प्रवेश देने के लिए महिला शिक्षकों को गुन्डों द्वारा धमकियां दी गईं कि वे उन पर

राजनैतिक दबाव डालेंगे। ये जो भी राजनैतिक दल हों अथवा जो कोई भी राजनैतिक लोग हैं, यदि वे इस प्रकार का काम करने का प्रयत्न करते हैं, तो उससे हमारे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी तथा विशेषकर वे महिला शिक्षक प्रभावित होंगे जिन्हें गुन्डों द्वारा धमकाया गया था। आज दिल्ली में सभी पब्लिक स्कूल बन्द हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इन महिला शिक्षकों की पर्याप्त सुरक्षा का आश्वासन दे तथा उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने दिल्ली में एक पब्लिक स्कूल के प्राचार्य को पीटा है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : महोदय, मेरे विचार से यह एक गंभीर मसला है तथा सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए तथा मुझे पूरा विश्वास है कि वह इसे गंभीरता से लेगी। दिल्ली में ही सभी पब्लिक स्कूल द्वारा हड़ताल करना एक अभूतपूर्व घटना है। और इसका अभिप्राय है कि सामान्यतः समाचार-पत्रों में जो कहा गया है वही इस मामले की वास्तविकता है। जिन तथ्यों को हम जानना चाहते हैं यदि उनमें कुछ संशोधन किया जाना है तब मैं यही कहूंगा कि बिना इस बात की परवाह किए बिना कि कौन सा राजनैतिक दल अथवा राजनैतिक तत्व इसमें शामिल हैं, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार की "गुंडागर्दी" कहीं पर न हो। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले को गंभीरता से ले तथा इसे केवल दल गत मामला अथवा राजनैतिक मामला ही न समझे बल्कि यह भी देखे कि जो कुछ भी किया जाना आवश्यक हो, उसे किया जाए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : अध्यक्ष महोदय, कश्मीर घाटी में 6 अप्रैल से लगातार कर्फ्यू लगा हुआ है। मैं आडवाणी जी तथा जसवंत सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वह मेरी मदद को आएं। (**व्यवधान**)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : प्रो० सोज की इस चिन्ता को मैं पूरी तरह से समझाता हूं। परन्तु प्रो० सोज कश्मीर से हैं तथा अनेक अवसरों पर कम से कम मैं प्रो० सोज से यह आशा करूंगा कि आज श्री कुमारमंगलम द्वारा व्यक्त किए विचारों को दोहरायें। इस मामले में आपकी चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। अतएव कश्मीर के मेरे माननीय मित्र ने प्रत्येक अवसर पर केवल एक विशिष्ट मुद्दे पर ही कुछ कहा है। आज पूरा देश चिन्तित है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं राष्ट्रीय मुद्दे पर बोल रहा हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं चाहता हूं कि आप इस पर स्पष्ट रूप से कहते। (**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, कुछ समय पश्चात श्री आडवाणी मेरी मनोस्थिति तथा दर्शन को समझ जायेंगे। तत्पश्चात मैंने मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की मांगों के बारे में चर्चा की थी तथा मैं चाहता था कि आप भी वहां होते। उसने मुझे जो परामर्श दिया है उसको मैंने ध्यान में रखा है तथा इसी बीच, माननीय अध्यक्ष जी, 6 अप्रैल से कश्मीर में लगातार कर्फ्यू लगा हुआ है। दो सप्ताह तक 24 घंटे कर्फ्यू लगा रहा। (**व्यवधान**) तथा वहां पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी वहां पर भुखमरी की भी घटनायें हुई हैं तथा जहां पर कि गर्भवती महिलाओं को अस्पताल नहीं ले जाया जा सका तथा इसके परिणामस्वरूप 27 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

अध्यक्ष महोदय : आप किस विषय पर कह रहे हैं?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इन शवों को ठीक तरह से दफनाया भी नहीं गया था तथा देशी समाचार पत्रों पर पूरे तरीके से प्रतिबन्ध लगा हुआ था। मैं चाहता हूं कि एक जांच आयोग का गठन

किया जाए जो कर्फ्यू के बारे में कश्मीर की जनता द्वारा व्यक्त की गई कठिनाईयों को देखेगा।

(व्यवधान)

श्री ए० एन० सिंह देव (आस्का) : महोदय, एअर बस की खरीद के बारे में यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है जो समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है महोदय, इस मामले में देश तथा यात्रियों का हित समाहित है। बंगलौर में एक हवाई जहाज पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था तथा यह आरोप लगाया जा रहा है कि भारत के तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा फ्रांस के प्रधानमन्त्री के बीच यह समझौता हो गया था तथा उसके पश्चात एअरबस को खरीदने का निर्णय लिया गया था तथा बोइंग कम्पनी को एक आशय पत्र पहले ही जारी कर दिया गया था। अब यह आरोप लगाया जाता है कि बोर्ड के निर्णय लेने से पहले तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक ने सचिव, नागर विमानन को लिखा था कि इस एअरबस को खरीदने का निर्णय लिया गया है। महोदय, यहां पर कुछ और भी रोचक बातें हैं। (व्यवधान) एअरबस तथा उसके इन्जन वी-2500 की जांच करने से पहले ही इन एअरबसों को खरीदने का निर्णय ले लिया गया था, यह विमान अभी पूरी तरह से तैयार भी नहीं था और इस पर भी उन्होंने इसे खरीदने का निर्णय ले लिया था।

महोदय, बोफोर्स के समान ही यह दूसरा कांड है जिसमें भूतपूर्व प्रधानमन्त्री का नाम जोड़ा जा रहा है। महोदय, क्योंकि इस मामले से यात्रियों की सुरक्षा जुड़ी है, इसलिए, यह आवश्यक है कि सरकार इस मामले पर सदन में वक्तव्य दे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवंत सिंह।

श्री जसवंत सिंह (जोधपुर) : महोदय, मैं आपको एक अत्यन्त विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। एअरबस की खरीद संबंधी इस अत्यन्त गंभीर मामले पर पूरी सभा काफी उत्तेजित प्रतीत होती है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : सही मामला क्या है ?

श्री जसवंत सिंह : यहां तक कि सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य प्रो० रंगा भी इस मामले में काफी उत्तेजित हैं। इस विषय पर चर्चा की मांग की जा रही है। यहां पर मन्त्री जी हैं। आप सरकार को यह निर्देश करें कि वह इस विषय पर विस्तृत चर्चा हेतु अपनी सहमति प्रदान करे।

(व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : हमें इस चर्चा पर कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, सरकार को इस चर्चा पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन (महबूब नगर) : मैं इसका जबर्दस्त विरोध करता हूं। रिपोर्ट आ जाने दीजिए। बिना रिपोर्ट के चर्चा का प्रश्न ही नहीं उठता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस जी। मैंने श्री थामस को बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ? मैंने श्री थामस को बुलाया है।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : मैं अलग विषय पर कहना चाहता हूं। आज के समाचार

पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि बम्बई के उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने····

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री थामस। आपको यह मुद्दा नहीं उठाना है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान स्तर तक लाने के लिए केरल सरकार द्वारा किए गए विलम्ब के संबंध में आपको बोलने की अनुमति दी जाती है। आप केवल उसी विषय पर ही बोलें।

श्री पी० सी० थामस : जी, हां। मैंने दो नोटिस दिए हैं। मैं किसी पर भी बोल सकता हूं। मैंने दूसरे विषय पर भी नोटिस दिया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपको केवल इसी मुद्दे को उठाने की अनुमति दी गई है।

श्री पी० सी० थामस : महोदय, दूसरा विषय यह है कि केन्द्र सरकार ने केरल राज्य के सरकारी कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन के समान लाने हेतु वेतन का भुगतान करने के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि आबंटित की है।

श्री ए० विजयराघवन (पालघाट) : महोदय, ऐसा क्यों है ? केरल राज्य सरकार ने स्पष्टत: यह उल्लेख किया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दी गई राशि के समान ही उनके वेतन का भुगतान सहायता राशि से नहीं किया जाएगा। महोदय, आप इसकी अनुमति क्यों दे रहे हैं ?

(**व्यवधान**)

श्री पी० सी० थामस : भारत सरकार ने राज्य सरकार को 500 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु आबंटित की है। इसमें गबन किया गया है। केरल सरकार ने इसे केरल की जनता से छिपाया है। (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आइए हम व्यवस्था के प्रश्न को सुनें। वह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

श्री ए० विजयराघवन : आप हमेशा उन्हें केरल सरकार के खिलाफ कुछ कहने की अनुमति दे देते हैं। (**व्यवधान**)

श्री पी० सी० थामस : मैं नोटिस दे चुका हूं। (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, कि मामला जो सम्बन्धित था···(**व्यवधान**)

श्री टी० बशीर (चिरायिकिल) : आपने इस विषय पर उन्हें अनुमति दे दी है। अब आप उन्हें पूरी बात कहने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनका व्यवस्था का प्रश्न सुनना है।

(**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी है। (**व्यवधान**) राज्य सरकार से सम्बन्धित मामलों को यहां उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आपको उन्हें यहां पर उन मामलों को उठाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो पूरी तरह से राज्य सरकार से सम्बन्धित हैं। उनके प्रश्न को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए। यह रिकार्ड में नहीं आना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलेप्पी) : महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा दी गई राशि का दुरुपयोग हुआ है। यह राज्य का विषय नहीं है। (**व्यवधान**) महोदय, मैं सिर्फ आधा मिनट और लूंगा। यह केन्द्र सरकार द्वारा दी गई राशि के दुरुपयोग से संबंधित विषय है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपने लिखित में कुछ भी नहीं दिया है। आप एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहते हैं जो कि एक राज्य का विषय है।

श्री पी० सी० थामस : नहीं, नहीं, यह राज्य का विषय नहीं है। केन्द्र सरकार ने कुछ राशि दी थी। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : स्टेट मैटर्स नहीं उठाना है। आप बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सुनने दीजिए कि वह क्या कह रहे हैं।

(**व्यवधान**)

श्री पी० सी० थामस : मैं सभा के माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि केन्द्र द्वारा राज्य को राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन देने के लिए, जो राशि दी गई थी, उसका राज्य सरकार ने दुरुपयोग किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में कैसे शामिल किया जा सकता है ?

(**व्यवधान**)

श्री पी० सी० थामस : राज्य सरकार ने इस तथ्य को बजट में या अन्य किसी दस्तावेज में नहीं दिखाया। उन्होंने इसे जनता से छिपाया है। यह बहुत गंभीर मामला है। राज्य सरकार ने गबन किया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठें। श्री के० डी० सुल्तानपुरी।

[**हिन्दी**]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। जो नेशनल हाई-वे नं०22 है वह कालका से शिमला जाता है। वहां पर जो बाई-पास बनाया जा रहा है उसमें कुमार हट्टी, धर्मपुर, परमाणु, जाबली, सोलन और शोघी आदि स्थानों पर लोगों को उजाड़ा जा रहा है। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि उन लोगों को, व्यापारियों को, जो वहां पर काम करते हैं, जिनके वहां मकान हैं, दुकानें हैं, तब तक न उजाड़ा जाए जब तक उनको मुतबादल अरामी नहीं दी जाती। वरना वे लोग, जो शिमला के पहाड़ी क्षेत्र के हैं, बेघर हो जाएंगे। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार को आदेश दिया जाए कि जब तक उनको कोई भूमि नहीं दी जाती तब तक वहां से उन्हें न उजाड़ा जाए।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में बस्तर हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा जिला है। वहां पर बहुत घना फारेस्ट है।

वहां पर कीमती पेड़ लाखों की संख्या में कटते हैं। इसके अलावा कई और जिलों में इस तरह से जंगल कटते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसका क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में नारा दिया था कि जंगलों के पेड़ काट कर उन पर खेती करो, तुम्हें उस जमीन के पट्टे दे दिए जायेंगे। बेचारे अनपढ़ लोग हैं, उन्होंने पूरे के पूरे जंगल काट दिए। अध्यक्ष महोदय, हजारों की संख्या में पेड़ काट दिए गए हैं। मैं चाहता हूं।··· (व्यवधान)

मैं आग्रह करूंगा कि वहां कमेटी भेजिए और इस बात की जांच करवाइए। लकड़ी किन कारणों से कटी है, सरकार इस बारे में बयान दे। इसकी जांच करवायी जाए।

[अनुवाद]

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : महोदय, मैं इस सभा और मन्त्रियों का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण सौदे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह सौदा पिछले वर्ष, चुनावों से ठीक पहले, सितम्बर-अक्तूबर में किया गया था और इस सौदे से देश को 10 लाख डालर से हाथ धोना पड़ा।

वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 12 करोड़ डालर के फास्फोरिक एसिड का सौदा करना था। मैं नहीं जानता कि कैसे और कब कृषि मन्त्रालय ने इस सौदे में दखल दिया। भूतपूर्व वाणिज्य मन्त्री ने विरोध किया और मन्त्रालय को अंधेरे में रखा गया। अपने 'उर्वरक निगम' के द्वारा कृषि मन्त्रालय ने वित्त मन्त्रालय से इस सौदे पर बात करने के लिए अबू धाबी जाने की अनुमति मांगी। वित्त मन्त्रालय ने अनुमति देने से इंकार कर दिया। फिर भी, उर्वरक निगम के लोग अबू धाबी गए और 411 डालर प्रति टन की दर से 3 लाख टन फास्फोरिक एसिड का सौदा किया, जबकि इसका बाजार मूल्य सिर्फ 380 डालर था। भारत को दलाली के रूप में एक करोड़ डालर का नुकसान हुआ। 32 डालर प्रति टन का अन्तर कहां गया। इस राशि को किसने हड़पा?

कृषि मन्त्रालय का नेतृत्व * कर रहे थे और वाणिज्य मन्त्रालय का नेतृत्व * के हाथ में था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, नोटिस देकर आपको एमीगेशन लगाना चाहिए। आपको प्रोपर प्रोसीजर फौलो करना चाहिए।

[अनुवाद]

इसको करने का एक तरीका है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रक्रिया का पालन करना होगा। नाम कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किए जाएंगे।

(व्यवधान)

श्री यादवेन्द्र दत्त : मैं जानना चाहूंगा कि क्यों और कैसे, किसके आदेश से, देश को बाजार मूल्य से एक करोड़ डालर ज्यादा मूल्य देना पड़ा। यह घपला कैसे हुआ? इसके लिए कौन उत्तर-दायी है? मैं चाहूंगा कि सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार करे और उच्चतम न्यायालय के जज की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बैठाएं और यह जांच खुली होनी चाहिए।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यादवेन्द्र जी आप तशरीफ रखें । हो गया ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा ।

श्री यादवेन्द्र दत्त : अतः, क्योंकि भूतपूर्व मन्त्री यहां हैं, मैं चाहूंगा कि वे अपना पक्ष रखें और मैं चाहूंगा कि सरकार इस सदन को आश्वासन दे कि इस 10 करोड़ डालर के घपले के बारे में, और यह राशि कहां गई, इस बारे में एक खुली जांच की जाएगा । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : एक अखबार में मेरे बारे में छपा है, इन्होंने मेरा नाम भी लिया···· **(व्यवधान)**····

श्री मदन लाल खुराना : (दक्षिण दिल्ली) : टी० वी० पर रोज देखते हैं एसिड खाते हुए, मे एसिड पी गये, इस पर डिसकशन कराये···· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

श्री भजन लाल : यहां पर भी कहा गया है कि फासफोरिक एसिड में बहुत भारी घपला हुआ है । मैं बताना चाहता हूं कि ग्लोबल टेंडर इन्वाइट किए जाते हैं, पूरी दुनिया से लिए जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम हटवा दिया है ।

श्री कालका दास (करोल बाग) : इनका स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, न्यायिक जांच करवाएं ।

श्री भजन लाल : 480 डालर प्रतिटन के हिसाब से ग्लोबल टेंडर आए थे । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं वैयक्तिक स्पष्टीकरण की अनुमति दूंगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : आप सुनने की कृपा करें । जो बात आई है उसका जवाब देने दें । कुछ शिकायतें आई कि यह बहुत मंहगा टेंडर है इसलिए दुबारा लिये जाएं । इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है जिसमें सात सचिव बैठकर टेंडर खोलते हैं, इनमें सचिव, फाइनेंस सचिव फर्टिलाइजर, सचिव कामर्स, इफको के प्रबन्ध निदेशक आदि इसके मेंबर होते हैं । **(व्यवधान)**

जिसका टेंडर लो होता है उसको दिया जाता है । फिर दोबारा 432 का टेंडर आया । 480 के रेट का टेंडर मराको कम्पनी का पहले आया था उसको रद्द कर दिया था उस ने हमारे खिलाफ आबू-धाबी में केस कर दिया हर्जाने का कि हम से माल नही लिया । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें। मैं श्री जसवन्त सिंह का व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगा। कृपया सुनें।

(**व्यवधान**)

श्री जसवन्त सिंह : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मैं नियम 357 का संदर्भ दे रहा हूं जो वैयक्तिक स्पष्टीकरण के बारे में है। आप समझते हैं कि इस सभा के एक माननीय सदस्य को वैयक्तिक स्पष्टीकरण करने की अनुमति देकर आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। वह नियम इस प्रकार है :

> कोई, सदस्य, अध्यक्ष की अनुज्ञा से, वैयक्तिक स्पष्टीकरण कर सकेगा यद्यपि सभा के सामने कोई प्रश्न न हो, किन्तु उस अवस्था में कोई विवादास्पद विषय नहीं उठाया जाएगा और कोई वाद-विवाद नहीं होगा।" (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि मैं किसी वाद-विवाद की अनुमति नहीं दे रहा। वे अपने वैयक्तिक स्पष्टीकरण तक ही सीमित रखें।

[हिन्दी]

जसवन्तसिंह जी, आपकी बात मैंने सुन ली है।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री बसन्त साठे : क्या आपमें सुनने का धैर्य है ? (**व्यवधान**)

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, विवादास्पद मामले लाए जा रहे हैं। यह ज्यादा बेहतर है कि सारे मामले की जांच करवाने पर ही पुनर्विचार करें। सरकार को उस पहलू पर विचार करने द।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, छः महीने से··· (**व्यवधान**) अबू धाबी से आदमी आये और उन्होंने कहा कि हम आपका दावा वापिस ले लेंगे लेकिन आप यहां से वापिस ले लो। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : भजनलाल जी, आपका हो गया, अब आप बैठ जाएं।

श्री ब्रह्मदेव नारायण यादव (सीतामढ़ी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री ब्रह्मदेव नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, कल आपने एक नियम बताया कि जो लिखकर देंगे, शून्यकाल में उनमें से ही लोगों को बुलाऊंगा तो जो लिखकर देते हैं, उनको बुलाया जाए और जिन्होंने नहीं लिखकर दिया, उसे मत बुलाइए।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका, सरकार का और सदन का

का ध्यान महाराष्ट्र राज्य में, बम्बई में कल हुई एक गंभीर घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री एम० पी० केनिया को धमकियां दी गयीं। एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें धमकियां दी गयीं। उन्होंने कहा है कि धमकियां देने वाले व्यक्ति मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित थे। तब न्यायाधीश श्री केनिया ने कहा कि वह ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और वह न्याय करते रहेंगे। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं आशा करता हूं कि पूरा सदन धमकियों के बावजूद न्यायाधीश केनिया के द्वारा प्रदर्शित इस बहादुरी को सराहना करेगा। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगा कि केवल पन्द्रह दिन पहले उनकी एक बहुत बड़ी बाइ-पास शल्य चिकित्सा हुई है। उन्होंने कुछ नहीं खाया है। (उन्होंने उपवास रखा है)। उन्होंने कहा है कि वह गांधीवादी परम्परा का पालन करेंगे। वह कल से पांच दिन की भूख हड़ताल पर हैं। अन्ततः उन्होंने कहा है कि यदि भूख हड़ताल से कुछ नहीं होगा तो 29 तारीख के पश्चात वह आमरण अनशन करेंगे। अतः मैं समझता हूं कि यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। सरकार को महाराष्ट्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। विधि और न्याय मंत्रालय को भी इस मामले की जांच करनी चाहिए ताकि न्यायाधिकरण बिना किसी भय के स्वतन्त्र रूप से काम कर सके। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्हें हमें बताना चाहिए कि सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने अभी भाषण समाप्त नहीं किया है।

श्री राम नाईक : सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार इस गम्भीर घटना के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

श्री नानी भट्टाचार्य (बरहामपुर) : मैं श्रम मंत्री का ध्यान एक अत्यन्त आवश्यक और महत्व-पूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं यद्यपि मंत्री यहां पर नहीं हैं···

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह निकारागुआ गए है।

श्री नानी भट्टाचार्य : उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों के चीनी मिल मजदूर संघ के कुछ नेता श्रम शक्ति भवन के परिसर में धरना किए बैठे हैं। इस धरने का आयोजन राष्ट्रीय चीनी मिल श्रमिक संघ की समन्वय समिति ने किया है। उनकी बहुत सारी शिकायतें हैं। जबकि सरकार चीनी के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है, परंतु जहां तक इन चीनी मिलों में नियुक्त मजदूरों की काम की शर्तों का संबंध है, यह बहुत ही अनिश्चित हैं। इस धरने का आयोजन हिन्द मजदूर सभा, 'एटक' में आई. टी. यू., यू. टी. यू. सी. तथा अन्य संघों द्वारा किया जा रहा है। (**व्यवधान**) काम के दिनों में भारी संख्या में मजदूर काम पर लगाए जाते हैं। इन्हें धीरे-धीरे समायोजित कर लेना चाहिए। इन्हें अवधारण भत्ता दिया जाना चाहिए और भुगतान मासिक आधार पर होना चाहिए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं जरा श्री सूर्य नारायण यादव की बात सुन लूं।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले बंगलौर में एअरबस की जो दुर्घटना घटी थी, उसमें लगभग 100 आदमियों की मृत्यु हुई, मुझे उस दुर्घटना में कुछ घपलेबाजी का अंदेशा है, उसके खरीदने में, और मैंने इस सम्बन्ध में यहां एक ध्यानाकर्षण नोटिस भी दिया हुआ

है। अध्यक्ष महोदय, उस नोटिस का अभी तक सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया है। सरकार को जवाब देना चाहिए। मेरी मांग है कि सरकार तुरन्त जवाब दे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे दीजिए।

श्री सूर्य नारायण यादव : मैंने आपको पहले ही लिखकर दिया हुआ है, नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : आप कोई भी समय तय कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जनकराज गुप्त (जम्मू) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में पिछले कुछ दिनों लगातार आग की वारदातें हो रही हैं। पहले विज्ञान भवन जला, फिर सदर बाजार में आग लगी, उसके बाद न्यू बैंक आफ इण्डिया की बिल्डिंग जली, दो पुलिस स्टेशनों में बम फटे और कल परसों हजारों की तादाद में मोतिया खान में झुग्गियां जल गयीं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इन आग की वारदातों के पीछे कहीं प्रतिक्रियावादी ताकतों का हाथ तो नहीं है, सरकार ने क्या इसकी जांच करायी है। क्या ये घटनाएं नेचुरल हुई हैं या सैबोटेज हो रहा है। इसके अलावा जो लोग इन घटनाओं से सफर कर रहे हैं, इन वारदात का शिकार हुए हैं, जिनकी झुग्गियां जल गयी हैं, वे आज सड़कों पर आ गए हैं, उनके बच्चों के पास न खाने के लिए कुछ है और न पहनने के लिए कपड़े हैं। उनकी हालत बहुत दयनीय है। क्या सरकार प्रभावित लोगों को फिर से बसाने के लिए फौरी तौर पर मदद दे रही है या नहीं, यही मैं जानना चाहता हूं। सरकार उनकी जल्दी से जल्दी इमदाद करे। (व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में 20 हजार झोंपड़ियां आग की भेंट हुई है और 15 लाख लोग झोंपड़ियों में रहते हैं, उन सब के लिए खतरा है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि उनको बिजली नहीं दी जाती है जिसके कारण वे हाई-टेंशन वायर से बिजली ले लेते हैं। हाई-टेंशन वायर से बिजली आने के कारण झोंपड़ियों में आग लग जाती है और हजारों की संख्या में झोंपड़ियां स्वाह हो जाती हैं। मैं समझता हूं कि उनको जीवन के लिए जरूरी चीज बिजली न देने के कारण ऐसा होता है।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, श्री अग्रवाल ने सूचना दी है, किंतु आपने उनका नाम नहीं पुकारा।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि सूचना किसने दी है और किसने नहीं दी है।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : तो क्या सरकार उनको बिजली देने पर विचार करेगी ताकि उनको अवैध तरीके से बिजली न लेनी पड़े और झोंपड़ियों में आग लगने से उनको बचाया जा सके और दूसरी बात यह है कि उनकी वहां से हटाने के बजाय, ऐसी 80 परसेंट जगह हैं, उनको इस तरह से री-शेप कर दिया जाए जिससे झोंपड़ियों में आग न लगे। 15 लाख झोंपड़ियां आग लगने के खतरे

में पड़ी हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए और इनके बारे में कुछ ऐसा इन्तजाम करना चाहिए जिससे आग न लग सके। (**व्यवधान**)

श्री जनक राज गुप्त : अध्यक्ष जी, मेरा पाइंट आफ आर्डर है····

अध्यक्ष महोदय : किस रूल के तहत ?

श्री जनक राज गुप्त : अध्यक्ष जी, मेरा एक क्वश्चन था, मैंने उसके बारे में नोटिस दिया···

अध्यक्ष महोदय : गुप्त जी आप बैठ जाएं। मैंने श्री एल० बालारमन जी को बोलने के लिए कहा है। मैं यहां नोटिस के बारे में जवाब नहीं दूंगा। आप कृपा कर के बैठ जाएं।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री बाल गोपाल मिश्र (बोलनगीर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। पहले हमने विभिन्न मुद्दों के संबंध में ध्यानाकर्षण सूचनाएं दी हैं, हम नहीं जानते कि हमारी सूचनाओं का क्या हुआ। दूसरा, कल आपने कहा कि आप केवल उन लोगों को समय देंगे पर विचार करेंगे जो अपने नेताओं के जरिए अपने नाम देते है। आपने कहा कि सभी दलों के नेताओं के साथ मिलकर बातचीत करके आप इस संबंध में निर्णय लेंगे। किंतु इसकी जानकारी हमें नहीं दी गई और आज हम फिर देख रहे है कि सभी सदस्य बोलने के लिए खड़े हो रहे है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, कृपया बैठ जाइए। अब पत्र सभापटल पर रखे जाएंगे, श्री शरद यादव।

12.53 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगें, राष्ट्रीय पटसन विनिर्मित निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन, और कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नोएडा के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि

[हिन्दी]

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी०-711/90]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय पटसन विनिर्मित निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय पटसन विनिर्मित निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिलित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए सं० एल० टी०-712/90]

(4) (एक) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नोएडा के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नोएडा के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए सं० एल० टी०-713/90]

शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1989

[अनुवाद]

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उपमंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : महोदय, मैं श्री राम विलास पासवान की ओर से शिशु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1989, जो 9 दिसम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि 909 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए सं० एल० टी०-714/90]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : महोदय, मैं पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए सं० एल० टी०-715/90]

विकलांग व्यक्तियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित दुकानों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 4951 के 5 अप्रैल, 1989 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण और शहरी विकास मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) विकलांग व्यक्तियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित दुकानों के बारे में श्री राम रतन राम, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4051 के 5 अप्रैल, 1989 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए सं० एल० टी०-716/90]

(2) शहरी विकास मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए सं० एल० टी०-717/90]

12.54 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

श्री शिवराज वी० पाटिल (लातूर) : महोदय, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

12.54½ म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति

(एक) दूसरा प्रतिवेदन

श्री एल० बालारमन (वन्डावासी) : महोदय, मैं सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

(दो) दूसरे प्रतिवेदन के संबंध में कार्यवाही सारांश

श्री एल० बालारमन (वन्डावासी) : महोदय, मैं सभापटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

12.55 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

एक्सप्रेस समूह की कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा विभिन्न कर-विधियों का कथित उल्लंघन

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नांकित विषय

की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में वक्तव्य दें।

"एक्सप्रेस समूह की कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा विभिन्न कर-विधियों के कथित उल्लंघन तथा इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : महोदय, एक्सप्रेस समूह की कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा विभिन्न कर कानूनों के तथाकथित उल्लंघन के संबंध में मेरा ध्यान आकृष्ट किया गया है। ऐसे तथाकथित अनेक उल्लंघन सरकार की जानकारी में आए हैं तथा सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा उन सभी उल्लंघनों के सम्बन्ध में संगत कानूनों के अधीन उपयुक्त कार्यवाही शुरू की गई है। सदन के समय को बचाने के लिए मैं यह विवरण रख रहा हूं, जिसमें कानून के तथाकथित विभिन्न उल्लंघनों, उन पर की गई कार्यवाही तथा मामला इस समय किस स्थिति में है, का विस्तृतब्यौरा दिया गया है। इन विवरणों से यह पता चलेगा कि संबंधित प्राधिकारियों ने कानून के संगत उपबन्धों के अधीन सभी मामलों में कार्यवाही की है।

हमारी यह सुसंगत नीति रही है कि आर्थिक तथा कर कानूनों को केवल बिना किसी भय अथवा पक्षपात के लागू किया जाए बल्कि बिना किसी प्रतिशोधात्मक दृष्टि से लागू किया जाए और मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि एक्सप्रेस समूह की कम्पनियां इस सम्बन्ध में कोई अपवाद नहीं होंगी।

विवरण-एक

इंडियन एक्सप्रेस समूह—फेरा के अधीन जांच-पड़ताल

क्र०सं०	उल्लंघनों का संक्षिप्त ब्यौरा	अन्तर्ग्रस्त राशि	की गई कार्रवाही	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स इण्डियन एक्सप्रैस न्यूजपेपर्स (प्रा०) लि० ने 1,38,000 डी०एम० के घोषित मूल्य में जर्मनी के मैसर्स डायट्रिच कुन्हे से स्कैनर मशीन आयात की। यह आरोप लगाया गया था कि उक्त आयात न्यून बीजकांकन करके किया गया था तथा वास्तविक मूल्य तथा घोषित मूल्य के बीच का अन्तर लगभग 1,49,900 डी० एम० था जिसे 'फेरा', 1973 की धारा 8(1) का उल्लंघन करते हुए अवैध चैनलों की मार्फत अदा किया गया था। तदनुसार मैसर्स इंडियन एक्सप्रेस, श्री आर०एन० गोयंका तथा अन्य व्यक्तियों को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था (एस० सी० एन० टी०-4/256-डी०/87 दिनांक 20-10-87)	डी० एम० 1,49,900	दिनांक 7-11-89 के आदेश के द्वारा इस मामले का न्याय निर्णयन हो गया है, जिसके तहत इण्डियन एक्सप्रेस पर 13 लाख रु०, श्री आर० एन० गोयंका पर तीन लाख रु० तथा अन्य व्यक्तियों पर 2 लाख रु० का अर्थदण्ड लगाया गया है।	इण्डियन एक्सप्रेस तथा श्री आर०एन० गोयंका ने दिनांक 21 दिसम्बर, 1989 को 'फेरा' बोर्ड के सम्मुख अपील दायर की है। जिस पर अभी फैसला नहीं हुआ है।

1	2	3	4	5
2.	ऊपर उल्लिखित राशि में अन्तर अर्थात 1,49,900 डी०एम० की राशि में से 22,450 डी० एम० की राशि इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जर्मनी की डायट्रिच कुन्हे की ओर से मैसर्स प्रोसेस इन्स्ट्रूमेंटेशन को भारतीय मुद्रा (अर्थात समतुल्य राशि 90,000 रु०) में अदा की गयी थी। तदनुसार 'फेरा', 1973 की धारा 9(1)(च)(i) के अधीन इंडियन एक्सप्रेस, श्री आर० एन० गोयनका तथा अन्य व्यक्तियों को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। (एस० सी० एन० टी०-4/462-डी० जेड०-87-डी० डी० दिनांक 30-10-87)	90,000 रु०		
3.	यह आरोप लगाया गया था कि मैसर्स केम्को सिस्टम्स, न्यूयार्क से मशीनरी के आयात के संबंध में मशीनरी की सप्लाई के करार को रद्द होने से बचाने के लिए इंडियन एक्सप्रेस ने 'फेरा', 1973 की धारा 9 (1)(क) का उल्लंघन करते हुए स्विटजरलैंड के डा० ब्राइनर की मार्फत 2 लाख अमरीकी डालर की अदायगी की थी। तदनुसार, मैसर्स इंडियन एक्सप्रेस, श्री आर० एन० गोयंका तथा अन्य व्यक्तियों को एक कारण बताया नोटिस	2,00,000 अमरीकी डालर	दिनांक 27-12-88 के आदेश के द्वारा इस मामले का न्याय निर्णयन हो गया है। जिसके तहत इंडियन एक्सप्रेस पर 6 लाख रु० तथा श्री आर०एन० गोयंका पर 1 लाख रु० का अर्थदंड लगाया गया है।	इंडियन एक्सप्रेस तथा श्री आर०एन० गोयनका ने दिनांक 8-2-1989 को 'फेरा' बोर्ड के सम्मुख अपील दायर की है, जिस पर अभी फैसला नहीं हुआ है।

1	2	3	4	5
	जारी किया गया था (एस० सी० एन० टी०-4/256-डी/87 (एस० सी० एन०-II), दिनांक 18-2-88)			
4.	यह आरोप लगाया गया था कि इंडियन एक्सप्रेस में प्रिंटिंग मशीनरी के आयात के सम्बन्ध में फ्रांस के मैसर्स हैरिस मौरीनोनी की ओर से बम्बई के मैसर्स एस० एल० कुलकर्णी को 17,50,000 रुपये की राशि अदा की थी। इस मशीनरी के लिए मैसर्स हैरिस मौरीनोनी को डाउन पेमेंट करना आवश्यक था। तदनुसार, धारा 9 (1) (घ) तथा 9 (1) (ख) के उल्लंघन के सम्बन्ध में मैसर्स इंडियन एक्सप्रेस तथा मैसर्स एस० एल० कुलकर्णी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। (एस० सी० एन० टी०-4/72-बी/88-एस० सी०एन०-I दिनांक 31-5-1988)	17,50,000 रुपए	मामले की सुनवाई हो गयी है।	न्याय निर्णयन को पूरा करने के लिए इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है।
5.	यह आरोप लगाया गया था कि इंडियन एक्सप्रेस की एक सम्बद्ध कंपनी मैसर्स ट्रेडर्स (प्रा०) लि०, बम्बई ने आयात के समय घोषित प्रिंटिंग की गति की तुलना में हांग हुआ, ताइवान से अपेक्षाकृत कम गति की छपाई की मशीन का	6,78,020 अमरीकी डालर	कारण बताओ नोटिस का आंशिक उत्तर मिल गया है, जिस पर विचार किया जा रहा है।	न्याय निर्णयन की कार्यवाहियां अनिर्णीत पड़ी हुई हैं।

1	2	3	4	5
	आयात किया था। तदनुसार, 'फेरा', 1973 की धारा 8 (4) के साथ पठित धारा 8(3) के उल्लंघन के सम्बन्ध में मैसर्स ट्रेक्स (प्रा०) लि० बम्बई, श्री आर० एन० गोयंका तथा अन्य व्यक्तियों को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। (एस० सी० एन० टी०-4/72-ल/88) एस० सी० एन०-II दिनांक 13-6-1988)			

सीमा-शुल्क अधिनियम

क्र० सं०	तथाकथित उल्लंघन का संक्षिप्त ब्यौरा	अन्तर्ग्रस्त राशि	की गई कार्यवाही	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1. मैसर्स इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स (बम्बई) प्रा० लि०, बम्बई	आयात किए गए और दिल्ली में अधिस्थापित किए गए डाक्टर हाल के स्कैनर के मामले में न्यून मूल्यांकन के सम्बन्ध में मै० इण्डियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स (बम्बई) प्रा० लि०, बम्बई को सीमा-	7.72 लाख रु० का शुल्क अपवंचन तथा 26.16 लाख रुपए का स्कैनर जब्त किया जाना था।	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दिनांक 19-10-1987 को मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सम्मुख दिल्ली में अभियोजन दायर किया गया।	सीमा-शुल्क समाहर्ता के सम्मुख सुनवाई की तारीख अभी अनिश्चित की जानी है वह श्रीमती रेणु शर्मा तथा अन्य द्वारा दायर की गई सिविल रिट याचिका संख्या 1989 का 433 के

1	2	3	4	5
	शुल्क समाहर्ता, दिल्ली द्वारा दिनांक 5-10-1987 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था । पार्टी पर शुल्क अपवंचन का आरोप लगाया गया है ।			परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं । अभियोजन अनिर्णीत पड़ा हुआ है ।
2. मैसर्स इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स (बम्बई) प्रा० लि०, बम्बई । मैसर्स आन्ध्र प्रभा प्रा० लि० हैदराबाद । मैसर्स इंडियन एक्सप्रेस (मदुरै) प्रा० लि०, मद्रास ।	मैसर्स इण्डियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स (बम्बई) प्रा० लि०, बम्बई द्वारा वर्ष 1983 में आयात किए गए फोटो-कम्पोजिंग उपकरणों का तथाकथित न्यून बीजकांकन करने के सम्बन्ध में सीमा शुल्क समाहर्ता, बंबई द्वारा दिनांक 19-10-1987 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था । पार्टियों पर शुल्क की चोरी का आरोप लगाया गया है ।		2.82 करोड़ रुपए के मूल्य के उपकरणों को जब्त किया जाना था तथा 75.09 लाख रु० की चोरी किए गए शुल्क की वसूली की जानी थी ।	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था । अतिरिक्त मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बम्बई की अदालत में दिनांक 26-10-1987 को अभियोजन दायर किया गया ।	बम्बई उच्च न्यायालय ने दिनांक 5 फरवरी, 1990 के अपने एक आदेश के द्वारा सीमा शुल्क समाहर्ता के सम्मुख अनिर्णीत पड़ी हुई कार्यवाहियों पर आगे कार्यवाही करने के बारे में स्थगन आदेश जारी किया है । अभियोजन का

1	2	3	4	5
				मामला चल रहा है।
3. इण्डियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स (बम्बई) प्रा० लि० बम्बई।	मैसर्स इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स (बम्बई) प्रा० लि०, बम्बई द्वारा वर्ष 1987 में कम्पोजिंग उपकरणों, जिनका मूल्य 96,41,859 रुपए था, का न्यून बीजकांकन करने तथा शुल्क अपवंचन के लिए सीमा-शुल्क समाहर्ता (एयरपोर्ट), बम्बई द्वारा एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।		94,41,859 रुपए के मूल्य के फोटो कम्पोजिंग उपकरणों पर 34,35,448 रुपए की सीमा तक शुल्क की चोरी की गई थी।	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मुख्य मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट, बम्बई की अदालत में दिनांक 5-9-89 को अभियोजन दायर किया गया।	पार्टी ने कारण बताओ नोटिस का उत्तर दे दिया है माननीय बंबई उच्च न्यायालय ने दिनांक 5-2-1990 के अपने एक आदेश के द्वारा सीमा-शुल्क समाहर्ता एयरपोर्ट, बम्बई के सम्मुख पड़ी कार्यवाहियों पर आगे और कार्यवाही करने के बारे में स्थगन आदेश दे दिया है। अभियोजन की कार्यवाहियां चल रही हैं।
4. मैसर्स ट्रेडर्स प्रा० लि० बम्बई, मैसर्स	केब ऑफसेट प्रिंटिंग मशीनों की गति को कम घोषित	29 लाख रुपए तक की शुल्क की की गई	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मुख्य	सीमा-शुल्क समाहर्ता, मद्रास ने इस मामले में न्याय निर्णय दे

1	2	3	4	5
इण्डियन एक्सप्रेस (मदुरै) प्रा० लि० मद्रास, मैसर्स आंध्र प्रदेश प्रा०लि० हैदराबाद ।	करने के लिए सीमा-शुल्क समाहर्ता, मद्रास द्वारा मैसर्स ट्रेडर्स प्रा० लि० बंबई को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पार्टियों पर शुल्क अपवंचन का आरोप लगाया गया है।	चोरी की वसूली की जानी है तथा प्रिंटिंग मशीन, जिसके बारे में गलत घोषणा की गई थी, को जब्त किया जाना है।	मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, मद्रास की अदालत में दिनांक 16-10-1987 को अभियोजन दायर किया गया।	दिया है। पार्टी से 29 लाख रुपये के अतिरिक्त शुल्क की मांग की पुष्टि कर दी गई है। मशीनों को जब्त करने के आदेश दे दिए गए हैं तथा 1.12 लाख रुपए प्रति मशीन के हिसाब से (कुल 15.68 लाख रुपये) क्षतिपूर्ति जुर्माने के आधार पर मशीनों को छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। मैसर्स ट्रेडर्स प्रा० लि० पर 10 लाख रुपये का अर्थ दंड लगाया है तथा उच्च न्यायालय ने इस आदेश को रद्द कर दिया है तथा समाहर्ता को यह छूट दी है कि वे इस मामले पर नए सिरे से न्याय निर्णय दे सकते हैं। अभियोजन की कार्यवाहियां चल रही हैं।
5. मैसर्स इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स	सीमा-शुल्क समाहर्ता (एयरपोर्ट), बम्बई द्वारा मैसर्स इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स (बम्बई) प्रा० लि०,	अतिरिक्त कल-पुर्जों के संबंध में 4.35 लाख	दिनांक 15-6- सुनवाई की 89 को कारण तिथि अभी

1	2	3	4	5
	(बम्बई) प्रा० लि०, बम्बई।	बम्बई तथा अन्य व्यक्तियों को उनके द्वारा आयात किए गए लिमोट्रोन के अतिरिक्त कलपुर्जों के संबंध में जान-बूझ कर गलत घोषणा करने के सम्बन्ध में दिनांक 15-6-89 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। दो परेषणो में 31,000 रुपए के अनुमानित मूल्य की घोषणा की गई थी जब कि सही-सही मूल्य लगभग 3.97 लाख रु० था। पार्टी पर शुल्क अपवंचन का आरोप लगाया गया है।	रुपए तक की की गई शुल्क की चोरी की वसूली की जानी थी तथा 3.97 लाख रुपए मूल्य के माल को जब्त किया जाना था।	बताओ नोटिस तय की जानी जारी किया है। गया।

विवरण-दो

प्रत्यक्ष करों के उल्लंघनों के सम्बन्ध में वर्ष 1989-90 के दौरान की गई कार्यवाहियों को बताने वाला विवरण।

क्र० सं०	कर निर्धारिती का नाम तथा कर निर्धारण का वर्ष	तथा कथित उल्लंघन का संक्षिप्त ब्यौरा	अन्तर्ग्रस्त राशि	की गई कार्यवाही	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स (बम्बई) प्रा० लि०, बम्बई, कर्ननि० वर्ष 1982-83	(i) काल्पनिक दृष्टि से जमा खाता के द्वारा न्यूज प्रिंट की खपत में जालसाजी करना।	55,32,979 रुपए	पुनः कर निर्धारण पूरा कर लिया गया है तथा काल्पनिक दृष्टि से किए गए जमा खाते की अनुमति नहीं दी गई। आय को छिपाने के सम्बन्ध में अर्थदंड की	पुनः कर निर्धारण मार्च, 1990 में किया गया। अर्थदण्ड की कार्यवाहियां लम्बित पड़ी

1	2	3	4	5	6
		(ii) ब्याज लिए बिना अपनी सहयोगी कम्पनियों को उधार दिए धन को आगे ले जाना।	22,23,010 रुपए	कार्यवाहियां शुरू की गईं पुनः कर निर्धारण में 22,23,010 रुपये के ब्याज की देयता की अनुमति नहीं दी गई। आय को छिपाने के लिए अर्थदण्ड की कार्यवाहियां शुरू की गई।	—यथोक्त—
2.	इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स (बम्बई) प्रा० लि०, बम्बई। कर निर्धारण वर्ष 1987-88	(i) न्यूज प्रिंट के हिसाब-किताब में हेरा-फेरी करना-सहयोगी कम्पनियों को मूल्य के अंतर की अनुमति देना।	1,41,71,180 रुपए	कर निर्धारण मार्च, 1990 में पूरा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कालम 4 में दी गई राशि का परिवर्धन किया गया। आय को छिपाने के लिए अर्थ-दण्ड लगाने की कार्यवाहियां शुरू की गई।	
		(ii) सहयोगी कंपनियों को वापस किए जाने योग्य न्यूज प्रिंट ऋण के उपबन्धों को डेबिट करना।	55,70,113 रुपये		
		(iii) सीमा-शुल्क तथा अन्य सांविधिक शुल्कों जैसे निगम कर, जो आय-कर अधिनियम की धारा 43ख के अधीन	10,76,539 रुपए		

1	2	3	4	5	6
		अनुमत्य नहीं हैं, के उपबन्धों को डेबिट करना ।			
		(iv) न्यूज प्रिंट की अप्रमाणित खरीद ।	2,26,37,325 रुपए		
		(v) पी० एण्ड एल० खाते में विज्ञापन से प्राप्त हुए राजस्व को नामे खाते न डालना ।	1,18,45,895 रुपए		
		(vi) ब्याज लिए बिना सहयोगी कम्पनियों को उधार दिए गए धन को आगे ले जाना ।	49,38,593 रुपए		
	3. ट्रेडर्स प्रा० लि०, क० नि० वर्ष 1987-88	(i) देयता के समाप्त होने के पश्चात् भी डेबिट के रूप में अनुमत्य सीमाशुल्क के उपबन्धों पर आय-कर अधिनियम की धारा 41(1) के अधीन कर लगाने में असमर्थ रहना ।	19,45,636 रुपए	कर निर्धारण मार्च, 1990 में पूरा किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कालम 4 में दी गई राशि को जोड़ा गया ।	
		(ii) आयकर अधिनियम की	1,58,163 रुपये		

1	2	3	4	5	6
		धारा 43 ख के अधीन अनुमत्य सांविधिक शुल्क के उपबन्धों को डेबिट करना ।			
4.	ट्रेडर्स प्रा० लि० धनकर कर निर्धारण वर्ष	ऐसे भवन जो निजी है लेकिन जिनका प्रयोग व्यापारिक कार्य के लिए नहीं किया जा रहा है जिन्हें धनकर अधिनियम के अधीन कर निर्धारण के लिए घोषित नहीं किया गया ।		सभी तीनों कर निर्धारण वर्षों के लिए धनकर का निर्धारण मार्च, 1990 में पूरा किया गया जिसमें वास्तविक धन में आवश्यक परिवर्धन किए गए । धन को छिपाने के लिए अर्थदंड की की कार्यवाहियां धनकर अधिनियम की धारा 18(1)(ग) के अधीन शुरू की गई ।	
	1984-85		19,87,750 रुपए		
	1985-86		77,48,150 रुपए		
	1986-87		77,48,150 रुपए		
5.	एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स लि० मद्रास कर निर्धारण वर्ष 1987-88	(i) शेयरों में झूठ लेन-देन, जिसमें हानि होना दिखाया जाना ।	88,86,040 रुपए	कर निर्धारण मार्च, 1990 में पूरा किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कालम 4 में उल्लिखित राशियों के संबंध में परिवर्धन किए गए ।	
		(ii) बेनामी कम्पनियों से आय, जिनका विवरणियों में उल्लेख नहीं किया गया ।	11,29,541 रुपये	आय को छिपाने के लिए अर्थ दण्ड की कार्यवाहियां शुरू की गई ।	
		(iii) ऋणों पर ब्याज देयता	8,87,262 रुपए		

1	2	3	4	5	6
		का दावा जो सही नहीं पाया गया ।			
6.	मैसर्स एयरलाइन्स इन्वेस्टमेंट्स एंड लीजिंग प्रा०लि० कर-निर्धारिती वर्ष 1997-88	(i) शेयर के लेन-देन में झूठी हानियों का दावा	6,56,650 रुपए	कर निर्धारण अक्तूबर, 1989 में पूरा किया गया तथा कालम 4 दी गई राशि को आवश्यक तौर पर अस्वीकार कर दिया गया । आय को छिपाने के लिए अर्थदंड की कार्यवाहियां शुरू की गई ।	
		(ii) शेयर के कारोबार में हानि के झूठे अनुमानों का दावा	56,64.525 रुपए		
7.	—वही— कर-निर्धारण वर्ष 1988-89	(i) शेयर के कारोबार में हानि के झूठे अनुमानों का दावा	30,25,550 रुपए	कर निर्धारण अक्तूबर, 1989 में पूरा किया गया तथा 30,25,550 रुपये की हानि के दावे को मंजूर नहीं किया गया ।	
8.	ए०सी०ई० इन्वेस्ट-मेंट्स लिमिटेड कर-निर्धारण वर्ष 1987-88	(i) शेयर के लेन-देन में झूठी हानियों का दावा	38,850 रुपए	कर-निर्धारण फरवरी, 1900 में पूरा किया गया जिसके परिणामस्वरूप कालम 4 में दी गई राशि के संबंध में आवश्यक परिवर्धन किए गए । आय को छिपाने के लिए अर्थदण्ड की कार्यवाहियां शुरू की गई ।	
		(ii) वास्तविक उधार के रूप में अस्पष्ट क्रेडिट का दावा करना ।	62,30,000 रुपए		
		(iii) अनुचित ब्याज देयता का दावा करना	8,22,890 रुपए		
9.	इंडियन एक्सप्रेस (मदुरै) प्रा० लि० कर-निर्धारण वर्ष 1987-88	निम्नलिखित तरीके से हेरा-फेरी करना :			
		(I) न्यूज प्रिंट के हिसाब-किताब में काल्पनिक	88,09,348 रुपए	कर-निर्धारण मार्च, 1990 में पूरा किया गया जिसके परिणामस्वरूप कालम 4 में दी गई	

1	2	3	4	5	6
		दृष्टि से डेबिट करना		राशियों में परिवर्धन किए गए ।	
		(II) देय आयात शुल्क को डेबिट कर जो आयकर अधिनियम की धारा 43-ख के अधीन अनुमत्य नहीं पाया गया ।	2,11,598 रुपए		
		(III) पी० एंड एल० खाते में बिक्री कर को डेबिट करने से संबंधित प्रावधान—जो धारा 43-ख के अधीन अनुमत्य नहीं पाया गया ।	5,06,836 रुपये		
		(IV) देयता के समाप्त होने के पश्चात् भी डेबिट के रूप में अनुमत्य सीमा-शुल्क के उपबन्धों पर आयकर अधिनियम की धारा 41(1) के अधीन कर लगाने में असमर्थ रहना ।	44,58,044 रुपए		
		(V) ऐसी सोसाइटी, जिसे आयकर अधिनियम की	10,00,000 रुपए		

1	2	3	4	5	6
		धारा 11 के अधीन छूट प्राप्त न हो, को दिए गए दान का कारोबारी खर्चों के रूप में गलत दावा प्रस्तुत करना ।			
10.	आंध्र प्रभा प्रा० लि० कर-निर्धारण वर्ष-1987-88	(i) सहयोगी कम्पनियों के साथ किए गए लेन-देन के संबंध में न्यूज प्रिंट के हिसाब-किताब में हेरा-फेरी करना ।	21,31,845 रुपए	कर-निर्धारण मार्च, 1990 में पूरा किया गया जिसके तहत कालम 4 में दी गई राशि के संबंध में एहतिहाती तौर पर कर-निर्धारण किया गया । उक्त राशि के सम्बन्ध में मैसर्स इंडियन एक्सप्रेस (मदुरै) प्रा० लि० के हाथों अलग से वास्तविक कर-निर्धारण किया गया है ।	

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस समय हमने यह ध्यानाकर्षक का नोटिस दिया उस समय हमारी जानकारी में यह नहीं था कि एक्सप्रेस समूह की कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और दूसरे मामलों में इतनी गम्भीर अनियमितताएं की गई। मैं माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी उम्मीद से ज्यादा अनियमितताओं के सन्दर्भ में यहां पर जानकारी दी है। इस कम्पनी द्वारा की गई अनियमितताओं का यह एक पूरा पोथा है। अच्छा होता हमें कुछ और अधिक समय पहले यदि ये सब जानकारियां मिल गई होतीं तो शायद हम बेहतर तरीके से, जो आइटमवार अनियमितताएं उनके द्वारा की गई हैं, मन्त्री जी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित कर सकते। आपकी स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के द्वारा जो जानकारी आपने ऐनक्लोज की हैं, वह अभी आधे घंटे पहले मिल पाई है। मैं आपका ध्यान और आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले जब इस सदन में और सदन से बाहर हाल में यह सवाल उठा, सवाल उठने के बाद तथाकथित एक सरकारी स्पोक्समैन द्वारा, मैं नहीं जानता कि स्पोक्समैन ने कोई औथेनटिक तरीके से स्टेटमेंट दिया या कोई न्यूज लीक की, यह कहा गया कि एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा जो विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं की गई हैं, उन अनियमितताओं के क्रम में माननीय उप प्रधानमन्त्री द्वारा कोई पत्र प्रधानमन्त्री को लिखा गया है और प्रधानमन्त्री द्वारा उस पत्र को वित्त मन्त्रालय को आगे इनवैसटीगेशन के लिए कार्यवाही करने के लिए भेज दिया गया। सरकार के द्वारा इस समाचार का न तो विधिवत तरीके से कोई खण्डन हुआ है, न पुष्टि हुई है। अलबत्ता 20 तारीख को यहां पर इसी सदन में एक प्रश्न से उठे हुए पूरे प्रश्न के तौर पर माननीय गाडगिल साहब ने जब आपसे पूछा कि आप जिस तरीके से विभिन्न कम्पनियों द्वारा की गई इररैगुलैरीटीज के मामले में कठोर कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं, क्या आपके

1.00 म० प०

ध्यान में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो पत्र प्राइम मिनिस्टर को लिखा गया है और उन्होंने उसमें कुछ अनियमितताएं एक्सप्रेस समूह द्वारा जो की गई हैं, उसके बारे में ध्यान आकृष्ट कराया गया है, उसके संदर्भ में आप उतनी तेजी के साथ सारे कमिटमेंट्स के साथ कार्यवाही करेंगे तो आपने स्वीकार किया हां, हम करेंगे। यह आपकी बहादुरी का प्रतीक है। उसकी मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, मगर आपने अपने उत्तर में कहीं भी इस बात को नहीं कहा है कि माननीय उपप्रधानमन्त्री जी द्वारा इस क्रम में कोई पत्र प्रधानमन्त्री जी को लिखा गया है और प्रधानमन्त्री जी द्वारा आपके मन्त्रालय को निर्देश दिए गए हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय उप प्रधानमन्त्री जी द्वारा कोई ऐसा पत्र आपके मन्त्रालय को प्रधानमन्त्री जी के माध्यम से आया है और जिसमें कहा गया है कि आप इन कम्पनियों की अनियमितताओं के खिलाफ तेजी से कार्यवाही करेंगे। इस पत्र के संदर्भ में यहां पर अखबारों में भी छपा है और कुछ कागज हमने भी देखे हैं। उनमें दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं—एक बात तो कही गई है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। महोदय, इस सभा के नियम तथा परम्पराएं···

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप किसी नियम का उल्लेख कर रहे हैं? मैं भी इसे देख सकता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : जी, हां। यहां मेरे पास शकधर की किताब है जिसमें परम्पराओं, व्यवस्थाओं इत्यादि का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। मैं आपकी सहायता के लिए इसे पढ़कर सुनाता हूं मार्गदर्शन के लिए नहीं, क्योंकि आपके कमरे में मुझे आपका मार्ग दर्शन लेना है। यह पृष्ठ 960 पर। "मन्त्रियों के बीच पत्र-व्यवहार" शीर्षक में दिया गया है।

"मन्त्रिपरिषद को लोक सभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत के अनुसरण में, मंत्रियों के बीच पत्रव्यवहार को गुप्त अथवा गोपनीय समझा जाता है जब तक कि सरकार स्वयं किसी विशेष पत्र अथवा उसके किसी अंश को सार्वजनिक बनाने का निर्णय न करे। सरकार को यह निर्णय करने का अधिकार है कि कौन-सा पत्र गुप्त अथवा गोपनीय है और किस पत्र को सभापटल पर रखा जाना चाहिए पूर्ण है। किसी दस्तावेज से सभा में उद्धरण देने वाला मन्त्री भी उस दस्तावेज को इस आधार पर सभापटल पर रखने से मना कर सकता है कि इसका प्रकटन लोकहित के विरुद्ध होगा। "लोकहित" क्या है इसका निर्णय भी सरकार ही करेगी।" इसलिए, यह काफी स्पष्ट है। अध्यक्ष द्वारा अनेक विनिर्णय दिए गए हैं। यदि मन्त्रिमण्डल का एक सदस्य दूसरे सदस्य को पत्र लिखता है, वे सदस्य भी जो पहले मन्त्रिमण्डल में थे और जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, इस बात पर सहमत होंगे कि इसका कड़ाई से पालन किया गया है और सभी अध्यक्षों ने यह सुनिश्चित किया है कि इन परम्पराओं तथा नियमों का उल्लंघन न हो। मैं यह चाहूंगा कि उसी नियम का पालन किया जाना चाहिए और आपको भी उसी दिशा में अपना विनिर्णय देना चाहिए।

श्री बसंत साठे (वर्धा) : महोदय, वास्तव में यह विनिर्णय हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर लागू नहीं होता है। यह कहने के पीछे कि एक मन्त्री से दूसरे मन्त्री के बीच पत्र-व्यवहार होता है, क्या इससे ऐसा नहीं लगता है कि वित्त मन्त्री महोदय किसी बात को टाल रहे हैं।

प्रश्न सामान्य-सा है। कोई मन्त्री किसी दूसरे मन्त्री को पत्र लिख सकता है। हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि क्या प्रेम-पत्र लिखा गया है। मुख्य प्रश्न यह है। उस पत्र में लिखा क्या गया है ? प्रश्न यह पूछा गया है : "क्या वह वित्त मन्त्री को भेजा गया ?" आखिरकार उससे किसी बात की जानकारी केवल तभी होती है जब कोई व्यक्ति उस बात को उनकी जानकारी में लाता है। यदि माननीय प्रधान मन्त्री ने किसी बात की जांच करने के लिए आपको कुछ सामग्री भेजी है तो क्या आपको यह कहने की आवश्यकता है कि उस सूचना की आपके द्वारा जांच की जा रही है। यदि आप जांच करते हैं तो आपको वह प्रधान मन्त्री महोदय को भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। हम इसका बुरा नहीं मानते। परन्तु आप इस तथ्य से नहीं बच सकते कि कोई बात आपकी जानकारी में लाई गई है। सारा विश्व जानता है कि किसने क्या बात जानकारी में लाई है। आपको इसे टालने तथा इस विनिर्णय के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : इससे पहले कि आप विनिर्णय दें, मुझे बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है यदि वह केवल यह बात पूछना चाहते हैं कि क्या प्रधान मन्त्री ने कोई पत्र भेजा है और वह पत्र आपको भेजा गया है। चूंकि उन्होंने उस पत्र का उल्लेख किया है तो मैं केवल इस बात पर जोर देता हूं कि उस पत्र में लिखी गई बातों को जानने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई बात पूछनी है तो मैं स्वयं उसका उत्तर दूंगा। मैं श्री साठे से पूर्णतया सहमत हूं।

श्री बसंत साठे : तो आप इस बात पर टिके रहिए, प्रधानमन्त्री ने कुछ और कहा और आप कुछ और कह रहे हैं। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : साठे साहब यह सामान्य बात है। मैं इसका उत्तर दूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : सर, आप प्रधान मन्त्री जी और उप प्रधान मन्त्री जी को रूलिंग करते हैं और रूल्ड आउट करते हैं, वह तो आपके विवेक पर निर्भर करता है। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा, मैंने उस पत्र के कण्टेंट्स के विषय में कुछ नहीं कहा है, मैंने तो केवल वह जानकारी, जो आलरेडी एक सरकारी प्रवक्ता के माध्यम से अखबार में छप चुकी है, उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया और दूसरा मैंने आप का ध्यान आकृष्ट किया इसी सदन के पटल पर 20 तारीख को इसी सदन के माननीय सदस्य द्वारा एक पूरक प्रश्न उठाया गया और उस पूरक प्रश्न के जवाब में आपने पत्र के मामले में इंकार नहीं किया है, आपने एक प्रकार से यह कहकर कि, हां, हम उसी तेजी के साथ कार्यवाही करेंगे, आपने पत्र के अस्तित्व को स्वीकार किया है इसीलिए जब आपने पत्र के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया, 20 तारीख को, इसलिए मैंने यह उचित समझा कि मैं भी उसकी थोड़ा सा जिक्र कर दूं क्योंकि ऑलरेडी अखबार के माध्यम से छप चुका है और साथ ही साथ माननीय मन्त्री जी इस बात को 20 तारीख को हाऊस में एडमिट कर चुके हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वे इस बात का उत्तर दे रहे हैं कि पत्र लिखा गया कि नहीं। लेकिन इसके नियम के बारे में उनका दावा है कि यह गोपनीय है और मन्त्री महोदय जनहित में उन बातों को बताना नहीं चाहते हैं। उनका अधिकार है कि वे उन बातों को न बताएं। उन्होंने कहा है कि वे पत्र के बारे में बतायें कि वह लिखा गया या कि नहीं।

श्री पी० ए० एन्टनी (त्रिचूर) : महोदय यह एक खुली सरकार है। वे हमारे सुझावों को स्वीकार करने के लिए हर समय तैयार हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : यह इतनी खुली नहीं है कि आपकी हर बात स्वीकार कर ली जाए।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अपने आपको खुली सरकार कहने वाले और खुली सरकार के सबसे बड़े वकील माननीय वित्त मन्त्री जी यदि यह समझते हैं कि एक पब्लिक सरवेण्ट द्वारा दूसरे पब्लिक सरवेण्ट को लिखे गये एक पत्र से कोई बहुत ऐसा खतरा उनकी सरकार को पैदा होता हो···

प्रो० मधु दण्डवते : नहीं, कोई खतरा नहीं है, सरकार चलेगी पांच साल।

श्री हरीश रावत : और खतरनाक स्थिति पैदा होती हो, उसको छिपाना जरूरी समझते हैं तो उसको छिपा सकते हैं लेकिन वह नियमों की आड़ लेकर इस सदन में कुछ कहने से, उस लैटर के कण्टेण्ट्स के विषय मे बच जरूर सकते हैं मगर सारा देश जानता है कि उस पत्र के माध्यम से किन बिंदुओं को उठाया गया है, उस पत्र के माध्यम से जिन बिंदुओं की चर्चा अखबारों में छपी है, मुझे मालूम नहीं है उसमें कितनी सत्यता है, कितनी नहीं है। उसमें कहा गया है कि इस कम्पनी के मालिक के द्वारा इस देश को, इस देश की व्यवस्था को डीस्टैबलाइज करने की कोशिश की गई है और यह भी कहा गया है कि यह कोशिश आज से नहीं, बहुत पहले से की जा रही है और उन्होंने कहा है कि इस व्यक्ति को हमारा मददगार समझते थे लेकिन अब मुझको लगता है, जो जानकारियां मिली हैं,

यह मददगार बहुत ही खतरनाक किस्म का है और फिर भी उसी तरह के एक्ट्स में लिप्त है, डीस्टैबलाइज करने के। यह अपने आप में एक बहुत गम्भीर बात है। हो सकता है यह माननीय उप प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री को न लिखा हो, किसी और ने लिखा हो मगर जो भी स्थिति हो, यह आप जानें और साथ ही साथ अखबारों में कहा गया है कि कई प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं में भी यह व्यक्ति शामिल है और मैं आपका आभारी हूं कि आपने उनमें से कुछ मामलों को स्वीकार किया है। एक मामला है कैथोलिक सीरियंस बैंक का, इस बैंक ने इस कम्पनी को एक विशेष तिथि के अन्दर, मेहरबानी करके इस तिथि को नोट करने की कृपा करें 30-10-86 से 9-3-87 के बीच में, जब कि इस बैंक को शेयर ट्राजेक्शन का कोई अधिकार नहीं था, वह उसके लिए आथोराइज नहीं था, चार करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए और बेचे कैसे गए, कोई विधिवत् ट्राजेक्शन नहीं हुआ, केवल एक मोनोपुलेटिव ट्राजेक्शन हुआ और यह बात इस लिए जाहिर हो जाती है, जब इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इसकी जांच की गई तो उन्होंने जांच के दौरान पाया कि ये शेयर्स कभी भी बैंक की कस्टडी में नहीं थे, जबकि बैंक ने कहा है कि हमारी सेफ-कस्टडी में थे, बल्कि जहां यह बैंक स्थित है कलकत्ता तक में नहीं थे। कलकत्ता से बाहर और राज्यों में वे व्यक्ति पाये गए, जो शेयर होल्डर्स थे, जिनके शेयर्स बेचने का दावा इस कंपनी द्वारा किया गया। ये शेयर्स उनके पास पाए गए। बैंक ने कहा है कि करीब 84 लाख रुपए के घाटे में शेयर्स बेचे। धन्य हो, इस कंपनी के लिए जिसने 84 लाख रुपए का घाटा खरीद कर बैंक को बचाया। पता नहीं किस प्रकार के बीजनेसमेन थे। लेकिन इससे एक शंका जरूर पैदा हो गई कि कहीं घाटे में खरीदने का नाटक दोनों ने मिलकर न किया हो और मिल-जुलकर करने के बाद इसकी आड़ में करोड़ों रुपए का टैक्स बचाने की कोशिश न की हो ? इसी संदेह पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जब इनके खिलाफ एक्शन इनिशिएट किया गया, तो इस एक्शन को नलिफाई करने के लिए इस बात की कोशिश की जा रही कि इस सारे इशू को सैटलमेंट कमीशन को दे दिया जाए। माननीय मंत्री महोदय बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किन मामलों में सैटलमेंट कमिशन के पास जाया जा सकता है। एक्शन इनिशिएट होने से पहले कोई भी कंपनी सैटलमैंट कमीशन के पास जाती है, तो वह अथाराइज हैं, मगर मालूम यह पड़ रहा है कि सैटलमेंट कमिशन के सामने जाने के संदर्भ में जो रूल है उसको वेव करने की कोशिश की जा रही है, ताकि वे वहां जा सकें और वहां बच सकें—जिस तारीख का मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है—उस एक्शन से, जो एक्शन उनके खिलाफ कानून के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले सकता है। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा, ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिन लोगों के दबाव में यह रूल वेव करने की संभावना पैदा हो रही है, शंका पैदा हो रही है, डर पैदा हो रहा रहा है, उस डर से और उस शंका से आप अपने बयान के जरिए उनको मुक्त करवाएंगे ? क्या आप कहेंगे, उनके संदर्भ में किसी प्रकार का कोई कंसेशन नहीं किया जाएगा ? यह कोई अकेला मामला नहीं है और भी कुछ मामले ऐसे हैं। शायद पिछले वर्ष इसी कम्पनी के एक टॉप एग्जीक्यूटिव के द्वारा कुछ सूचनाएं रजिस्टरार न्यूज पेपर्स को दी गई, तो रजिस्टरार न्यूज पेपर्स ने उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दिया और कहा कि न्यूज प्रिंट के ट्रांजेक्शन में कई प्रकार की अनियमितताएं की गई हैं। उसको पकड़ा गया तो उस मामले को भी हश-अप करने की चेष्टा की जा रही है। यह बात इस बात से भी जाहिर होती है, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने अपने बयान में कहा है कि कई ऐसे बिन्दु हैं और उन्होंने उल्लंघनों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया है। पहला—मैसर्स इण्डियन एक्सप्रैस न्यूजपेपर्स (प्रा०) लि० ने 1,38,000 डी० एम० के घोषित मूल्य में जर्मनी के मैसर्स डायट्रिय कुन्हे से स्कैनर मशीन आयात की। यह आरोप लगाया गया था कि यह अंडर-इनवायसिंग के जरिए किया गया। अब इस पर कार्यवाही की गई तो उस कार्यवाही के विषय में 21-12-89 से फैरा बोर्ड के सामने

अपील लम्बित है। दूसरा—यह आरोप लगाया गया था कि मैसर्स केम्को सिस्टम्स, न्यूयार्क से मशीनरी के आघात के संबंध मे मशीनरी की सप्लाई के करार को रद्द होने से बचाने के लिए इण्डियन एक्सप्रैस ने फेरा, 1973 की धारा 9 (1) (क) का उल्लंघन करते हुए स्विटजरलैंड के डा० ब्राइनर की मार्फत दो लाख अमरीकी डालर की अदायगी की थी—यह मामला भी 1989 से लम्बित है फेरा के सामने। तेजी से काम करने वाली यह सरकार इतना समय बीत गया फेरा की इसके विषय में जो नोटिस इत्यादि देने की प्रक्रिया होनी चाहिए थी, शुरुआत होनी चाहिए थी उस शुरुआत के विषय में भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। इसी प्रकार से बहुत सारे मामले हैं, उनमें जाकर मैं माननीय सदन का समय नहीं जाया करना चाहता हूं और हमारे बीच में इन मामलों के विशेषज्ञ श्री वसन्त साठे और श्री कुमारमंगलम बैठे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा) : यह सारी चर्चा पूर्व में हो चुकी है। मैं समझता हूं कि जो चर्चा पूर्व में हो चुकी है उस पर पुनः चर्चा नहीं की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है। इस तरह की बात नहीं है।

श्री हरीश रावत : माननीय सदस्य की जानकारी में शायद इस तरह की बात नहीं है कि डेढ़ साल पहले जब चर्चा हुई थी तो उस समय सदन के पटल पर तत्कालीन वित्त मन्त्री जी ने जो बात कही थी उनके विषय में आशंका व्यक्त की जा रही थी जो आश्वासन इस सदन को और इस सदन के माध्यम से देश को दिए गए थे उनके बारे में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। क्योंकि जो सरकार आयी है, इस कम्पनी के जो मालिक हैं वे अपने को इस सरकार का जनक कहते हैं। इस ग्रुप के मालिक अपने आपको जनता दल का ओरिजिनेटर कहते हैं। (**व्यवधान**)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो नियम के विपरीत हो। मैं तो इस बात का उल्लेख भी नहीं करना चाहता था। मैं तो केवल अनियमितताओं के संदर्भ में उल्लेख करना चाहता था। लेकिन मेरे साथी को चूंकि तकलीफ हुई इसलिए इसको स्पष्ट करने की मैंने चेष्टा की। इसकी जांच के समय जो आश्वासन दिए गए थे, जो एक्शन इनिशियेट किए गए थे उन एक्शन को कम करने की, टालने की कोशिश की जा रही है ताकि इकोनोमिक ओफेंडर बच सके; उसको समय देने की कोशिश की जा रही है। यह सरकार के ऊपर अपने आप में एक बहुत बड़ा आक्षेप होगा। मैं माननीय मंत्रीजी से चाहूंगा कि इस आक्षेप से वे किस तरह से बच सकेंगे, मेहरबानी करके बताने की कृपा करें।

यह जो कम्पनी ने मशीनरी इम्पोर्ट करने के लिए लाइसेंस देने के लिए एप्लाई किया था और इसके साथ कई मामले मिले-जुले हैं जिनमें से एक मामले पर सी० बी० आई० द्वारा आई० पी० सी० की कुछ धाराओं में इनके खिलाफ एक्शन इनिसियेट किया गया है। इधर यह देखने में भी आया है कि मशीनरीज और न्यूजप्रिंट्स जो गोदाम में था ही नहीं, उनके नाम पर बैंकों में एडवांस लिए गए और उन बैंकों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके आधार पर सी० बी० आई० ने एक्शन इनिसिएट किया। क्या उसके विषय में माननीय मन्त्रीजी गृह मन्त्रीजी से कहेंगे कि इस मामले में जो सी० बी० आई०, ने पहल की है केस रजिस्टर करने की, उसको आगे तक पहुंचाएं और उसको लोजिकल कंक्लुजन तक पहुंचाएं। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का बहुत आदर करता हूं। उन्होंने एक से अनेक बार बहुत साफ तौर से कहा है कि सरकार वित्तीय अनियमितता करने वालों को, बड़े से बड़े व्यक्ति को कठोरता के साथ दंड देगी। यह बात उन्होंने सदन के अन्दर और सदन के बाहर भी कही है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि क्या इन सारी वित्तीय अनियमिताओं का जिनका कि

उल्लेख किया गया है, जिन पर एक्शन चल रहे हैं एक समय विशेष पूरे किए जाएं और इनमें अनावश्यक रूप से समय जाया न हो। जो अधिकारी इस दिशा में काम कर रहे हैं उन अधिकारियों को वाजिब प्रोटेक्शन मिले। इसके विषय में भी मंत्रीजी कहने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री प्रो० दंडवते का वक्तव्य पढ़कर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ, जिसमें उन्होंने स्थिति का जिक्र किया है और इससे ऐसा लगता है कि उनको जानकारी बस इतनी ही है, परन्तु मुझे यह देखकर आश्चर्यय हुआ कि उस समय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के पांच मामलों को सीमा शुल्क अधिनियम में अन्य पांच मामले हैं। प्रत्यक्षकर अधिनियम के अन्तर्गत दस मामले हैं। उल्लंघन के कुल 20 गंभीर मामले हैं, वित्त मन्त्री ने अपने वक्तव्य में, जो कि कार्यवाही वृतान्त में दर्ज है, बताया है कि :

> "यह हमारी सुसंगत नीति है कि आर्थिक तथा कर कानूनों को इस तरह लागू किया जाना चाहिए जिससे न किसी प्रकार का भय या पक्षपात हो और न ही कोई बदले की भावना हो···"

मुझे आश्चर्य है कि यदि प्रतिशोधात्मक कार्यवाही नहीं की गई तो इससे कर अपवंचक तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच निकलेंगे। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यद्यपि अनेक मामलों में न्यायनिर्णयन हो गया है और जुर्माना लगाया गया है पर हमें अभी भी इस बात की जानकारी नहीं है कि जुर्माना भरा गया है भी या उसको स्थगित किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले मामले में ध्यानाकर्षण पर दिए गए वक्तव्य को देखने से यह स्पष्ट है कि **इण्डियन एक्सप्रेस** पर 13 लाख रु० का जुर्माना लगाया गया था, श्री आर० एन० गोयनका पर 3 लाख रु० का और अन्य लोगों पर 2 लाख रु० का जुर्माना लगाया था। दिनांक 21-12-89 तक की वर्तमान स्थिति यह बतायी गयी थी कि फेरा बोर्ड के समक्ष एक अपील दायर की गई है। यह ठीक है। लोग यह समझते हैं कि अपील दायर की जा रही है। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या उन लोगों ने स्थगन आदेश प्राप्त किया है या उन्होंने जुर्माना भर दिया है? यदि उन्होंने जुर्माना नहीं भरा है और स्थगन आदेश नहीं प्राप्त किया है तो आप जुर्माना वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

प्रत्येक ऐसे मामले में जिनमें अपील दायर की गई है अर्थात जहां कि मद सं० 4 जैसे मामले हैं जिसमें मैसर्स हैरिस मेरिनोनी, फ्रांस से मुद्रण मशीन आयात करने में उल्लंघन हुआ था जिसमें 17,58000 रुपए का मामला था, इसी प्रकार के अन्य प्रश्न उठते हैं। जैसा कि मुझे फाइल से पता चला नोटिस 1988 में किसी समय भेजा गया था। सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि मामले पर सुनवाई हुई है तथा न्यायनिर्णयन के लिए मामले को आगे बढ़ाया गया है। मैं विशेष रूप से यह पूछना चाहूंगा—विशेषकर 1988 में उठाए गए मामले में—न्यायनिर्णयन को पूरा करने में आप कितना समय लेंगे? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत उल्लंघन के मामलों में जिनमें इस समय अभियोजन चल रहे हैं, रिट याचिका दायर की गई है परन्तु इस बारे में कुछ नहीं बताया गया—क्या रिट याचिका में अभियोजन को स्थगित करने के अन्तरिम आदेश प्राप्त किए गए हैं या किसी प्रकार की कार्यवाही की गई है। जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अर्ध-न्यायिक, कार्यवाही को स्थगित किया गया हो। क्योंकि एक 'कारण बताओ' नोटिस भी जारी किया गया है। यह किस प्रकार की कार्यवाही है?

इसी प्रकार, मैं एक दूसरी बात भी जानना चाहूंगा। उन्होंने बताया है कि मद सं० 2 में कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। 26-10-87 को मुकदमा दायर किया गया और बम्बई उच्च न्यायालय ने एक आदेश के द्वारा आगे की कार्यवाही को रोक दिया है। किस आधार पर उन्होंने आगे की कार्यवाही पर रोक लगायी ? क्या मैं यह जान सकता हूं कि जो कार्यवाही कलेक्टर के पासलंम्बित है वह अभियोजन का मामला है ? या कुछ और ऐसा लगता है कि कलेक्टर के पास पड़ा मामला अर्ध-न्यायिक कार्यवाही है। जिस पर रोक लगायी गयी है, ये अभियोजना किस स्थिति में है ? आप इस मामले पर आगे कार्यवाही कर रहे हैं या मामला वापस ले रहे हैं ? दुर्भाग्य से, यदि कोई वित्त मन्त्री द्वारा सभा पटल पर दिए वक्तव्य पर एक नजर डाले तो उसे बड़ा अजीब लगेगा कि यद्यपि स्पष्टवादी होने का प्रयास किया गया है परन्तु उस स्पष्टवादिता में भी कुछ संदेह है।

प्रो० मधु दंडवते : कम से कम इसे संकोच कहिए।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : नहीं, मैं इसे संकोच नहीं कहूंगा। प्रोफेसर साहिब, मैं आपका काफी सम्मान करता हूं। मैं आपका अभिप्राय समझता हूं। मैं आपकी परिस्थितियों को समझता हूं। आखिरकार जब कोई व्यक्ति आपका सरकारी प्रवक्ता होने का दावा करता है तो आप उसे वास्तव में कैसे अनदेखा कर सकते हैं ?

मैं यह बात भी इस सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो बातें सरकार की जानकारी में आई हैं वे सिर्फ उल्लंघन ही नहीं हैं। वहां अनेक गंभीर उल्लंघन किए गए हैं, जिसमें अखबारी कागज का मामला शामिल है, जिससे प्रैस की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अखबारी कागज आवंटित किया गया और आयात किया गया उसका दुरुपयोग किया गया है। यदि कोई अनजाना, छोटा-मोटा समाचार पत्र ऐसा काम करता तो मैं मान लेता परन्तु मेरी आत्मा को यह देखकर ठेस लगा कि एक ऐसा समाचार पत्र समूह जो अपने कर्मचारियों को उचित वेतन देने, कानून के अन्तर्गत बछावत एवार्ड लागू करने हम सबको इसकी जानकारी है—के खिलाफ है—जहां कर्मचारियों को अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, हम देखते हैं कि वह समाचार पत्र समूह काले बाजार में अखबारी कागज को बेचकर करोड़ों रुपए बना रहा है। नाम के लिए कुछ मामले दायर किए गए हैं, सिर्फ रिकार्ड में दिखाने के लिए कि मामला दायर किया गया है।

बेशक हम उनके प्रभाव को समझते हैं। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हममें से बहुत से और इस सभा में अनेक लोग इस बात से चकित हैं क्या किसी व्यक्ति को उन पर उंगली उठानी चाहिए या नहीं, उसके परिणाम क्या हैं और क्या नहीं हैं ? आखिरकार किसी लोकतंत्र में कलम की ताकत संसद के बोले गये शब्दों से ज्यादा होती है क्योंकि कलम से समाचार पत्रों में लिखे शब्दों से बहुत बातें कही जा सकती हैं, और ये मुद्रित शब्द अक्सर मानहानिकारक होते हैं, इसके बावजूद उन्हें दंडित नहीं किया जाता है। लोग जानते हैं कि इनके खिलाफ खड़े होने, उनकी आलोचना करने या उनके खिलाफ कार्यवाही करने वाला व्यक्ति परेशानी में पड़ जाएगा। मैं समझता हूं कि हम तीनों में से प्रत्येक व्यक्ति जिससे इस मामले को उठाया है, इस बात को जानता है कि हम शीघ्र ही इस समाचार पत्रों की आलोचना के शिकार हो जाएंगे, कहीं न कहीं हमें किसी मुद्दे पर फंसाने का प्रयास किया जाएगा। परन्तु प्रो० साहिब मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि इस सदन में ऐसे कई लोग हैं और मुझे आशा है कि आप सहित इस सभा के सभी सदस्य इनकी संभावित ब्लैकमेलिंग के खिलाफ उठने का साहस करेंगे।

प्रो० साहिब जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा, मुझे आपका वक्तव्य देखकर सुखद आश्चर्य हुआ

कि कम से कम आपने इस सभा में आपने उन बातों को रखा जो आप जानते हैं परन्तु मैं इस आशा से आपसे निवेदन करता हूं कि आप वही प्रो० हैं जिसे मैं अनेक वर्षों से जानता हूं और आप वित्त मन्त्री बनने के बाद नहीं बदले हैं, आप वही व्यक्ति होंगे जो मामले की गहराई में जाएगा (व्यवधान) और वास्तव में विश्लेषण करेगा—ऐसी आशा है, व्यक्ति हमेशा आशावादी है और हम सभी आशावादी हैं। आखिरकार आशावाद ही जीवन का सार है न कि निराशावाद। मेरे मित्र हरीश ने मुझसे पूछा कि क्या यह सच है ? इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं सदा इस बात पर विश्वास करता हूं कि आशावाद जीवन की सबसे अच्छी चीज है। (व्यवधान) वे यथार्थकारी होना चाहते हैं। परन्तु मैं आशावादी रहना चाहता हूं। परन्तु मेरा आशावाद एक ऐसे व्यक्ति के विश्लेषण पर आधारित है जिसे मैं जानता हूं और मुझे आशा है कि मैं जानता हूं।

इस सभा का बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं सिर्फ एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा किसी भी व्यक्ति को इस सभा से सरकार से या किसी भी जगह से ऐसा कोई इशारा नहीं करना चाहिए कि कोई व्यक्ति कानून से ऊपर है, कोई भी व्यक्ति, जिसने संविधि, प्रथाओं और प्रक्रिया द्वारा निर्धारित कानून का सिर्फ इस बात पर उल्लंघन किया है कि उसके हाथ में समाचार पत्र नामक सबसे ताकतवर हथियार है, को क्या खुला छोड़ना चाहिए।

मुझे इस बात का आश्चर्य है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के मामले में प्रतिवेदन में अभियोजन कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है। मुझे याद है कि जब वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय वित्त मन्त्री थे तो उन्होंने इसका उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कदम उठाये थे। इसमें रिलायन्स समूह शामिल है। मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि उनके भी साथ और गोयनका के साथ भी सख्ती से निबटा जाए। मुझे यह भी याद है कि वर्तमान वित्त मन्त्री ने सभा में यह बात सुस्पष्ट रूप से कही थी कि यह सरकार किसी भी गलत काम में भागीदार नहीं बनेगी। मेरा माननीय वित्त मन्त्री से यह अनुरोध है कि वे हमें वास्तविक स्थिति की विस्तार में जानकारी दें। हम संक्षेप में नहीं, बल्कि सुस्पष्ट स्थिति जानना चाहते हैं कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है। क्या न्याय-निर्णय पूरा हो चुका है ? देय किन्तु अभी तक वसूल न किए जा सके जुर्माने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ? छापों, जांच-पड़तालों तथा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सरकार के ध्यान में आये अन्य मामलों के सम्बन्ध में आपका क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ? यदि वास्तव में कानून के अनुसार कार्यवाही की जाती है तथा इस मामले को दबाने के लिए "प्रतिशोध" शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है तो हम आपके आभारी होंगे।

श्री वसन्त साठे : माननीय वित्त मन्त्री ने अभी तक हमें यह बताने की कृपा नहीं की है कि क्या वे प्रधानमन्त्री से मिले पत्रों की जांच कर रहे हैं। मैं इस समूह के दुष्कर्मों से सम्बन्धित कुछ विशिष्ट मामलों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिनकी जांच की जाने की जरूरत है। जब हमने समाचार पत्रों में प्रकाशित अनियमितताओं पर विचार किया तो उन्होंने हमें मामूली सी जानकारी दी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने धोखाधड़ी आदि के सम्बन्ध में गोयनका के विरुद्ध धारा 420 के अधीन एक मामला दर्ज किया है। एक ओर धारा जिसके अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया गया है वह है 477 जो कि कपटपूर्ण निरसन, बिलों को नष्ट करने आदि के सम्बन्ध में है। इसमें अगली धारा 120 (ख) है जोकि भारतीय दंड संहिता के अधीन आपराधिक षड्यन्त्र के लिए दंड से सम्बन्धित है। 1971 में एक मामला दर्ज किया गया था तथा उच्चतम न्यायालय को 21 नवम्बर, 1986 को श्री गोयनका पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा लगाये गए आरोपों के लिए उन पर मुकदमा चलाने के लिए प्राधिकृत किया गया था। अब तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

कंपनी विधि बोर्ड ने 3 दिसम्बर, 1987 को इन्डियन एक्सप्रैस न्यूजपेपर्स प्रा० लि० की जांच करने का आदेश दिया था। इस जांच से कंपनी अधिनियम की धारा 209, 292, 297, 383क, 314, 309(1) तथा 309(2) का उल्लंघन किये जाने का पता चला तथा न केवल आयकर अधिनियम, संपत्ति कर अधिनियम के उल्लंघन बल्कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन की भी पूरी जांच किये जाने की जरूरत का पता चला। प्रश्न यह है कि इस बारे में क्या किया जा रहा है।

इण्डियन एक्सप्रैस न्यूजपेपर्स प्राइवेट लि० पर यह आरोप है कि उसने नरीमान पाइन्ट, बम्बई में 24 मंजिली इमारत एक्सप्रैस टावर्स बनाकर 28 करोड़ रुपये की नाजायज कमाई की जिससे कम्पनी को बड़ी-बड़ी विदेशी कम्पनियों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से किराये के रूप में प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपये से अधिक की आमदनी होती है। कोई टैक्स अदा नहीं किये गये हैं। इस गुप्त आमदनी पर वर्षों से कोई टैक्स अदा नहीं किया गया है। क्या आप इसकी जांच करायेंगे ?

सोमनाथ जी, मुझे आशा है कि आप उनके पक्ष में कुछ नहीं कह रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं केवल अपने साथी से बात कर रहा हूं।

श्री वसन्त साठे : किन्तु सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहां 12 समाचार पत्रों के समूह को चलाने वाला एक बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है, जैसाकि वह दावा करता है कि यह एशिया का सबसे बड़ा समूह है तथा वह कहता है कि वह इतना गरीब है कि वह बछावत आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं कर सकता क्योंकि वह कर्मचारियों को और अधिक देने की स्थिति में नहीं है।

यहां एक ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति है जिसके बारे में यह सर्वविदित है कि उसके स्वामित्व में बहुत सी कम्पनियां हैं तथा वह स्वयं कहता है कि उसे वास्तविक आय जमीन-जायदाद से होती है। उपाध्यक्ष महोदय, कृपया ध्यान दें।

एक माननीय सदस्य : ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने सुन लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं सुनना है। मंत्री महोदय उत्तर देने के लिए उपस्थित हैं।

श्री वसंत साठे : महोदय, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि उनकी वास्तविक आय समाचार-पत्रों से नहीं बल्कि जमीन जायदाद से है। इसलिए, क्या यह पता लगाने का प्रयास किया गया है कि उनकी वास्तविक आय क्या है ?

1964-65 से 1970-71 के दौरान प्रकाशित किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों तथा खातों की जांच करने से एक्सप्रैस समूह के कार्यों का पता लगाया जा सकता है। यह संभावना है कि यह समूह परियोजनाओं 'इस्को' के शेयरों की खरीद तथा एक्सप्रैस टावर्स का निर्माण करने में भारी मात्रा में निवेश करता रहा है। इसके लिए सारा धन जनता से ऋण के रूप में लिया गया।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : यहां इस विषय पर चर्चा नहीं हो रही है।

श्री वसंत साठे : ध्यानाकर्षक प्रस्ताव आयकर अपवंचना के बारे में है। क्या आप उनको बचाना चाहते है ? यह बात आश्चर्यजनक है। मैं नहीं जानता। क्या आप इण्डियन एक्सप्रैस का बचाव कर रहे हैं ?

मैं केवल दो प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं प्रश्न पूछने का हकदार हूं। मैं बहुत से प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। मुझे आशा है कि मुझे रोका नहीं जाएगा। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं। इस समूह ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करके लन्दन में स्टर्लिंग अकाउंट खोला हुआ है। श्री गोयनका

ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने इन्डियन एक्सप्रेस के लिए मशीनें खरीदने हेतु श्री ग्रेबर जैसे विदेशी नागरिकों से भारी मात्रा में ऋण लिया है। इससे भी यह समूह विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम का दोषी हो जाता है। हाल के वर्षों में एक्सप्रेस समूह द्वारा अखबारी कागज से भारी मुनाफा कमाने के बहुत से मामलों का पता चला है। छापा मारने वाले प्राधिकारी स्वयं यह कह रहे हैं कि यह अखबारी कागज का अब तक का सबसे बड़ा घोटला प्रकाश में आया है। इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस सरकार के एक बहुत वरिष्ठ सदस्य ने यह आशंका व्यक्त की है कि इन मामलों को दबा दिए जाने की संभावना है···· (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : उप प्रधान मन्त्री श्री देवीलाल।

श्री बसंत साठे : मैंने नाम नहीं लिया। यदि श्री दंडवते चाहें तो नाम ले सकते हैं।

यदि मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि उन्हें यह सब जानकारी मिल गयी है तो मैं बैठ जाऊंगा क्योंकि तब वे इसकी जांच कराएंगे। लेकिन जबकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है इसलिए तो इस गंभीर मामले को उनके सामने लाना मेरा कर्त्तव्य है। मैं एक और बात कहकर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूं।

श्री बसंत साठे : मुझे इसका पता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात का ध्यान रखें।

श्री बसंत साठे : यहां एक मिसाल अथवा परम्परा है। महोदय, हाल ही में माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने "बाद फिस्कल" की बात करते समय यह कहा था कि कोई भी सन्देहास्पद तथा आपत्तिजनक सौदा नहीं होने दिया जाएगा। वे इस बात से सहमत थे कि कोई हानि नहीं हुई है। इस मामले में एक अनधिकृत व्यापारिक बैंक, एक बैंक की एक शाखा शेयरों का कारोबार करती है। महोदय, क्या आप जानते हैं कि यह कारोबार करोड़ों रुपए का है। इस शाखा ने एक बार में ही यह कहकर जाली सर्टीफिकेट जारी कर दिए कि उसके पास गोयनका समूह द्वारा खरीदे गए शेयर हैं तथा उसने इस आशय के सर्टीफीकेट भी जारी कर दिए कि श्री गोयनका के स्वामित्व वाले शेयरों का कुल मूल्य 3,67,81,500 रुपए है। क्या यह एक बड़ी राशि है अथवा यह एक मजाक है ? इस शाखा ने इस आशय का और भी प्रमाण-पत्र जारी किया था। इस शाखा ने गोयनका के आदेश पर 2,83,56,750 रुपए में शेयर बेच दिए तथा इस प्रकार जानबूझकर 84 लाख रुपए की हानि उठाई तथा 2.5 करोड़ रुपए की आमदनी छिपानी चाही। यह कैसे हो रहा है। किसी भी व्यापारिक बैंक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखने में आया है। उन्होंने एक दिन में 2,45,000 शेयरों का सौदा किया। इस मामले में वित्त मन्त्री महोदय विशेषज्ञ हैं··· (व्यवधान)

इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस एक दिन के 85 लाख रुपए के कर सौदा पूरी तरह जालसाजी का था तथा इसमें न तो शेयरों का अन्तरण हुआ, न बिक्री तथा न इसमें हानि हुई। महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने स्वयं कहा है कि कोई दोहरे मापदंड नहीं अपनाये जाएंगे। उन्होंने यह बात आज भी दोहराई है। महोदय, जैसाकि आपको पता ही है कि वर्तमान वित्त मन्त्री महाराष्ट्र के राम शास्त्री प्रभून···की महान परम्परा के हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : आप परम्परा सिखा रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री वसंत साठे : आपकी समझ से बहुत परे है।

एक माननीय सदस्य : इसलिए पिछले 40 साल से ऐसा हो रहा है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे : यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं इसकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच के पक्ष में नहीं हूं।

मैं कोई अन्य जांच नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि पहले ही सी० बी० आई० जांच चल रही है।

श्री राम नाईक : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सामान्यतः नियमों के अन्तर्गत प्रथम प्रस्तावक को 10 मिनट मिलते हैं और उसके बाद प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट मिलते हैं। परन्तु माननीय सदस्य पहले ही 15 मिनट ले चुके हैं। आपका निर्णय क्या है ?··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही उन्हें संक्षेप में अपनी बात कहने के लिए कह चुका हूं। आप जो कुछ कह रहे हैं वह ठीक है।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : सही बात ही तो बोल रहे हैं, इसमें क्या है।

श्री राम नाईक : सही बात जरूर बोलनी चाहिए लेकिन समय पर बोलनी चाहिए।

श्री वसंत साठे : मैं सर कन्क्लूड कर रहा हूं।

श्री दाऊ दयाल जोशी : सी० बी० आई० की जांच हो चुकी है सब कुछ हो चुका है।

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे : महोदय, मैं वित्त मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वह उन सभी आरोपों की जांच करें जिनका मैंने उल्लेख किया है और जो पत्र में अन्तर्निष्ट हैं। यह लड़ाई असली मन्त्री बनाने वाले दो व्यक्तियों के बीच है, एक व्यक्ति यह दावा कर रहा है कि उसने प्रधानमन्त्री को बनाया है और दूसरा व्यक्ति यह कह रहा है कि वास्तव में उसने ऐसा किया है। मुझे आशा है कि प्रधानमन्त्री महोदय व्यक्तिगत रूप से इन आरोपों की जांच करेंगे और यदि कल वे यह घोषणा करते हैं कि वे इस बात से संतुष्ट हैं कि श्री गोयनका इन सभी अपराधों के दोषी नहीं हैं जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है। मैं उनकी बात सुनने के लिए इच्छुक हूं और मैं इस आधुनिक रामशास्त्री बाबू की बात पर विश्वास करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : उपाध्यक्ष महोदय, जब यहां ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की जा रही है तो मैं समय सीमा का सहारा लेना नहीं चाहता। यद्यपि समय निर्धारित है परन्तु मैं स्वयं यह जानता हूं कि जब मैं विपक्ष में था तो यह परम्परा है कि यदि कोई सदस्य किसी मुद्दे को उठा रहा है तो समय की अनुमति दी जाती है आपने अनुग्रह करके उन्हें उचित रूप से अधिक समय दिया है। मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है। महोदय, आप मुझे भी इसी प्रकार अनुग्रहित कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप विपक्ष में थे तब भी आपको उचित समय मिल रहा था और निश्चित रूप से अब भी आपको उचित समय मिलेगा।

प्रो० मधु दंडवते : कम से कम यह परम्परा मेरी सहायता कर रही है।

महोदय, मैं एक बार फिर सदन का और विशेष रूप से उन सदस्यों का जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस विशेष प्रस्ताव का कार्य क्षेत्र सीमित है। यदि वे इसका विस्तार करना चाहते हैं तो उन्हें हमें अलग नोटिस देना चाहिए उन सभी तथाकथित अपराधों के बारे में सभी प्रकार की सामग्री हमारे पास भेजनी चाहिए और ये सभी बातें इस बारे में हैं कि वे चाहते हैं कि हम जांच करें और सदन के सामने उपस्थित हों, यह पूर्ण रूप से एक भिन्न समस्या है। परन्तु यहां मैं पढ़ूंगा :

"एक्सप्रैस समूह कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा विभिन्न कर कानूनों के तथाकथित उल्लंघन और इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में वित्त मंत्री का ध्यान दिलाता हूं।"

आपने जो कुछ कहा है मैं उन सभी बातों का विरोध नहीं कर रहा हूं। कुछ बातों को स्वीकार किया जाना चाहिए।

आरम्भ में पत्र व्यवहार की विस्तृत जांच के बिना यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या मैंने उस पत्र को प्राप्त किया है। क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय ने भी इसे स्पष्ट कर दिया है इसलिए मुझे स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करना चाहिए कि जब उपप्रधान मंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिखा था तो प्रधानमंत्री महोदय ने उस पत्र को तुरन्त मेरे पास भेज दिया था और वह पत्र मेरे कब्जे में है। परन्तु नियम प्रक्रिया परम्पराओं और विभिन्न निर्णयों के अनुसार मैं समझता हूं कि श्री साठे मेरी इस बात से सहमत होंगे कि मैं उस पत्र का विस्तृत उल्लेख नहीं करूंगा : अब पर्याप्त मुद्दे की आवश्यकता है और हमारा सम्बन्ध इसी मुद्दे से है।

जहां तक उस पत्र का संबंध है मैं उसके बारे में पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। अब मुझे पहले इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमने थोड़े से समय में ही इस विशेष ध्यानकर्षण प्रस्ताव से संबंधित यथासंभव सम्पूर्ण सामग्री को एकत्रित करके एक सारणी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। वास्तव में हमारे मित्र जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में पहल की थी, ने यह कहा है कि उन्हें इतनी अधिक सामग्री की आशा नहीं थी। उन्होंने जो कुछ मांग की थी मैंने उन्हें उससे अधिक सामग्री दे दी है।

दी गई सारणी के आधार पर मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। हम सम्पूर्ण विस्तृत जानकारी दे चुके हैं। इस सारणी में हमने संपूर्ण विस्तृत जानकारी—मद, आरोप, आरोपित उल्लंघन का संक्षिप्त विवरण, सम्मिलित राशि, की गई कार्यवाही और वर्तमान स्थिति आदि का उल्लेख किया है। यदि माननीय सदस्यों ने इसे सावधानीपूर्वक पढ़ा है और मैं समझता हूं कि सभी तीनों सदस्यों ने साधवानीपूर्वक इस सारणी को पढ़ा है—तो हमने दो बातों को बिल्कुल स्पष्ट किया है क्योंकि मेरे मित्र श्री कुमारमंगलम द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं—क्या वे यहां उपस्थित हैं अथवा जा चुके हैं ? ओह, वे उपस्थित हैं। महोदय, जहां तक प्रश्नों का सम्बन्ध है···(**व्यवधान**) श्री कुमारमंगलम भी इसे अपमानजनक नहीं समझेंगे। आप अनावश्यक रूप से परेशान मत होइए। ठीक है, यदि आप परेशान हैं तो मैं इसे वापस लेता हूं। मैं अभियोजन को नहीं केवल इसी मुद्दे को वापस लेता हूं।

श्री वसंत साठे : इन अभियोजनों को वापस मत लीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : नहीं, बिल्कुल नहीं। श्री साठे मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं। मैं बहुत उत्सुक हूं। मैंने उस पक्ष से जो निवेदन किया था, मैं इस पक्ष में भी उन्हीं बातों का समर्थन करता हूं। मैं बदलूंगा नहीं। चाहे मैं विपक्ष में हूं अथवा सत्ता पक्ष में वित्त मन्त्री, ये बातें नगण्य हैं।

जहां तक विभिन्न आरोपों और अभियोजनों का संबंध है, इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए कि पिछली सरकार के समय भी इन सभी मुद्दों को उठाया गया था। तथाकथित उल्लंघनों को प्रतिपादित किया गया था, सम्बन्धित मुद्दों के अनुसार विभिन्न मचों पर उठाया गया था। उदाहरणतया यदि यह फेरा का मामला है तो फेरा बोर्ड इसे आरम्भ करेगा। जहां तक अन्य मुद्दों का सम्बन्ध है उन्हें मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरम्भ करेगा। और इन निर्णयों को लेने के बाद भी अपील की व्यवस्था है। अब यह एक स्वीकृत प्रणाली है कि जबकि कतिपय न्यायिक मंच ने कुछ आरोपों को सही पाया है और दंड निर्धारित किए हैं तब भी मामले के बारे में अपील की जाती है, जो लोग अभियोजित हैं अथवा जिन लोगों पर कतिपय उल्लंघनों का आरोप लगाया गया है उन्हें न्याय के लिए अपील करने का अधिकार है। लगभग उन सभी मामलों में जिन्हें मैंने सारणीबद्ध किया है, मैंने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मामला किस न्यायिक मंच के सामने लम्बित पड़ा है। इनमें से अधिकांश मामले न्यायालय के समक्ष लम्बित पड़े हैं। दूसरे जहां तक अभियोजनों का संबंध है मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं और इस बात को रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि हम न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालना बिल्कुल नहीं चाहते और इसलिए जो भी अभियोजन आरम्भ किए गए है और मामले की अपील की गई है सरकार उन अभियोजनों को वापस लेना बिल्कुल नहीं चाहती। कानून का पालन किया जाना चाहिए चाहे उसके परिणाम कुछ भी हों। सरकार का यह रवैया है और इसलिए हमने किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है। मैं इस बात को स्पष्ट करना और इस सदन को स्पष्ट रूप से एक वचन देना चाहता हूं कि इन अभियोजनों को वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं है।

तीसरा और अत्यन्त संगत मुद्दा जिसे श्री कुमारमंगलम ने उठाया है यह है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई सारणी के अनुसार कुछ मामलों में—मुझे सभी मामलों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्होंने स्वयं उद्धृत किया है—कुछ दंड और राशियों का उल्लेख किया गया है और प्रश्न यह है कि क्या इन दंडों का भुगतान किया गया है। न्यायिक प्रक्रिया की यह मांग है कि जिन लोगों को दंड दिया गया है उन्हें दंड की कुछ मात्रा की अदायगी करने को कहा जाए, उन्हें फेरा बोर्ड तथा विभिन्न न्यायालयों में अपील करने का अधिकार है। उन्होंने पहले ही इस बारे में प्रार्थना पत्र तैयार कर लिए है कि संबंधित बोर्ड अथवा निर्णायक के अन्तिम निर्णयों को लम्बित करके उन्हें इस मुद्दे को आगे बढ़ाने और न्यायालय से यह मांग करने की अनुमति दी जाए कि जो जो दंड दिए जा चुके है अथवा जो निर्णय किए जा चुके है वे उचित नहीं हैं। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार स्वतन्त्र न्यायिक प्रक्रियाओं में विश्वास करती है। हम इन प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और चाहे न्यायालय का निर्णय कुछ भी हो यदि वे कहते हैं कि इसके बावजूद भी दंड का भुगतान किया जाना चाहिए तो हम इस मुद्दे पर बाद में निर्णय लेंगे। और यदि वे कहते हैं कि हमें इस समस्या को आगे बढ़ाना चाहिए, और समाधान मिलने पर हम उसे अपना लेंगे तो हम इस बात को स्वीकार करेंगे। चाहे घोषणाएं कुछ भी हों हम इसे स्वीकार कर रहे हैं। अतः जहां तक इस बात का संबंध है हमने इस बारे में अपनी स्थिति पूर्णतया स्पष्ट कर दी है।

फिर उन्होंने एक अन्य मुद्दे को उठाया था और वह मुद्दा यह था कि क्या पिछली सरकार के उन अधिकारियों ने जिनमें से बहुत से अब भी सेवारत है, और जो सम्पूर्ण प्रारम्भिक जांच के लिए उत्तरदायी हैं, दंड दिया जाएगा और क्योंकि वे जांच में सम्मिलित थे इसलिए क्या उन्हें परेशान किया जाएगा।

वित्त मन्त्री की हैसियत से मैं यह आश्वासन दे सकता दे सकता हूं कि जिन लोगों को किसी

षड्यंत्र अथवा धोखेबाजी का दोषी नहीं पाया गया है और जिन्होंने अपने दायित्वों का भली-भांति पालन किया है और मंत्री महोदय के निर्देशों के अनुसार उन्होंने कार्य किया है तो हम उन लोगों को परेशान नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने अधिकारियों को बहुत से मामलों की जांच करने को कहेंगे और यदि हम उन्हें जांच करने को कहते हैं—हो सकता है उनमें से कुछ अधिकारी बोफोर्स अथवा किसी अन्य मामले की जांच कर रहे हों—और बाद में कोई अन्य सरकार आती है, हमें यह कल्पना करनी चाहिए कि नई सरकार आती है···

एक माननीय सदस्य : हम वापस आएंगे ।

प्रो० मधु दंडवते : ठीक है, भगवान आपको आशीर्वाद दें और यदि नई सरकार आती है और प्रतिशोधात्मक कार्यवाही करने का प्रयास करती है तो सरकार की कोई निरंतरता नहीं रहेगी । महोदय, ब्रिटेन में लोकतांत्रिक परम्पराओं के कायम रहने का यह एक कारण है । मन्त्री और सरकार आयें अथवा जायें परन्तु वहां प्रशासन निरंतर कायम रहता है । यदि किसी व्यक्ति ने कोई चालबाजी की है तो यह एक अलग बात है । परन्तु अपने दायित्वों और निर्देशों के सामान्य अनुपालन में यदि किसी व्यक्ति ने मूलभूत संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन नहीं किया है, यदि मैं अपने अधिकारी को ऐसे निर्देश देता हूं जिनसे कानून, संविधान और मानव अधिकारों का हनन होता है और यदि वह व्यक्ति ऐसा कर देता है और बाद में न्यायालय के सामने वह यह दावा करता है कि उसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि श्री दंडवते ने उसे ऐसा करने का निर्देश दिया था तो वह दंड से बच नहीं सकता । मैं समझता हूं कि न्यूरमबर्ग के संक्षिप्त मुकद्दमे में यह पाया गया कि जो लोग गंभीर अपराधों के दोषी थे उन पर जब मुकद्दमा चलाया गया तो न्यूरेमबर्ग न्यायालय में उन्होंने बताया कि उन्होंने यह किया पर स्वयं नहीं, उन्होंने मानव अधिकारों का उल्लंघन किया, उन्होंने मानवता के विरुद्ध अपराध किए, परन्तु शीर्षस्थ व्यक्ति के अनुदेशों पर किए थे, मैं समझता हूं कि आप एक अधिवक्ता होने के नाते यह जानते होंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून में उपयुक्त रूप से यह संशोधन किया गया है कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं प्राप्त होंगे तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता है । अतः महोदय, हम किसी भी अधिकारी को इस आधार पर परेशान नहीं करेंगे या दोषी नहीं ठहरायेंगे कि उन्होंने पिछले शासन के अनुदेशों पर प्रारम्भिक जांच की थी और उन्होंने अनुदेश प्राप्त होने पर ऐसा किया था ।

महोदय, चर्चा के दौरान, किसी माननीय सदस्य ने कोई विषयेतर बात उठायी थी । उन्होंने कहा था कि क्या इण्डियन एक्सप्रैस उनका शासकीय साधन है । हमें इन दोनों बातों को अलग कर देना चाहिए । इण्डियन एक्सप्रैस एक पत्र के रूप में तथा विभिन्न तथाकथित तत्व के रूप में बिल्कुल अलग है । चूंकि आपने टिप्पणी की है तथा इण्डियन एक्सप्रैस का जिक्र किया है, मैं आपको बात देना चाहता हूं कि केवल इण्डियन एक्सप्रैस ही नहीं है बल्कि अन्य पत्र भी हैं जिन्होंने तकनीकी उल्लंघन या कुल उल्लंघन के अलावा अन्य उल्लंघन भी किए हैं । परन्तु एक आचार संहिता है तथा सम्पादकों की भी अपनी परम्पराएं है । मेरा संबंध स्वतंत्रता आन्दोलन से रहा है और मुझे 1942 के वे दिन भी याद हैं, जब मिदनापुर में अत्याचार किए गए थे । डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था और अत्याचारों के मामले को उठाया था । 1942 के अत्याचारों के बारे में अनेक विस्तृत बातें सामने आयीं थीं । एक पुस्तक है जिसका नाम है "इण्डिया रेवेज्ड" । इसमें सभी बातें विस्तारपूर्वक बतायी गयी थीं । और वायसरॉय को लिखा गया डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पत्र भी उद्धरित किया गया था । सभी बातें उस "इण्डिया रेवेज्ड" नामक पुस्तक में लिखी गयी थीं तथा रातोंरात यह पुस्तक छापी गयी थी तथा उसको विदेश भी भेजा गया था ।

अतः महोदय, हमको यह बात करने में संतोष हो रहा है कि हम श्री गोयनका को बदनाम करने की गरज से ऐसा कह रहे हैं, आपको याद होगा कि यह वही पत्र है जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सभी बातों को बताने के लिए जिम्मेदार था। आपात स्थिति के दौरान भी बहुत से पत्रों ने अपनी भूमिका अदा की थी और हमें उन पर गर्व है। परन्तु इसको इस बात से अलग कर देना चाहिए। यदि आप उसी बात का जिक्र करने जा रहे हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं दोनों बातों को अलग करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : कृपया डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तुलना श्री रामनाथ गोयंका से न करें।

प्रो० मधु दंडवते : श्री साठे, आपने मेरी बात को समझा नहीं है। आप 1942 में मेरे साथी थे और यदि आपको याद हो, हमने श्री गोयंका की प्रशंसा की थी और नेहरू ने उनके जेल से छूटने के बाद उनकी प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि छिप कर करने वाले आंदोलनों में यह एक बढ़िया कार्य है, जो कि किया गया था और वह अच्छी बात थी। कि पुस्तक "इण्डिया रेवेज्ड" फौज के लोगों तक भी पहुंच सकी। अतः मैं उनकी तुलना डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी से नहीं कर रहा हूं। उदाहरणार्थ यदि मैं कल कोई बात महात्मा गांधी की पुस्तक में से उद्धरित करूं और बाद में उसी विषय पर आपकी पुस्तक का उल्लेख करूं, तो उसका यह मतलब तो नहीं होगा कि मैं आपकी तुलना महात्मा गांधी से कर रहा हूं। (व्यवधान)

2.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : यह कह कर आप संदेश दे रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : मैं समझता हूं कि संदेश आप तक पहुंच गया होगा। आपको सवाल पूछने की जरूरत नहीं है।

श्री हरीश रावत : आप संदेश किसी और को दे रहे हैं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : कुछ नहीं। मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं है। हमारे 40 वर्ष के राजनीतिक जीवन में हमने अपने आपको स्वयं बचाया है। और किसी और का सहारा नहीं लिया है और न ही उसकी आवश्यकता होगी। याद रखिए। (व्यवधान) श्री साठे, भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व में आने से पहले भी मैंने इसी सभा में कहा था तथा संसदीय प्रबोधन, कार्यक्रमों में भी कहा था कि जिस ढंग से श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सभा में कार्य किया तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू की उनमें से कुछ कार्यों पर प्रक्रिया क्या थी। क्या मैं आपको एक उदाहरण दूं। (व्यवधान) महोदय, कृपया मुझे अनुमति दीजिए। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस सभा के सदस्य थे। (व्यवधान) यह बात सुनने वाली है। यह हमारी परम्परा के लिए अच्छा है। जब वह इस सभा में बोल रहे थे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम सुनना नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे निर्देश मत दीजिए। अध्यक्षपीठ से मुझे निर्देश दिया जाएगा।

महोदय, मैं ऐसी परम्परा उद्धृत कर रहा हूं जोकि न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरे पक्ष के

सदस्यों के लिए भी उपयोगी होगी। एक चर्चा चल रही थी। पण्डित जवाहर लाल नेहरू खड़े हुए और उन्होंने श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए कुछ टिप्पणी की। उन्होंने कहा, मैं आशा करता हूं कि हमारा प्रधानमन्त्री एक ऐसा व्यक्ति है जोकि शिष्ट व्यवहार में विश्वास रखता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी शांत रहे और अपना भाषण जारी कर दिया। 10 मिनट बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू फिर खड़े हुए और बोले, 'अध्यक्ष महोदय, इस बात पर विचार करने के बाद मैंने यह महसूस किया कि मुझे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे वह टिप्पणी वापस लेने की अनुमति दी जाए और मैं अपनी ओर से बिना शर्त क्षमा याचना करता हूं। और डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी की क्या प्रतिक्रिया थी ? वह खड़े हुए और बोले, महोदय, प्रधानमंत्री के मन में जो विचार आया है कि उन्हें इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था इतना ही काफी है। वह सभा के सदस्य हैं। मैं उनसे क्षमा नहीं मंगवाना चाहता हूं और यह भी नहीं चाहता कि उनकी क्षमा याचना को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जाए। अगले दिन समाचार पत्रों में शीर्षक था, 'शिष्टाचार की लड़ाई'। ऐसे शिष्टाचार के शब्द ही इस सभा की परम्परा हैं। (**व्यवधान**) अतः, इन मामलों को इस स्तर तक न लायें क्या मैं भा० ज० पा० को सन्तुष्ट कर रहा हूं। भा० ज० पा० के अस्तित्व में आने से पहले भी मैंने यह बात कही थी। मैंने सोमनाथ चटर्जी के पिता जो कि हिंदू महासभा के सदस्य थे का भी उल्लेख किया था। परन्तु वे महान सांसद थे और उन्होंने सभा में परम्पराएं बनाई थीं और लोकसभा का राज्यसभा से भिन्न स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रखा था। इस तथ्य के बावजूद कि वे हिंदू महासभा के सदस्य थे, न कि श्री सोमनाथ चटर्जी की तरह मार्क्सवादी थे। मुझे उन्हें उद्धरित करने में कोई हिचक नहीं है। यह सभा की परम्पराएं हैं। (**व्यवधान**)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : यह बहुत उलझन वाली बात थी। मुझे यह कहते हुए खेद है कि कल अध्यक्ष महोदय को भा. ज. पा. के सदस्यों ने डराया और वह उसके आगे झुक गए। महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, कृपया इस बात को समझ लिया जाये कि इस सभा के लोकतांत्रिक परम्पराओं की प्रशंसा करने का मतलब यह नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कारण मैंने इसे उद्धृत किया है। (**व्यवधान**) महोदय, बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिनका जिक्र मैंने इस नोट में किया था और उनको उद्धृत किया गया था। और मैंने यह भी कह दिया था कि कितना जुर्माना लगा था और मामला न्यायालय के विचाराधीन है और जो भी अन्तिम निर्णय होगा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उसे पूर्णतया तथा सख्ती से लागू किया जाए चाहे जुर्माना बढ़ा दिया गया हो या जुर्माने को रद्द कर दिया हो। आप यह ही मान के न चलें कि निर्णय विरोध में ही होगा, निर्णय पक्ष में भी हो सकता है। हम न्यायालय के निर्णय का अंदाज नहीं लगाएंगे इसलिए हम इसका इन्तजार करेंगे। मैं तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाता हूं। मैं यह कह सकता था कि मामला न्यायपालिका के विचाराधीन, मामला न्याय निर्णयाधीन है और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं इस तरह से अपने को बचा सकता था। पर मैंने ऐसा नहीं किया, परन्तु ऐसा ही है। जहां तक ऐसे एक मामले का सम्बन्ध है, हमें बताया गया है कि सीरियन बैंक के शेयरों का मामला उठाया गया था। यह बिल्कुल भिन्न मामला है। आपने इस मामले को पहली बार उठाया है। इसके बारे में हमारे पास सारे ब्यौरे नहीं हैं क्योंकि यह मामला ध्यानाकर्षण नोटिस का हिस्सा नहीं था। परन्तु हम अलग से सूचना एकत्र करने का प्रयास करेंगे और आपको बता देंगे। इसी प्रकार, जहां तक भवन तथा अन्य बातों का सम्बन्ध है, यदि आप इन 15 या 25 मामलों, जिनका जिक्र किया गया है, को देखें तो इन सभी में फेरा उल्लंघन, कर अपवंचना तथा सीमा शुल्क अपवंचना का उल्लेख किया गया है।

श्री वसन्त साठे : यदि आपको अन्य मामलों की पूरी जानकारी नहीं दी गई है, तो आप सूचना एकत्र कर सकते हैं तथा बाद में दे सकते है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु कृपया यह बताएं कि जो कुछ भी आपको कहा है वह निर्णायक है या विस्तृत रूप में है। मैंने यह कहा था कि सीरियन बैंक का व्यापार तथा शेयर अन्तरण आदि आपकी जानकारी में नहीं आया है तो इसका यह मतलब इस तथ्य को नकारता नहीं है कि यह ध्यानाकर्षण नोटिस की परिधि में नहीं आता है, क्योंकि यह मामला कर अपवंचना से सम्बन्धित है। इन सभी भवनो के लिए कर नहीं अदा किया गया है। अतः, यह ध्यानाकर्षण नोटिस की परिधि में आता है। यदि यह निर्णायक नहीं है, तो कृपया बताइए।

प्रो मधु० दण्डवते : कृपया मेरी बात सुनिये। आपने जो मामला उठाया है वह उन मामलों से अलग है जो अन्य सदस्यों ने उठाया है। अब, मैं उस मामले पर आ रहा हूं जो आपने उठाया है। जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, यह शेयरों के अन्तरण का मामला नहीं है। यह ध्यानाकर्षण नोटिस की परिधि में नहीं आता है। यह इसका दूसरा भाग है। परन्तु इस पर हम सूचना एकत्र करेंगे। (**व्यवधान**) कृपया, मुझे अपनी बात पूरी करने दें। जब आप बोले थे तब मैंने बीच में व्यवधान नहीं डाला था। आप मेरे भाषण के पूरा होने के बाद बोल सकते हैं। वरना मेरी बात का क्रम टूट जाता है। मैं नियमों की शरण नहीं लेता हूं। मेरे बैठ जाने के बाद, आप घंटों बोल सकते हैं और मुझसे चाहे जितने सवाल पूछ सकते हैं। मैं उनका अध्यक्षपीठ की अनुमति की शर्त के अध्यधीन उत्तर दूंगा।

महोदय, एक आरोप है कि शर्तों का पालन ठीक से नहीं किया गया है। इसके अन्तर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक ने इण्डियन एक्सप्रेस को लायड्स बैंक, लन्दन में स्टर्लिंग खाता खोलने की अनुमति दी हुई है। कथित पालन न करने की बात भारतीय रिजर्व बैंक को विवरण न देने तथा सर्टिफिकेट आदि न देने के बारे में है। सामान्यतः, यदि शर्तों का पालन न करना गम्भीर किस्म के मामले से सम्बन्धित होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसकी सूचना प्रवर्तन निदेशालय को दे दी जाती है। हमें ऐसा कोई संदेश नहीं मिला है, परन्तु हम स्वयं ही भारतीय रिजर्व बैंक को लिखेंगे और यह पता लगाएंगे कि क्या हमारी ओर से कोई कार्यवाही करनी जरूरी है। हम इस मामले में निश्चित ही हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन क्योंकि आपने मामले को तत्काल उठाया है। इसलिए मैं अभी इसका जवाब नहीं दे सकता।

महोदय, जहां तक कोई बात छुपाए बिना सभी ब्यौरों का सम्बन्ध है इन सभी पर न्यायिक कार्यवाही की जा रही है और अन्तिम निर्णय अभी आना बाकी है। इसलिए इस सभा को यह नहीं समझना चाहिए कि इन 15 या 16 मामलों को प्रलेख के रूप में पहले ही सभा को प्रस्तुत किया गया है वह कोई अन्तिम निर्णय है, अन्तिम न्यायिक निर्णय तो अभी होना है। इसके लिए एक या दूसरा रास्ता हो सकता है, परन्तु यदि कोई व्यक्ति हमें किन्हीं और उल्लंघनों के बारे में बताता है जिन पर संदेह किया गया है तो हम इसकी छानबीन करेंगे। न केवल इण्डियन एक्सप्रेस के बारे में ही, अन्य संस्थानों के बारे में भी यदि आपके पास कोई सामग्री है तो उसे आप मुझे दे सकते हैं। वित्त मन्त्री के नाते मैं उस पर कार्यवाही करूंगा, मैं किसी पत्रिका विशेष अथवा किसी संस्थान के राजनीतिक सोच अथवा सैद्धांतिक झुकाव पर विचार नहीं करूंगा। हम कानून का सख्ती से पालन करेंगे तथा तदनुसार कार्यवाही करेंगे।

2.09 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

आठवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगदीप धनखड़) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 24 अप्रैल, 1990 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मन्त्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 24 अप्रैल, 1990 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : महोदय, मैंने संशोधन की सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, व्यवहार तथा प्रक्रिया दोनों में ही इसकी अनुमति दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल निवेदन ही कर रहे हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या आप चाहते हैं कि मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह कह रहा हूं कि आपको सचिवालय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मुझे अनुमति क्यों नहीं दी गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप अपनी बात कह सकते हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : इस समय कश्मीर की घटनाओं और भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में संसद को सूचना नहीं दी जा रही है। मैं चाहता हूं कि सभा में इस बारे में चर्चा होनी चाहिए थी जिसके लिये मैंने सूचनायें दी थीं। पहली बात यह है कि न्यूयार्क में हमारे विदेश मन्त्री की पाकिस्तान के विदेश मन्त्री के साथ आज हो रही बातचीत के बारे में उन्हें अपनी वापसी के बाद यथाशीघ्र एक वक्तव्य देना चाहिए। हमने समाचार पत्रों में भी इस समस्या का बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने में संयुक्त राष्ट्र अमरीका द्वारा निभाई जा रही मध्यस्थ की भूमिका तथा सोवियत रूस द्वारा दिखाई जा रही रुचि के बारे में पढ़ा है। इस मामले में वास्तविक स्थिति क्या है ;

उपाध्यक्ष महोदय : श्री फैलीरो, इस पर विस्तार से चर्चा न करें।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं नियम 290 के अन्तर्गत बोल रहा हूं। मुझे पांच मिनट का समय दिया गया है। नियम 290 के प्रथम परन्तुक में यह कहा गया है :

"परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन या तो परिसीमा के या किसी विशेष विषय के सम्बन्ध में समिति को वापस भेज दिया जाये।"

महत्वपूर्ण बात यह है। सदस्यों के अधिकार के बारे में दूसरे परन्तुक में कहा गया है जिसका सचिवालय ने उल्लेख नहीं किया है :

"परन्तु यह और भी कि प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आधे घंटे से अधिक समय नियत नियत नहीं किया जाएगा और कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव पर पांच मिनट से अधिक नहीं बोलेगा।"

मैं पांच मिनट नहीं लूंगा। मैं काफी कम समय लूंगा। अब मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा रहा हूं।

परसों जब विदेश मन्त्री न्यूयार्क गए, उस दिन विदेश सचिव ने त्यागपत्र दे दिया था। समाचारों में छपी खबर के अनुसार उसे त्यागपत्र देने के लिए कहा गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह कहने की अनुमति दी गई है कि क्या वह मामला जिसका आपने सुझाव दिया है कार्य-सूची में शामिल किया जाए अथवा नहीं। आपको यह कहने की अनुमति नहीं दी गई है कि उस मामले के बारे में क्या हुआ और आप इन सब की गहराई में नहीं जा सकते हैं।

श्री एडुआर्डो फैलारो : मैं यह चाहता हूं कि सरकार को इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि विदेश सचिव ने त्यागपत्र क्यों दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पुनः मामले की गहराई में जा रहे हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : आप मेरे अधिकार में कटौती कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बहुत दुःख है। आपको अत्यधिक सम्मान देते हुए मैं यह कह सकता हूं कि मैं इस सभा का लगातार चार बार से सदस्य बनता आ रहा हूं और मैं जानता हूं कि प्रक्रिया क्या है।

विदेश सचिव ने त्यागपत्र दे दिया है। समाचार पत्रों में खबरें छपी हैं। मैं यह पूछ रहा हूं कि यह स्पष्ट करने के लिए वक्तव्य दिया जाए कि उन्होंने त्यागपत्र क्यों दिया है, उन्हें त्यागपत्र देने के लिए क्यों कहा गया था। वे पाकिस्तान डेस्क के प्रभारी अधिकारी थे। विदेश सचिव बनने से पूर्व वे पाकिस्तान में हमारे राजदूत थे। क्या पाकिस्तान से संबंधित हमारी नीति में कोई परिवर्तन किया गया है? उनको असम के राज्यपाल का पद देने का प्रस्ताव किया गया था जिससे यह पता चलता है कि वह एक अत्यन्त सक्षम व्यक्ति हैं। उनसे त्यागपत्र देने के लिए क्यों कहा गया था? क्या सरकार की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है। उनसे त्यागपत्र देने के लिए क्यों कहा गया? हम चाहते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दे।

मै प्रकिया के बारे में जानता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अत्यधिक आदर के साथ मैं यह कह सकता हूं कि मैंने 1977 से लेकर विगत में ऐसे कई मामले उठाए हैं। सरकार को यह स्पष्टीकरण देने दीजिए कि विदेश सचिव ने त्यागपत्र क्यों दिया, उन्हें त्यागपत्र देने के लिए क्यों कहा गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अभी उस विनिर्णय को पढ़ूंगा जो सभा में दिया गया था और मामला यहीं समाप्त हो जाता है :

"कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करने के प्रस्ताव में संशोधन समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार आवंटित समय में परिवर्तन करने के लिए किया जा सकता है परन्तु संशोधनों के द्वारा नई कार्य मदों को शामिल नहीं किया जा सकता है।"
यह एक नई मद है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 24 अप्रैल, 1990 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एंड्रुआर्डो फैलीरो : *सदस्य के अधिकार में कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए। मैं आपका बहुत आभारी हूं परन्तु यह प्रतीत होता है सचिवालय को इस नियम की जानकारी नहीं थी।*

उपाध्यक्ष महोदय : वास्तव में सचिवालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यह तो पीठासीन अधिकारी का निर्णय है। कार्यालय नियमों और विनियमों को ढूंढने में पीठासीन अधिकारी की मदद करता है। वास्तव में यह उस भद्रपुरुष का निर्णय है, जो पीठासीन अधिकारी है। मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, परन्तु साथ ही इस मामले को उठाने के तरीके हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। आपने यह तरीका अपनाया है।

श्री एड्रुआर्डो फैलीरो : मैं सही निर्णय देने के लिए आपका आभारी हूं। (व्यवधान) हमें सरकारी कार्य के बारे में संसदीय कार्य मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा करने की मांग करने का भी अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेंगे।

2.16 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) किसानों को, विशेषकर उत्तर प्रदेश के कानपुर, फतेहपुर, बांदा, जालौन, इटावा और हमीरपुर आदि जिलों में अपनी भूमि पर खेतीकरने के लिए समुचित सुविधाएं दिए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की ज्यादातर जनसंख्या आज भी अपने जीविकोपार्जन के लिए मुख्यतया कृषि पर ही निर्भर है तथा कृषि देश की अर्थ व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन यह खेद की बात है कि कृषि क्षेत्र को अभी तक लगभग उपेक्षित ही रहने दिया गया है। किसानों को उद्योगों की तरह हर तरह की सुविधाएं देना चाहिए तथा जहां समुचित रूप से साधन उपलब्ध नहीं है, वहां सरकार को हर तरह के साधन जुटाने चाहिए। उसकी उपज का सही मूल्य बाजार में नहीं मिलता है, सही मूल्य तथा सही साधन न मिलने के कारणों से किसान गरीब होता जा रहा है। गरीब किसानों को बैंकों से कर्ज भी नहीं मिलता है।

अत: सरकार से मेरा अनुरोध हैं कि उत्तर प्रदेश के कानपुर, फतेहपुर, बांदा, जालौन, इटावा, हमीरपुर आदि जिलों में उन क्षेत्रों का पता लगाया जाए जहां पर साधन नहीं हैं और साधन न होने के कारणों से उपजाऊ जमीन वगैर बोए खाली पड़ी रहती है। सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराए। आज हम जो बाहर से अनाज मंगाने की बात करते हैं, बेसारी दिक्कतें इन उपायों से दूर हो सकती हैं।

2.18 म० प०

[श्री असवंत सिंह पीठासीन हुए]

(दो) यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में नेहरू युवा केन्द्र ठीक प्रकार कार्य करें, प्रत्येक केन्द्र में एक समिति गठित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा० असीम दास (नवद्वीप) : नेहरू युवा केन्द्रों की योजना पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई थी। हमारा यह अनुभव है कि देश के सभी युवा केन्द्र ठीक प्रकार कार्य नहीं कर रहे हैं और उन्हें आबंटित निधियों का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया जा रहा है।

इस संदर्भ में मैं श्रम तथा कल्याण मन्त्री महोदय को यह सुझाव देना चाहूंगा कि वे इन केन्द्रों के कार्यकरण की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करें और कोई नई प्रणाली शुरू करें। मैं मन्त्री महोदय को यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि वे प्रत्येक केन्द्र में युवा केन्द्रों के सुचारू प्रबन्ध के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक स्थानीय समिति तुरन्त गठित करें।

उस क्षेत्र के प्रत्येक युवा संगठन से एक या दो प्रतिनिधि और पंचायत से एक प्रतिनिधि।

निधियां राज्य सरकारों के माध्यम से वितरित की जानी चाहिए।

(तीन) दादरा और नगर हवेली में सहकारी चीनी कारखाना लगाये जाने के प्रस्ताव को छोड़ देने की आवश्यकता

श्री मोहन भाई संजी भाई डेलकर (दादरा और नगर हवेली) : महोदय, दादरा और नगर हवेली के लोग, जिसमें बहुत सी आबादी आदिवासी है, प्रस्तावित दादरा और नगर हवेली सहकारी चीनी मिल को लगाने के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। निदेशकों द्वारा जिस भूमि का चयन किया गया है, वह पूर्ववर्ती भूस्वामियों की अतिरिक्त भूमि थी। भूमि के इन टुकड़ों को भूमिहीन आदिवासियों में बांटा जाना था। परन्तु प्रस्तावित चीनी मिल के कारण इन आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त वहां चीनी का पर्याप्त कोटा भी उपलब्ध नहीं है। 40 किलोमीटर भूक्षेत्र के घेरे में एक खांडसारी परियोजना तथा तीन अन्य चीनी मिलें हैं। उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं यह सुझाव देता हूं कि इस मिल को लगाने का विचार छोड़ दिया जाए। अब तक जो शेयर बिक चुके हैं उन्हें गुजरात स्थित चीनी मिलों को हस्तांतरित किया जा सकता है।

मैं केन्द्रीय सरकार से इस मामले की जांच करने का अनुरोध करता हूं।

(चार) अरुणाचल प्रदेश में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के उचित कार्यकरण के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री लेइता अम्बरी (अरुणाचल पूर्व) : महोदय, अरुणाचल प्रदेश में वर्ष 1989-90 तक 12 अति अल्प शक्ति के ट्रांसमीटर और 3 अल्प शक्ति के ट्रांसमीटर लगाए गए है। उनमें से केवल 3 अल्प शक्ति के ट्रांसमीटर ही कार्य कर रहे हैं शेष अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर नियमित रूप से कार्य नहीं कर रहे है। कई प्रसारण केन्द्रों पर तकनीशियन कई महीनो तक नहीं जाते हैं। दूरदर्शन के लोगों से यह पता चला है कि अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर इन्जनों के स्वचलित होने के कारण उनकी निगरानी के लिए तकनीशियन को नहीं रखा जाता है। अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के असंतोषजनक कार्यकरण के कारण लोगों में भारी असंतोष है। इस बात की आवश्यकता है कि अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के भली प्रकार नियमित रूप से कार्यकरण के लिए उन सभी ट्रांसमीटरों पर भली प्रकार

प्रशिक्षित कर्मियों को नियुक्त किया जाए । अरुणाचल प्रदेश रोइंग उप-मंडल के अन्तर्गत रोइंग में स्थित वर्तमान अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को अल्प शक्ति ट्रांसमीटर में बदला जाए ताकि असम में डिब्रूगढ़ प्रसारण केन्द्र से 150 किलोमीटर दूर स्थित चपखोया-सदिया उपमंडल के 40,000 से अधिक लोगों को फायदा हो सके ।

(पांच) दरभंगा-फारबिसगंज लैटरल सड़क के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1988 में स्वीकृत योजनान्तर्गत उत्तर बिहार के दरभंगा से फारबिसगंज लैटरल सड़क का 135 किलोमीटर निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है । यह लैटरल सड़क राष्ट्रीय महत्व की सड़क होगी क्योंकि भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र व सीमांचल क्षेत्र के लिए लैटरल सड़क न केवल इस पिछड़े इलाके में यातायात की दृष्टि से आवश्यक है । बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यन्त महत्व की सड़क होगी ।

उपर्युक्त स्थिति की महत्ता को देखते हुए मैं मांग करता हूं कि राष्ट्र हित में दरभंगा-फारबिसगंज लैटरल सड़क के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए ।

(छः) बिहार के भोजपुर जिले में उन व्यक्तियों को, जिनकी फसलें आग से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, मुआवजा दिए जाने की मांग

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : सभापति महोदय, बिहार राज्य के भोजपुर, जिलान्तर्गत नावा नगर थाना के ग्राम मड़ियां, उमराव थाना के ग्राम नन्दन एवं सोंवा, इटाड़ी थाना के ग्राम इटाड़ी, राजपुर थाना के ग्राम सरेजा एवं साहपुर थाना के ग्राम दामोदरपुर में भीषण आग लगी है। जिससे किसानों एवं मजदूरों के एक लाख रुपए की फसल जल गई है एवं किसान व मजदूरो के घर जल कर राख हो गए हैं । अभी तक किसानों के लिए कुछ भी राहत नहीं दी गई है ।

इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार किसानों को एक-एक हजार रुपए प्रति एक मुआवजा दें एवं जिन मजदूरों का घर जला है उसे घर बनवाने की व्यवस्था करे ।

(सात) उत्तर प्रदेश में बरेली में मेडिकल और इन्जीनियरिंग कालेज खोले जाने हेतु आगामी योजना में धनराशि आबंटित किए जाने की मांग

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, बरेली जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्य केन्द्र है, यह मेडिकल कालेज व इन्जीनियरिंग कालेज की स्थापना की मांग पिछले कई वर्षों से उठाई जा रही है । बरेली, मंडल का मुख्यालय पूर्व में रोहेलखंड मंडल का केन्द्र होने के कारण तथा कुमाऊं गढ़वाल के लिए मुख्य मंडी बरेली होने के कारण एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, रामपुर, पीलीभीत, बदायूं, नैनीताल व अन्य निकटवर्ती जिलों से सीधा सम्पर्क होने के कारण इन जिलों की करीब एक करोड़ से अधिक जनता का सीधा सम्बन्ध बरेली से है ।

प्रदेश सरकार ने भी बरेली में मेडिकल कालेज व इन्जीनियरिंग कालेज की स्थापना के औचित्य को कई वर्ष पूर्व ही मान लिया था परन्तु अभी तक उस दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। यह क्षेत्र पूर्व से ही औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए इन्जीनियरिंग कालेज की स्थापना से यहां पर कार्यरत उद्योगपतियों एवं नए उद्योग लगाने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा ।

बरेली क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए कालेज की शिक्षा के उपरांत तकनीकी शिक्षा के लिए भटकना पड़ता है । मेडिकल कालेज व इन्जीनियरिंग कालेज न होने के कारण बहुत मेधावी छात्र भी

शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। बरेली में मेडिकल कालेज एवं इन्जीनियरिंग कालेज बनाने हेतु भूमि भी आसानी से उपलब्ध हो सकती है। प्रदेश सरकार का कहना है कि केन्द्र की अनुमति मिलने पर अगला इन्जीनियरिंग व मेडिकल कालेज बरेली में खोले जाएंगे।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आगामी योजना में बरेली में मेडिकल व इन्जीनियरिंग कालेज खोलने हेतु धन आवंटन की कृपा करें।

2.25 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1990-91

गृह मन्त्रालय (जारी)

सभापति महोदय : अब हम गृह मन्त्रालय के नियंत्रण के अधीन 19 अप्रैल, 1990 को प्रस्तुत अनुदानों की मांगों सं० 42 से 46 तथा 90 से 95 पर आगे चर्चा करते हैं। मुझे सदस्यों को इस बारे में सचेत कर देना चाहिए कि अब इस चर्चा के लिए बहुत कम समय बचा है। और इसे आज 4 बजे तक समाप्त कर लेना चाहिए। उसके बाद मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री मनोरंजन भक्त को अपना भाषण देने के लिए बुलाने से पहले मुझे उन्हें यह सूचित करना है कि अब उनके दल के पास केवल 13 मिनट का समय उपलब्ध है। उनके दल के बहुत से वक्ता इस वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं। यदि आप अपने भाषण को सीमित रखते हैं तो इससे आपके दल के अन्य लोगों को भी भाग लेने का अवसर मिलेगा। मैं आपकी कठिनाई को समझता हूं। परन्तु मैं सामूहिक कठिनाई की ओर संकेत कर रहा हूं। अब केवल 13 मिनट का समय उपलब्ध है।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : मैं अपने भाषण को समय सीमा में खत्म करने का प्रयास करूंगा। परन्तु महोदय, मैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से अकेला सदस्य हूं। मैं समझता हूं कि सभापति महोदय मेरे अनुरोध पर विचार करेंगे····

सभापति महोदय : आप जो कुछ कहना चाहते हैं हम उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : इसके बाद में जल संसाधन पर आज ही चर्चा होगी ?

सभापति महोदय : आज ही होगी।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : सभापति महोदय, मैं गृह मन्त्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, गृह मन्त्रालय बहुत से विषयों को निपटाता है और थोड़े से समय में इन सभी विषयों को नाम लेकर बताना मेरे लिए संभव नहीं होगा। विशेष रूप से कानून और व्यवस्था की स्थिति, सांप्रदायिक स्थिति, हरिजनों पर अत्याचार ये सभी अति महत्वपूर्ण समस्यायें हैं जिनका सामना देश अब कर रहा है। पंजाब, कश्मीर तथा अन्य क्षेत्रों के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। (व्यवधान) मुद्दा यह है कि देश में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप जैसे ऐसे

कुछ क्षेत्र थे जिनमें सांप्रदायिकता नहीं थी। दुर्भाग्य से, इस समय उन क्षेत्रों में भी सांप्रदायिकता फैल चुकी है। और हम इस बात से बहुत खिन्न हैं कि गृह मन्त्रालय द्वारा कुछ गलत नीतियों का अनुपालन करने के कारण स्थिति बदतर होती जा रही है। आज के अखबार में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि लक्षद्वीप के अंडरोथ द्वीप में पुलिस ने गोली चलाई और दो व्यक्ति मारे गए। लक्षद्वीप के इतिहास में यह पहला अवसर है जब कि पुलिस की गोली से दो व्यक्ति मारे गए हैं। द्वीप भूक्षेत्र को सदैव केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलती रही है। पिछली केन्द्रीय सरकार उनकी समस्याओं को समझती थी और उनका समाधान करने में उसकी रुचि भी थी। परन्तु दुर्भाग्य से, अब यह सरकार सत्ता में आ गई है और उन्होंने द्वीप भूक्षेत्र के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं दिखाई है।

मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि हाल ही में द्वीप में पिछले तीन अथवा चार महीनों से नौ-वहन की भारी समस्या थी। मुख्य भूमि और द्वीपों के बीच चलने वाले "हर्षवर्धन" और "अकबर" नामक दो जहाजों को केन्द्रीय सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना सेवा से हटा लिया और अन्य कार्यों में लगा दिया जिसके फलस्वरूप मुख्य भूमि के यात्रियों को भोजन और आश्रय के अभाव में कष्ट उठाना पड़ा था। यहां तक कि मार्ग में ही कुछ लोग मारे गए क्योंकि खाने के अभाव में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। और केन्द्रीय सरकार से बार-बार अनुरोध करने के बाद भी केन्द्रीय सरकार की ओर से इस समस्या का समाधान करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। आज भी हमारे पास ये दो जहाज नहीं हैं। पिछली सरकार के शासन-काल के दौरान दो चार्टर्ड जहाज थे। उनमें केवल बैठने की व्यवस्था थी। कोई भी व्यक्ति चार दिन तक सो नहीं सकता। उन्हें द्वीप से मुख्य भूमि में बैठकर ही आना पड़ता था। वे इस प्रकार की यात्रा करते आ रहे हैं। परन्तु केन्द्रीय गृह मंत्री के पास संसद सदस्यों से मिलने और उनके पत्रों का उत्तर देने के लिए कोई समय नहीं है। यह एक खराब स्थिति है।

एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 240 के अन्तर्गत आता है। राष्ट्रपति को प्रशासक नियुक्त करके इन क्षेत्रों में अच्छी सरकार की व्यवस्था करनी होती है। इन प्रशासकों को सभी शक्तियां मिलती हैं। वे इन द्वीप भू-क्षेत्रों में सर्वस्व होते हैं। संघ राज्य प्रशासन में एक कार्य प्रणाली नहीं होती अपितु देश में तीन अथवा चार प्रकार की कार्य प्रणालियां विद्यमान हैं। एक कार्य प्रणाली पांडिचेरी की भांति संघ राज्य क्षेत्र में विधानमण्डल प्रणाली है दूसरी, प्रणाली दिल्ली की भांति संघ राज्य क्षेत्र में महानगर परिषद की व्यवस्था है। तीसरी, कार्यप्रणाली में संघ राज्य क्षेत्र में एक प्रदेश परिषद की व्यवस्था है और ऐसे भी अन्य संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनमें केवल मंत्रणा समितियां हैं। सैद्धांतिक तौर पर, सरकार को एक ही कार्य प्रणाली के बारे में निर्णय लेना चाहिए और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विभिन्न प्रकार की कार्यप्रणालियां नहीं होनी चाहिए।

मैंने समाचार पत्रों में यह पढ़ा है कि सरकार ने दिल्ली को राज्य का दर्जा देने का निर्णय लिया है और वे दिल्ली के लिए एक विधान सभा की व्यवस्था करने जा रही है। मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करते समय उन्हें अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र के बारे में भी विचार करना चाहिए जहां लोग काफी लम्बे समय से विधानसभा की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उस द्वीप समूह में आंदोलन हो चुके हैं। लोगों के मत का दमन नहीं किया जा सकता और उनके लिए विधानसभा की व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं तथा नए गृह राज्य मन्त्री से जो कि संभवतः संघ राज्य क्षेत्रों को देख रहे हैं। भी व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच करने और दिल्ली को राज्य का दर्जा देने वाले विधेयक को प्रस्तुत करते समय

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में भी विचार करेंगे। का अनुरोध करता हूं।

जब कभी भी उस द्वीप समूह में समस्याएं उत्पन्न होती थीं तो गृह मन्त्रालय की मन्त्रणा समिति उन समस्याओं का समाधान किया करती थी। परन्तु दुर्भाग्य से पिछले कई महीनों से इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई है। नवम्बर के महीने के दौरान एक बैठक रखी गई थी परन्तु चुनाव घोषणा के कारण वह बैठक नहीं हो सकी। इसके बाद मैंने गृह मन्त्री महोदय को तुरन्त ही एक बैठक आयोजित कराने के लिए एक पत्र लिखा क्योंकि द्वीप समूह की बहुत सी ज्वलन्त समस्याएं लम्बित पड़ी थीं। परन्तु इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है और उन्होंने मेरे पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया है।

पिछली सरकार के शासनकाल में एक द्वीप विकास प्राधिकरण था। प्रधानमन्त्री इसके सभापति हुआ करते थे। दस मंत्री इसके सदस्य हुआ करते थे। योजना आयोग का एक सदस्य भी इस प्राधिकरण का सदस्य था, जो संचालन समिति के सभापति होते थे। प्रो० एम० जी० के० मेनन जो अभी यहां बैठे हैं, संचालन समिति के सभापति थे। वे इसके बारे में भली प्रकार जानते हैं। इन्होंने हम लोगों के लिये अनेक मन्त्रालयों से काफी संघर्ष किया है ताकि द्वीपवासियों को राहत दी जा सके। परन्तु दुर्भाग्यवश नई सरकार के आने के बाद इस द्वीप विकास प्राधिकरण को समाप्त कर दिया गया है और जिन समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ करता था और इस प्राधिकरण के माध्यम से जिनका समाधान किया जाता था, उससे अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लोगों को वंचित किया गया। आप हमारी दशा समझ सकते हैं।

पोर्ट ब्लेयर के लिए सप्ताह में ग्यारह उड़ानें होती थीं, नई सरकार के आने के बाद ये उड़ानें घटकर सात हो गई हैं। एक द्वीप से दूसरे तथा अन्तर्द्वीप सेवा प्रदान के लिए एक हेलिकाप्टर था जिससे इलाज के लिये मरीजों को भी अस्पताल ले जाया जाता था और उसमें नागरिक भी आवश्यक कार्य के लिए इधर-उधर जाते थे। नई सरकार के सत्ता में आने के बाद संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को सूचित किए बिना ही हेलिकाप्टर की सेवा समाप्त कर दी गई। अब लोग पूछ रहे हैं कि इसके कारण क्या हैं, केन्द्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्या यह राजनीतिक बदले की भावना है कि द्वीप क्षेत्र में कांग्रेस ने चुनाव जीता है, क्या इसी कारण यह नई सरकार बदला ले रही है और द्वीप के लोगों को सबक सिखाना चाहती है? इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जब गृह मन्त्री उत्तर दें, तो उनसे मैं यह विशेष रूप से जानना चाहूंगा कि जबकि आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं तो वे क्या कर रहे हैं। जहाज तथा कुछ अन्य समस्याओं के कारण मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं है, आलू 10 रुपये किलो बिक रहा है, प्याज 10 रुपये किलो बिक रहा है, नमक 5 रुपये किलो बिक रहा है। परन्तु दिल्ली से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा है।

जब द्वीप में अभूतपूर्व तूफान और बाढ़ आई तो कुल पीड़ित लोगों में से सिर्फ आधे लोगों को ही राहत राशि बांटी गई और शेष आधे लोगों को इस कारण नहीं बांटी गई कि चुनाव घोषित कर दिए गए थे। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि चुनाव समाप्त होने तक कोई राशि नहीं बांटी जाएगी। परन्तु चुनाव के बाद जबकि नई सरकार आई है उसने शेष आधे पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान नहीं किया है। जब कभी भी यह प्रश्न पूछा गया, प्रशासन ने कहा कि वे भारत सरकार से पूछ रहे हैं कि यह राशि दी जाए या नहीं।

महोदय, वहां एक दूसरी गंभीर घटना घटी है। एक द्वीप में नौसेना और सेना—दोनों आपस में लड़ गयीं और एक नौसेना अधिकारी को मार दिया है। यह घटना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अण्डमान के एक द्वीप में घटी है। (व्यवधान)। संयुक्त कमांड जो भी हो, उस घटना

में सेना के दल ने नौ सेना पर गोली चलायी। एक नौसेना अधिकारी मारा गया और दूसरा गम्भीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए पोर्ट ब्लेयर अस्पताल ले जाया गया।

महोदय, स्कूल की परीक्षा समाप्त होने के बाद छुट्टियां हो जाएगीं। हर वर्ष छुट्टी के दौरान सरकारी कर्मचारी मुख्य भूमि पर आते हैं। अब उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि नौवहन की कोई व्यवस्था नहीं है और वे मुख्य भूमि पर नहीं आ सकते। प्रशासन ने छुट्टी की अवधि भी परिवर्तित कर दी है। अर्थात् यह अवधि अब 1 मई के बजाए 15 जून से है जिसका अर्थ है कि डेढ़ महीने तक शिक्षण कार्य नहीं होगा क्योंकि किताब और दूसरी चीजें नहीं मिलेगीं। छात्र स्कूल जाएंगे लेकिन कोई क्लास नहीं होगी और इसलिए कोई पढाई नहीं होगी। अन्त में जब यह चीजें मिलेंगी तो छुट्टियां हो जाएंगी। महोदय, पहले जब कभी भी जहाज में जगह नहीं होती थी और जहाज सेवा उपलब्ध नहीं थी तो सरकार सरकारी कर्मचारियों को विमान द्वारा निःशुल्क ले जाती थीं जिसका खर्च विभाग वहन करता था। इसलिए मेरा सुझाव है कि यही काम इस वर्ष भी किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि अण्डमान और निकोबार द्वीप में एक वित्त और विकास निगम था। इस निगम का काम बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना था। लेकिन क्या हुआ कि अब इस अण्डमान और निकोबार वित्त तथा विकास निगम को द्वीप में आर्थिक विकास करने तथा बेरोजगार युवकों के लिए द्वीपों में अधिक रोजगार के सृजन करने के बजाए शराब और पेट्रोल बेचते हुए देखते हैं। जब इस निगम का गठन हुआ था तो इसके अर्थपूर्ण प्रयोजन के ये उद्देश्य थे द्वीप में ज्यादा मछली पकड़ना, रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करना और यह देखना कि वहां किस प्रकार के उद्योग शुरू किए जा सकते हैं। इस दिशा में कुछ करने के बजाए अब यह निगम शराब बेच रहा है और एक पेट्रोल पम्प चला रहा है। इस प्रकार यह द्वीप वासियों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है।

मैं गृह मन्त्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे गृह मन्त्रालय के अधीन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह परामर्शदात्री समिति की बैठक शीघ्र बुलाए ताकि सभी लंबित पड़े मामले जिनके कारण हम काफी दिनों से परेशान हैं, पर चर्चा की जा सके और उनका समाधान किया जा सके। दूसरी बात, नौवहन और संचार सुविधाओं को वहां शीघ्र आवश्यकता है। मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर जल भूतल परिवहन मन्त्रालय के अपने सहयोगी से तत्काल बात करें ताकि उन जहाजों जिन्हें किसी अन्य प्रयोजन के लिए रोका हुआ है, को चलाया जा सके और समस्या का समाधान किया जा सके। मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि आप द्वीपों में आवश्यक वस्तुओं तथा अन्य माल भेजने के लिए और अधिक मालवाही जहाज भेजें।

अन्त में, मैं गृह मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि दिल्ली को विधान सभा का दर्जा देने के लिए विधेयक रखने के साथ-साथ अण्डमान तथा निकोबार द्वीप के लिए विधान सभा की व्यवस्था करने पर विचार करें।

भाषण देने का मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

[हिन्दी]

श्री कृपाल सिंह (अमृतसर) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गृह मंत्रालय की मांगों पर बोलने का मौका दिया। इस सदन में जो चर्चाएं होती रही हैं, उनके मुताबिक मैं कह सकता हूं कि पंजाब और कश्मीर के बारे में अक्सर कहा गया। उनमें मेरा ओपीनियन, मेरी राय यह है...।

सभापति महोदय : क्या आपको वक्त की पाबंदी की हिदायत देने की जरूरत है ? आप कितना समय लेंगे ?

श्री कृपाल सिंह : मैं आधा घण्टा बोलना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : नहीं, आप दस मिनट में अपनी बात कहिए ।

श्री कृपाल सिंह : सभापति महोदय, इतनी प्रतीक्षा मैंने की है, 3-4 दिन से यहां बैठा हुआ हूं ।

गुल फेंके हैं औरों की तरफ और समर भी,
खामाबर अंदाजे चमन, कुछ इधर भी ।

मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बातें कह सकूं । सबसे पहले मैं यह बात कहना चाहता हूं कि इस देश में जितने मसायल पैदा हुए, उनको हल करने के लिए एक खानदान की गुलामी सबसे बड़ा मकसद रहा है, कभी उसको नेशनल एंगल से सोचा नहीं गया । आज जरूरत इस बात की है कि इन मसायल को हल करने के लिए नेशनल एंगल से सोचा जाए । जैसाकि इकबाल ने कहा है—जो नक्शे कुहन तुमको नजर आए मिटा दो, तो यह नक्शे कुहन क्या थे, यही थे । कौन आदमी किस स्टेट में एक खानदान का वफादार है, उससे बातें करनी हैं । कभी यह नहीं सोचा गया कि उस स्टेट के अन्दर, उस एरिया के अन्दर कौन से आदमी ऐसे हैं या कौन सी पार्टी ऐसी है, जिसको लोगों का समर्थन प्राप्त है । उनसे बात की जाए । आज तक यह बात कभी नहीं की गयी । आज जरूरत इस बात की है कि इस चीज को नेशनल एंगल से देखा जाए, सोचा जाए । जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, आप सबने देखा है, सुना है कि जितने लीडर्स पंजाब के अन्दर इस वक्त हैं, खास कर सिखों की जितनी पार्टियां हैं उन्होंने कहा है कि आप पंजाब का मसला हल करने के लिए तथाकथित आतंकवादियों से बात करो । यहां बात चलती है कि हम उनसे बात करेंगे जो लोग नेशनल स्ट्रीम में आएंगे, उनसे बात करेंगे जो हथियार छोड़ेंगे । आतंकवादी न हथियार छोड़ेंगे, न मेन स्ट्रीम में आएंगे । दूसरों से बात करने का मतलब नहीं । वे कहते हैं कि हमारे से बात करने का फायदा नहीं । उनसे बात करो । हर एक जगह पर इस चीज को आजमाया गया है और ऐसे लोगों से बात होती रही है । सारे देश में बात होती रही है । पंजाब में जब से यह शुरू हुआ है चाहे लैंग्वेज के मसले से शुरू करें, शैडयूल्ड कास्टस को हक-हकूक देने की बात करें, जो हिन्दू होते हुए उनको मिलते थे, उन पर भी मोर्चा, दूसरे पर भी मोर्चा, रीजनल फार्मूले पर मोर्चा, पंजाबी जुबान पर मोर्चा, सूबे पर मोर्चा, ये तमाम बातें जो तराजू पर, पैमाने पर सारे देश के लिए तसलीम की गयीं, जब अम्बाला से आगे आते थे तो पैमाने बदल जाते थे । यह हो जाता था कि लैंग्वेज के बिना सूबे बन जाएं लेकिन यहां न बनने पाएं । यहां एक ऐसी लकीर डाल दी गई है । यह सारा कुछ जो होता रहा है उसके तजुर्बे ने उन लोगों को हाथ में बन्दूकें दी हैं । जिनका रिकार्ड रहा है कि उन्होंने देश की आजादी के लिए जो मोर्चे लगाए उसमें नॉन वायलेंस का उन्होंने सबूत दिया । जिस पर हमारे महात्मा गांधी जी ने, मदन मोहन मालवीया जी ने उनको ऐसे सर्टीफिकेट दिए जो अभी तक किसी को नहीं मिल सके हैं । अब जबकि सब लोग कहते हैं कि उनसे बात की जाए तो इससे गुरेज नहीं करनी चाहिए, खास तौर से गवर्नमेंट को, जिसके सरगना बी० पी० सिंह जी हैं । ये एक उम्मीद बन कर निकले हैं, जिन्होंने हर हालत में जम्हूरियत को जिन्दा रखने का, सोचने का, काम करने का प्रण लिया है । लोगों ने उन्हें अपने विश्वास का पात्र बनाया है । बड़ी देर के बाद ऐसा हो रहा है । इसलिए मैं समझता हूं कि पॉलिसी में, प्रोग्राम में यह नजर आना चाहिए ।

पिछली सरकार के वक्त में एक केस बना था सिमरन जीत सिंह मान और अतिन्दर पाल सिंह पर कि उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या में कोई न कोई साजिश की है। वह गवर्नमेंट जाते हुए यह कैसे वापिस ले गयी। एक दफा मैंने पहले भी कहा था कि वह केस किस आधार पर बनाया गया और किस आधार पर वापस लिया गया, इसके मुतल्लिक होम मिनिस्टर साहब, प्राइम-मिनिस्टर साहब जवाब दें। आज मैं यह बात कहता हूं कि अतिन्दरपाल सिंह जेल में है, जिसने भारत आईन की हल्फ लेने के लिए अदालत में दरख्वास्त दी, जो सुप्रीम कोर्ट तक गया। एनैग्जाइटी यह है कि वह देश के आईन के लिए वफादारी की हल्फ लेना चाहता है। जो हल्फ लेना चाहता है उसके मुतल्लिक अगर आज की सरकार भी वही रवैया अख्तियार करेगी जो ठीक नहीं है। जो हल्फ लेना चाहता है वह सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लाए कि मैं हिन्दुस्तान की आईन की वफादारी की लेना चाहता हूं। कोर्ट के आर्डर के बाद उसे हल्फ लेने की इजाजत दी जाएगी। यह बड़ी अजीब बात है। वह आज तक जेल में क्यों है ? यह झूठा केस बनाया गया है, पहले कोई और झूठा केस था। पहली सरकार के और ढंग थे। मैंने कम्युनल सिच्युएशन पर तकरीर सुनी है। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। यहां महाभारत का, गीता का जिक्र होता रहा, मैंने देखा दुर्योधन तो हाउस में मौजूद नहीं था, लेकिन शकुनी और दुश्शासन बहुत बोल रहे थे। एक फेज है कि "कि शैतान इन्जील पढ़ रहा है। मैंने इन्जीलें पढ़ते हुए देखा। मैं हैरान हो रहा था कि देश के अन्दर जितनी आग लगी है, मेरठ में लगी है, अहमदाबाद में लगी है। यहां 1984 में दिल्ली में आग लगी, बोकारो में लगी या कानपुर में लगी ये तमाम आग किसके द्वारा लगायी गयीं, अगर मैं कहूं कि भुस को जमा कर आग लगा दी और उधर गए तो यह किसकी लगाई हुई आग सुलग रही है और भड़कती है। आज की सरकार को इससे मुख्तलिफ रवैया अख्तियार करना चाहिए। वह यह है कि कौन लोग किस जगह पर लोकप्रिय हैं और किन का समर्थन हासिल है, उससे बात की जाए। लेकिन बात कब होगी अभी तक मुझे मालूम नहीं है। अभी तक तो पुनर्वास के मसाइल पर ही बहस हो रही है। मैं थोड़े दिन पहले प्रधान मंत्रीजी से मिला था। उनसे मैंने बात की थी और उनके सामने कागज रखे कि जो नवम्बर 1984 में सरकार द्वारा या सरकारी पार्टी के लोगों के द्वारा दिल्ली में सिखों का कत्लेआम किया गया तो पीड़ित लोगों की एफ० आई० आर० नहीं लिखी गई। एक कागज था जिसमें उन्होंने दरख्वास्त लिखी और थाने वालों ने उस पर मुहर लगाकर उनको दे दी और रिकार्ड खत्म कर दिया। अब हमारी सरकार ने अदालतें कायम की हैं उसके लिए, लेकिन वह काम कैसे करेंगी, क्योंकि कोई सुबूत नहीं है। हमने कहा कि जो यह कागज हैं जिसके पास यह हो और वह पेश करे तो उसी को एफ० आई० आर० मानकर दर्ज कर लिया जाए, क्योंकि क्रिमिनल ला में देर का सवाल नहीं होता है। उन्होंने इसके मुतल्लिक हमारी बातें गौर से सुनीं, लेकिन फैसला होना अभी बाकी है। अभी कल हमारे एक साथी कल्पनाथ राय जी ने कहा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब प्रधान मंत्री बने तो वे महात्मा गांधी की समाधि पर दर्शन करने नहीं गए, कहीं और चले गए। कहां गए, वह अमृतसर गए थे। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह मन्दिर 400 साल पुराना है और उसका महत्व पूरी दुनिया में है जिनके इर्द-गिर्द वह बैठे उनको आप शिड्यूल्ड कास्ट्स और घटिया लोग समझते हैं, जबकि उन्हीं के लंगर में सब लोग जाते हैं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : हमने अमृतसर का जिक्र नहीं किया, इमाम बुखारी की बात कही थी।

श्री कृपाल सिंह : जो बात मैंने अपने कानों से सुनी है वह मैं कह रहा हूं। अभी तो मैंने तबहीदें गमे दिल से बयान किए हैं अभी से बन्दापरवर आप क्यों घबराये जाते हैं। आप इसलिए चाहते हैं कि आपकी बातें लोगों के सामने न आ जाएं। जो कुछ आपने देश के साथ खिलवाड़ किया है वह लोगों को अब पता लग रहा है। अभी राम नाथ गोयनका पर बहस चल रही थी। वह फ्रीडम

फाइटर रहे, महात्मा गांधी के साथ रहे, अब वह सरमायेदार हैं दूसरे चोरों की तरह उन्हीं के गिरोह में शामिल हो जाते, बोफोर्स वाले चोरों के गिरोह में आ जाते तो उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया जाता। उसकी गलती यह है कि वह आज के चोरों में शामिल नहीं हुआ। उसका जवाब जिस ढंग से वित्तमंत्री ने दिया, उससे हमें तसल्ली हो गई है। जो तमाम मुकदमें बने, और दर्ज किए, लेकिन उनके खिलाफ दर्ज नहीं किया। लेकिन पुराने प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोफोर्स के मुतल्लिक पचास स्टैंड बदले, बीसों बार कहते रहे कि हमारे खानदान का कोई नहीं है, हमारा कोई साथी नही है, लेकिन अब सब कुछ बाहर निकलकर आना शुरू हो गया है। राम नाथ गोयनका की गलती यह थी कि वह चोरों के गिरोह में जल्दी शामिल हो जाते तो उनकी बात हमारे सामने नहीं आती हम पंजाब के रहने वाले हैं हम से पूछें कि हमारे सीने में किसने जख्म लगाए हैं। अमृतसर का वह मन्दिर जो गुरु रामदास का मन्दिर और गुरु नानक का मन्दिर है जिसने जलते संसार पर अमृत डाला था और उसकी चादर को लेकर हिन्दू और मुसलमानों के बीच लड़ाई हो गई थी। वे जब ज्योति-ज्योति में समा गए तो हिन्दू-मुसलमानों में झगड़ा हुआ कि यह चादर हमारी है। जब उनकी चादर उठाकर देखा तो शरीर नहीं था। उसी चादर को लेकर पाकिस्तान में करतार पुर गुरुद्वारा जहां है वहां आधी चादर जला दी गई और आधी दफना दी गई। ऐसे कोई पैगम्बर या अवतार की एक मिसाल हमें मिल जाए तो हम उसको भी प्रणाम करेंगे। उसके आस्ताने पर सलाम करेंगे कि इन्सानियत के लिए किसी आदमी ने कोई आदर्श कायम किये हैं। उस मन्दिर में माथा टेकने गये थे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ! मैं आपसे एक बात कहूं कि आप यहां राम जन्म भूमि की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं तो यह बात साफ है कि मस्जिद तो बना ली शबधर में हमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था पर बरसों मैं नामाजी बन न सका। यह मन्दिर और मस्जिद का झगड़ा है। कभी पाकिस्तान हिन्दुस्तान तकसीम के वक्त यह मान लिया गया था जो जहां है, वहीं रहेगा। यह अच्छी बात है या बुरी ? बाबर ने बुरा किया या अच्छा किया, मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि जैसे मन्दिर गिराए, उसने अच्छी बात की और आज मस्जिद गिराएं तो क्या यह अच्छी बात होगी ? लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अभी वे जख्म ताजा हैं जो नवम्बर में लगे थे, आज तो नए लग रहे हैं। आज कश्मीर से भागे हुए नजर आ रहे हैं। अब कश्मीर की हिस्ट्री को डेफिक्ट तो क्या नजर आएगी कि 370 का शोर चलता है। कश्मीरियों की वाकफियत, आईडेंटिफिकेशन, कल्चर को जिन्दा रखने के लिए 370 की जरूरत थी। वह वहां लगी, उसके बाद कोई समझौता हो सकता है ? जब शेख साहब थे उन्होंने आंख दिखाना शुरू किया तो उस वक्त उनको 20 साल के लिए जेल भेज दिया गया। एक दिन मैं भी कश्मीर गया था। उस दिन फारुख हज करके आए तो अखबारों में खबर छपी थी कि फारुख साहब पाकिस्तान से मिल गए और अभी इन खबरों की स्याही मैली भी नहीं हुई थी कि दो खूबसूरत नौजवानों की गलबहियां देखकर, उनको गले लगाते देखकर लोग देख रहे थे कि ये दो आदमी हिंदुस्तान के बड़े ही हीरे हैं। एक हीरा था पहले प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और दूसरे थे फारुख अब्दुल्ला। यहां जो सर्टिफिकेट इस कारखाने में बनते हैं, वे कहते हैं कि बरनाला नेशनल इन्टीग्रेशन का सिम्बल है और चार दिन बाद वह हिन्दुस्तान का गद्दार बन जाता है। मैं तो यह कहता हूं कि जो फैसला किया था इस सरकार ने किया था, राजीव ने किया था, लोंगोवाल के साथ किया था लेकिन जिन आदमियों की जिन्दगी में तारीख में और उसके दौर में इन्सान हमरंग नहीं हैं। दिल और जबां और तलब और तरह की है। वे कौन हैं ? बदनियती से किया हुआ समझौता आज पंजाब में किस शक्ल में बाहर निकला हुआ है ? यह समझौता क्या है, क्यों पूरा नहीं हुआ और यों नहीं हुआ ? अगर आज नहीं हुआ तो आज वी० पी० सिंह किसी से बात नहीं, सिक्ख लीडर से भी नहीं करें। जो कुछ करना हो, अपने तौर से पंजाब के लिए बना सकते हैं और अपने

आप खुद-ब-खुद दे दें। ये सिक्खों में तफरीक पैदा करते हैं। दरबार साहब पर हमला है, अगर हम इसकी तवारिख को देखें तो आप सबको मालूम होगा कि उस वक्त जब कांग्रेसियों ने जरनैल सिंह से दोस्ती बनायी, उससे मदद ली और उसकी मदद की। उसके बाद जब उनको यह मौका दिया तो हमने पढ़ा कि शस्त्रों से भरी गाड़ी बम्बई से चली, हरियाणा में पकड़ी गयी। दिल्ली के बी०आई०पी० से टेलीफोन पर छोड़ दी गयी। एक आई० पी० एस० और आई० ए० एस० आदमी उनको साथ लेकर वहां गए, ये कौन लोग थे ? यह दिल्ली कौन होती है ? जब शोर मचा कि ट्रकों में शस्त्र आ रहे हैं तो उस वक्त वहां के पुलिस चीफ थे, उनकी पत्नी सरदारनी आपकी मैम्बर है, उन्होंने कहा कि दिल्ली की तरफ से हमने इजाजत नहीं दी कि इन ट्रकों की तलाशी ली जाए। वह दिल्ली कौन थी ? सिवाय इन्दिरा गांधी के और जब वे शस्त्र इकट्ठे हो गए, उसके बाद जो हमला हुआ, वही दोस्ती अब गद्दार के रूप में बदल गयी और वह नीचे लगकर चलने वाला आदमी नहीं था। ठीक ढंग से दोस्ती भी खत्म हो गयी। दरबार साहब और अकाल तख्त पर गोलै मारे तो क्या ये गोले हम लोगों के सीने की कसक को कम कर देंगे ? कम करने की बजाय आज गवर्नमेंट क्या कर रही है ? इस हाउस में अतिन्दर पाल सिंह को लेकर आइए और उनसे पूछिए कि पुलिस वाले उनको क्या कहलवाते रहे हैं ? वे कौन से आदमी हैं ? कितनी जरूरी है इस देश की इन्टीग्रिटी के लिए ? कितना इस हाउस के लिए जरूरी है और कितना जरूरी है सिक्ख मसायल को हल करने के लिए ? आपने देखा ही नहीं, आपने अन्दर रखा हुआ है कि ऐसे आदमी को नहीं लाना है। यह हमारी दोस्ती की खामी है या विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी चाहिए कि ऐसा मत होने

3.00 म०प०

दे। आप यह काम करो कि उस आदमी को आज ही रिहा करो और इस हाउस में लाओ। यहां लाकर उसे बोलने का टाइम दो। वह अपनी आपबीती सुनाए। आपबीती के बाद उन लानतों का शुमार नहीं होगा जो उस पर जुल्म करने वालों के खिलाफ पड़ेगी। यही बात देखने वाली है और यही बात करने वाली है। नवम्बर, 1984 में यहां के दंगों में और अमृतसर के जो लोग उजड़े थे, उससे पहले जब दरबार साहिब पर हमला हुआ था, आज भी उस समय के उजड़े हुए लोग हाथों में अर्जियां लेकर कभी प्रधानमन्त्री के पास जाते हैं तो कभी होम मिनिस्टर के पास जाते हैं। मैं यहां उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन मेरी यह दरख्वास्त है कि आप उनके लिए जल्दी से जल्दी कोई फैसला करो ताकि वे लोग भी अपनी जिन्दगी का रास्ता चुन सकें। जहां तक आज के दौर की हकूमत का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि इनकी नियत साफ है और यह उस मसले को खत्म करना चाहते हैं। मैं यहां अपने साथियों से भी अर्ज करूंगा जो रास्ते की रुकावट बनते हैं कि पंजाब में इलैक्शन ही नहीं होने चाहिए, लेकिन मेरा कहना है कि आप वहां के टैररिस्टस से बात करो, उन्हें भी मेनस्ट्रीम में आने की दावत दो, जैसे सब लोगों से आपने की है, उसके बाद जितना जल्दी हो सके वहां इलैक्शन हो जाएं। यदि पहले हो जाते तो और भी अच्छा था। अब हो जाते हैं, वह भी अच्छी है।

सभापति महोदय : आपको 10 से काफी ज्यादा हो चुके हैं।

श्री कृपाल सिंह : लेकिन मैं कोई बुरी बात तो नहीं कर रहा हूं, सर।

सभापति महोदय : आप मेहरबानी करके, जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री कृपाल सिंह : वैसे हमें तो पहले ही एक सर्टिफिकेट मिल गया है कि हम इन्डीपेंडेंट हैं, ये लोग नहीं जानते जो पार्टी वाले हैं, वे पार्टियों का सरमाया भी साथ लाते हैं, जताने के लिए। इन्डीपेंडेंट भी यहां कांग्रेस पार्टी को या दूसरों को हराकर आया है। उसका कुछ अपना सरमाया होता है।

सभापति महोदय : आप इस तरह अपना वक्त जाया कर रहे हैं।

श्री कृपाल सिंह : ऐसी बात नहीं है। चूंकि आपने बात की, इसलिए बात में से बात निकल पड़ती है। इसी कारण एक-आध मिनट ज्यादा ही लग जाता है। जहां तक फिरकेवाराना फसादात की बात है, जिस पर कल इस हाउस में बड़ी चर्चा चली, और उस पर हमारे कुछ साथियों ने अपने अच्छे-अच्छे कामों को गिनाने की कोशिश की, जैसा मैंने पहले कहा, कुछ लोग दृष्टांत दे रहे थे, दुशासन, शकुनि और दूसरे धार्मिक आदमी बने हुए थे, कुछ दूसरी बातें हमारे सामने नजर आ रही थीं। मैं कहता हूं कि वे कर्म उंगलियों पर गिनते है, जुल्मों का जिनके कुछ हिसाब नहीं हैं। सारे हिंदुस्तान की स्याह तारीख आपके कर्मों से और आपके कामों से लिखी हुई है। उस पर कई निशानियां हैं। आज जो तमाम शहरों में, भिवंडी, मुरादाबाद, कानपुर, मेरठ, बोकारो, भागलपुर में आग लगी है, वह आपकी लगायी हुई है। इस आग को बुझाने में पता नहीं इस सरकार को कितना वक्त दरकार होगा। एक बात मैं सरकार को जोर देकर कहना चाहता हूं कि पंजाब के इलैक्शन, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के इलैक्शन जितनी जल्दी होंगे, उतनी जल्दी पंजाब में से अच्छी बातें उभरकर सामने आएंगी। इसका सवाल आपको छोड़ देना चाहिए कि पंजाब की कौन आदमी नुमाइन्दगी करता है। यहां इन लोगों ने शोर मचा दिया कि पंजाब में खामोश ढंग से वोट पड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मिसेज भिंडर या कमल चौधरी साहब खामोश ढंग से चुनाव में जीत कर आये हैं। क्या दीगर लोग जो यहां आये, गुजराल साहब भी खामोश ढंग से चुनाव जीतकर आये। यह तो वही बात हुई—"खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे"। जो हार गए उन्हें हार तसलीम करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि जितनी नेकनियती और जितने अमन से पंजाब में इलेक्शन हुए, वह इस बात की दावत है कि पंजाब में फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जायें और उनके सही नुमाइन्दे लोगों के सामने आयें। वे लोग ही मिलकर पंजाब की समस्या का फैसला करें। इसके अलावा पंजाब में कुछ इकोनोमिकल सवाल भी हैं, जो पंजाब को सीधे हिट करते हैं। जैसे डीजल की कीमतों में हाल में हुई वृद्धि को ले लीजिए, उसकी वजह से पंजाब का किसान बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। यदि आप और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ट्रैक्टर के लिए, वाटर पम्प के लिए, किसानों के इस्तेमाल के लिए, ऐसी व्यवस्था कर दें कि डीजल की कीमतें न बढ़ने पायें। यदि गवर्नमेंट सारा नहीं हटा सकती तो राहत अवश्य मिलनी चाहिए। दूसरे, पंजाब के साथ-साथ सारा देश सेल्स टैक्स के मामले में भी बहुत मुसीबत में है। कुछ चीजों पर सोर्स पर और कुछ चीजों पर एन्ट्री के समय टैक्स लगता है। उदाहरण के लिए टिम्बर है, पंजाब में दो जगहों पर से टिम्बर आती है एक बैरियर शम्भू में है और दूसरा बैरियर लम्बनपुर में है। दोनों जगहों पर अगर एन्ट्री टैक्स लग जाये तो जहां इससे गवर्नमेंट को ज्यादा रिवैन्यू आएगा वहीं लोगों की मुसीबत भी कम हो जाएगी। तीसरे, पंजाब की स्माल स्केल इंडस्ट्री दो मामलों में मरती है, पहले तो कोयले की तकसीम के मामले में और दूसरे लोहे की तकसीम के मामले में। इसमें भी कुछ वेस्टेड इन्टरैस्ट लोग आ गए हैं और कुछ फार्मूला बना दिया गया है। वह अलग बात है, यदि मैं यहां उसकी डिटेल में जाऊंगा तो मुझे वक्त इजाजत नहीं देगा।

जनाब चेयरमैन साहब मैं चाहूंगा कि स्टील और कोयले की जो तकसीम है, वह ठीक हो और जो यूजर्स हैं, उनको ये चीजें पहुंचनी चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अमृतसर, पंजाब की नब्ज है, लेकिन ब्लयू-स्टार आपरेशन के बाद वह खंडहर बनकर रह गया है। उसको जितनी तेजी से बनाना चाहिए, उतनी तेजी से नहीं बनाया जा रहा है। उसकी शक्ल बिगाड़कर रख दी गई है और खंडहर की जैसी हालत बना दी गई है। मेरी सरकार से इल्तिजा है कि उस शहर को आबाद करने का काम सरकार अपने हाथ में ले और वहां एक इन्टरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए।

तीसरी बात मैं शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में कहना चाहता हूं कि जब वे

मजहब चेंज कर लेते हैं, तो उनको ये सुविधाएं जो सरकार की ओर से मिलती हैं, वे नहीं मिलतीं हैं। मेरा निवेदन है कि मजहब बदलने से कोई वे अमीर तो हो नहीं जाते, इसलिए उनको सब सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से कश्मीर से आए लोगों का मसला है, जो लोग कश्मीर से आए हैं, उनको बसाने का काम भी जल्दी से जल्दी होना चाहिए····

सभापति महोदय : माननीय कृपाल सिंह जी, आपने बीस-बाईस मिनट ले लिए हैं। अब आप समाप्त करें।

श्री कृपाल सिंह : चेयरमैन साहब, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। पंजाब में जॉब ओरिएण्टेड कॉलेज, टैक्नीकल स्कूल और कालेज खोलने चाहिए जिससे लोगों को तकनीकी शिक्षा दी जा सके। पंजाब में पहले तीन मुख्य चीजें होती थी—फौज, फॉरेन और खेती। खेती तो रिक्लेम हो गई और कोई जगह नहीं बची, फौज में दाखिला सरकारी पालिसी की वजह से कम हो गया। इसलिए मेरी मांग है कि पार्टीशन के टाइम में फौज में पंजाब का जो स्टेट्स था, उसको बहाल किया जाए। ये तमाम लोग जो बंदूक सरहद पर खड़े होकर चलाया करते थे, तो हमारे पंजाब की लड़कियां, औरतें सरहद पर, परकी और डुगराई तक इन फौजियों को रसद पहुंचाते थे। मैं खुद जाता रहा हूं, मेरे साथ डा० बलदेव प्रसाद भी और तमाम लोग जाते रहे हैं। इसलिए मेरा सरकार से कहना यह है कि पंजाब के लोगों का दिल जीतने की कोशिश की जाए। नहीं तो आज पाकिस्तान सरहद पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़ा है, तो वह जंग बिना पंजाब के लोगों के दिल जीते, कामयाब नहीं हो सकेगी। पंजाब के मसाइल को हल कीजिए। लोगों का ऐतवार कीजिए और फौजों को बहाल कीजिए। उनको जिन्दा रहने लिए सहूलियतें दी जाएं।

चेयरमैन सर, इन्हीं अल्फाज के साथ, मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं और आपका समय देने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं।

सभापति महोदय : बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इससे पहले कि मैं अगले वक्ता का नाम पुकारूं मैं इस मामले को निपटाना चाहता हूं कि यह वाद-विवाद कब तक चलेगा। मुझे बताया गया है कि इसे 4 बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए तथा इसमें केन्द्रीय गृह मन्त्री का उत्तर भी शामिल है। मैं सभा की इच्छा जानना चाहता हूं कि क्या यह वाद-विवाद 4 बजे समाप्त हो जाए अथवा यह आगे भी चले।

मुझे कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक ने भी सूचित किया है कि यह मामला माननीय अध्यक्ष महोदय के पास भेजा गया था तथा माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि—उन्होंने मुझे यह लिखा है :

'वे गृह मन्त्रालय के लिए समय बढ़ाने के लिए सहमत हैं।"

मुझे कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक ने यह लिखा है।

इससे पहले कि मैं सभा की इच्छा मालूम करूं संसदीय कार्य मन्त्री कृपया अपने विचार बतायें।

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : वास्तव में सभा

का मत कल लिया जाना चाहिए था, हमने इसे आज के लिए स्थगित कर दिया था क्योंकि कल कुछ अन्य विषयों को लिया जाना था। कल हमें गैर सरकारी सदस्यों का कार्य करना है। जैसाकि आप जानते हैं कि यह कार्य सप्ताहांत के लिए नियत है। शुक्रवार को अवकाश है। किन्तु सभा का मत 4 बजे तक प्राप्त किया जाना है क्योंकि 4 बजे नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू होगी तथा नियत समय भी पूरा हो चुका है—माननीय मन्त्री महोदय के उत्तर में यह समय पूरा हो जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम इस वाद-विवाद को आज समाप्त करें तथा सभा का मत लें।

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : माननीय अध्यक्ष महोदय ने कल अपने कक्ष में मुझसे यह कहा था कि कांग्रेस (ई) के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक सदस्य बोलना चाहते हैं। शेष बातों के बारे में वे सहमत थे।

सभापति महोदय : वह पहले ही बोल चुके है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : कल गृह मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिए मूल रूप से नियत समय में से 1 घंटा 26 मिनट का समय शेष था तथा मेरा विचार है कि इस पर आज 2.26 म० प० पर विचार किया गया।

इस वाद विवाद के लिए समय बढ़ाये बिना भी सभी सदस्यों को बोलने का अवसर देने के लिए अभी काफी समय बचा हुआ है। यदि आप इस विषय तथा वाद विवाद के साथ न्याय करना चाहते है तो हमारे लिए इसे 4 बजे तक पूरा करना असंभव है। हमने यह अनुरोध किया था कि इस वाद विवाद का समय बढ़ाया जाए क्योंकि अब तक बहुत से विषयों पर चर्चा नहीं हुई है तथा बहुत से सदस्य इस वाद विवाद में भाग लेना चाहते है। आखिर, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए हमने इस वाद-विवाद के लिए समय बढ़ाने के लिए अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था। मेरा विचार है कि यदि आप इस वाद विवाद के लिए समय नहीं बढ़ाते हैं तो ऐसा करना नितांत अनुचित होगा, विशेष रूप से तब जबकि हमें दैनिक जीवन में बहुत सी कठिनाइयां दिखाई दे रही है। मैं अनुरोध करता हूं कि हमें बचे हुए एक घंटा 26 मिनट का उपयोग करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हम 4 बजे नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू करेंगे।

सभापति महोदय : एक घंटा 26 मिनट में माननीय मंत्री महोदय का उत्तर भी शामिल है। मैंने चर्चा शुरू होने से पहले यह घोषणा की थी कि सभी दलों ने उनके लिए आबंटित समय ले लिया है। संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक सदस्य को बोलने की अनुमति दी गई थी, उन्होंने निर्धारित समय से अधिक समय लिया। अधिकांश दलों ने अपनी-अपनी बात कह दी है। मुझे सरकार की कठिनाइयों का पता है। वे एक निर्धारित समय में अनुदानों की मांगों पर मतदान कराना चाहते हैं। मैं एक निर्धारित समय में ऐसा करने के लिये सभा को आदेश नहीं दे सकता। इस सम्बन्ध में कैसे कार्यकाही करनी चाहिए इसका निश्चय सभा के सम्मिलित सद्भाव पर निर्भर है।

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : आप 4 बजे तक इस चर्चा को जारी रखिये। इसके बाद मन्त्री महोदय को वाद-विवाद का उत्तर देने दीजिये। आप इसके बाद नियम 193 के अधीन चर्चा करा सकते है।

सभापति महोदय : मैं यह बात समझ रहा हूं। मुझे यह विचार सरकार के समक्ष रखने दीजिये। कृपया बैठ जाइए। आपका नाम बोलने वाले सदस्यों की सूची में है। मैं उन सभी सदस्यों के जिज्ञासा के प्रति सचेत हूं, जिनको बोलने का अवसर नहीं मिला है तथा जो इस वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं। सरकार से शीघ्र के रास्ते के रूप में इस मुद्दे पर विचार करने का परामर्श दिया जाएगा।

श्री पी० उपेन्द्र : माननीय गृह मन्त्री महोदय 4 बजे वाद-विवाद का उत्तर दे सकते हैं।

सभापति महोदय : हम इस चर्चा को चार बजे तक जारी रखेंगे। तत्पश्चात् गृह मन्त्री वाद-विवाद का उत्तर देंगे। इसके बाद गृह मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर सभा में मतदान कराया जाएगा। हम इसके बाद नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे। क्या सभा की यही इच्छा है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : धन्यवाद। श्री टी० वी० तोपदार।

श्री पी० उपेन्द्र : माननीय मन्त्री कल साम्प्रदायिक स्थिति संबंधी वाद-विवाद का उत्तर नहीं दे सके थे। क्या सभा यह चाहती है कि वे गृह मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद का उत्तर देते समय उन मुद्दों पर भी बोलें ? यह सब मिला हुआ है इसमें कुछ भी अलग नहीं है।

श्री सन्तोष मोहन देव : जब वे गृह मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद का उत्तर देंगे, तो उन्हें साम्प्रदायिक स्थिति पर भी बोलने दीजिए। ऐसा करना बेहतर होगा।

सभापति महोदय : यह एक उचित मुद्दा है। कृपया बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कीजिए। हमने कल नियम 193 के अधीन साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा की थी। आज की नियम 193 के अधीन चर्चा केन्द्रीय गृह मन्त्रालय की चर्चा का एक प्रकार से विस्तार ही है। गृह मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर एक सम्पूर्ण वाद-विवाद है। सभा को उन पर भी वही चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए। यदि आप अपनी सहमति देते हैं तो माननीय गृह मंत्री महोदय गृह मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद का उत्तर देते समय कल माननीय सदस्यों द्वारा साम्प्रदायिक स्थिति पर उठाये गए सभी मुद्दों का उत्तर देंगे। क्या सभा की यही इच्छा है ?

अनेक सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : अब मैं श्री टी० वी० तोपदार से बोलने को कहूंगा।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : मैंने गृह मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर सरकार द्वारा सभापटल पर रखे गए वार्षिक प्रतिवेदन तथा बजट संबंधी कागजातों को पढ़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यक्षतया यह पिछली सरकार के बजट की ही सामान्य अवस्थिति है। मैं यह देखता हूं कि पिछली सरकार ने कुछ विभागीय गतिविधियों में कुछ आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किए थे। बजट में इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता है कि वर्तमान सरकार उनके द्वारा आधुनिकीकरण की योजना के साथ विकसित की गई अधिकारवादी परम्परा को समाप्त करने जा रही है। अधिकारवादी प्रणाली स्थापित करने के निश्चित उद्देश्य से विभाग अधिकारवादी ढंग से कार्य करता है। ऐसी बातों का वार्षिक प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं होता है। माननीय प्रधान मन्त्री महोदय द्वारा कल मध्य प्रदेश में की गई इस घोषणा से भी इस बात का संकेत नहीं मिलता है कि सरकार इण्डियन राइफल्स ऐसोसिएशन का गठन करने जा रही है। इस बात का अन्य बातों से भी नाममात्र को संकेत नहीं मिलता है।

मुझे टिप्पणों तथा अन्य कागजातों से यह पता चला है कि पिछली सरकार द्वारा अब तक चलाई गई शैली को ही जारी रखे जाने का विचार है।

हमने देखा है कि इस सरकार ने कुछ नये काम किए हैं जैसे कि संविधान के 59वें संशोधन का निरसन करना, प्रधानमन्त्री द्वारा यह सुनिश्चित करते हुए भाषण देना कि लोकतन्त्र तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को फिर से स्थापित तथा संगठित किया जाएगा और यह कि संविधान में इस प्रकार संशोधन

किया जाए जिससे कि संविधान में यह गारंटी दी जा सके कि काम का अधिकार नागरिको का मूल अधिकार है।

प्रधानमन्त्री के भाषणों से यह भी संकेत दिया गया है कि यह एक खुली सरकार है। यह कुछ ही संकेत हैं जो कि भाषणों में दिए गए हैं तथा कुछ सांविधिक संशोधन अब तक पारित किए जा चुके हैं।

3.19 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए।]

अन्य बातें जो हमें पत्रों में मिलती हैं वह केवल मात्र पिछली सरकार के बजट को जारी रखना है।

गृह विभाग लगभग सभी विभागों से सम्बन्धित होता है। उसके पास सभी विभागों में ताल-मेल स्थापित करने वाला कार्ड होता है। वह सीस्मोग्राफ की भांति कार्य करता है। देश या समाज के किसी भी हिस्से में हल्का सा झटका इस विभाग द्वारा नोट किया जाता है। साथ ही साथ वह स्थिति के अनुसार कदम भी उठा सकता है। वास्तव में वह कदम किसी लक्ष्य से उठाया जाता है जोकि किसी वर्ग की विचारधारा या किसी वर्ग के दृष्टिकोण से स्वतंत्र नहीं होता है। अत: सरकार की इस विभाग की गतिविधियां स्वयं ही सरकार की स्थिति को स्पष्ट करती हैं। हमें इस बात की सराहना करनी चाहिए कि हमारा देश बहु-भाषीय तथा बहु-प्रदेशीय देश है। और हमने भारत की एकता को प्राचीन काल से बनाए रखा है। यह कोई नई बात नहीं है जो हमें बाहर से सीखनी है। विभिन्न मानवीय जातियां जो कि भिन्न हैं मानवीय आधार पर तथा संग्रह के आधार पर भिन्न हैं जैसे कि आर्य, अनार्य, मंगोल आदि सभी संघर्ष तथा विरोधाभास के बावजूद तथा तत्कालीन शासकों के बीच व्याप्त वैमनस्य के बावजूद एक रहे हैं तथा इतने लम्बे समय तक अखण्ड भारत की एकता को बनाये रखा है तथा उसका पालन किया है। विश्व के किसी भी हिस्से में ऐसा नहीं हुआ। इन शासकों ने पहले के शासकों की भांति, ब्रिटिश शासन 200 वर्ष तथा कांग्रेस शासन के 40 वर्ष की भांति गम्भीर एवं खतरनाक फूट डालो और शासन करो की नीति अपनायी है। फिर भी भारतवासियों की एकता की भावना, भारत-वासियों की एकता के प्रति प्रतिबद्धता जोकि देशभक्ति के रूप में सामने आयी, नष्ट नहीं की सकी। इसी कारण हम अभी तक इन सभी बातों के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि भारत अखण्ड बना रहे।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण एक मिनट में समाप्त करें।

श्री तरित बरण तोपदार : हमारे संविधान के निर्माताओं ने देश के बहुप्रदेशीय तथा बहुभाषीय स्वरूप को देखते हुए एक संघात्मक राज्य की कल्पना की थी जिससे कि केन्द्रीय शक्तियों के बीच संतुलन लाया जा सके। जैसाकि इस प्रकार के राज्यों में होता ही है। इन बातों के रहते हुए ब्रिटिश सरकार तथा कांग्रेस सरकार ने इस संतुलन पर गम्भीर दबाव डाला है। इससे अब देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिससे देश की एकता और अखण्डता गम्भीर खतरे में पड़ गयी है। केवल इस पक्ष से उस पक्ष में जाने से ही भूतपूर्व शासक दल को इस स्थिति की जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। मेरे विचार में इसका मुख्य कारण यह है कि एक खानदानी और तानाशाही शासन द्वारा एक आंदोलन के मंच को राजनीतिक दल के रूप में जबर्दस्ती परिवर्तित कर दिया गया यह विरोधा-भासी मुख्य लक्षण था जिससे कि वह बाहर नहीं निकल पाए और इसीलिए हमने देखा है कांग्रेस पार्टी के ऊपरी स्तर पर हिन्दूवाद है तथा निम्न स्तर पर सब प्रकार की साम्प्रदायिकता है और यह सब अब भी देखने को मिलता है। चुनावों के दिनों में हमने देखा था कि जहां मुस्लिम उम्मीदवार थे

मुल्लाओं को समर्थन दिया गया तथा जहां हिन्दू उम्मीदवार थे तो वे अयोध्या से आशीर्वाद लेकर चुनाव प्रचार शुरू करते थे। मैं समझता हूं कि साम्प्रदायिक दल तथा ऐसे ही अन्य इस समय कांग्रेस के साथ हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका समय काफी पहले ही समाप्त हो गया है। कई अन्य सदस्यों को बोलना है। हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं कि हमें चर्चा को 4 बजे तक समाप्त करना है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, जहां तक हम जानते हैं अन्य दलों ने भी अधिक समय लिया है। अतः चूंकि यह उनका पहला भाषण है, इनको कुछ और समय दीजिए।

सभापति महोदय : हमें चर्चा को चार बजे तक समाप्त करना है। यदि एक व्यक्ति इतना समय लेता है तो हम कितने लोगों को बोलने का मौका दे सकते हैं? मैं आपका सहयोग चाहता हूं, कृपया सहयोग करें। तथा अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री तरित बरण तोपदार : ठीक है मैं इन सभी विषयों पर नहीं बोलूंगा। अन्त में मैं केवल एक बात कहूंगा कि राज्य को विश्वास में लिया जाना चाहिए। संघ एक अविनाशी राज्य के अन्दर एक अविनाशी संघ है। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसलिए हमने मंजूरी साम्यता की नीति के निरसन की मांग की है और यह कि राज्यों को अधिक से अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए।

सभापति महोदय : श्री के० डी० सुल्तानपुरी।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, इन्हें समाप्त करने दीजिए।

सभापति महोदय : मैंने इन्हें पर्याप्त समय दिया है।

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

सबसे पहले तो मैं हमारे गृह मन्त्री जी के सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि इस सरकार द्वारा इन्हें आज कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, यह सरकार नाम की चीज नहीं है क्योंकि हरिजनों पर जो अत्याचार इनके शासन में हुए हैं, मैं वह आपको बता देना चाहता हूं। 1989 में 11760 केसेज हरिजनों पर हुए जो सारी की सारी घटनाएं कत्ल की हुई, उसके लिए जो कानून बनाया एस० सी०, एस० टी० एक्ट, 1989, उसको अभी तक लागू नहीं किया गया। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि पंजाब में जो घटनाएं हुई हैं, इस बीच प्रधान मन्त्री जी ने एक दौरा भी किया है और वह खुली जीप में भी गए हैं लेकिन वहां की हालत यह है कि दिसम्बर, 1989 में 93 लोग मारे गए और 28 पुलिसकर्मी मारे गये। इसी प्रकार जनवरी, 1990 में 103 लोग और 23 पुलिसकर्मी तथा फरवरी, 1990 में 74 लोग और 21 पुलिसकर्मी मारे गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हरिजनों पर अत्याचार निरन्तर बढ़ते ही जा रहे हैं। जब से ये गृह मन्त्री बने तो लोगों को आशा थी कि सभी लोग, हरिजन, मुसलमान माइनोरिटी के लोग और महिलायें, अत्याचार से सुरक्षित हो गए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह सरकार इस दिशा में बिल्कुल कार्यवाही नहीं कर सकती है। हरिजनों के बारे में कहा जाता है कि नौवें शैड्यूल में भूमि संबंधी कानून बनाया जा रहा है भूमि के बारे में

कहा जाता रहा है और मंहगाई के कम करने के लिए बातें कह रहे हैं। गरीब बांदवी तेल, राशन लेने के लिए जाता है, तो वहां पर भी झगड़ा-फसाद होता है। वे बड़े आदमी जो पूंजीपति हैं, जो लोगों का शोषण करते हैं, वे आकर के इन लोगों का राशन प्राप्त नहीं होने देते और इनका शोषण करते हैं। यह सरकार बहरी है और सो रही है। इनको जिनका सहारा और विश्वास प्राप्त हो रहा है, उनके मन्त्री इन पर लांछन करते हैं। बीस-पचीस दिनों के बाद कहते हैं कि हमने मुफ्ती जी के बारे में कोई बात नहीं कही है। कश्मीर में जाते हैं कि तो कहते हैं कि कश्मीर में उग्रवादी बाहर के हैं। क्या पहाड़ियों की स्थिति को नहीं जानते हैं, हिन्दुस्तान को नहीं जानते हैं। क्या आप कांग्रेस के मन्त्री और कांग्रेस के प्रधान नहीं रहे। काश्मीर के जो मन्त्री बनाए गए, वह भी माइनोरिटी के बनाए गए। जो बहुमत समुदाय के आप हैं, उनको वहां इस सरकार द्वारा नहीं आने दिया जाता है इससे साफ दृष्टि मालूम होती है कि यह सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर सकती है। मुफ्ती जी आपको उचित कदम उठाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। जहां आप बैठे हैं, यह सरदार पटेल की कुर्सी है। सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को इकट्ठा किया। सरदार पटेल ने देश को मार्गदर्शन दिया, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मार्गदर्शन देने वाली कोई बात नहीं हो रही है। कोई सच्ची बात नहीं होती है। जो गरीब हैं, उनका शोषण होता है, और उनके ऊपर कोई आंसू बहाने के लिए तैयार नहीं है। हरिजनों को जिन्दा जला दिया जाता है और कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एस० सी० और एस० टी० सरकारी नौकरी में हैं, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। संविधान में उन लोगों की नौकरी के लिए गारन्टी दी है, लेकिन आज तक भी उनका बैगलॉग पूरा नहीं हुआ है, चाहे पब्लिक अंडरटेकिंग्स हों, चाहे रेलवे हो और चाहे पुलिस विभाग हो तथा संसद ही ले लीजिए। उनको यह कहकर कि वे काबिल नहीं हैं उनको उनका हक नहीं दिया जाता है। जो शैड्यूल्ड कास्ट के लोग सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं, चाहे बैंक के कर्मचारी हों, चाहे निचले स्तर के कर्मचारी हों, उनको ठीक ढंग से इन्साफ नहीं मिलता है। मैं समझता था कि आप होम मिनिस्टर हो गए हैं, तो आप कम से कम उनको इन्साफ दिलाने के लिए प्रयत्न करेंगे। लेकिन आप बेबस हैं, बी० जे० पी० वाले आपको चलने नहीं देते और यही हाल दूसरों का है, आनन्दमार्गीज मारने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई इन्तजाम नहीं है। आनन्दमार्गीज मारे हिन्दुस्तान में फैल रहे हैं और हमारी सरकार तमाशा देख रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन लोगों का जो बैंकलॉग है, जहां उनको नौकरी नहीं मिल रही है, वहां उनका कोटा पूरा किया जाए।

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो पिछड़ा हुआ इलाका है, चाहे कश्मीर हो, हिमाचल हो, गढ़वाल हो, नागालैंड हो यहां पर से पुलिस में भर्ती नहीं की जाती है। वे सारे के सारे जिनकी सिफारिश होती है, उनकी पुलिस में भर्ती की जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों की रखवाली के लिए आपको ज्यादा कदम उठाने चाहिए। जो की-पोस्ट हैं, जहां पर ज्यादा अत्याचार होते हैं, हरिजन-मुसलिम माइनोरिटी के लोग हैं, वहां पर आप ऐसे लोगों की ड्यूटी लगाइए ताकि उनके ऊपर अत्याचार न हो। न्यायालयों में जो मामले चल रहे हैं एस० सी० और एस० टी० के, उनका निपटारा जल्दी से जल्दी हो और ताकि वे लोग आगे बढ़ सकें।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो पट्टे जमीन के इन्दिरा जी ने गरीब लोगों को दिए थे उन पर गरीबों को कब्जा दिलाने का प्रयत्न करें और जो लोग उन पर अत्याचार करते हैं उनको पनिशमेंट दिलाएं ताकि आगे से कोई उन पर अत्याचार न कर सके।

समय कम है। एक तो शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को खेलने के लिए समय ही बाद में दिया

जाता है जबकि बोलने के लिए थोड़ा समय रह जाता है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप गरीब लोगों की भावनाओं की कद्र करें और उनके लिए उचित काम करें। तभी यह सरकार चल सकती है।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई उत्तर पूर्व) : सभापति महोदय, होम डिपार्टमेंट, गृह मन्त्रालय सचमुच में भारत की सुरक्षा संभालने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। लेकिन अपने देश में पिछले 40 सालों में इतनी बिगड़ती हुई परिस्थिति कभी भी नहीं देखी गई थी जितनी कि परिस्थिति में आज बदलाव आया है। आतंकवादी और विघटनकारी शक्तियों ने अपना सिर उठाया है और कानून और व्यवस्था हर स्तर के ऊपर अलग-अलग जगह पर टूट चुकी है। जब ऐसी परिस्थिति है तो मैं यहां पर अनुरोध करना चाहती हूं कि इस नई सरकार को सबसे पहले जनता का विश्वास प्राप्त करने लिए जनता में, जनमानस में यह विश्वास जगाना होगा कि सरकार उसकी रक्षा कर सकती है। इसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए।

हमारे देश का जो पुलिस विभाग है वह जनता का रक्षक कहा जाता है। लेकिन वही रक्षक कर्मचारी आज जनता का भक्षक बनकर बैठा है और वही लोग जगह-जगह पर अलग-अलग प्रकार से जनता को लूट रहे हैं। ऐसा मेरा आरोप है। आपने देखा कि दो-तीन दिन पहले दिल्ली में जो बम कांड हुआ उसमें भी एक पुलिस अधिकारी पकड़ा गया। पुलिस अधिकारी ने दिल्ली में आतंकवाद फैलाने में कामयाब होने के लिए यह सारी कार्यवाही की। सबसे पहले गृह मन्त्रालय को अपने इस वर्ग के उन लोगों को जो जनता की रक्षा नहीं कर सकते और जो जनता में आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं उनको उनके पदों से हटाना है। यह काम मन्त्रालय को जनता में विश्वास जगाने के लिए करना चाहिए।

मैं एक बात आपको बताना चाहती हूं। अप्रल में एस० एस० सी० के एग्जाम में हमारे महाराष्ट्र में एक रिंकु पाटिल नाम की लड़की को उल्हासनवर में जिंदा जलाया गया। उसके लिए भारत सरकार ने योग्य कदम उठाए, ऐसी बात बतायी गयी। लेकिन मैं एक आश्चर्यजनक घटना की बात बताना चाहती हूं कि जिस हत्यारे हरीश पटेल के बारे में समाचार पत्रों में यह छपा कि उसने आत्म हत्या कर ली और उसकी लाश रेलवे के ट्रैक पर मिली है, उसके बारे में मैं गृह मन्त्री जी को बताना चाहती हूं कि उस हरीश पटेल ने आत्म हत्या नहीं की। आज भी वह हरीश पटेल जीवित है और कांग्रेस के एक विधायक की शराब की फैक्टरी में छिपा हुआ है और उसको पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री ने उसको पकड़ने के कई तरह से प्रयास किए। मैं आपको बताना चाहती हूं कि वहां के होम मिनिस्टर जब उल्हासनगर इस बात की जांच करने और लोगों से मिलने के लिए गए तो वह स्थानीय विधायक उनके साथ नहीं गया। जब विरोधी पार्टी के नेता लोग वहां पर गए तो पुलिस की एक या दो वेन उनके साथ थी। लेकिन जब होम मन्त्री स्वयं गए तो पब्लिक का कोई आदमी उनके साथ नहीं था, स्थानीय विधायक उनके साथ नहीं गया। लेकिन पुलिस की आठ-दस गाड़ियां भर कर गयी थीं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि वहां के विधायक के साथ हरीश पटेल के संबंध जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र के भूतपूर्व होम मन्त्री के साथ उसके संबंध जुड़े हुए हैं। लेकिन 16 साल की एक लड़की के हत्यारे को पकड़ने में जहां की सरकार नाकामयाब है तो भारत सरकार का यह फर्ज होता है कि हत्यारे को पकड़े। क्या किसी की बेटी को इस तरह से जलाना सही बात है ?

बम्बई में कहो, महाराष्ट्र में कहो, भारतवर्ष में कहो, ये जो जुए, शराब और मटके के अड्डे

चलते हैं उनको बंद करने के लिए अगर कोई पुलिस अफसर अनुरोध करता है कि मैं सारे अड्डे को बंद कर दूंगा तो उसके लिए एक आतंक पैदाकर दिया जाता है। उसको काम करने नहीं दिया जाता है। ये सारे धंधे पुलिस की सांठ-गांठ से चलते हैं। यदि यह सरकार सचमुच इन धन्धों को बंद करना चाहती है और सही माने में जनता की रक्षा करना चाहती है तो मैं मांग करती हूं कि गृह मन्त्री जी दिल्ली में सभी राज्यों के गृह सचिवों को आमंत्रित करके एक बैठक बुलाकर उनको कहना चाहिए कि यदि सरकार में परिवर्तन आया है तो लोगों की भी हमारे पास कुछ उम्मीदें हैं और उनकी उम्मीदों को हमें पूरा करना है। सरकार को पुलिस कर्मचारियों को बुलाकर आदेश देना चाहिए। यह बात प्रधान मन्त्री जी स्वयं करेंगे तो इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा और देश में गृह व्यवस्था को सुधारने में हम कामयाब हो सकेंगे।

समय के अभाव में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती लेकिन विश्वास करती हूं कि गृह मन्त्री जी इस विषय पर एक बैठक बुलाकर अवश्य ही इस समस्या को सुलझाने की कोई व्यवस्था करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह समस्या स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक चल रही है जो यह जनजातीय लोगों से सम्बन्धित है। यह समस्या हमने पिछली सरकार के सामने भी रखी थी। मैं गृह मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि जो क्षेत्र जनजातीय लोगों के लिए निर्धारित किए हैं उन दोनों को छठी अनुसूची के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। इस प्रकार केवल हिंसा के कारण कई छोटे राज्यों का गठन किया गया है। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और असम का गठन इतने वर्षों से चल रही हिंसा तथा संघर्ष के कारण हुआ है। जहां तक मैंने देखा है सरकार केवल हिंसा की बात समझती है। क्या यह नई सरकार भी इसी बात को मानेगी। यदि नई सरकार की भी यही नीति है तो जनजातीय लोग भी अपनी समस्याओं के लिए लड़ेंगे। जंगलों में विकास कार्यों के कारण असंख्य जनजातीय लोग विस्थापित हो गए हैं। लगभग 60,000 चकमा लोग हैं और सरकार उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री पीयूष तीरकी : मुझे कुछ और समय दिया जाना चाहिए क्योंकि इस विषय पर कोई और नहीं बोला है।

सभापति महोदय : आप सभी विषय पर बोल रहे है। मुझे पता है पिछली लोकसभा में भी आप सेवा ही करते थे।

श्री पीयूष तीरकी : महोदय 1989 में 3136 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी वहां तैनात थे। नागालैंड में राज्य पुलिस तथा केन्द्रीय पुलिस दोनों तैनात थे। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए एक संस्था होनी चाहिए। देश की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। श्री जगपाल सिंह।

श्री पीयूष तीरकी : महोदय इस स्थिति में मुझे सभा भवन से बाहर जाना चाहिए। मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा हूं परन्तु आप मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। (व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : खड़े हुए—

[हिन्दी]

माननीय सदस्य कन्क्लूड कर लें ऐसे अच्छा नहीं लगता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप निर्णय करने वाले नहीं हैं। आप शुरू करें। केवल आपका भाषण ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री पीयूष तीरकी : इस सरकार की जनजातीय समस्या के समाधान के विषय में क्या दृष्टिकोण है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगपाल सिंह : सभापति महोदय, समय एक्सटेंड कर दीजिए अभी माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप बोल रहे हैं ? ठीक है, अगले वक्ता श्री धर्मपाल शर्मा।

(व्यवधान)

श्री पीयूष तीरकी : उन्हें जनजातीय लोगों की समस्या का समाधान करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जगपाल सिंह : यह क्या बात हुई, मुझे बोलना है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने उनका नाम बुलाया है आप बोलें नहीं, इसलिए मैंने उनका नाम बुलाया है। उन्हें बोलने दीजिए। श्री धर्मपाल शर्मा।

[हिन्दी]

श्री धर्म पाल शर्मा (उधमपुर) : सभापति महोदय, गृह मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा करते हुए मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। सरकारिया कमीशन जिसकी रिपोर्ट पर 30-31 मार्च और 4-5 अप्रैल 1989 को बहस हुई, लेकिन अभी तक उस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं गवर्नर्स की नियुक्तियों के बारे में जो कुछ उसमें कहा गया, उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज सत्ता पक्ष के लोग जो उस वक्त अपोजीशन में थे, उस समय कहते थे कि सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि गवर्नर सेंटर का एजेंट होता है, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट पर अमल होना चाहिए। सरकारिया कमीशन की एक सिफारिश की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो पेज 122 के पैरा 4-6 में दी हुई है, इसमें कहा गया है कि—

[अनुवाद]

"वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने हाल ही में सामान्यतः सक्रिय राजनीति में भाग न लिया हो।"

[हिन्दी]

इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जो 4 गवर्नर अभी बनाए गए हैं, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पांडिचेरी और हिमाचल में भी, ये सब पोलीटिक्स में थे। ऐसे और भी बहुत से लोग होंगे लेकिन अभी मेरे पास समय बहुत कम है। इनका संबंध नेशनल फ्रंट से है या जो दूसरी पार्टियां सरकार को समर्थन दे रही हैं, उनसे संबंध है। यहां तक कि जो लोग चुनाव में हार गए, उनको भी गवर्नर नियुक्त कर दिया है। बी० जे० पी० के टिकट पर गुरदासपुर से नवंबर 89 में चुनाव हार गए तो उनको उड़ीसा का गवर्नर बना दिया। सुषमा स्वराज जो राज्यसभा सदस्य हैं, उनके पति को मिजोरम का गवर्नर बना दिया। इसी तरह से एक और राज्य सभा के मेंबर थे, उनको उत्तर प्रदेश का गवर्नर बना दिया। मैं कहना चाहता हूं कि जो इस सदन में वैल्यू बेस्ड पालीटिक्स की बात करते थे और हम पर इलजाम लगाया करते थे, आज उनकी सरकार है और नेशनल फ्रंट और उसकी सहयोगी पार्टियों ने उन सब बातों की धज्जियां उड़ा दी हैं। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशें मैं पढ़कर सुना रहा हूं, लेकिन पोलीटिक्स से संबंधित लोगों को गवर्नर बनाया गया है।

दूसरी बात ला एण्ड आर्डर के बारे में कहना चाहूंगा, ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन दिन-प्रति-दिन बिगड़ती जा रही है। आज हम देखते हैं कि भागलपुर में आजादी के बाद सबसे ज्यादा दंगे फसाद हुए। गुजरात में जहां कोल्यूशन सरकार है, बड़ौदा में, अहमदाबाद में 66 लोग मारे गए और 275 जख्मी हुए। कहा जाता है कि एक मन्त्री का भी इसमें हाथ था। अभी मथुरा में देख लीजिए क्या हुआ। (व्यवधान)

मैं एक मिनट का समय और लूंगा। कश्मीर के मुत्तलिक एक बात कहना चाहता हूं। कश्मीर की पोजीशन यह है कि वहां पर चार पावर्स हैं। एक होम मिनिस्टर, एक मिनिस्टर इन्चार्ज कश्मीर अफेयर्स श्री जार्ज फर्नान्डीस, तीसरे वहां के गवर्नर और चौथे प्रधानमंत्री जी। होम मिनिस्टर एक बात कहते हैं कि कश्मीर में टेररिस्ट्स से कोई बात नहीं होगी। उनकी गन से हमारी बिगर गन हैं। यह जार्ज फर्नान्डीज जी दूसरे दिन बोलते हैं और कहते हैं कि रजौरी में, पुंछ में टैरोरिस्टस से बात कर रहे हैं। उनका अपना सिलसिला चला हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि हम जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो हमारा रोल है, हमसे भी इस संबंध में राय ली जाए। जार्ज फर्नान्डीज जी काश्मीर के इन्चार्ज मिनिस्टर हैं। वे मेरी कांस्टीच्यूएंसी में शनिवार को गए थे, डोडा में, किश्तवाड़ में गए थे। ये खुद ही मसला हल करना चाहते हैं। हम चुने हुए नुमाइन्दों को छोड़कर स्वयं ही यह मसला हल करना चाहते हैं। ये अकेले इस मसले को हल नहीं कर सकते हैं।

मेरा कहना यह है कि सरकार को मैं और मेरी पार्टी पूरा को-आपरेशन देने को तैयार है ताकि काश्मीर की समस्या सुलझ सके। लेकिन हमें कोई पूछता ही नहीं। एक तरफ होम मिनिस्टर साहब खुद अपने ढंग से कर रहे हैं, जार्ज फर्नान्डीज खुद अपने ढंग से कर रहे हैं। मुझे इस बात का दुःख है जब ये कहते हैं कि काश्मीर का मसला अभी नहीं बना, बहुत पहले का है। अगर यह मसला बहुत पहले से है, कांग्रेस की इसमें कोई त्रुटि थी तो स्वयं गृह मन्त्री जी उसमें शरीक हैं। वे वहां मिनिस्टर रहे, 10 साल तक हमारे प्रधान रहे, सेंटर में मिनिस्टर रहे। अगर कोई कमजोरी हमसे रह गयी तो उसमें ये भी शरीक है। कहा जा रहा है कि 500 के करीब टैरोरिस्ट पकड़े गए और उनमें 10-15 के करीब टॉप टैरोरिस्ट हैं। कल भी वहां लोग मारे गये। जैसे ही कर्फ्यू में ढील दी जाती है वहां दो-तीन लोगों को टैरोरिस्ट मार देते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल शर्मा : कल ही एक रिटायर्ड हैड-मास्टर अली मोहम्मद को मार दिया, निरंजन जी की हत्या कर दी गयी।

इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि सिमरन जीत सिंह मान ने स्टेटमेंट दी है कि यदि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो उसमें सिख को-आपरेट नहीं करेंगे। क्योंकि जो ऐसपीरेशन है काश्मीर के लोगों का, वह समाप्त हो जाएगा, इसलिए वे युद्ध में को-आपरेट नहीं करेंगे।

श्री कपिल देव शास्त्री (सोनीपत) : मैं उन सब बातों से हट कर बोलूंगा जो माननीय सदस्यों ने यहां पर कहीं हैं। जिस वक्त हम पार्लियामेंट में प्रवेश करते हैं तो वहां पर लिखा है—

"अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसास्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥"

यह चीज मेरी है, यह पराई है, यह मेरा है, पराया है, यह छोटे आदमी की चीज है। जो बड़े दिल वाले लोग होते हैं उनके लिए तो सारा संसार एक कुटुम्ब है, एक परिवार है। हम सब उपदेश देते हैं, वसुधा को अपना परिवार मानते हैं, परन्तु उससे उल्टी बातें करते हैं। वाल्मिकी जी ने नारद जी से पूछा—

"को-वस्मिन साम्प्रतं लोके गुणवानकश्य वीर्यवान।
धर्मज्ञश्य कृतज्ञस्य सत्यकाक्यो दृढ़वृतः
चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूलेषु कोहितः।

सच बोलने वाला, न्याय का पालन करने वाला और प्रजा की सेवा करने वाला इस देश में कौन है? तो नारद जी ने जवाब देते हुए कहा :—

"इश्रवाकुवेशप्रभवो रामोनाम जनैः श्रुवः।
नियतात्मा महवीर्या धृतिमान धृतमान वशी॥"

भगवान राम इस वक्त सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या के बारे में लिखते हैं कि हमारी पीढ़ियां, जो हजारों वर्षों से चलती आयी हैं वह अयोध्या को सभी पुरियों में सर्वश्रेष्ठ मानती हैं। जो सात पुरियां इस देश की हैं उन सभी में अयोध्या ही एक सर्वश्रेष्ठ पुरी है। इसलिए जब अयोध्या पर विवाद चलता है तो उसे अहमियत नहीं देनी चाहिए। लिखते हैं कि :—

"अयोध्या, मथुरा, माया काशी कांची अवन्तिका।
पुरी द्वारावतीश्चैव, सप्रैता मोक्षदायिका॥
अष्ट चक्रा नव द्वारा देवनाः अयोध्या।
तस्य हिरण्यमयः कोशेत्स्वर्गो ज्योतिषांवृतः॥"

यह जो संस्कृत साहित्य है, वेद लिखा है, दुनिया में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं और अर्थववेद में लिखा है अष्ट चक्रा नव द्वारा देवनाः अयोध्या। तस्मा हिरण्यमयः को दो स्वर्गो ज्योतिजावृताः। उस अयोध्या का वर्णन है जो सरयू के किनारे है उसमें भगवान राम का जन्म हुआ, पीढ़ियां बदलीं, युग चले गए संसार में जो सबसे सुन्दर पर्व मनाया जाता है वह राम लीला है। उसे ईसाई, मुसलमान और सिख सब मनाते हैं। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि राम जन्म भूमि का विवाद जो है

उसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। मैं अपनी बात यह कहकर समाप्त करूंगा। इलाहाबाद का हाईकोर्ट का निर्णय हुआ वह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट, इलाहाबाद, से स्पष्टीकरण मांगा तो हाईकोर्ट ने कहा कि जिस प्लाट पर राम जन्म भूमि का मन्दिर बनाया जा रहा है वह प्लाट नम्बर 586 जो मुकदमा 12-9-61 में सुन्नी सम्प्रदाय ने दायर किया था वह सारा का सारा प्लाट इस झगड़े से बाहर है जिस पर यह विवाद चल रहा है। इसके बाद जिला प्रशासन ने वहां नींव नहीं खोदने दी। मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि हाईकोर्ट का निर्णय बता रहा हूं।

पांच आर्य परम्पराएं हैं और इस्लाम में भी पांच बार नमाज पढ़ी जाती है। हम ओम तीन गिनते हैं तीन मस्जिद की मीनारें होती हैं। हम नवरात्रों में व्रत रखते हैं, इस्लाम में रोजे रखे जाते हैं। आर्य वैदिक धर्म पूजा नहीं मानता इस्लाम भी नहीं मानता। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आर्य और इस्लाम समाज में कितनी समानता है। हमारे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हैं, वह ब्राह्मण हैं मोहम्मद करीम छागला के शब्दों में यह सारा देश आर्य है। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : यह सदन गृह मंत्रालय की महत्वपूर्ण अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहा है। उस वक्त यह चर्चा हुई है जबकि मुल्क में कई जगहों पर आतंकवाद और साम्प्रदायिकता का खुला तांडव हो रहा है। मैं नहीं जानता कि मुल्क के उन हिस्सों का प्रतिबिम्ब इस सदन में है या इस सदन में बैठे हुए दलों और उसके नेताओं के जहन की नीयत का प्रतिबिम्ब देश के हिस्सों में फैल रहा है। जब इस देश के अन्दर साम्प्रदायिकता फैल रही है, आतंकवाद फैल रहा है और उसका प्रतिबिम्ब इस सदन में भी खुलकर सामने आया है और उस वक्त जबकि लोगों की हत्याएं हो रही हैं। आजादी के 42 वर्षों के बाद 50 हजार से ज्यादा लोग हमारे कश्मीर से आज शरणार्थी बनकर आए हुए हैं। मैं उस तरफ इशारा करना चाहता हूं जिस पार्टी के लोग आज इस आतंकवादी माहौल के अन्दर हिन्दू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हिन्दू राष्ट्र की बात करना इस वक्त इस मुल्क को तोड़ना है। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग इस वक्त हिन्दू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वह भी खालिस्तानियों की तरह आतंकवादियों की तरह इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। ये लोग अगर हिन्दू राष्ट्र की बात करते हैं और सदन में शपथ ली है संविधान के दायरे में निष्ठापूर्वक रहने की उनको कोई अधिकार नहीं है कि इस सदन में हिन्दू राष्ट्र की बात करें। जबकि साम्प्रदायिकता फैल रही हो, मुल्क की सीमाओं पर खतरा हो, पंजाब और कश्मीर के अंदर मुल्क को तोड़ने की जो शक्तियां आगे बढ़ रही हैं ऐसे समय में हिन्दू राष्ट्र की बात करना ठीक नहीं है, गद्दारी है। अगर हिंदू राष्ट्र हो गया तो हिन्दुस्तान के 15 करोड़ मुसलमानों का क्या होगा।

4.00 म० प०

अगर आज आप हिन्दू राष्ट्र की बात कर सकते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुओं से ज्यादा पुरानी संस्कृति और सभ्यता इस देश के अन्दर द्राविड़ लोगों की है। अगर हमारे देश में कुछ लोग बराबरी की मांग उठाते रहे तो आपके हिंदुस्तान का क्या होगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के नाम पर हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिकता फैलाने का काम मत करिए। आज जरूरत इस बात की है कि हिन्दु-मुसलमान, सिक्ख, ईसाई और सभी धर्मों के लोग सामाजिक और आर्थिक अधिकार बराबर का रखकर चलें, तब यह हिंदुस्तान बचेगा। एक तरफ तो धारा 370 को खत्म करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान में 22 करोड़ अछूतों और जनजाति के लोगों के आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के हिंदुओं का एक बड़ा बहुमत आपके खिलाफ है। यदि इस देश के शेड्यूलकास्ट और शेड्यूल्ड ट्राईब्स, माइनरटीज और बैकवर्ड के लोग इस नारे के खिलाफ आवाज उठाने लगें तब आपके हिन्दुस्तान का क्या होगा? इसलिए मैं

कहना चाहता हूं कि ऐसे नाजुक समय पर इस देश में इस तरह के नारे मत लगाएं। इस मुल्क में हरिजनों पर एटरोसिटीज होती हैं, उनको जिंदा जला दिया जाता है। आजाद हिन्दुस्तान में कोई हरिजन किसी सामन्त के कहने पर अपनी पत्नी को पेश नहीं करता है तो उस पर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया, यह नहीं होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर में जो कुछ हुआ है, उससे खतरा है। आज कश्मीर के अन्दर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि कश्मीर के लोगों को बराबर का आर्थिक और सामाजिक अधिकार नहीं दिया गया है। हिन्दुस्तान के अन्दर उन्होंने अपने आपको नम्बर दो का नागरिक समझा। आप केन्द्र की मर्सी पर रहें। यही कारण है इस मुल्क को असमान अधिकार और अनइवन डेवलेपमेंट से सबसे ज्यादा खतरा है। मैं इशारा करना चाहता हूं कि आपने हिंदुस्तान के बैकवर्ड, माइनरटीज, एस० सी० एस० टी० के लोगों की तरक्की और विकास के लिए कुछ नहीं किया और जो आग आज कश्मीर में फैल रही है, वह आग सारे हिंदुस्तान में फैल सकती है। अभी तक उन करोड़ों लोगों ने हिंदुस्तान की सम्पत्ति के बंटवारे की मांग नहीं की। उन्होंने सिर्फ सामाजिक तौर पर अपने सम्मान की मांग की है जो उन्हें दी नहीं गई है। इससे हिंदुस्तान की एकता को खतरा हो सकता है। सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि कम से कम होम मिनिस्टर इस बात पर गौर करें कि जब उस कतारों के लोग अपोजीशन में बैठते थे, हमेशा यह मांग उठाते थे कि इस देश के अन्दर एक सैकूलर फोर्स बननी चाहिए जिससे माइनरटीज के दिमाग में यह बात पैदा हो सके कि एक तरफा कोई बात तय नहीं होगी। इसलिए मैं अपनी बात कहकर इस बात की बार-बार मांग करता हूं कि सेकूलर फोर्स का निर्माण किया जाए ताकि माइनरटीज के अन्दर यह विश्वास पैदा हो। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहूंगा कि आज इस गलतफहमी में मत रहिए कि हिंदुस्तान की हिन्दू मैजारिटी आपके साथ है। आपकी पार्टी के नतीजे इस बात को कहते है कि जहां हिन्दुओं को उनकी पार्टी मजबूत दिखाई दी तो आपको वोट मिल गया चाहे उसमें बी० जे० पी० थी या जनता दल थी या कोई दूसरी पार्टी थी। इसलिए आप इस गलतफहमी में रहकर सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं की जिम्मेदारी मत लें। आज जरूरत इस बात की है कि राष्ट्र एक होकर, सारे मजहब के लोग एक होकर इस मुल्क की एकता और अखंडता को कायम रखें। आज जरूरत इस बात की है कि सारे तबके के लोग मिलकर इस देश के अन्दरूनी और बाहरी खतरों का मुकाबला करने के लिए एकजुट होकर मांग करें। एक बात कहकर समाप्त करूंगा कि हमेशा हम लोगों पर यह आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग इस सरकार को कमजोर कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी और उनकी पार्टी की तरफ से कोई आंदोलन इस सरकार के खिलाफ नहीं चलाया गया। आंदोलन अगर जलाया गया है तो बी० जे० पी० की तरफ से चाहे वह 370 की धारा हो, चाहे कश्मीर का सवाल हो, चाहे बोडो का सवाल हो या दिल्ली का सवाल हो। इन्होंने इस सरकार को कमजोर किया है और मैं आगाह करना चाहता हूं कि इस तरीके की रियक्शनरी फोर्सेज के खिलाफ इस सरकार का फर्ज है कि इनको नहीं उठने दें। इस मुल्क की एकता और अखंडता को इस तरह से बचा पाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस चर्चा के लिए निर्धारित समय पूरा हो चुका है। अब गृह मन्त्री द्वारा चर्चा का उत्तर देने का समय है। चूंकि अनेक सदस्य समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अतः यह निर्णय मैं सभा के ऊपर छोड़ता हूं।

श्री निर्मल कान्ति भट्टर्जी (दमदम) : समय और अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। हमने

पहले ही क्रम बदल दिया है अब हम और आगे नहीं बदल सकते । (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं निर्दलीय सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं । परन्तु मैं सभा के निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकता ।

(व्यवधान)

प्रो० पी०जे० कुरियन (मवेलीकारा) : मैं समय की कमी को पूर्णतः समझता हूं । परन्तु दोनों सदनों के अनेक सदस्य बोलना चाहते हैं । गृह मन्त्रालय एक महत्वपूर्ण विषय है, विशेषकर इस समय । अतः मैं अध्यक्षपीठ से निवेदन करता हूं कि कम से कम एक घण्टे के लिए समय बढ़ाएं तथा इसके बाद गृह मन्त्री अपना उत्तर दे सकते हैं ।

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं । (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं । क्योंकि सभा ने पहले ही निर्णय ले लिया है । सभापति अकेले ही निर्णय लेने में सक्षम नहीं है । मैं निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र नहीं हूं । गृह मंत्री का उत्तर नियम 193 के अधीन चर्चा का उत्तर भी होगा जिसे कि श्री हरीश रावत द्वारा सांप्रदायिक स्थिति के बारे में 24 अप्रैल, 1990 को उठाया गया था । अब गृह मन्त्री बोलेंगे ।

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : महोदय जिस समय पिछले सभापति के सामने यह तय किया गया था कि मैं चार बजे बोलूंगा उस समय श्री कुमारमंगलम मौजूद थे । अब समय उससे अधिक नहीं लगना चाहिए । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कंकर मुंजारे (बालाघाट) : सभापति जी, हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए यदि हमें बोलने का मौका नहीं मिला, तो हम गृह मन्त्री जी को बोलने नहीं देंगे ।

श्री रामेश्वर प्रसाद (आरा) : हमें भी लोगों ने यहां चुनकर भेजा है । हमें भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए । (व्यवधान)

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : सभापति जी मैं शुक्रगुजार हूं कि जितने माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया । (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं निर्दलीय सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं परन्तु इसके साथ ही उन्हें यह भी समझना चाहिए कि उन्हें सभी विषयों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है ।

(व्यवधान)

4.08 म० प०

[डा० तम्बि दुरै पीठासीन हुए]

सभापति महोदय : कृपया शांति बनाए रखें ।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : क्या मैं अध्यक्षपीठ से यह निवेदन कर सकता हूं कि उनको सन्तुष्ट करने के लिए गृह मन्त्री का उत्तर पूरा होने के बाद वे सदस्य उनसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं ।

सभापति महोदय : हां, गृह मन्त्री के उत्तर के बाद वे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मैं गृह मन्त्री से निवेदन करता हूं कि उनकी बात मानकर दो-दो मिनट के लिए उन्हें बोलने का मौका दे देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री कंकर मुंजारे : कुछ लोग तो यहां कई-कई बार बोल चुके हैं। हमें एक बार भी मौका नहीं मिला। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० जे० कुरियन : महोदय कम से कम उन निर्दलीय सदस्यों को दो-दो मिनट के लिए भी बोलने का मौका मिलना चाहिए (व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि आप सब सहमत हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं। (व्यवधान)

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मन्त्री महोदय भी उत्तर देना शुरू कर चुके हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हमारे सामने समय की समस्या है। क्योंकि हर कोई बोलना चाहता है। जब हमारे पास समय होता है, तो हम दलों की स्थिति के अनुसार समय देते हैं, यह हमने तय किया है। परन्तु निर्दलीय तथा अन्य दलों के सदस्य सभी विषयों पर बोलना चाहते हैं। हमारे सामने यह समस्या है क्योंकि हमने प्रत्येक निर्दलीय सदस्य को 10 मिनट का समय दिया है। इस समय सीमा में सभी निर्दलीय सदस्यों को मौका नहीं दिया जा सकता। हम इस मांग पर एक ही सदस्य को बोलने का मौका दे सकते हैं तथा अन्य मांगों पर अन्य सदस्यों को मौका दे सकते हैं। परन्तु वह तैयार नहीं हैं। मुझे पता है कि वह क्या चाहते हैं। उस 10 मिनट में से 10 दलों के सदस्यों को एक-एक मिनट के लिए बोलने देना चाहिए। यह इनका तर्क है। यदि आप केवल एक मिनट ही बोलेंगे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बहुत से सदस्य अपने भाषण जारी रखते हैं तथा निर्धारित समय तक सीमित नहीं रहते हैं। यह ससस्या है जिसका सामना अध्यक्षपीठ को करना होता है। मुझे अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। और यदि आप सब सहमत हैं तो इसको विशेष मामला समझा जाये। मैं आपके ऊपर निर्णय छोड़ता हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : परन्तु हमें सख्ती से एक नियम मानना होगा। निर्दलीय सदस्य तथा व्यक्तिगत सदस्यों को किस प्रकार का मौका दिया जाए ? ऐसी भी पार्टी हो सकती है जिसका एक सदस्य हो। उसको कैसे मौका दिया जाये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : परन्तु समय का प्रश्न भी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कभी-कभी यदि आप सब सहमत हों, तो विशेष मामले के रूप में मौका दिया जा सकता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : सभापति जो बात तय हो जाती है उसको इस-इस दफा चेंज किया जाता है सुबह तय हुआ कि शाम चार बजे शेड्यूल्स कास्ट्स का मामला लेंगे, फिर तय हुआ कि होम मिनिस्टर बोलेंगे, फिर अब आप उनको बोलने के लिए समय दे रहे हैं। यह क्या है। एक बार तय होना चाहिए, 10-10 दफा नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा (पाटण) : यह अध्यक्ष महोदय के निर्देशों के अनुसार तय हुआ था। अत: इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय : अब यह बात मन्त्री महोदय पर छोड़ देते हैं। यदि वह चाहें तो मैं उनको अनुमति दे सकता हूं। अन्यथा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मन्त्री महोदय, आप क्या कहते हैं ? क्या दो लोगों को बोलने का अवसर दे सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा : महोदय, इसका पहले ही निर्णय हो गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि अब यह परिवर्तन क्यों हो रही है। सभा ने अध्यक्ष महोदय के निर्देशों के अनुसार निर्णय लिया है। सभापति महोदय ने एक विनिर्णय दिया है कि गृह मन्त्री महोदय 4 बजे उत्तर देंगे। उसके बाद नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू होगी।

सभापति महोदय : यह बात सत्य है।

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा : फिर आप इसे बार-बार क्यों बदल रहे हैं ?

सभापति महोदय : हमारे कुछ साथियों ने ऐसा करने की मांग की है। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं।

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा : किन्तु यदि आप इसी तरह अनुमति देते रहे, तो इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। (व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्हें यह बात मंजूर नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा : क्या आप मुझे भी बोलने की अनुमति देंगे ? उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। केवल मन्त्री महोदय को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। उसके बाद नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू की जानी चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कंकर मुंजारे : क्या आप हमारी बात नहीं मानेंगे और हमें बोलने के लिए समय नहीं देंगे । एक महीने पहले हमने लिखकर दिया हुआ है । लोक सभा सचिवालय को लिखकर दिया हुआ है । हमको समय नहीं मिलेगा ? (व्यवधान)

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : होम मिनिस्ट्री की ग्रांटस पर जिन सदस्यों ने बहस में हिस्सा लिया

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर प्रसाद : मैं भी बोलना चाहता हूं । मुझे बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है इसके विरोध में वाकआउट करता हूं ।

4.15 म० प०

]इस समय श्री रामेश्वर प्रसाद सभा से बाहर चले गए ।]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : जो समस्याएं देश के सामने, खासकर क्रिमिनल हैं····

(व्यवधान)

श्री कंकर मुंजारे : मैं भी बोलना चाहता हूं । आप मुझे मौका क्यों नहीं दे रहे हैं । क्या यह भेदभाव पार्लियामेंट के अन्दर चलेगा ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उनके उत्तर देने के बाद आप बोल सकते हैं ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उस समय अपनी बात कह सकते हैं ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, नहीं, मैं अनुमति नहीं दे सकता ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह जो कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय, आप अपना भाषण जारी रखिए ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री मुंजारे, जब हमने एक बार निर्णय ले लिया है तो आप ऐसा नहीं कर सकते ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया उनको दो या तीन मिनट बोलने की अनुमति दे दीजिए ।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

सभापति महोदय : इसके लिए प्रक्रिया है। यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप किसी अन्य अनुदानों की मांग पर बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं सब को बोलने का अवसर नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं ऐसी स्थिति में बोल ही नहीं सकता हूं। **(व्यवधान)** मैं कैसे बोल सकता हूं? **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। हमने पहले ही निर्णय किया है कि मंत्री महोदय 4 बजे उत्तर देंगे। इसके बावजूद दो सदस्यों ने वाद विवाद में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की थी। उनमें से एक सदस्य पहले ही सभा से चले गए हैं। मुझसे पहले पीठासीन अधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि समय नहीं है। इसलिए, उन्होंने मंत्री महोदय का नाम पुकारा था। इसके बाद, जब मैं पीठासीन हुआ, तब भी इन सदस्यों ने बोलने के लिए समय की मांग की। मंत्री महोदय ने पहले ही उत्तर देना शुरू कर दिया है।

मैंने सभा की सम्मति जाननी चाही। एक वर्ग ने इसका समर्थन किया जब कि दूसरे वर्ग ने इसका विरोध किया। अन्य सदस्य भी बोलने के इच्छुक हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : समय पहले ही समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि हम एक सदस्य को बोलने की अनुमति देते हैं तो दूसरे सदस्य का क्या होगा जो सभा से चले गये हैं? ऐसी स्थिति में, दोनों सदस्यों को बोलने की अनुमति देनी होगी। एक सुझाव यह है कि हम मन्त्री महोदय द्वारा उत्तर दिए जाने के बाद उनको मन्त्री महोदय से स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकते हैं। यही एकमात्र तरीका है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री मुंजारे, कृपया बैठ जाइए। मन्त्री महोदय का उत्तर समाप्त होने के बाद मैं आपको उनसे कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। क्या अध्यक्ष पीठ को बाध्य करने का यही तरीका है?

[हिन्दी]

श्री शंकर मुंजारे : सिफारिश से पहले आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं जल्दी ही अपनी

बात कह दूंगा। आप मुझे बोलने का मौका किस कारण से नहीं दे रहे हैं ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मन्त्री महोदय ने अनुरोध मान लिया है।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : नहीं। मैंने अनुरोध नहीं माना है।

सभापति महोदय : यदि उन्होंने अनुरोध मान लिया होता तो कोई कठिनाई नहीं होती। किन्तु उन्होंने अनुरोध नहीं माना है। मैं इस बारे में क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कंकर मुंजारे : मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि आप मुझे रिप्लाई से पहले बोलने का मौका दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि मैं इस तरह से अनुमति दे देता हूं तो यह पूर्वोदाहरण अगली बार भी जारी रहेगा। जब अध्यक्ष पीठ पहले ही विनिर्णय दे चुकी है तो आपको इसे मानना चाहिए। इसलिए मैं माननीय सदस्य से एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि वे अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप मन्त्री महोदय के उत्तर के बाद अपने प्रश्न पूछ सकते हैं····

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप मेरी बात भी सुनिए। आप मुझे इस तरह से बाध्य या मजबूर नहीं कर सकते। बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कंकर मुंजारे : कुछ देर पहले मुझसे कहा गया था कि मुझे बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन अब आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, आप अपना उत्तर जारी रखें।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : आप अन्तिम रूप से निर्णय दें। मैं इस तरह का व्यवधान पसन्द नहीं करता। मैं इन परिस्थितियों में नहीं बोल सकता। (व्यवधान)

सभापति महोदय : चूंकि मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं इसलिए अब मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। आपको जो करना हो वह करिए····

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अन्यथा, मैं आपको सभा से बाहर निकाल दूंगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कंकर मुंजारे : जब तक आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे, मैं भी यहां से जाने वाला नहीं हूं ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री कहां हैं ? मैं उनकी सलाह लेना चाहता हूं ।

[हिन्दी]

श्री कंकर मुंजारे : आप देखकर उन्हें बुलाइए । आप चाहें तो मेरी उनसे बात करवा दें ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसकी कोई सीमा होनी चाहिए । यदि हर सदस्य इस तरह कहे, तो मैं क्या कर सकता हूं ? यह केवल आप ही का अधिकार नहीं है । यह अधिकार हर सदस्य का है ।

[हिन्दी]

श्री कंकर मुंजारे : मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि बाकी कई सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिला । मैं काफी देर से अपनी बारी का इन्तजार कर रहा हूं, लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया । (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह कोई तरीका नहीं है । कुछ अनुशासन भी होना चाहिए ।

संसदीय कार्य मन्त्रालय के उपमन्त्री (श्री० जगदीप धनखड़) : कृपया बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपसे कह रहा हूं कि सभा का समय बरबाद मत करिए । इसके लिए एक प्रक्रिया है । जब हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं तो आप अपनी सीट के सामने से व्यवधान पैदा करके सारी सभा को बाध्य नहीं कर सकते । यह अच्छी बात नहीं है । मैं मन्त्री महोदय के उत्तर के बाद आपको अवसर दूंगा । आप उस समय अपने प्रश्न पूछ सकते हैं तथा वह उसका उत्तर देंगे । आप तब तक प्रतीक्षा करें ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कंकर मुंजारे : आप मुझे किसी भी तरह से रिआयत से पहले बोलने का मौका दें ।

(व्यवधान)

4.24 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1990-91

गृह मन्त्रालय—(जारी)

तथा

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में साम्प्रदायिक स्थिति

[हिन्दी]

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : जिन बातों और जिन सवालात की तरफ यहां तवज्जह दी गई है, उनको मैंने यहां बहुत ध्यान से सुना। साम्प्रदायिकता और फिरक्का-परस्ती पर 1-2 बार इस ऐवान में बहस हुई। कल भी करीब साढ़े चार घण्टे सदस्यों ने इस बहस में हिस्सा लिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां, इस देश में कुछ कौमी दंगे होते रहे हैं और ऐसे झगड़े, बड़े-बड़े तरक्की याफ्ता मुमालिक का भी जिक्र करें, वहां भी ऐसा तनाव पैदा होता है लेकिन पिछले 3-4 साल से अगर हम इस बात का जायजा लें, 1985-86 से लेकर जो कौमी दंगे हुए हैं पहले भी हुआ करते थे लेकिन जहां हुआ करते थे वहां हम तुरन्त, फौरन ऐसे लोगों को पहचान लेते थे, जो दो भाइयों में झगड़ा कराना चाहते थे, चाहे स्मगलर्स होते थे, चाहे वहां के खुसूसी रखने वाले लोग होते थे, लग्जर होते थे लेकिन मुझे इस बात का एतराफ करना पड़ेगा कि एक सवाल राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद का उठा और एक ऐसा कैम्पेन हिन्दू में भी, मुसलमान में भी आया जब राम के नाम पर मंदिर बनाने का सवाल आया, इस देश की तहजीब, इस देश की संस्कृति ऐसी है, मंदिर और मस्जिद एक दूसरे के साथ-साथ रहे हैं लेकिन हिन्दू को यह लगा कि अयोध्या में जो राम के नाम पर मंदिर बनाना है, उसका शायद हिन्दुस्तान में अल्पसंख्यक मुसलमान मुखाल्फत करता है, एक जज्बा पैदा हुआ, मुसलमान के जेहन में यह पैदा हुआ, राम के नाम पर मंदिर बनाना है, मस्जिद मिटाना है, पता नहीं हमारी मस्जिदों का क्या हाल होगा। यह जो फिरकापरस्ती का जहर था, यह तनाव, यह वायरस आम लोगों के जेहनों में हुआ, इस बात की गवाही भागलपुर का जो दंगा हुआ, मेरे ख्याल में जब हमारे देश का बंटवारा हुआ, उस वक्त भी इतना भयानक दंगा नहीं हुआ जिसमें लोगों ने हिस्सा लिया, गांव-गांव में दंगा फैला, चाहे वह बदायूं का वाक्या हो, हर जगह आम लोगों ने जो किसान होते हैं, चाहे नीचे तबके के लोग होते हैं, उनमें यह बात फैल गई। इसमें उस तरफ बैठने वाले साथी अगर यह उस वक्त जब भागलपुर का दंगा हुआ, जब मेरठ का दंगा हुआ, जब गुजरात के दंगे हुए, राजस्थान के दंगे हुए, तशवीश उस वक्त होनी थी, क्यों हुआ, यह मिसालें दी। मसलन इन्होंने जिक्र किया, कल की तो बहस थी, मथुरा के बारे में थी और कानपूर के बारे में थी, इसके बजाय वहां की राज्य सरकार को यह बधाई देते कि उन्होंने सिचुएशन को काबू में लाया। दोनों तरफ, कानपुर में जो एक दूसरे के फायरबॉल फेंकना चाहते थे, महाभारत में जो तीर कमान होता है, एक घर से दूसरे घर में दोनों तरफ से लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहां तुरन्त एक्शन में आकर तुरन्त काबू में लाया। आज के अखबार देख लीजिए, वह कहते हैं कि मथुरा में बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला था, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको अच्छी ढंग से डील किया। ऐसे ही, मैं नहीं कहना चाहता हूं, पिछले साल, जो हमारे त्यौहार होते हैं, चाहे हिन्दू के होते हैं, चाहे मुसलमान के होते, यह खुशी के त्यौहार होते हैं, राम के जन्म दिन पर राम के नाम पर जुलूस निकाले। हमारे लिए यह परेशानी का बायस है, पता नहीं क्या होगा, रामनवमी का जुलूस निकलेगा लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, अगर आप इस साल के पिछले साल के हादसे, जो इंसीडेण्ट्स हुए हैं, मुकाबला करें, बिहार

के चीफ मिनिस्टर ने पूरा अपना डिटरमिनेशन किया, इस बात पर कि रामनवमी पर कोई घटना नहीं होनी चाहिए और इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। बिहार में रामनवमी के मौके पर एडमिनिस्ट्रेशन चौकन्ना कर दिया और लोगों से, मुख्तलिफ सैक्शन के लोगों से बात करके, ऐसी कोई घटना बिहार में नहीं हुई। इस चीज को बहुत सारे पेपर्स ने एप्रिशिएट किया। जैसे कि गुजरात के बारे में कहा जा रहा है। जब मोरारजी देसाई हिन्दुस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सन् 1969 में थे, तो वहां पर बहुत बड़ा कौमी दंगा हुआ और अब की बार भी हुए। मैं वहां जाकर हर सैक्शन के लोगों से मिला, उन्होंने कहा कि पहली बार अहमदाबाद के रायट्स की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि सिचुएशन को तुरन्त कन्ट्रोल किया गया। ऐसे हादसे हुए हैं। यह सही है कि लड़ाई किस बात की होती है, कोई मुस्लिम लड़की ने हिन्दू से शादी की और हिन्दू ने मुसलमान से शादी की। ऐसा हुआ है। कहा जाता है कि किसी मुस्लिम लड़की ने बी० एच० पी० के लीडर से शादी की और बी० एच० पी० के लीडर को मार दिया गया। इसी तरह से एक साधु अहमदाबाद में मारा गया। लेकिन राज्य सरकार ने फोरन एक्शन लिया। एन्टीसोसियल एलीमेंट और स्मगलरों का भी हाथ था चाकू चलाने के काम में और दो-ढाई हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहां करफ्यू लगाकर फौज का फ्लैग मार्च हुआ। वहां पर कांग्रेस का डेलीगेशन भी गया। उन्होंने भी अपने बयान में कहा जो उनकी एम पीज की टीम थी—

[अनुवाद]

श्री एच० एस० हंसपाल, श्री मोहम्मद अंसारी और श्री राजशेखर रेड्डी की टीम ने राज्य सरकार द्वारा किए गए निवारक उपायों पर संतोष व्यक्त किया है।

[हिन्दी]

कोई ऐसी बात नहीं। मुझे वहां माइनोरिटी के लोग मिले। उन्होंने कहा कि हम पहली बार देख रहे हैं, वरना कोई काम्यूनल रायट हो जाए तो कोई शासन की तारीफ नहीं करता है। वहां हिन्दू क्या और मुसलमान क्या, सब ने कहा कि हमारी जान पहली बार महफूज रही है और राज्य सरकार ने अच्छे ढंग से सिचूएशन को कन्ट्रोल किया है। वहां सिर्फ जनता दल की सरकार नहीं है, वहां दोनों की सरकार है जनता दल की भी है और बी०जे०पी० की भी है। वहां बी०जे०पी० के होम मिनिस्टर मुस्लिम रिफ्यूजी कैम्प में भी जाते हैं और हिन्दू रिफ्यूजी कैंप में भी जाते हैं। वहां के माहौल से मुझे लगा कि वहां स्थिति पर कन्ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, श्री भैरों सिंह शेखावत, मेरे पास आए और कहा कि राम नौमी के जलूस निकलने हैं। मैंने पूरा इस बात का प्रबंध किया, इन्तजाम किया कि वहां कोई घटना नहीं होनी चाहिए। सवाल है—राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का। साठे साहब यहां नहीं है, उन्होंने पूरी हिन्दू फिलोसोफी का जिक्र किया। हिन्दू फिलोसोफी के मुताबिक राम का जन्म स्थान कहां है, उस पर बहस कर रहे थे। मैं तीस साल तक कांग्रेस पार्टी में रहा हूं और काश्मीर में मैंने इस तरह के झण्डे को थाम के लिया और इस पार्टी में थे उन्होंने झण्डे को हाथ में लेकर उनका सीना गोलियों से छलनी हो गया। विपक्ष का रोल अदा करते थे। देश के हित में उनकी एक ताकत बने। मैं पूछना चाहता हूं, राम जन्म भूमि का शिलान्यास नौ तारीख को किस ने करवाया? वहां की सरकार ने। वहां के हाईकोर्ट का इन्टरिम आर्डर था, वहां के एडवोकेट जनरल की राय थी—एक दिन नौ को शिलान्यास करके, दस को बंद कर दिया। यह खुश करने की बात है। हिन्दू को खुश किया कि शिलान्यास हुआ और मुसलमानों को खुश किया कि शिलान्यास बंद कर दिया।

[अनुवाद]

आप दोनों ओर से संकट से घिरे हैं।

[हिन्दी]

नौ को अयोध्या से आपने चुनाव अभियान शुरू किया, यह कह करके कि राम राज्य करना है।

[अनुवाद]

राम एक आदर्श राजा है। राम राज्य—इन बातों पर ज्यादा बहस करने की मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो देश भक्त हैं, जो भारत को महान देखना चाहते हैं, तो भारत को बड़ा मुल्क देखना चाहते हैं, खुशहाल देखना चाहते हैं, इस वक्त उनके सामने चुनौती है। जो बाहर से एक मुहिम चलायी जा रही है, हमारे देश को डिस्टेबिलाईज करने की, उसका हमें मुकाबला करना है। अंदर से हमें आतंकवाद का मुकाबला करना है, डिवाईडिंग फोर्सिज का मुकाबला करना है, सेसेसनिस्ट्स एलीमेंट्स का मुकाबला करना है। लेकिन यह जो भाई-भाई को लड़ाने वाली बात है इससे देश कमजोर होगा।

सन् 1947 के बाद से जब कभी हमारे देश में चुनौती आई, जब हमारे ऊपर हमला हुआ, याद करिए ब्रिगेडियर उसमान को जिसने पाक आकपाईड कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा लिया और खुद शहीद हो गया। याद करिए हवलकदार अब्दुल हमीद को, 1965 को जब लड़ाई के वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे टैंक कुर्बान हुए। जब भी कोई हमला हुआ, जब भी देश के सामने कोई चुनौती आई, हिन्दू, मुस्लिम, सिख ने कंधे से कंधा मिला कर के उसका मुकाबला किया।

मुझे मालूम नहीं कि अल्पसंख्यक कितने हैं। कुछ लोग फैमिली प्लैनिंग की बात करते हैं कि वे उसमें विलीव नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि इनफीलट्रेशन की बात हो रही है उसकी भी जांच करने की जरूरत है। लेकिन मुझे आप बताइए कि कितने लोग दस्तकार हैं, कालीन बनाते हैं। दरी बनाते हैं। आर्टिजंस हैं, मजदूरी करते हैं। टेक्नीकल हेंड्स हैं, वूल का काम करते हैं। क्या इस इंसानी ताकत को, ह्यूमन रिसोर्स को, इनकी केपेसिटी को, इनकी सलाहियत को देश को बड़ा बनाने में इस्तेमाल नहीं करेंगे ? आपके सामने चुनौती है कश्मीर में, पंजाब में। जनता का कुछ हिस्सा एलीनियेट हुआ है।

[अनुवाद]

इससे काफी नुकसान हो रहा है, समूची सरकार का भारत की जनता का ध्यान कश्मीर और पंजाब पर है। इस समस्या से कैसे निपटा जाए ?

[हिन्दी]

आप इतने लोगों को एलिनियेट नहीं कर पाएंगे। मैं 15 प्वाएंट प्रोग्राम की बात नहीं करता हूं। जो लड़का मुसलमान अपनी मां की गोद से उतर कर कालीन बनाने में लगता है···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : कृपया वह अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : आप इस तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। मैंने आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना है। अब आप मेरे भाषण में व्यवधान नहीं डाल सकते। कृपया बैठ जाइए।

सभापति महोदय : आप कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : ठीक है। आपने जो कहा है उसे मैं स्वीकार करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह बिल्कुल ही घटिया बातें हैं। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैंने आपको सिर्फ नियम याद दिलाया है।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मुझे यह मंजूर है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रो० कुरियन, आप इधर क्यों देख रहे हैं ? आप सभा को संबोधित क्यों नहीं कर रहे हैं ? वह आपको संबोधित नहीं कर रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उन्होंने आपको संबोधित नहीं किया है। अब वह मुझे शिक्षा दे रहे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं कहना चाहता हूं कि जो आर्डिनेंस काम करता है···मजदूरी करता है···(व्यवधान) इन्होंने 15 सूत्री कार्यक्रम जो अल्पसंख्यकों के बारे में है, फिफटीन प्वाएंट प्रोग्राम, जिसके बारे में मल्होत्रा जी ने कह दिया कि मायनोरिटीज को अपील करने की बात है मैं कहता हूं कि ऐसी बात नहीं है क्योंकि जो मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है और कालीन बनाने का काम करता है—क्या मां की गोद से उतर कर वह कहीं सकून पा सकता है ? आप लिटरेसी को ही ले लीजिए—आज लिटरेसी परसेंटेज हमारे देश में 35 परसेंट है। माइनोरिटी में 15 परसेंट से ज्यादा पढ़े-लिखे लोग नहीं है। क्या उनको आप 19वीं सदी के अंधेरे में ही रखेंगे 20वीं सदी में नहीं लाएंगे ? आप उनको मेनस्ट्रीम के दायरे में लाने की बात करते हैं। उनको आपने शिक्षा में अपर-यूनिटी देनी है ताकि देश आगे तरक्की कर सके।

एक बात यह है—मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान एक गुलशन है, इसमें रंग-बिरंगे फूल हैं। एक बाग में जितने ही ज्यादा रंग-बिरंगे फूल होंगे वह उतना ही सुन्दर नजर आवेगा। मैं अपने अल्प-संख्यक भाईयों से भी यह कहना चाहता हूं कि यह भारत गंगा-जमुना की धरती है इसमें गहरियत की कोई फिजा नहीं। यह बदनसीब लोगों को अपने आप में समेट लेती है। सन् 1947 में जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान गए और उन लोगों ने दर-दर की ठोकरें खाईं और उनका वहां रहना कबूल नहीं करते हैं। वह लोग कराची, सिन्ध और हैदराबाद में आज मौत और जिन्दगी की लड़ाई लड़ते हैं। वह बिहारी मुसलमान जो 1947 में गया है, इस्लाम में उनको कबूल नहीं करते हैं। हमें रहना है यहां और हम हजारों साल से यहां रह रहे हैं। इस्लाम ने गंगा और जमुना की तहजीब को बहुत कुछ दिया है। हिन्दुस्तान का मुसलमान खुशहाल हो जाएगा और अपने यहां रह कर उसका दर्जा बढ़ेगा। यह कोई इलतजा की स्थिति नहीं है।

जैसे मैंने कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा खतरा हमारे देश में एक ही है। आप पंजाब या काश्मीर को ही देख लीजिए—वहां के क्रिमिनल स्थिति को खराब करने में लगे हुए हैं। 9 तारीख को राम जन्म भूमि का शिलान्यास हुआ था और 14 फरवरी को काम शुरू होना था। इस राम जन्म भूमि की कमेटी को हमारे प्रधानमन्त्री जी ने निमंत्रण दिया और उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारे मुल्क में फिजा है। अगर ऐसी बात होगी तो भाई-भाई में झगड़ा हो जाएगा। उन्होंने इस बारे में सोचने के लिए एक कमेटी बनाई। क्या आपने ऐसा कोई काम किया था। जैसा हमारे प्रधानमन्त्री जी ने किया ?

हम चाहेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम इन लोगों पार्टियों को आपस में डायलोग करने

को कहें और इस समस्या का कोई समाधान ढूंढ़ेंगे। अगर कोई समाधान होगा तो मैं समझता हूं कि भारत की तकदीर ही बदल जाएगी। हिन्दू-मुसलमान का झगड़ा, बाबरी मस्जिद, रामजन्म भूमि और अयोध्या के मसले पर अगर कोई हल निकले तो यह बहुत अच्छी बात होगी। इसलिए कम्युनल सिचुऐशन के बारे में बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इसको बहुत सख्ती से डील करें।

मुझे खुशी है कि हरेक चीफ मिनिस्टर ने चाहे वह बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के हैं—हर जगह आफिसर्स को मेसेज गया है। 15 प्लाइन्ट प्रोग्राम में सबसे बड़ा फैसला यह हुआ कि जहां अल्पसंख्यकों की आबादी है या सेंसेटिव एरिया है वहां डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स को कह दिया कि आप जिम्मेदार हैं। अगर कहीं तनाव है तो आपको ठीक करना है। कहीं रिपोर्ट आती है तो उसको सख्ती से डील करने की जरूरत है।

दूसरी बात मस्जिद और मन्दिर आपस में नफरत पैदा करने के लिए नहीं हैं। लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाता है, हर जगर किया जाता है। मेरठ में एक दफा दंगा हुआ, आज तक वहां लाउड स्पीकर की इजाजत न मन्दिर में है न मस्जिद में है, कोई दंगे का सवाल ही नहीं है। हमको इसको रेगूलेट करना चाहिए।

नेशनल इन्टीग्रेशन कौंसिल की मीटिंग हुई, उसमें डीटेल में, तफसील से इन सब बातों पर बात हुई। जब धार्मिक जुलूस होता है, राम का नाम लेना है, अल्लाह का नाम लेना है, उसमें किसी फिरके के खिलाफ नारा देने की जरूरत नहीं है। हमने कह दिया है कि हम पाबंदी लगाएंगे। जो भी इस तरह के सलोगन्स देगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, यह फैसला किया गया है। इसी तरह से दीवार पर किसी के खिलाफ क्यों लिखा जाए। मजहब की आजादी हमारे संविधान में, हमारे आईने में दी गई है। हर इन्सान को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको धर्म की आजादी है, हमारे संविधान में यह दिया गया है, लेकिन इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि दीवारों पर लिखा जाए। इस तरह से क्यों किसी के सेंटीमेंट्स को भड़काया जाए। हमने कह दिया है कि वाल-राइटिंग पर पाबंदी लगाएंगे। चीफ मिनिस्टर्स को इस तरफ तवज्जह देने के लिए कहा जा रहा है।

एक सबसे बड़ी चीज टैक्स्ट बुक्स के बारे में है। अगर उसमें इतिहास की कुछ अच्छी बातें भी हों तो बहुत अच्छा होगा। हम अकबरे आजम के बारे में उसमें लिखें, देखिए फतेहपुर सीकरी जाकर, एक तरफ मन्दिर है, एक तरफ मस्जिद है। हम अपने बच्चों को, अपनी संतान को क्या अच्छी तालीम नहीं दे सकते हैं। भारत एक महान देश रहा है, बाहर से हमले से भारत कमजोर नहीं हुआ है, लेकिन अन्दर की फूट से भारत कमजोर हुआ है। हमारी टैक्स्ट बुक्स को रिवाइज करने की जरूरत है, इस ओर तवज्जह देने की जरूरत है।

जहां तक आर्म्स का ताल्लुक है, इसमें कोई कंप्रामाइज नहीं होना चाहिए। जैसे ही अभी कानपुर में राज्य सरकार ने काफी तलाशी ली और कुछ सामान पकड़ा, उससे कितनी नफरत पैदा हुई, आपस में विश्वास खत्म हो गया। साइकल और रिक्शा में टकराव हुआ, लेकिन घरों में पूरी तैयारी थी, आपस में विश्वास टूट गया, इस विश्वास को पूरा करना है, लेकिन आर्म्स के बारे में कोई कंप्रामाइज नहीं होगा।

दूसरा कंपोजिट फोर्सेज के बारे में कहा जा रहा है। मैं प्रधानमन्त्री जी के साथ भागलपुर गया था। वहां के लोगों में, वहां की झोपड़ियों में गए, अल्पसंख्यकों को कहा कि तुमको किस चीज की जरूरत है, उन्होंने कहा सिर्फ बी० एस० एफ० यहां पर रखी जाए। बी० एस० एफ० में कोई

हिन्दू मुसलमान का सवाल नहीं है। मोटीवेशन है फोर्सेज का। यही सी० आर० पी० और बी० एस० एफ० कश्मीर में काम करती हैं। कहीं कोई मिसाल नहीं होगी, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग अच्छी है। मोटीवेशन इस तरह का है, उनको इन्सान के साथ किस तरह से डील करना चाहिए, यह सिखाया जाता है। इसलिए भागलपुर के लोगों ने कहा कि यहां पर बी. एस. एफ. को रखिये। मैं यह नहीं कहता कि अल्पसंख्यकों को और अन्य जातियों के लोगों को इसमें स्थान नहीं मिलना चाहिए, इसके भी आंकड़े मेरे पास हैं, रेशो को पूरा करने की कोशिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि अल्पसंख्यकों और हरिजन-आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा स्थान दिए जाएं और पैरा मिलिट्री फोर्सेज में जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, उससे रेशो बढ़ा है, पिछली सरकार के समय से बढ़ गया है, लेकिन यह बुनियादी बात नहीं है। चाहे किसी भी जाति के सम्बन्ध में हो, किसी भी स्थान पर हो, कहीं भी कम्युनल, फिरकावारान, फिरकापरस्ती का माहौल बनता है, फसादात होते हैं तो वहां के आफिसर को इन्सानों को इन्सानों की तरह से डील करना है, हिन्दू मुसलमान के हिसाब से नहीं करना है। अगर कहीं पर भी खून बहता है तो वह किसी हिंदू या मुसलमान का खून नहीं होता, बल्कि एक भारतीय का खून बहता है। जो लोग इसमें यकीन रखते हैं, अच्छा काम करते हैं उनको अवार्ड देंगे, जैसे रिपब्लिक डे पर देते हैं, उनको अवार्ड देंगे।

ये बातें हैं 15 प्वाइन्ट प्रोग्राम में, मैं पूरे डीटेल्स में इस समय नहीं जाना चाहता, मुझे उम्मीद है कि इससे देश की कम्युनल हालत में सुधार होगा। मैंने प्रधानमन्त्री जी से भी बात की है। मैंने कहा है कि कश्मीर समस्या है, पंजाब समस्या है, मुझे पूरा यकीन है कि हम इसके साथ डील कर सकते हैं। अगर बाहर से हमला होगा तो देश के लोगों में इतनी ताकत है कि उसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अन्दर का जो माहौल है, आपस में भाईचारे का माहौल, इसको कायम रखने की जरूरत है।

दूसरा, जिन बातों की काफी ज्यादा चर्चा हुई उनमें एक पंजाब की समस्या है। यह बहुत उलझा हुआ मसला है। पिछले चार महीनों से हमारे विपक्ष के लोग पूछते रहे हैं कि क्या पालिसी है, क्या डायरेक्शंज हैं, क्या एक्शन प्लान है। जब से नेशनल फ्रंट की सरकार आयी है, मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं पंजाब समस्या में हमारे प्रधानमन्त्री जी की जान भी गयी, ब्लू स्टार आपरेशन भी हुआ, ब्लेक थंडर आपरेशन भी हुआ और आपने भी 1984 के चुनाव के तहत हीलिंग टच देने की कोशिश की। लोंगोवाल के साथ समझौता हुआ। लेकिन आतंकवादियों का हाथ इतना मजबूत था कि जो उस समझौते का जो आर्टिक्स था उन्होंने उसकी जान ले ली। जो हीलिंग टच का प्रोसेस आपने शुरू किया था, उसका क्या बना ? जब हम पंजाब समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमने कोशिश की मरहम लगाने की, हीलिंग टच देने की, काफी बातें हुई।

[अनुवाद]

सेना से भागकर आये लोगों का पुनर्वास, 1984 के दंगों में शामिल लोगों पर विशेष अदालत द्वारा मुकदमा चलाना।

[हिन्दी]

बहुत सारी बातें थीं, यह मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम यह बात समझते हैं। जब भी पंजाब के हालात में कुछ सुधार होता है तो उस वक्त आतंकवादियों को बाहर से, पाकिस्तान से मदद मिलती है। बटाला, अबोहर, फिरोजपुर जैसी घटनाएं पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के लोगों का विश्वास हासिल करने की जरूरत है। जो पालिटीकल प्रोसेस है वह

तो चलता रहेगा, लेकिन प्रायोरिटी है आतंकवाद के साथ मुकाबला करना। उसके लिए हमारी पूरी कोशिश है। सबसे बड़ी बात, जो कोशिश की जा रही है वह यह है अबोहर, फाजिल्का और बटाला में एक सैंक्शन आफ पापुलेशन को टारगेट बनाने की कोशिश की गयी। लेकिन पंजाब के लोगों को हम बधाई देते हैं, कम्युनल तनाव पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां भाईचारे का माहौल कायम है। हमारी सरकार की पूरी कोशिश होगी कि हालात सुधरने के बाद वहां चुनाव हों, राष्ट्रपति शासन जो 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है, हालात सुधरने के बाद वहां चुनाव हों।

जहां तक असम की बात है, पिछली सरकार ने एक समझौता किया था। जो कुछ भी शिकायतें थीं वह समझौते की शक्ल में आ गयीं। बहुत सी बातों पर अमल हुआ है। कुछ बातें रह गयी हैं—आइडेंटीफिकेशन आफ फारनर्स एण्ड डिपोर्टेशन आदि की। दूसरा, आसाम में इतने नेचुरल रिसोर्सिज हैं, लेकिन वहां के लोगों को उनका फायदा नहीं हो रहा है। 1966 से 1971 तक जितने भी लोग आसाम में आये हैं उनकी आइडेंटीफिकेशन का जहां तक सम्बन्ध है, मेरे पास पूरी लिस्ट है :

[अनुवाद]

जांच के लिए लिए गए मामलों की सं० 4,92,445 और ऐसे मामले जिनमें दोषसिद्धि हुई: 4,13,993

[हिन्दी]

इसके लिए पूरा इनफास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। मेरे ख्याल में 3 हजार के करीब वहां लोग हैं जिनकी आइडेंटीफिकेशन के लिए इन्तजाम किया है। जहां वह इंफिलटरेशन की बात करते हैं बंगला देश से लोग आ रहे हैं। मैं गुवाहाटी गया था वहां के मुख्य मन्त्री से बात हुई। जितने भी फंड्स की जरूरत है बोर्डर को फैंसिंग के लिए और वहां पर रोड्स बनाने के लिए हमने वह सैंक्शन किया, अब उनके ऊपर है कि वे कितना स्पीड अप करें। इसी तरह से आयल रिफायनरी का एग्रो किया है, सिल्चर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, कुछ विवाद था, लेकिन हमने कहा कि पूरे नार्थ-ईस्टर्न के लिए आई. आई. टी. मंजूर करने की सोच रहे हैं। जैसे कश्मीर की स्थिति एक साल पहले थी, एक संगठन है उल्फा जिसका एन. एस. सी. एन. के साथ कुछ सांठगांठ है और कुछ लोगों को बर्मा में सिग्नेशनिस्ट की ट्रेनिंग मिली है, करीब दो सौ लोगों को, उन्होंने जनरल एटमोशफियर काफी खराब कर दिया। असम में आन्दोलन कर रहे हैं, वहां की ला एंड आर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। बहुत सारे इलाकों में, जिलों में उनका ही राज चल रहा है, ऐसा लगता है। हमारी असम के मुख्य मन्त्री के साथ मीटिंग हुई, मैं गुवाहाटी में कौंसिल आफ मिनिस्टर्स से मिला, और कई लोगों से मिला। लोगों में एक भय का वातावरण व्याप्त है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ डील नहीं करता, लोग जमा हो जाते हैं और कहते हैं कि अरेस्ट करो।

[अनुवाद]

मैं कहता हूं कि हम असम की स्थिति पर काफी चिन्तित हैं। मैंने असम के मुख्य मन्त्री तथा गृह मन्त्री के साथ अनेक बैठकें की हैं। हमने प्रधान मन्त्री के साथ भी बैठक की। मेरा यह कहना है कि स्थिति खराब होती जा रही है और असम सरकार काम नहीं कर रही है। वहां लापरवाही है, हमें उनसे बात करनी है और उन्हें यह महसूस कराना है कि पूर्वोत्तर का केन्द्र बिन्दु होने के कारण हम असम में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें प्रशासन में फेरबदल करना है। हमें सुरक्षा बल बढ़ाना है, हमें स्थिति को राजनीतिक स्तर पर सुलझाना है।

[हिन्दी]

असम में हालात अच्छी नहीं है। इसके लिए जरूरी कदम उठाने के बारे में हम सोच रहे है।

कुछ और बातें कहीं गई जैसे झारखंड के बारे में।

[अनुवाद]

आज हम लोगों ने झारखंड क्षेत्र के लोगों विशेषकर जनजातियों के साथ बैठक की थी। उनका विचार है कि उनको सांस्कृतिक पहचान की खतरा है, जमीन के बारे में उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्हें विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा रहा है, वे राज्य की मांग कर रहे है। पिछली सरकार ने एक समिति गठित की थी। इसने हमें स्थिति के बारे में रिपोर्ट दी है। इसमें कुछ सुझाव है। हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा से पीछे नहीं हटेंगे। हम कुछ समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : कौन से ग्रुप चर्चा कर रहे है ?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : पहला, झारखंड मुक्ति मोर्चा। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : मैं सिर्फ एक प्रश्न करूंगा। क्या यह सही है कि अखिल झारखंड छात्र संघ को पिछली चर्चा में बुलाया गया था, जो कि मार्च में हुई थी वे यहा आए थे, तीन दिन ठहरे और उन्होंने प्रधानमन्त्री और आपके द्वारा बुलायी गयी बैठक में भाग लेने से इन्कार किया ? क्या यह ठीक है—मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उन्हें आज की चर्चा में नहीं बुलाया गया। क्या यह सही है कि उन्होंने आज की चर्चा में भाग नहीं लिया है। कृपया हमें बताइए कि किसने चर्चा में भाग लिया और किसने भाग नहीं लिया।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : उन्हें आमंत्रित किया गया है।

5.00 म० प०

[हिन्दी]

दिल्ली के बारे में कहना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि पहले भी यहां असेम्बली थी। इसकी बहुत देर से मांग चली आ रही है कि इसको स्टेटहुड मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

दिल्ली देश की राजधानी है। यह जरूरी है कि केन्द्र सरकार की सर्वोच्चता होनी चाहिए और यह सर्वोच्च है। हमारा यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल के विचाराधीन है। गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव भेजा है। यह एक विशेष राज्य होगा। संविधान में जो कुछ उल्लेख किया गया है, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली विशेष राज्य होगा और केन्द्र इसे आदेश देता रहेगा। हम चालू सत्र के दौरान इस विशेष राज्य संबंधी विधान लाएंगे।

5.01 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : यह कब हो जाएगा।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : इसी सैशन में हो जाएगा।

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह का क्या होगा ?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह केन्द्र द्वारा शासित राज्य हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या आप दिल्ली के साथ अण्डमान और निकोबार के संबंध में भी विधेयक ला रहे हैं।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : नहीं। सरकारिया आयोग विशेष राज्य की सिफारिश की है। इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति है। सरकारिया आयोग की एक मुख्य सिफारिश अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत अन्तर-राज्य परिषद बनाना है जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और जिसकी अधिसूचना जारी की जाएगी··· (**व्यवधान**)

बहुत से सदस्यों ने राज्यपाल की भूमिका के बारे में कहा है। एक माननीय सदस्य ने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी कहा है। मेरा विचार है श्री संतोष मोहन देव ने भी कुछ कहा था। मैं आपको इसका ब्यौरा दूंगा। 31-3-82 तक स्वतंत्रता सेनानियों के 4,46,000 प्राप्त हुए थे। 30 मार्च, 1990 तक 1,55,866 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई। किसी ने कहा था कि वर्तमान सरकार ने किसी मामले को स्वीकृत नहीं दी है। वर्तमान सरकार द्वारा 1-12-89 से 31-3-90 तक 2957 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके बाद, पिछली सरकार की लाइसेंस देने की नीति के बारे में कुछ कहा गया था। जिला मजिस्ट्रेट जिले में हथियारों के लाइसेंस जारी करने के लिए प्राधिकृत था तथा राज्य सरकारें समस्त राज्य अथवा एक से अधिक जिलों के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए प्राधिकृत थी। लेकिन, हमने इस नीति को उदार बना दिया है। अब जिलाधीश समस्त राज्य के लिए लाइसेंस दे सकता है। एक व्यक्ति जिसे गाजियाबाद से दिल्ली आना पड़ता है, उसे अपनी सुरक्षा के लिए अपनी बंदूक अथवा जो भी हथियार इस्तेमाल करना होता है। घुसपैठ रोकने के लिए भारत सरकार ने असम से काश्मीर तक सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों के संबंध में कुछ उपाय करने का राज्य सरकारों से अनुरोध किया है। इस योजना के लक्ष्य इस प्रकार हैं : सही निवासियों का पंजीकरण करना; वहां के निवासियों की गतिविधियों के बारे में विश्वसनीय सूचना एकत्र करना; और तीस दिन से अधिक दिनों तक ठहरने वाले आगन्तुकों की आवाजाई की जांच करना। इस समस्त योजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा धन दिया जाएगा जिसमें नब्बे प्रतिशत सहायता अनुदान तथा दस प्रतिशत ऋण के रूप में होगा। इस योजना को क्रियान्वित करने वाली राज्य सरकारों को स्वीकृत की गई धनराशियां इस प्रकार हैं :—

राजस्थान	—	89 लाख रु०
गुजरात	—	24 लाख रु०
पंजाब	—	35 लाख रु०
जम्मू तथा काश्मीर	—	15 लाख रु०

हमने अन्य राज्य सरकारों से जिनमें बंगाल तथा असम शामिल हैं और जिनकी सीमाएं

बांग्लादेश तथा पाकिस्तान से मिलती हैं, स्थानीय लोगों तथा गैर-स्थानीय लोगों का पता लगाने के लिए एक अन्य योजना तैयार करने का अनुरोध किया है।

इसके बाद, अलगाववाद का खतरा है। देश में विभाजक शक्तियां है। हमारी प्रणाली में कमियों की वजह से पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी आन्दोलन चल रहा है। सरकार ने इसका सामना किया है। अब आंध्र प्रदेश और बिहार के बहुत से इलाके नक्सलवाद के खतरे से प्रभावित हैं। लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए उदार, मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है। इस राज्य के मुख्य मंत्री ने विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम वापस ले लिया है। इस तरह के धूर्त लोग, मैं नहीं जानता कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन लोगों की देखभाल कर रहा हैं जो यह कार्य कर रहे हैं और उन लोगों को छोड़ने के लिए राजी हो गया है जिन पर मुकदमा चल रहा है और मुख्य मंत्री ने उनसे अनुरोध किया है कि उन्हें सरकार से बातचीत करनी चाहिए। इस तरह से वह अपने तरीके से इस समस्या को हल कर रहे है।

श्री रूपचन्द पाल ने पश्चिम बंगाल में 'आबादकार' कालोनियों के विकास के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। यह विवरण है कि वहां कितनी कालोनियां हैं और कितना धन दिया गया है। दण्डकारण्य में विस्थापित उन्हीं लोगों के बारे में पूरा ब्यौरा दिया गया है। यदि मैं विस्तार से बताऊंगा तो मेरा बहुत सा समय इसी में चला जाएगा। लेकिन इसका ब्यौरा यहां दिया गया है और यह स्थिति इस प्रकार . । ऐसे विस्थापित व्यक्तियों के 25,231 परिवारों को दण्डकारण्य क्षेत्र में आबाद किया गया है। इनके लिए 25,713 मकान बनाए गए हैं, 2,308 कि०मी० सड़क बनायी गई है, 393 प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोले गए हैं, छह हस्पतालों तथा छह प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की व्यवस्था की गई है और अन्य उपाय किए गए हैं।

अन्त में, मैं काश्मीर पर आता हूं। मैं यह अवश्य कहूंगा कि काश्मीर की स्थिति में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ है। मैं यह कहूंगा कि जम्मू तथा काश्मीर के राज्यपाल को ऐसी स्थिति में काम करना पड़ा जब वहां प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं थी। ऐसे समय में उन्होंने काम सम्भाला जब लोग अलग-थलग हो गए थे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने···· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम इसे नहीं मान सकते।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मेरे जो विचार हैं मैं उसे अवश्य व्यक्त करूंगा। मैं आपसे सहमत नहीं हूं मैं वही कहूंगा जो मैंने देखा···(व्यवधान)

[हिन्दी]

मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां के हालात, जम्मू कश्मीर के हालात जितने तशवीशनाक थे, जिन हालात में उन्हें वहां जाना पड़ा जब कि वहां एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच कोई साथ नहीं था, उसने वहां एक एडोपिस खड़ा करके उस आतंकवाद का मुकाबला किया। मैं नहीं मानता कि जम्मू-कश्मीर में, वे लोग जो मुल्क के हित में, हिन्दुस्तान के हित में हैं, जिनका आउटलुक नैशनलिस्ट है, वे खत्म हुए हैं। मेरी राय में वे खत्म नहीं हुए हैं, वे गांव में बैठे हैं, वे शहर में बैठे हैं।

[अनुवाद]

यह उग्रवादियों का हुक्म चल रहा था।

[हिन्दी]

उसको मारिए। यह काम एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। जो बाहर से आने वाले थे, उनको पकड़ लिया है, उनके सामान को पकड़ लिया है। पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया है। एक दिन ऐसा नहीं जाता जब पाकिस्तान की सरहद पर लोग और सामान न पकड़ा जाता हो।

[अनुवाद]

143 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया, एक राकेट लांचर, 29 ए०के०-47 राइफलें, 33 पिस्तौलें, 22 कि० ग्राम० विस्फोटक, 3439 हथगोले, 4 राकेट बरामद किए गए।

[हिन्दी]

आप देख लीजिए, मैं कोई गलत बात नहीं कहूंगा। जहां कोई इंटैलिजेंस का सोर्स नहीं रहा था, वहां उन्होंने काम किया।

[अनुवाद]

मैं यह कहूंगा कि कश्मीर घाटी में प्रशासन की सत्ता पुनः कायम हो गई है। मैं यह बात बहुत विश्वास से कह सकता हूं।

[हिन्दी]

लेकिन यह कोई अल्टीमेट चीज नहीं है। लोगों को मना नहीं सकते हैं। ये मेरी फीलिंग्स हैं। मेरे भाई लोग यहां 370 आर्टीकल की बात करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आर्टीकल 370 आसाम में नहीं है, पंजाब में कोई आर्टीकल 370 नहीं है, तेलंगाना में कोई आर्टीकल 370 नहीं है। वहां क्यों लोगों का एलीनेशन है ?

[अनुवाद]

वहां अनुच्छेद 370 नहीं है।

[हिन्दी]

कश्मीर में जो हुआ है, उसके लिए सब लोग जिम्मेदार हैं। आप भी जिम्मेदार हैं वे कहते हैं कि हम डैमोक्रेटिक इण्डिया में रहते हैं।

[अनुवाद]

शेष देश देश के साथ एकता में अनुच्छेद 370 काफी आड़े नहीं आया।

[हिन्दी]

इसलिए अल्टीमेटली क्या है कश्मीर में, कश्मीर के लोगों का विश्वास हासिल करना है।

[अनुवाद]

लोकतांत्रिक भारत में रहते हैं। लेकिन हमें अपनी सरकार चुनने की आजादी से वंचित कर दिया गया था। उसके लिए मैं भी जिम्मेदार था।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) पं० नेहरू ने क्या चाहा था ?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : खुराना साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि सोवियत यूनियन में जहां लेनिन ने एक निजाम शुरू किया, तो उसमें यही था कि जिस-जिस की जमीन है, वह उसको मिले, जो काम करना चाहे, उसको काम मिले, लेकिन आज वहां भी फिनॉमिना देख लीजिए। लोग अपनी आइडेंटिटी कैसे चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा है, इस देश को इकट्ठा रखना है, सब लोगों को साथ लेकर चलना है।

श्री मदन लाल खुराना पंजाब को भी टैकल करिए ?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : यह सरकार कोई कमजोर सरकार नहीं है। पंजाब को भी हम टैकल करेंगे। आप लोग जो इधर थे, कांग्रेस के 413 सदस्य, आज वहां कांग्रेस कैसे चली गई, यह कैसे हो गया, कोई सोच सकता था ? लेकिन हुआ।

[अनुवाद]

श्री वी० पी० सिंह तथा जनता दल सरकार तब तक सत्ता में रहेगी। जब तक उसे भारत की जनता की सेवा करने का नैतिक अधिकार प्राप्त है।

[हिन्दी]

हम आपकी मरसी पर, किसी की मरसी पर यहां नहीं हैं, यह मेरा यकीन है।

[अनुवाद]

हम भारत की जनता के जनादेश से सत्ता में आए हैं।

[हिन्दी]

आपका यह जो मोटापन हो गया था विपक्ष में बैठकर, गोट रूट, अपने वेल्यूज को कर्द कांग्रेस की क्या थी, गांधी किसके लिए था, नेहरू क्या था, मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या था, अपने रूटस की तरफ क्या किया, वहां देख लीजिए क्या है आज ? आप जरा समझ लीजिए, अभी वक्त लगेगा, इन्तजार करना पड़ेगा। मेरा कहना है कि कश्मीर के हालात।

[अनुवाद]

पहली वरीयता वहां प्रशासन की सत्ता फिर से कायम करना है। यदि सभी राष्ट्रवादी ताकतें, नेशनल कांफ्रेंस, कांग्रेस तथा अन्य सभी ताकतें कन्धे से कन्धा मिलाकर चलें और वहां सामान्य स्थिति पैदा करने का प्रयास करें तो मुझे विश्वास है कि कश्मीर के लोग फिर से मुख्य धारा में आ जाएंगे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं।

[हिन्दी]

वह फिर आ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मैं सदस्यों का मकशूर हूं जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया, अपने अच्छे सुझाव दिए, अपने खयालात का इजहार किया। जितने भी कट मोशन्ज आए हैं, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हरेक को मेरा जवाब मिलेगा, हर बात का पूरा नोटिस किया जाएगा। जहां तक अनकन्ट्रा का ताल्लुक है, मैं बोल रहा हूं कि इस के बहस यहां खत्म हुई कि जो डेवलपमेंट काउंसिल है उसकी मीटिंग बुलाकर उसका जायजा लिया जाएगा। आलरेडी मेम्बर को भी हम साथ लेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मैंने चर्चा में भाग नहीं लिया। मेरा इस चर्चा में भाग लेने का विचार नहीं है। परन्तु मैं मात्र एक-दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना : इस सवाल पर हमको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि उन्होंने अपना भाषण समाप्त नहीं किया है। मन्त्री महोदय, क्या आपने अपना भाषण समाप्त कर दिया है।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : जी हां, मैंने अपना भाषण समाप्त कर दिया है। (**व्यवधान**)

5.17 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1990-91

गृह मंत्रालय—जारी

[हिन्दी]

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस में यह तय हुआ था कि मुफ्ती साहब के भाषण के बाद इनडीपेन्डेंट मेम्बर को भी बोलने का मौका देंगे। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए। पहले आप बैठ जाइए।

अच्छा, हम इस सभा में भली-भांति यह महसूस कर सकते हैं कि गृह मन्त्रालय के कार्यकलाप इतने अधिक विस्तृत हैं और ये देश की जनता के जीवन में इतनी अधिक चीजों से जुड़े हैं कि हमारे लिए भी गृह मन्त्रालय के कार्यकलापों से संबंधित सभी पहलुओं पर चर्चा करना मुश्किल होगा, भले ही हम इन पर 10-12 घण्टे अथवा 15 घंटे तक चर्चा करें। इसलिए, कुछ सदस्य यह अनुभव कर सकते हैं कि वे जो कुछ कहना चाहते हैं उसके लिए उन्हें कोई अवसर नहीं मिला है। हम उनके हृदय की बेचैनी और आकांक्षा को महसूस करते हैं। परन्तु इसके साथ ही यदि सदस्यों के एक या दो प्रश्नों का उत्तर दिया जाना हो तो यह प्रथा है कि हम उसकी अनुमति दे देते हैं। मैं केवल दो या तीन प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा, प्रत्येक दल से एक।

एक माननीय सदस्य : केवल निर्दलीय सदस्यों को अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : और मैं निर्दलीय सदस्यों को भी प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष पीठ पहले ही वचनबद्ध हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं भी सभा की चर्चा का अनुपालन कर रहा था। पहले मैं निर्दलीय सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दूंगा और तत्पश्चात् विभिन्न दलों के एक या दो अन्य सदस्यों को, एक दल के दो सदस्यों को नहीं, परन्तु एक दल के एक सदस्य को बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया हमारी कठिनाई को समझें तथा कृपया हमारे साथ सहयोग करें।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चिदम्बरम, मैं आपका नाम पुकारूंगा। मैं पहले निर्दलीय सदस्य श्री कंकर मुंजारे से, यदि उन्हें कोई बात पूछनी है तो पूछने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कंकर मुंजारे (बालाघाट): उपाध्यक्ष महोदय, यह भारत के अन्दर जो आप्ता फौजदारी 107, 116, और 109 गुण्डा दफा लगाई जाती हैं, इसके तहत गरीब किसान और मजदूर नजरबन्द कर दिए जाते हैं। नजरबन्दी के जो कानून ऐसे हैं उनको क्या समाप्त करने के बारे में सरकार विचार कर रही है ? क्या दफा 151 को एबॉलिश करने पर भी सरकार विचार कर रही है ?

सरकार बदलती रहती है, लेकिन इस व्यवस्था में बदलाव नहीं आ रहा है। पिछले दिनों मद्रास में कांग्रेस के एक एम० पी० पर जो अत्याचार जेल में हुआ था, उस सवाल को यहां बहुत जोरों से उठाया गया था। हम लोग तो समाजवादी हैं और हमारी चमड़ी भी पतली है। अगर उस पर जरा सी भी आंच आती है तो हमें बहुत दर्द होता है लेकिन पहली बार हमारे मित्रों की चमड़ी पतली हुई और उससे उनको बहुत तकलीफ हुई। इस प्रकार का जो अत्याचार होता है, उस पर रोक लगनी चाहिए। मैं गृह मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि मनमाने तौर पर जिन लोगों के साथ ज्यादती होती है, क्या उसको दूर करने का उनका साफ मन है ?

दूसरी बात यह है कि पंजाब के मसले पर अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने सवाल किया था कि पंजाब में जो हालत है क्या आप उसे सुधारना चाहते हैं ? सभी माननीय सदस्यों को इस बारे में चिन्ता है और सभी यह कहते हैं कि वहां स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है। मैं जानता हूं कि यह समस्या इस सरकार द्वारा इजात नहीं की गई है। जिन्होंने इसे इजात किया है उससे सब वाकिफ हैं अगर हम इस मामले में चुप बैठे रहेंगे तो इससे काम चलने वाला नहीं है। इस दिशा में कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। पंजाब में जो बिजली और पानी की समस्या है उसको भी आप दूर करें। इसके अलावा वहां के पढ़े-लिखे नौजवान लोगों को काम नहीं मिल रहा है। खेत भी सीमित हो गए हैं जिसके कारण वहां उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। काम न मिलने के कारण वे युवक आतंकवादी गतिकिधियों में शामिल हो गए हैं। इस पर काबू पाने के लिए क्या सरकार कोई योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम बनाने जा रही है ? अतिन्दर पाल जी जिनको जनता ने चुनकर संसद में भेजा है उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

कश्मीर में बहुत ज्यादा बढ़-चढ़कर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं और विघटनकारी तत्व सक्रिय हो रहे हैं। जार्ज फर्नाण्डीज जी ने भी कहा है कि करीब 400 लोगों को प्रशिक्षण देने का काम वहां चल रहा है। यह बहुत गंभीर बात है। इसके चलते वहां जन-जीवन खराब हालत में है। मैं माननीय गृह मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसके पहले जैसे कि मेरे बोलने पर पाबंदी लगा दी थी···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अब बोलने का समय दिया गया है।

श्री कंकर मुंजारे : में आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कश्मीर के अन्दर तीन महीने पहले जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे, धरने की बातें हो रही थीं तो ऐसे में उनको बोलने नहीं दिया जाता था और उन पर लाठियां चलाई जा रही थीं, इसके कारण स्थिति इतनी बिगड़ गई कि लोगों ने बन्दूक का सहारा लिया। आज टैरारिस्ट्स बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। गृह मंत्री जी की बेटी हो या फुटपाथ पर रहने वाले मजदूर की बेटी हो दोनों के साथ समानता

का व्यवहार होना चाहिए। गृह मंत्री जी की बेटी को बचाने के लिए पांच आतंकवादियों को छोड़ दिया गया। अगर किसी की भी बेटी की जान जाती है तो सभी को उससे दुख पहुंचता है। सब की जान कीमती है, लेकिन दोनों के साथ बर्ताव एक सा होना चाहिए। देश की एकता और अखंडता के लिए अगर किसी को जान भी देनी पड़े तो ऐसे में हिम्मत का परिचय देना चाहिए। एक को बचाने के लिए पांच खूंखार लोगों को छोड़ दिया जाए और खेड़ा की मृत्यु हो जाए और वाईस-चांसलर की मृत्यु हो जाए तो यह बात बिल्कुल चलने वाली नहीं है और आपके ऊपर से देश का विश्वास उठेगा मैं चाहता हूं कि देश और जनता का विश्वास आप में बढ़े, इस तरह का परिचय आपको देना चाहिए।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : हम कब तक बैठेंगे, क्या यह हाउस देर रात तक चलेगा ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस तरह की टिप्पणियां न करें। हमें सभा की भावना को ध्यान में रखकर सभा की स्थिति को संभालना है। सदस्यों के लिए यह बुद्धिमतापूर्ण बात होगी कि वे इस तरह की टिप्पणियां न करें।

श्री पी० चिदम्बरम।

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : श्रीमान के इस वक्तव्य पर कि युद्ध की स्थिति में वह पंजाब के इस समुदाय को इस देश का समर्थन न करने के लिए आह्वान करेंगे, और हाल में दिए गए उनके वक्तव्य पर गृह मन्त्री महोदय की क्या टिप्पणी है।

दूसरा प्रश्न यह है, क्या गृह मन्त्री महोदय ने कश्मीर के बारे में पहल सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट, पी० यू० सी० एल० की रिपोर्ट और 'टाइम' पत्रिका के 16 अप्रैल के नवीनतम अंक में प्रकाशित रिपोर्ट देखी है। सभी रिपोर्टों में यह बात कही गई है कि 5000 मुसलमान पाक-अधिकृत कश्मीर में चले गए हैं और कश्मीर में अर्द्ध-सैनिक बलों द्वारा काफी मात्रा में पाशविक व्यवहार किया जा रहा है तथा दमन चक्र चलाया जा रहा है।

तमिलनाडु में तमिलनाडु सरकार की सक्रिय सहायता से है लिब्रेशन टाइगर्स के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं। भारत से समुद्र पार जाने वाले तमिल मछुआरों को लिट्टे द्वारा पकड़ लिया जाता है जबकि लिट्टे के आदमियों की तमिलनाडु की सीमा तक आसानी से पहुंच है। उनके लिए वीसा की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर प्रवेश सम्बन्धी कोई विनियमन लागू नहीं है। आपके आप्रवासन प्राधिकारियों का उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। लिट्टे के लोग जब चाहते हैं आ जाते हैं और चले जाते हैं। उनके पास अस्त्र-शस्त्रों तथा युद्ध सामग्री के भंडार हैं। उस बारे में आपकी क्या स्थिति है ? क्या आप सशस्त्र विदेशियों को तमिलनाडु में शिविर स्थापित करने की अनुमति देंगे ?

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्री जी से केवल यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री जी ने इस हाउस में और हाउस के बाहर दिल्ली को पूरे राज्य का दर्जा देने का वायदा किया। गृह मन्त्री जो जनता दल की मीटिंग में गए थे, वहां उन्होंने इस बात का वायदा किया, आपके मैनीफेस्टो में आपने पूरे राज्य का दर्जा देने का वायदा किया। केवल सरकारिया

कमीशन ने बीच में एक स्पेशल स्टेट बनाने का यूनियन टैरीटरी और पूरे राज्य के दर्जे के बीच में उसकी रिकमेण्डेशन की थी, जिसको सब रिजेक्ट कर चुके हैं, क्या वह अपने वायदे से वापस जा रहे हैं, स्पेशल स्टेट की बात करके या वह पूरे राज्य का दर्जा देने की बात करेंगे ?

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से इतना ही जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अन्दर जितने मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारे हैं उनको बहाल रखने के लिए क्या आप कोई कानून बनाने जा रहे हैं जिससे किसी मन्दिर पर कोई दूसरे सम्प्रदाय वाला हमला न कर सके, उसे न गिरा सके और दूसरे सम्प्रदाय वाला मस्जिद न गिरा सके, चाहे मथुरा का मन्दिर हो या बनारस का मन्दिर हो या अयोध्या का मन्दिर हो, इसके बारे में आप कोई कानून बनाने जा रहे हैं क्या ? (**व्यवधान**)

एक सवाल यह कि मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को बहाल रखने के लिए, उसकी स्थिति बहाल रखने के लिए कोई कानून बनाने जा रहे हैं और दूसरा कि देश में मंडल आयोग को लागू कर रहे हैं कि नहीं ?

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं, इन्होंने अपने भाषण में कहा कि जो दीवार पर सांप्रदायिक नारे लगे हुए हैं उस पर पाबंदी लगायेंगे तो क्या धर्मस्थान, जो मन्दिर और मस्जिद हैं, जिन पर ध्वनि यंत्र के माध्यम से आवाज दी जाती है, क्या उस पर भी आप पाबंदी लगाने जा रहे हैं ? (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं आपको मेरा सहयोग करना चाहिए ।

(**व्यवधान**)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : जब आप छोटे-छोटे ग्रुपों को अनुमति दे देते हैं तो आपको हमारे दल की संख्या को देखते हुए हमारे दल से एक से ज्यादा सदस्यों को बोलने की अनुमति देनी चाहिए । कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दे दीजिए । (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें गृह मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं । पहली—उन्होंने पंजाब के बारे में पोजीशन क्लीयर नहीं की है । अगर पंजाब के हालात ठीक नहीं हुए तो क्या राष्ट्रपति शासन का समय आगे बढेगा या नहीं बढ़ेगा ? इन्होंने कहा है, हो सकता है चुनाव करा दें । हालात ठीक नहीं हुए और चुनाव हो गए तो हालात और भी बदतर हो जायेंगे । इस पोजीशन को वे क्लीयर करें ।

दूसरी बात, इलेक्शन एनाउन्समेंट होने के बाद हरियाणा में सोलह आफिसरों को ट्रांसफर किया गया एक ही जिला सिरसा से ।

[**अनुवाद**]

उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ अभियन्ता (सिंचाई), वरिष्ठ अभियन्ता (बिजली), जिला राजस्व अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला विकास पंचायत अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी,

जिला विकास अधिकारी और तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि ।

[हिन्दी]

सोलह आफिसर ट्रांसफर किए···(व्यवधान)···इन दिनों में जहां से हरियाणा के सी० एम० को चुनाव लड़ना है । इलेक्शन कमीशन की पाबन्दी के बावजूद सोलह आफिसर अपनी मर्जी के लगा दें, इसको गृह मन्त्री क्लीयर करें । आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, भारत सरकार की तरफ से एक लैटर गया है, जिसमें सारे मुल्क के लोगों को परेशान किया है । जिनके पास आल इण्डिया के लाइसेंस हैं, रिवाल्वर या बन्दूक के उनको दोबारा रिन्यू ही करते हैं । सिर्फ जिले का मान लीजिए इलाहाबाद से दिल्ली के लिए चलता है, तो बीच में कितने डिस्ट्रिक्स पड़ते हैं···(व्यवधान)···मेहरबानी करके जिनके पास रिवाल्वर के आल इन्डिया के लाइसेंस हैं, उनका रिन्यूअल आल इन्डिया का होना चाहिए । यदि डिस्ट्रिक्स के होंगे तो उनको वह कहां रखेगा । इस बारे में आप अपनी बात क्लीयर करें ?···(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : आप हमारे साथ को-आपरेट कीजिए । इसका कोई अन्त नहीं है । आप बैठ जाइए, मैं खड़ा हूं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको पहले ही बोलने के लिए समय, इसके बावजूद अगर आपके पास कुछ है तो आप लिख कर दे दीजिए । हम रिक्वैस्ट करेंगे, प्रैक्टिस भी है रिप्लाई देने की ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको तो बिल्कुल नहीं, आप तो पहले ही बोल चुके हैं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि दांडिक प्रक्रिया में संशोधन होना चाहिए । मेरे विचार में ये सभी धाराएं आवश्यक हैं । उनकी अपनी उपयोगिता है । इनमें संशोधन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्रीमान के इस वक्तव्य के बारे में कि वहां एक जनमत संग्रह होना चाहिए और यह जनमत संग्रह संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में होना चाहिए, यह वक्तव्य काफी खेदजनक है और हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते आ रहे है कि जब कभी भी बातचीत होगी तो वह संवैधानिक ढांचे के भीतर होगी ।

आप कहते है कि मानवीय अधिकारों के बारे में 'टाइम' पत्रिका में एक रिपोर्ट छपी है कि वहां पाक अधिकृत कश्मीर में कुछ शरणार्थी शिविर बने हैं । मुझे यह कहना चाहिए कि शरणार्थी शिविर कश्मीरी उग्रवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक ढाल के रूप में लगाए गए हैं । वह तो एक ढाल है । वे कहते हैं कि वहां शरणार्थी रहते हैं । किसी भी कश्मीरी का कश्मीर छोड़कर पाकिस्तान जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

तत्पश्चात आपने लिट्टे संगठन के कुछ लोगों के बिना किसी अधिकार के भारत में प्रवेश करने के बारे में कहा । मैं मामले की जांच करूंगा और अनुदेश जारी करूंगा ।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने दिल्ली को राज्य का दर्जा दिये जाने के बारे में कहा। हमने कहा था कि जनता दल नेतृत्व ने वायदा किया है। परन्तु मैंने इस मामले में श्री लालकृष्ण आडवाणी और श्री अटल बिहारी बाजपेयी, भारतीय कम्युनिष्ट दल तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दल के साथ चर्चा की थी कि दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते इसमें कोई टकराव नहीं होना चाहिए। यह एक पूर्ण राज्य होगा। यह एक विशेष प्रकार का राज्य होगा जहां कुछ शक्तियां हमें केन्द्र सरकार को देनी होंगी। इसके लिए संविधान में संशोधन करना है।

पंजाब में चुनाव कराने के बारे में मैं शुरू से ही आशावादी हूं। परन्तु मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि पंजाब के हालात सुधरेंगे। हम वहां जल्दी ही चुनाव कराएंगे। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव : क्या आप धार्मिक स्थानों को उनका पूर्व स्थान दिलाने के लिए भी कानून बनाएंगे ?

श्री भजन लाल : मेहम में जो ट्रांसफर हुए हैं, उनके बारे में तो कुछ कहा नहीं। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह चर्चा समाप्त होती है। भजन लाल जी, आपने अपनी बात कह दी है। यह काफी है।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखूंगा···

(**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। सिरसा से 16 वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया गया है। मैं इसका उत्तर चाहता हूं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस तरह बाध्य नहीं कर सकते हैं। आप मंत्री रह चुके हैं और आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चिदम्बरम आप जानते हैं कि मन्त्री को आवाज देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री पी० चिदम्बरम : कृपया उनसे जवाब देने के लिए कहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी नहीं। कृपया आप इसे बाद में उन्हें दे दें। आप यह उन्हें दे सकते हैं।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : भजन लाल जी, आपने अपना प्वाइन्ट कह दिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं गृह मन्त्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों के लिए रखे गये सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखूंगा, जब तक कि कोई माननीय सदस्य यह इच्छा व्यक्त नहीं करता कि उसके कटौती प्रस्ताव पर अलग से मतदान कराया जाया।

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : महोदय, मैं चाहता हूं कि मेरे कटौती प्रस्ताव पर अलग से मतदान कराया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री हरीश रावत द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव संख्या 78 से 82 तक, 87 और 88, 129 और 130, 214 से 216 तक सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव संख्या 78 से 82, 87, 88, 129, 130 और 214 से 216 सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कोई अन्य माननीय सदस्य अपना कटौती प्रस्ताव अलग से रखना चाहते हैं?...मैं समझता हूं कि कोई माननीय सदस्य अपना कटौती प्रस्ताव अलग से नहीं रखना चाहते हैं। अब मैं रखे गए सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 45 से 59, 65 से 77, 83 से 86, 126, 127, 131, 132, 162, 163, 169 और 207 सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं गृह मन्त्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में गृह मन्त्रालय से संबंधित मांग संख्या 42 से 46 और 90 से 95 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तंभ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1990-91 के लिए गृह मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग सं०	मांग का नाम	28 मार्च, 1990 को लोक सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
गृह मन्त्रालय					
42.	गृह मन्त्रालय	77,16,00,000	4,25,00,000	231,78,00,000	12,75,00,000
43.	मन्त्रिमण्डल	3,35,00,000	—	10,07,00,000	—
44.	पुलिस	349,78,00,000	39,68,00,000	1049,33,00,000	119,03,00,000
45.	गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय	83,61,00,000	30,47,00,000	250,83,00,000	91,39,00,000
46.	संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	22,07,00,000	9,63,00,000	66,22,00,000	28,93,00,000
गृह मन्त्रालय (बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र)					
90.	दिल्ली	255,63,00,000	171,51,00,000	766,90,00,000	514,55,00,000
91.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	36,06,00,000	24,93,00,000	108,19,00,000	74,80,00,000
92.	दादरा और नागर हवेली	7,71,00,000	2,11,00,000	23,15,00,000	6,31,00,000
93.	लक्षद्वीप	9,41,00,000	3,12,00,000	28,25,00,000	9,34,00,000
94.	चंडीगढ़	41,25,00,000	11,07,00,000	123,75,00,000	33,22,00,000
95.	दमन और दीव	4,73,00,000	2,22,00,000	14,19,00,000	6,66,00,000

उपाध्यक्ष महोदय : गृह मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें स्वीकृत होती हैं।

5.40 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर अत्याचार

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सभा नियम 193 के अधीन चर्चा करेगी। श्री विजय कुमार मल्होत्रा बोलेंगे।

(व्यवधान)

प्रो० पी०जे० कुरियन (मवेनीकारा) : उनके बोलने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि अनेक सदस्यों ने इस चर्चा में बोलने के लिए सूचना दी है। और श्री हरीश रावत ने सबसे पहले सूचना दी थी। परन्तु अध्यक्ष के निदेश के अनुसार चूंकि एक सदस्य दो से अधिक चर्चाओं की शुरूआत नहीं कर सकता यह विषय उनके नाम में नहीं आया है। मैं सिर्फ सीधे रिकार्ड ही दिखाना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव वरीयता सहित उनके नाम में था। इसलिए, मैं सिर्फ यह सुझाव दूंगा कि पीठ को उस नियम में संशोधन करने पर विचार करना चाहिए, ताकि बजट सत्र में कोई भी सदस्य दो से अधिक चर्चाएं शुरू कर सके, मेरा यही सुझाव है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं। श्री मल्होत्रा बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : हम सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे कि हमारी पार्टी ने इस पर डिस्कशन मांगा नोटिस दिए यही हमारा कहना है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप भाषण दें, आप उसमें इस मुद्दे को उठा सकते हैं। वह अधिक उचित होगा।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहस को प्रारम्भ करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

स्वतन्त्रता के 42 वर्ष के पश्चात भारत की संसद को अनुसूचित जाति और जनजातियों पर अत्याचारों के बारे में बहस करनी पड़ रही है, यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है और इससे सारे देश का सिर शर्म से झुक जाता है। हजारों वर्षों से अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से अत्याचार होते रहे हैं। उनको शोषित, पीड़ित, व्यथित, दलित बनाकर रखा गया है। इन अत्याचारों को सहन करते-करते ये इतने दुर्बल हो गए कि अत्याचार करने वाली कुछ जातियों ने अत्याचार करना अपना अधिकार समझ लिया। स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गांधी, डा० अम्बेडकर, महात्मा फुले ने इन लोगों में चेतना जगाई। जब हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हुआ तो स्वतन्त्रता के पश्चात इन जातियों को न्याय दिलाने के लिए मांग की गई और उसके फलस्वरूप हमारे संविधान की धारा 17, 23, 25, 46, 16-4, 320-4, 335 के अन्तर्गत उनको वांछित अधिकार दिए गए। इन लोगों में चेतना पैदा हुई और इन्होंने अपने अधिकार मांगें, इसके परिणामस्वरूप जो

जातियां अत्याचार करती थीं, उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया, और हिंसक अत्याचार प्रारम्भ कर दिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह दुःख की बात है कि आजादी के 43 वर्ष के पश्चात बजाए इसके कि अत्याचार कम होते, अत्याचार बढ़े हैं और घटनाओं की संख्या भी बढ़ रही है। मैं इस समय उनका जिक्र करते हुए यह कहना चाहता हूं कि यह अन्याय और अत्याचार तीन तरह का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक अत्याचारों में ऊंच-नीच का भेदभाव, कुएं से पानी न भरने देना, चौपाल में न आने देना, पृथक वर्तनों में रेस्टारेंट आदि में चाय वगैरह देना, शादी-ब्याह में घोड़ी पर न चढ़ने देना, बाजा न बजाने देना, मन्दिरों में प्रवेश न करने देना, स्कूलों में प्रवेश न करने देना, महिलाओं से बलात्कार करना, ये सब सामाजिक अत्याचारों में आते है।

आर्थिक अत्याचारों में उनकी जमीनों से बेदखल करना, जमीनें छीनना, बधुआ मजदूर बनाकर रखना, न्यूनतम मजदूरी न देना, बेगार करवाना, ये सब चीजें आती है। राजनीतिक अत्याचारों में उनको वोट न डालने देना, वोट का अधिकार न देना आदि मामले आते हैं। बहुत से अनुसूचित जाति, जनजाति के भाई ऐसे है जिन्होंने 42 साल के अन्दर कभी वोट डालकर नही देखा। इस प्रकार की जो स्थिति है, उसका मूल मैं समझता हूं यह है कि ऊंच नीच का भेद भाव, सामाजिक अन्याय और आर्थिक अन्याय जिन कारणों से शुरू हुए थे, उसके मूल में वर्ण व्यवस्था आती है। जन्मतः वर्ण व्यवस्था इन सारी बातों की पृष्ठभूमि में है। मैं समझता हूं कि हिन्दू समाज को इस समय असंदिग्ध शब्दों में इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि जन्मतः वर्ण व्यवस्था का हमारे यहां कोई स्थान नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, वेदों में वर्ण व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण ने इस बात का उल्लेख किया है कि वर्ण व्यवस्था केवल कर्मणा हो सकती है, जन्मना इसका कोई स्थान नहीं है। बहुत से ग्रन्थों में कुछ प्रक्षिप्त बातें डाल दी गई है। वे प्रक्षिप्त अंश बाद में उनमें जोड़े गए। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि हम इस प्रकार की प्रक्षिप्त बात को नहीं मानते, हम ऐसे ग्रन्थ को नहीं मानते जिसमें जन्म के आधार पर ऊंच-नीच की बात की गयी हो। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम ऐसे मन्दिर, जिसमें किसी एक वर्ग को प्रवेश न करने दिया जाए, मन्दिर नहीं मानते। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि कोई शंकराचार्य अगर इस बात को कहता है कि ऊंच-नीच जन्म से होती है तो हम ऐसे शंकराचार्य को मानने को तैयार नहीं। वह शंकराचार्य हमारे यहां पर मान्य नहीं हो सकता है।

मुझे खुशी है कि विश्व हिन्दू परिषद, आर्य समाज और अनेक सनातन धर्म संस्थाओं ने जन्म के आधार पर ऊंच-नीच की बात को नकार दिया है और इसकी स्पष्ट तौर पर घोषणा की है। अध्यक्ष महोदय, 1981 की जनसंख्या के अनुसार भारत में 10.6 करोड़ शैडयूल्ड कास्ट्स के लोग है, ये 15.47 प्रतिशत होते हैं। 5.38 करोड़ शैडयूल्ड ट्राईब्स के लोग है। कुल मिलाकर इनकी आबादी 16 करोड़ बनाती है। इनकी संख्या लगभग 23 प्रतिशत से ऊपर है। परन्तु यदि आप लिटरेसी लेवल को देखें तो सारे हिन्दुस्तान में 41.3 प्रतिशत पढ़े-लिखे लोग है तो शैडयूल्ड-कास्ट्स में केवल 21.38 प्रतिशत हैं और ट्राईब्स में यह संख्या और भी कम है अर्थात 16.3 प्रतिशत रह जाती है। महिलाओं के बारे में स्थिति और भी खराब है। केवल 10 प्रतिशत शैडयूल्ड कास्ट्स की महिलाएं प्रशिक्षित हैं, जो थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त करती है। शैडयूल्ड कास्ट्स के लोग प्राईमरी एजूकेशन के बाद जो ड्राप-आउट होते हैं उनकी सं० 67 प्रतिशत है। हायर-सैकेंडरी में 85 प्रतिशत जनजातियां

में तो हायर-सैकेण्डरी तक पहुंचते-पहुंचते 91.65 प्रतिशत लोग स्कूलों से बाहर चले जाते हैं। एक राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार बंधुआ मजदूरों का 66 प्रतिशत अनुसूचित जातियों में से है।

जो अत्याचार इन पर हो रहे हैं उनकी संख्या आप देखेंगे तो 1981 से 1986 के बीच जो रिपोर्टिड एट्रोसिटीज थी उनकी संख्या 91 हजार 97 थी। इतने लोग पांच सालों में अत्याचारों का शिकार हुए। इसमें 3 हजार 200 हत्याएं थीं, 4 हजार के करीब बलात्कार के केस थे। 198 -89 में, एक साल पहले की बात है, 15 हजार शैडयूल्ड कास्ट्स के खिलाफ और 3 हजार शैडयूल्ड ट्राईब्स के खिलाफ एट्रोसिटीज के केस रजिस्टर्ड हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दुःख इस बात का तो है ही कि इन पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, परन्तु अधिक दुःख इस बात का है कि अधिकांश अपराधी छूट जाते हैं। आप देखिए एक्वीटल कितने हो रहे हैं। 1980 में 70 प्रतिशत केस में एक्वीटल हो गया 1981 में 82.5 प्रतिशत केसों में अपराधी छूट गए। 1982 में 89.14 प्रतिशत, लगभग 90 प्रतिशत एक्वीटल हुए, 1983 में 87.59 प्रतिशत एक्वीटल हुए। पहले तो केस रजिस्टर्ड नहीं होते, हरिजनों पर जब अत्याचार होते हैं तो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अपना केस रजिस्टर्ड करना मुश्किल होता है। वे इतने अत्याचार से दबे होते हैं कि मामला दर्ज कराने का साहस ही नहीं करते। अगर साहस करते भी हैं और केस रजिस्टर्ड हो जाए तो 90 प्रतिशत एक्वीटल हो जाते हैं। इसलिए एक्वीटल हो जाते हैं क्योंकि वहां पर गवाही देने वाला नहीं मिलता, केस लड़ने वाला नहीं मिलता।

अभी हाल ही में 30 जनवरी से एस०सी०एस०टी० "प्रीवेंशन आफ एट्रोसिटीज एक्ट" बना। इसमें पर्याप्त अधिकार हैं। अगर सरकार चाहे तो इसका उपयोग करके शीघ्रता से इन सारे अत्याचारों को, अन्यायों को समाप्त कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, जो एग्जीस्टिंग लॉ के अन्तर्गत प्रोटैक्शन आफ सिविल राइटस, तथा इण्डियन पीनल कोड की धाराएं हैं उसके अन्तर्गत भी बहुत अधिकार हैं। परन्तु इन अधिकारों के बावजूद इतने अत्याचार होते रहे हैं। प्रीवेंशन आफ एट्रोसिटीज एक्ट 30 जनवरी से आने के बाद भी, चार महीने आज बीत चुके हैं, किसी प्रदेश में चाहे कांग्रेस की सरकार को या कोई और सरकार हो, एक भी केस के अन्दर कार्यवाही शुरू नहीं हुई। आज चार महीने बीत गए यह कानून बन चुका है लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई। अभी तक बहुत से केसिज पर इन कानून के अंतर्गत कार्यवाही होनी चाहिए थी। इसमें 6 महीने से लेकर 5 वर्ष तक की सजा है। 24 प्रकार के अपराधों के लिए, अत्याचारों के लिए ये लागू होता है। इनमें से जैसे किसी को वोट न डालने देना, सम्मान से जीवन न बिताने देना, मैला ढोने के लिए मजबूर करना। किसी व्यक्ति को मैला खिलाना शादी में बाजा नहीं बजाने देना आदि इस प्रकार ये 24 बातें अत्याचार मानी गई हैं जिनसे 6 महीने से लेकर 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन ऐसे केसज लगातार हो रहे हैं और इनको रोकने की कोई बात नहीं हो रही है। इसके अन्तर्गत उस अधिकारी को भी सजा देने का प्रावधान है जो इन मामलों में आंखें मूंदे रहे और कोई कार्यवाही न करे। इसमें यह भी कहा गया है कि स्पेशल कोर्ट्स हर जिले में बनाई जायेंगी जो केवल हरिजनों पर अत्याचार के केस को ही देखेंगे, लेकिन कोर्ट बनने के बाद भी अभी तक उनका इस संबंध में उपयोग नहीं हो रहा। और वह दूसरे मामलों को देख रही हैं। मैं समझता हूं इन कोर्ट्स का उपयोग सिर्फ एट्रोसिटीज के मामले देखने के लिए ही होना चाहिए।

बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने साल बाद भी आज सेना में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग भर्ती नहीं किए जाते हैं। सिर्फ महार रेजीमेंट को छोड़कर जो कि महाराष्ट्र की है उसके अलावा अन्य किसी रेजीमेंट में ये लोग नहीं आ पा रहे। चाहे जाट रेजिमेंट हो, राजपूताना रेजीमेंट

हो या सिख रेजीमेंट हो इनमें अनुसूचित जाति के लोगों का प्रवेश नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपको इसकी जांच करनी होगी। जाति के आधार पर भरती नहीं होती है।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : मैं जानता हूं कि अधिकारी तो हो सकते हैं इन सारी रेजीमेंट्स में, परन्तु उनमें अनुसूचित जाति के लोगों को कैसे नहीं इनको लिया जाता इसकी बात मैं कर रहा हूं।

[अनुवाद,

उपाध्यक्ष महोदय : जाति के आधार पर भरती नहीं की जाती है, मुझे जो जानकारी मिली है मैं आपको दे रहा हूं। कृपया आप इसकी जांच करें।

[हिन्दी]

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : मल्होत्रा साहब उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि प्रैक्टिस में नहीं जा सकते हैं।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : आफिसर जा सकते हैं, मैं चैक करके कह रहा हूं। अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग सेना में भर्ती होंगे तो रिटायर होने के बाद जब अपने क्षेत्रों में जायेंगे तो उन पर अत्याचार और अन्याय नहीं हो पायेगा, क्योंकि उन्हें उसको रोकने की ट्रेनिंग मिल जायेगी। सेना में उनका स्थान नगण्य है, उसके बारे में सुधार करना जरूरी है।

एक अलग मन्त्रालय बनाने की, अनुसूचित जाति और जनजाति का, मांग वर्षों से चली आ रही है, लेकिन उसको बनाने की तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया है। यह मंत्रालय बने तो उनके लिए बहुत से कार्य किए जा सकते हैं। जिन गांवों में और क्षेत्रों में अक्सर उन पर अत्याचार होते रहते हैं उनका पता लग सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, उनका पता लगाकर वहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारियों की नियुक्ति की जाए जिससे उन क्षेत्रों में आइन्दा उन पर अन्याय और अत्याचार न हो सके जो कि अब लगातार हो रहे हैं, इनकी नियुक्ति से उसको रोकने में सहायता मिलेगी।

मैं भूमि सुधार के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। यह देश भर में कार्यान्वित नहीं हो रहा है, हरिजनों को जमीन नहीं मिल रही है। उनको बंधुआ मजदूर बनाकर रखा हुआ है या उनको खेतीहर मजदूर बनाकर रखा हुआ है। जो जमीन दी जाती है वह बाद में छीन ली जाती है। भारत में भूमि सुधारों से कुल मिलाकर टोटल एस्टीमेटड सरप्लस 5426120 एकड़ भूमि थी उसमें डिक्लेयर्ड सरप्लस 4474852 हुई उसमें पैजेशन लिया गया 3124014 एकड़ का और बांटी गयी 2261415 एकड़। कुल फालतू भूमि में आधी से कम उनको बांटी गई और बड़े लोगों ने वह जमीन दबा रखी है। इस तरह से भूमि सुधार नहीं हो रहा है। इसके अन्तर्गत जो जमीन दी गई है हरिजनों को उसका भी मालिक नही बनने दिया जाता है। इसलिए इसको तेजी से लागू करके उनको जमीन देने की जरूरत है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन सबके अलावा कुछ और भी बातें हैं जैसे उनको शिक्षा कैसे दी जाए, नौकरियों में आरक्षण कैसे दिया जाए इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। जो अत्याचार और अन्याय उन पर हो रहे हैं उसका मूल कारण यही है कि सवर्ण जाति के

लोग उनको उनके अधिकारों के बारे में कोई कदम नहीं उठाने देते हैं। उसके लिए आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से न्याय दिलाने की आवश्यकता है, राजनीतिक दृष्टि से भी उनको न्याय दिलाना जरूरी है। यह आरोप भी ठीक है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को कि उनको मकानों और प्लाटों के बनाने के लिए लोन नहीं मिलता है। आप देखेंगे कि पानी की लाइन जाती है तो जहां पर हरिजन बस्ती शुरू होती है, वहां पर पानी की लाइन खत्म हो जाती है। जहां पर बिजली जाती है, हरिजन बस्ती पहुंचते-पहुंचते बिजली के तार वहां खत्म हो जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर वे सम्मान की जिन्दगी नहीं बिता सकते, उनको इस तरह से पिछड़ा रखा जाएगा और उन लोगों को केवल झोंपड़ियों में रखा जायेगा और मकानों के लिए प्लाट नहीं दिए जायेंगे, तो इससे बड़ी शर्म की बात हम लोगों के लिए और क्या हो सकती है? गत 40 वर्षों से लगातार उनसे वायदा करते रहे जिसमें कांग्रेस या दूसरी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कोई पार्टी पावर में आ गयी हो, परन्तु जो अत्याचार करने वाले हैं, वे लगातार अत्याचार करते रहे और दूसरे इसको सहन करते रहे। चाहे वह बेलछी का कांड हो, सईदपुर का कांड हो, शिवपुरी की बात हो जहां पर नग्न हरिजन महिलाओं को नंगा नचाने पर मजबूर करने की बात रही हो, यह अनुचित है इन्सानियत की बात नहीं है। यह परम्परा बीसियों सालों से वहां पर चल रही है। इसको कभी रोका नहीं गया। अब आकर के कुछ कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस बात की दरख्वास्त करता हूं कि हमारे सारे सदन को एक स्वर से इस बात को मानना चाहिए कि यदि यहां पर एक वर्ग पीड़ित रहेगा, दलित रहेगा, व्यथित रहेगा, उस पर अत्याचार होते रहेंगे और उनका शोषण किया जाएगा तो इस देश में राष्ट्रीय एकता कभी नहीं हो सकती है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए विकास होना जरूरी है और अनुसूचित जातियों पर होने वाले अन्याय व अत्याचार को समाप्त करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इस बात के उनको सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए जो नया एक्ट बना है और अगले साल डा० अम्बेडकर शताब्दी वर्ष है यदि इस वर्ष में उनको न्याय नहीं देंगे तो कब देंगे। अगर इसके लिए न्यायालय बनाने की बात है और इसका प्रावधान भी है तो वह करना चाहिए सभी दल के लोगों को मिलकर और सारे देश के जनमानस को इकट्ठा होकर इन लोगों को अपने बराबर लाने के लिए कार्य करना चाहिये। बराबर लाने का अर्थ नहीं कि उनको केवल बराबर के अधिकार दिए जाए। हजारों सालों से जो पीड़ित हैं, बराबर के अधिकार देने से काम नहीं चल सकता है। इसके लिए उनको विशेष अधिकार देने होंगे। उनको बराबर लाने के लिए पहले अधिक सुविधाएं देनी होंगी और उनको वे सुविधाएं देनी होंगी जो आजादी के बाद से नकारी गयी हैं। मेरा यही निवेदन है कि अगला वर्ष डा० अम्बेडकर का शताब्दी वर्ष है तो सब मिलकर प्रयास करें कि यह अन्याय और अत्याचार समाप्त हो। नहीं तो हमारे लिए लज्जा की बात होगी। यह अन्याय एक कोढ़ है जो समाप्त होना ही चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति समाज का बराबर अंग बनें। एक समान होने से ही हमारा देश फिर से समृद्ध हो सकेगा और फिर से सभी लोग समानता पर आ जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस बहस को प्रारम्भ करता हूं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा ने काफी अच्छी बातें रखीं। आज हरिजनों और आदिवासियों पर काफी अरसे से अत्याचार होते आ रहे हैं और इतने समय के बाद हम इस पर चर्चा करें, यह बहुत ही शर्मनाक बात है। एक तरफ हम यह कहते हैं कि मनुष्य सब बराबर हैं और हम आपस में हिलमिलकर रहेंगे। और सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यही समाजवादी कानून की व्यवस्था का नियम है। जबकि दूसरी तरफ हम यह चर्चा करें कि फलां जगह पर अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, उन लोगों को दबाया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय,

मैं आप लोगों से और इस हाउस को बताना चाहता हूं कि सरकार ने बहुत से कानून बनाए है कि हरिजन और आदिवासियों को ऊपर उठाया जाए परन्तु उस कानून के जरिए उन्हें जो मदद मिलनी चाहिए वह नहीं मिली । वह सुविधा तो दूसरों की जेब में चली गई और कानून का पालन करने वाले आदमी बराबर पालन नहीं करते हैं। उनको जमीन का पट्टा दिया गया । वह आज भी पट्टा लेकर घूमता रहता है कि उसको कब्जा मिले परन्तु नहीं मिला । अनेक ऐसी योजनाएं है लेकिन कहीं

6.00 म० प०

करप्शन हुआ, कहीं और दूसरी चीज हुई और परिणाम यह निकला कि इन लोगों को आर्थिक रूप से जितना ऊपर उठ जाना चाहिए था, ये लोग नहीं उठ सके । खास तौर से गांवों में इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया । गांवों में जितने जमींदार या बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, ये हमेशा गांव के हरिजनों और आदिवासियों को दबाकर रखते हैं और इन लोगों की जमीन को अपने कब्जे में किसी न किसी बहाने दबाये रखते हैं । यह सभी की मनःस्थिति बन गयी है । आजाद हिंदुस्तान में सबको बराबर के अधिकार हैं, परन्तु उन लोगों की विचारधारा किसी भांति आज तक चेंज नहीं हो पाई है । आज भी गांवों में फ्यूडलिज्म की प्रवृत्ति है । शोषण होता है, प्रजातंत्र में कानून तो बहुत हैं लेकिन उनका प्रयोग पैसे वालों के हक में होता है ऐसी वजह से ये सारी चीजें खड़ी होती है । जैसा अभी आदरणीय मल्होत्रा जी ने शिवपुरी की घटना बतायी, मैं कहना चाहता हूं कि होली के दिन शिवपुरी जिले ग्राम सलेमा में, सवर्ण जाति के लोगों की एक परम्परा थी कि हरिजन औरतों को कपड़े खुलवाकर उनके साथ रैली में निकाला जाए । हमारे लिए यह बड़े ही शर्म की बात है । जब उन हरिजन महिलाओं ने ऐसा करने से इन्कार किया, विरोध किया तो उन्हें लाठी से, भाले से पीटना शुरू कर दिया गया । ऐसी स्थिति बहुत भयानक होती है । अब प्रश्न है कि इस स्थिति को कैसे रोका जा सकता है । हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे मामलों में सख्त बने, उसके हाथ मजबूत हों और कानून अपने हाथ में लेने वाले लोगों को ऐसी सजा मिले, उनमें ऐसा भय पैदा हो कि वे हरिजन और आदिवासियों पर अत्याचार करने से हिचकें । तभी स्थिति सुधर सकती है । यह भी सत्य है कि केवल कानून बनाकर हम समाज की मनोवृत्ति को नहीं बदल सकते । ऐसी ही एक घटना राजस्थान के उदयपुर में ग्राम हड़मतिया के आदिवासियों के साथ घटी । वहां भी जमीन का झगड़ा था । वहां तसबुक हुसैन नाम के एक व्यक्ति ने हरिजनों और आदिवासियों की 500 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया । बेनामी तरीके से जमीन अपने कब्जे में कर ली । जब आदिवासियों ने उसका विरोध किया और कहा कि ऐसा कौन सा कानून है कि हमारी जमीन कोई दूसरा आदमी ले तो उस व्यक्ति ने पुलिस को बुलाकर आदिवासियों की पिटाई करा दी और खुद भी पीटा । वहां ऐसी आदिवासियों की पिटाई हुई कि आज भी लोगों में भारी आतंक व्याप्त है, सभी आतंकवादी भयभीत हैं । इतना ही नहीं, उसने पुलिस से मिलकर 43 आदिवासियों के विरुद्ध केस भी बना दिया । मेरा कहने का मतलब है कि इस देश में हरिजन और आदिवासी कमजोर हैं । दूसरे, हमारे देश की पुलिस को पता नहीं कैसी ट्रेनिंग दी जाती है, और हम कहां कितनी भी चर्चा क्यों न कर लें, कहीं कानून का पालन नहीं होता । पुलिस हमेशा से पैसे वाले आदमी की मदद करती आयी है, गरीब और कमजोर आदमी की कभी मदद नहीं करती । उस गांव में एक पानी से सूखा तालाब था, जब आदिवासियों ने कहा कि इस तालाब को हमें दे दो तो उस आदमी ने इसका भी विरोध किया और कहा कि यह तालाब भी मेरा है । पुलिस ने भी उसका ही साथ दिया । सारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सारे ब्यूरोक्रेट्स उसी का पक्ष लेते हैं । हमारे देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम धीरे-धीरे इतना खराब होता जा रहा है कि पैसे वाले लोग ही इस सिस्टम में लाभान्वित हो रहे हैं । अब प्रश्न है कि पैसे वाले लोगों को, लाठी और दबाव वाले लोगों को कैसे सही रास्ते पर लाया जाए । यदि हम इन लोगों की मनोवृत्ति को बदल देते हैं

तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हमें ऐसी चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मैं यहां किसी पर राजनैतिक रूप से आरोप नहीं लगाना चाहता हूं और इस समस्या को राजनैतिक रंग भी नहीं देना चाहता किन्तु हमारे यहां आज तक न जाने कितने कमीशन बने, अनेक रिपोर्ट्स सरकार को मिलीं, वहां पार्लियामेंट में भी एक एस० सी० एस० टी० कमेटी है, उसने भी अनेकों रिपोर्ट दी है, लेकिन आज तक किसी भी रिपोर्ट पर सदन में चर्चा नहीं हुई। मेरी मांग है कि एस०सी०एस०टी० कमेटी की रिपोर्ट पर भी सदन में चर्चा होनी चाहिए और अन्य कमीशंस की रिपोर्ट पर भी यहां बहस की जानी चाहिए। गवर्नमेंट का इस बारे में क्लियर डायरेक्टिव होना चाहिए। अनेकों कमीशंस की रिपोर्ट ढेरों हमारे पास पड़ी हैं, किसी पर आज तक चर्चा नहीं हुई, कभी सरकार का ध्यान उनकी ओर नहीं गया कि उसमें क्या कहा गया है, क्या गाइडलाइन बतायी गई है और सरकार उसे एक्जीक्यूट करने के लिए तैयार है या नहीं। हमारे गृह राज्य मन्त्री अच्छे आदमी हैं, नौजवान हैं, वे थोड़ा दौड़-धूप करें और उन रिपोर्ट्स पर बहस करायें।

उपाध्यक्ष महोदय, खास कर के जमीन का विवाद होता है। आदिवासी अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहता है और सबसे ज्यादा लड़ाई जमीन के ऊपर होती है। जहां ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पर बहुत सी राज्य सरकारों ने ऐसे कानून बनाए हैं कि आदिवासी और हरिजन की जमीन को कोई भी गैर-आदिवासी नहीं ले सकता है। अगर कोई लेता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार के जहां कानून बने हैं और इस प्रकार के जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर इस तरह की, लोगों को बात बतानी चाहिए और इस प्रकार की डायरेक्शन देनी चाहिए कि अगर इस प्रकार की जमीनों को कोई दूसरा आदमी लेगा, चाहे वह खुद खेती करता हो या उसके ऊपर कब्जा करता है, तो उसके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई की जाएगी। आज इस प्रकार के प्रचार की बहुत आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से न्यूनतम मजदूरी की बात आती है। कहने को बहुत कानून हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि ये कानून सब कागजों में हैं। उनका कोई पालन नहीं होता। यही कारण है कहीं 500 रुपए में मजदूर काम कर रहा है और कहीं बांडेड लेबर के रूप में काम कर रहा है, लेकिन आजादी के बाद, इतना समय बीतने के बाद भी, आज उसको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। ऐसे लोग बड़े-बड़े लोगों, बड़े-बड़े जमींदारों के यहां नौकरी कर रहे हैं। आज हालत यह है कि उनकी जमीन भी ले ली, जमीन के भी मालिक बन गए और उनसे नौकरी कराते हैं, उनके भी मालिक बन गए। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जब तक आप इस सामाजिक व्यवस्था को नहीं बदलेंगे तब तक हमारी कोई समस्या हल नहीं हो सकती है। महोदय, मैं गांव से आता हूं मुझे मालूम है, जब मैं एक ओर, गांव की तरफ देखता हूं और दूसरी ओर, दिल्ली की तरफ देखता हूं, तो मुझे मालूम होता है कि हमारा गांव तो अभी हमारे ही देश में 100 साल पीछे है। जो हालत आज दिल्ली में है, वैसी रौनक तो हमारे गांव में 100 साल बाद भी शायद ही हो। हमें दिल्ली और गांव में जमीन-आसमान का अन्तर स्पष्ट नजर आता है। वहां आज कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती है। इसलिए इसमें बहुत सख्ती से कदम उठाने की जरूरत है। इसमें किसी राजनीतिक पार्टी या किसी दल की दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप यह देखेंगे कि यह अपनी पार्टी का आदमी है, तो वह दूसरी पार्टी का आदमी है, तो फिर हरिजन और आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, वे कभी खत्म होने के नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो चुनाव हुए, उनसे पहले और बाद में कुछ घटनाएं हुईं। जैसाकि आप जानते हैं उस वक्त रिजर्वेशन इश्यू था। सरकार आने के बाद आपने इसे यहां पेश किया और तमाम पोलिटिकल पार्टीज ने उसे सपोर्ट किया और यहां उस बिल को पास किया, लेकिन इससे पहले

जो आंदोलन हुआ, उसका कारण यह था कि लोगों के मन में शंका थी कि शायद हमारा रिजर्वेशन खत्म न कर दें। उन्होंने अपने को इस बात से बहुत असहाय महसूस किया। अब यह राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आई, इसके कारण भी लोगों के मन में शंका है कि कहीं आगे जाकर यह हमारे आरक्षण को समाप्त न कर दें। इसलिए मैं माननीय गृह मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि वे इनके मन की आशंकाओं को निकाल दें। जो अच्छे कानून इस सरकार ने बनाए हैं, जिनको सारे देश ने सपोर्ट किया है, जिनको हरिजन और आदिवासी के लोग खुद मानते हैं, उनको आप बंद मत करिए। ऐसे अनेक प्लान पहली सरकार ने चलाए थे—ट्रायबल सब प्लान कम्पोजिट प्लान आदि इनको बन्द मत कीजिए। इसी प्रकार ग्रामीणों की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रम थे—कहीं तालाब बनाने का, कहीं सड़क बनाने का, कहीं स्कूल बनाने का, कहीं पंचायत घर बनाने का, आज वे सब के सब काम बन्द पड़े हैं। मैं गृह मन्त्री जी से कहूंगा कि वे स्पष्ट आदेश दें कि इस प्रकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उनके लिए बजट में प्रावधान करें ताकि ये योजनाएं अच्छे तरीके से पूरी हो सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का सेवा में जितना भी बैकलाग था, उसको भरने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया, लेकिन इस सरकार ने आने के बाद कुछ ढील दे दी, जिससे पढ़े-लिखे लोगों के मन में यह आशंका आ रही है कि जो हमारा कोटा है, वह मिलेगा या नहीं। मेरा अनुरोध है कि जितना भी इस प्रकार का बैकलाग है, उसको पूरा किया जाए और उनके मन की शंका को समाप्त किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, जंगल की योजनाओं के सम्बन्ध में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जंगल में शेर रहते थे या आदिवासी रहते थे। अब जंगल तो पूरे के पूरे नष्ट कर दिए, सिर्फ आदिवासी बचे हैं, उनको भी वहां से भगाने की बात की जा रही है। अब वे बेचारे वहां से कहां जायेंगे। वे उन जंगलों में झाड़, पत्ती, फूल खाकर अपना पेट भरते हैं और अपना जीवन शांति से बिताते हैं। अब उनको कहीं नक्सलवादी कहते हैं और कहीं आप टेररिस्ट कहते हैं। अगर आदमी को खाने को नहीं मिलेगा तो वह कहां जाएगा? आप इनके बारे में सोचिए। ये न नक्सलवादी हैं और न टैररिस्ट्स हैं, ये सीधे-सादे आदिवासी एवं हरिजन लोग हैं। आप इनके विकास की योजनाएं बनाइए। जैसे आज मल्होत्रा साहब ने अच्छे आंकड़े रखे कि पढ़े-लिखों का क्या परसेंटेज है? आज 42 साल की आजादी के बाद भी कागज पर अगर देखें तो पढ़े-लिखे लोगों की परसनटेज 15 प्रतिशत है, लेकिन यदि गांव में देखेंगे तो मुश्किल से 5 प्रतिशत भी नहीं मिलेंगे। हमको आज एक टाइम-बाउंड प्रोग्राम बनाना चाहिए कि हरिजन, आदिवासी के यहां जो बच्चा पैदा होगा, चाहे वह लड़की हो, चाहे वह लड़का हो, चाहे हमको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़े, उसके मां-बाप को और पैसा देना पड़े, वह अंगूठा नहीं लगाएगा। इसकी जब तक सरकार व्यवस्था नहीं करेगी तब तक वह पढ़ेगा-लिखेगा नहीं और राष्ट्रीय विकास की बात नहीं होगी। बिना पढ़े-लिखे हमारी जितनी भी विकास की योजनाएं हैं, वह फेल हो गई हैं क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि वह हजार रुपए पर अंगूठा लगा रहा है या दस रुपए में अंगूठा लगा रहा है, गांव का पटवारी हो या कोई और हो, अंगूठा लगवाकर कुछ पैसा अपनी जेब में रखते हैं। यह आज तक चलता आ रहा है। मैं इस सरकार को यह सुझाव दूंगा कि आप सबसे पहला काम यह कीजिए कि आदिवासी और हरिजन को पढ़ा-लिखा दीजिए। पढ़-लिखकर वे अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री हेतराम (सिरसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता के 42 वर्षों के बाद हम हरिजनों पर अत्याचार की बात कर रहे हैं। वास्तव में ये अत्याचार नहीं है बल्कि अपराध है। पहले

अंग्रेजी सरकार ने इस आशय के कानून पारित किया थे कि अपराध करने वालों को अपराधी जनजाति कहा जाए, उसी प्रकार जो अनजातियां/जातियां जो हरिजन महिलाओं और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार करती हैं, उन्हें अपराधी जाति कहा जाए। जब तक कि हम कोई साहसिक कदम नहीं उठाए हैं, औरत घर के बाहर जलाई जाएगी और अ० जा० तथा अ० ज० जा० पर ये अत्याचार होते रहेंगे। सिर्फ चर्चा करने से कोई बात नहीं बनेगी। सरकार को इस सम्बन्ध में कड़े कदम उठाने होंगे।

मेरा सुझाव है कि हमें शिक्षा पर ज्यादा जोर देना चाहिए। इस वर्ष हम डा० बी० आर० अम्बेडकर की जन्मशती मना रहे हैं। वे अनुसूचित जाति के थे और अछूत थे। यदि उन्होंने किसी को छुआ तो उससे समाज को दूषित माना जाता। इसके बावजूद हम उनकी जन्मशती मना रहे हैं। क्योंकि वे एक विद्वान थे। मुझे अमेरिका की एक निजी लड़ाई की प्रतिक्रिया याद है, जब उससे पूछा गया कि अमेरिका में सबसे जघन्य अपराध क्या है, उसने कहा 'नीग्रो के रूप में जन्म लेना सबसे जघन्य अपराध है'। उसी प्रकार मैं कहूंगा कि भारत में सबसे जघन्य अपराध आ०ज०/आ०ज०जा० या हरिजन के रूप में जन्म लेना होना है। मुझे याद है मर्चेन्ट आफ वेनिस में शायनाक ने कहा "मैं तुम्हारे साथ जल सकता हूं, तुमसे बात कर सकता हूं पर तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकता।" यही स्थिति है। मुझे नहीं पता हमारे समाज के इन चार वर्गों के अतिरिक्त हरिजनों का यह पांचवा वर्ग कैसे पैदा हुआ। इन पूरे 42 वर्षों में इस सम्बन्ध में धन दिया गया, कानून बनाए गए, मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास सभी आवश्यक साधन थे फिर भी हम कुछ उपलब्ध नहीं कर पाए। मैं आपको बताता हूं कि यह अपराधी जाति कैसे पैदा हुई कई लोग मैदानी इलाकों से जंगल में गए। उन्होंने जंगल पर कब्जा किया, उन्हें काष्ठा और इन वनों पर निर्भर रहने वाले लोग लकड़ी और अन्य वन उत्पादों की छोटी मोटी चोरी करने के लिए मजबूर हो गए और वे इस प्रकार के छोटे अपराध करने लगे और वे अपराधी जाति कहे जाने लगे। उन्हें छोटे-मोटे काम करने के लिए मजबूर किया गया। अब वे क्या कर रहे हैं ? उन्हें किसी प्रकार का काम करने का प्रशिक्षण नहीं मिला, वन भी उनके हाथ से चले गए और अब वे शहरों की ओर आ रहे हैं। उन्हें जब मर्जी आया काम से निकाल दिया जाता है। इसी कारण दुबारा बंधुआ मजदूरी प्रथा शुरू हो गई है।

अब, मैं आपातस्थिति के बारे में एक अच्छी बात बताऊंगा। आपातकाल के दौरान, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक बहुत अच्छा काम किया था। जो लोग बहुत आजाद थे उन्हें जेलों में डाल दिया था। विपक्षी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था। बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त करने के लिए भी एक कानून बनाया गया था। इसी वजह से आपातकाल के दौरान बंधुआ मजदूरों को छोड़ दिया गया था। इस कानून को कड़ाई से लागू किया गया था। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं। मैं यह कार्य करने के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी की भी प्रशंसा करता हूं। मैं आपातकाल की प्रशंसा नहीं कर रहा बल्कि बंधुआ मजदूरों को मुक्ति दिलाने की प्रशंसा कर रहा हूं। यदि हम गांव में जाएं तो हम अनुसूचित जातियों की स्थिति देख सकते हैं। वे कैसे रह रहे हैं और अन्य सब बातों के बारे में जान सकते हैं। उनके पास भूमि नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। वे शिक्षित नहीं हैं। इस प्रकार, उचित शिक्षा के बिना आप इन गरीब लोगों को मानवीय स्तर तक नहीं उठा सकते। अन्य लोगों की दृष्टि में इनकी कोई संस्कृति नहीं है। अब, आपके यहां एक अलग मन्त्रालय है और वह है मानव संसाधन विकास मन्त्रालय।

हमारी भारतीय संस्कृति क्या है ? अंग्रेज कहा करते थे कि हम केवल सपेरे हैं। अब, लम्बे संघर्ष के पश्चात प्राप्त स्वतन्त्रता के बाद हमारी अपनी संस्कृति है। हमारी अपनी विरासत है। इसी

तरह से, हमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति को भी मानना चाहिए। आपको उनकी इसलिए अवहेलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे अनपढ़ हैं, क्योंकि वे गरीब हैं इसलिए उनकी कोई संस्कृति नहीं है।

अब, हम अपनी राष्ट्रीय भाषा, हिन्दी की बात कर रहे हैं। हम हिन्दी को राजभाषा मानते हैं। हिन्दी के विकास के लिए काफी धन खर्च किया जाता है। अंग्रेजी के विकास हेतु भी काफी पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन जनजातीय भाषाओं के लिए क्या किया जा रहा है? हमारे देश में मुण्डों की मुन्डेरी जैसी बहुत महत्वपूर्ण जनजातीय भाषाएं हैं। लगभग 10 लाख लोग यह भाषा बोलते हैं। लेकिन सरकार मुण्डेरी भाषा के विकास के लिए कुछ भी इसलिए खर्च नहीं कर रही क्योंकि यह गरीब लोगों की भाषा है। आप उनकी भाषा का विकास क्यों नहीं करते? आप केवल उच्च शासक वर्ग की भाषाओं का विकास कर रहे हैं। जिन भाषाओं का आप विकास कर रहे है वे हैं उर्दू, अरबी, संस्कृत, तेलगु, मलयालम तथा तमिल। आप गरीब लोगों की भाषा का विकास नहीं कर रहे हैं। आपने जनजातियों की भाषाओं का विकास करने हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है।

कल जब मैंने पूछा था कि भाषाओं के विकास हेतु बजट में क्या प्रावधान किया गया है तो मुझे यह उत्तर दिया गया कि 'कोई प्रावधान नहीं किया गया है'। इस प्रकार, जनजातीय लोगों की भाषाओं का विकास करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। शुरू से ही अस्पृश्यता को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया गया। राजस्थान में, गुरु जामेश्वर जी महाराज ने इस दिशा में कुछ प्रयास किया था। उन्होंने यह कहा था कि जो लोग आपको अछूत कहते हैं आप उन्हें मत छूओ और उन्हें अछूत मानो। इसके बाद पंजाब में क्रांति आई। गुरु गोबिन्द सिंह ने घोषणा की थी कि ऐसी कोई लड़ाकू जातियां नहीं हैं। जब शीशगंज पर श्री तेग बहादुर का सिर पड़ा था तो उस धर्म गुरु का सिर ले जाने का किसी ने साहस नहीं किया। वह एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति, एक रंगरेट्टा था जो उस सिर को गुरु गोबिन्द सिंह से पास ले गया। गुरु गोबिन्द सिंह ने उस योद्धा को गले लगा लिया और कहा "रंगरेट्टा गुरु का बेटा"। आज हमें गुरु गोबिन्द सिंह जैसे नेताओं की जरूरत है जो हमें अपने बच्चे, अपने भाई अथवा अपने बराबर का समझकर गले लगा लें उनसे कम नहीं।

प्रो० मल्होत्रा ने भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचारों के बारे में कुछ आंकड़े दिए हैं। उन्होंने बताया कि अत्याचार के एक लाख से अधिक मामले हैं लेकिन आप देखिए कि उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय खोले हैं। मैं तलाश कर रहा था कि क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति वहां प्रोफेसर के पद पर है। 3000 प्रोफेसरों में से केवल 13 अनुसूचित जाति के प्रोफेसर हैं। 41 राज्य विश्वविद्यालयों में, 42 वर्ष बाद भी यह स्थिति है। और हम यह कहते हैं कि अ०जा०/अ०ज०जा० का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यह कहना है कि इसका कारण उपयुक्त उम्मीदवारों का न मिलना है। सरकार ने भी कहा है कि श्रेणी 'क' के पदों के लिए प्रभारी मन्त्री तथा सचिव यह निर्णय लेंगे कि क्या श्रेणी 'क' के पदों को अनारक्षित न कर दिया जाए। श्रेणी 'ख' तथा 'ग' के लिए, कोई अनारक्षण नहीं हो सकता लेकिन श्रेणी 'क' के पदों के लिए वे अनारक्षण कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उच्च पदों के लिए ऐसा किया जा सकता है और इसका निर्णय उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाना है।

[हिन्दी]

शेर के पंजे में एक मेंढ़ को दे दिया गया, अब यह क्यों करेंगे।

[अनुवाद]

तब वे स्वतः ही श्रेणी 'क' पदों का अनारक्षण करेंगे। स्थिति यह है कि जितना बड़ा पद होगा, अ०जा० तथा अ०ज०जा० का उतना प्रतिनिधित्व कम होंगे और जितना छोटा पद होगा उतना अधिक अ०ज० जन जा० का प्रतिनिधित्व होगा। सफाई कर्मचारियों में उनका प्रतिनिधित्व 97% है, और आई. ए. एस. में 3%, प्रोफेसरों में यह बस 0.05% है। जो फिर हम आरक्षण नीति द्वारा अ०जा०/अ०ज०जा० के साथ न्याय कैसे कर रहे हैं ?

मैं एक उदाहरण दूंगा। हम खेल प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार रखते हैं। लेकिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच विद्यमान खेल गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। वे धनुविद्या तथा अन्य खेल जानते हैं जिन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा। महाभारत में, एक जनजातीय एकलव्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम महाभारत पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री हेतराम : मैं महाभारत पर नहीं बोल रहा हूं। मैंने इसका उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि 'अर्जुन पुरस्कार' का पुनः नामकरण करके 'एकलव्य पुरस्कार' किया जाए। एकलव्य एक भील था और अर्जुन से बेहतर था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया था। उसके नाम पर कोई पुरस्कार नहीं होना चाहिए। इसका दुबारा नाम रखा जाना चाहिए क्योंकि ऐसा गुरु जिसने अंगूठा लिया है और एक गरीब जनजाति भील लड़के को शिक्षा नहीं दी हो उसके नाम से पुरस्कार देकर सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए। इन पुरस्कारों का पुनः नामकरण किया जाना चाहिए और उन लोगों के नाम पर दिए जाने चाहिए जिन्होंने शिष्यों की सहायता की हो तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होने के कारण उन्हें अपंग न बना दिया हो।

यदि हम विश्व की स्थिति देखें तो वहां भी पेबलो पिकासो, पेबलो नेरुडा तथा पेबलो केसल हैं जिन्हें नोबल पुरस्कार दिए गए हैं क्योंकि यूरोपीय समुदाय का होने के कारण उनमें प्रतिभा थी। वहां भी ऐसी सम्भावना है। लेकिन भारतीय जाति प्रथा से ग्रस्त समाज में, आप किसी पेबलो नेरुडा की किसी पिकासो की, किसी केसल की, और किसी केसियसक्ले की उम्मीद नहीं कर सकते। न ही उन जैसे लोगों की उम्मीद कर सकते हैं जो वेस्टइन्डीज क्रिकेट टीम में हैं।

अनुसूचित जाति के लोग महसूस करते हैं कि जैसे-तैसे यह जाति का कलंक समाप्त होना चाहिए और उन्होंने वह धर्म छोड़ दिया और नया धर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन वे जाति के इस कलंक से छुटकारा नहीं पा सके क्योंकि यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति मुसलमान बन जाता है तो वह अनुसूचित जाति का मुसलमान बन जाता है, यदि वह सिख धर्म ग्रहण करता है तो वह उस धर्म का अनुसूचित जाति बन जाता है; यदि वह ईसाई बन जाता है वहां भी अनुसूजित जाति का ही रहता है। अनुसूचित जाति के लोगों ने अपना सामान्य भोजन जोकि मांसाहारी होता था, अपने शारीरिक स्वास्थ्य तथा शारीरिक ढांचे की परवाह न करते हुए छोड़ दिया है ताकि उच्च जाति के लोग उन्हें अपने बराबर का मानें। लेकिन उससे भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि उस भोजन को छोड़ने के बाद भी वे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के ही रहे और उन्हें समान नहीं समझा गया और उन्हें अछूत माना गया।

मेरे विचार से उनके लिए केवल शिक्षा ही एकमात्र तरीका है। न्यूनतम मजदूरी तथा अधिकतम मजदूरी जैसे ये सभी कानून उन्हें इस स्थिति से नहीं निकाल सकते। अधिकांश अपराध महिलाओं

के साथ होते हैं, इसलिए मन्त्रालय से अनुरोध है कि शिक्षा प्रणाली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं को कराटे तथा जूडो सिखाया जाए ताकि जब कभी भी उन पर हमला हो ताकि वे कम से कम अपने सम्मान की रक्षा कर सकें क्योंकि सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। इसलिए स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर ही कराटे तथा जूडो शुरू किया जाए ताकि वहां इस प्रकार की शरारत न हो।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : सर, यह इतना इम्पोर्टेंट सवाल है और इस पर हम लोगों की राय थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी बात रखें। विजय कुमार मल्होत्रा जी ने यह राय दी थी कि इसे 7 बजे तक चलाकर बन्द किया जाय और कल हम इस पर रिप्लाई दें।

उपाध्यक्ष महोदय : सात बजे तक तो होगा नहीं, मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है।

एक माननीय सदस्य : जितने समानित सदस्य सदन में बैठे हैं, वह सब बोलना चाहते हैं।

श्री सुबोध कांत सहाय : इसका जवाब कल हो जावेगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो कल प्राइवेट मेम्बर बिजनेस है, समय बहुत थोड़ा रहेगा और बहुत लोग इस पर बोलना चाहते है। मैं समझता हूं कि इसको ध्यान में रखकर ही डिसाइड करना पड़ेगा। बोलने दीजिए, रिप्लाई कल दे दें।

कुमारी मायावती (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आए दिन इस देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। इस बारे में मैंने नियम 193 के तहत सूचना दी थी, लेकिन इत्तिफाक से मेरा नाम दूसरे स्थान पर दिया गया, मैं आप का खास बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं।

हमारे बीच विजय कुमार मल्होत्रा जी ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन मुझे बड़े दुःख से कहना पड़ता है, कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास इस बात का गवाह है कि आज तक इस देश के अंदर जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अन्याय और अत्याचार हुए है, उसके खिलाफ चाहे राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार हो या उससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी ने भी इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ दिल्ली बन्द नहीं किया और न ही कोई ठोस कदम उठाया है।

एक माननीय सदस्य : बहुत बार किया है।

कुमारी मायावती : मैं आपको बताना चाहती हूं, दिल्ली भारत की राजधानी है। मैं दिल्ली में रहती हूं और मुझे मालूम है कि दिल्ली में क्या होता है। पंजाब में बटाला कांड हुआ तो उस मौके पर दिल्ली बंद किया गया। हम अन्याय और अत्याचार के बारे में अपने ख्यालात तो बहुत अच्छे रखते है, लेकिन हम अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए क्या तौर तरीके अपनाते हैं, इसके बारे में शायद उन्होंने नहीं कुछ बताया। मैं बताना चाहती हूं कि 26 जनवरी, 1950 से पहले, इस देश के दलित, शोषित समाज से संबंध रखने वाले हमारे बुजुर्गों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के

लोगों को अन्याय और अत्याचार से बचाने के लिए अपने जीवन में काफी संघर्ष किया। इनमें थे, श्री ई० वी० रामास्वामी नायकर, क्षत्रपति साहुजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फूले और डाक्टर अम्बेडकर। हमारे माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी ने बताता कोई भी व्यक्ति जन्म से छोटा नहीं होता है, कर्म से छोटा होता है। यदि वे ऐसी बात कहते हैं तो उनको मनुस्मृति का अध्ययन जरूर करना पड़ेगा। क्योंकि बाबा अम्बेडकर ने 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ में जब उन्होंने मनुस्मृति का अध्ययन किया, जिस मनुस्मृति में इस देश के दबे हुए लोगों, कुचले हुए लोगों को जानवरों की जिन्दगी बसर करने के लिए मजबूर किया। ऐसी मनुस्मृति को जलाया था तो जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का अध्ययन किया तो उन्हें महाराष्ट्र के महाड़ नामक स्थान पर 1927 में इस मनुस्मृति को जलाना पड़ा। बाबा साहेब अम्बेदकर ने 1927 से लेकर के और इस देश का संविधान लागू होने तक 26 जनवरी 1950 तक या उसके पहले तक अपने जीवन में 23 वर्षों तक काफी संघर्ष किया। इस देश के दबे कुचले लोगों को सामाजिक बराबरी दिलाने के लिए बाबा साहेब अबेम्डकर ने इस देश के संविधान में एस० सी० टी० सी० के लोगों के लिए हर किस्म की सुविधा दी। इन सुविधाओं को देते समय उन्होंने कहा था कि किसी देश का संविधान कितना बढ़िया से बढ़िया क्यों न हो, अगर उसके लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं है तो बढ़िया से बढ़िया संविधान भी घटिया से घटिया हो सकता है। भारतीय संविधान के अन्तर्गत इस देश के दबे-कुचले लोगों को हर किस्म की सुविधा को बाबा साहेब अम्बेडकर ने कानूनी रूप दिया। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अंग्रेजों के जाने के बाद और इस देश का संविधान तैयार होने के बाद जितनी भी पार्टियों की सरकारें बनीं लेकिन मैं समझती हूं कि उन पार्टियों को चलाने वालों की नीयत साफ नहीं रही।

इसका कारण क्या है ? जब हम अपने भारत के अन्दर एकता की बात करते हैं, अखण्डता की बात करते हैं, जब हम एक राष्ट्र की बात करते हैं तो मेरा ध्यान दो राष्ट्र की तरफ चला जाता है। कहने को तो भारत एक राष्ट्र है, एक रूप है लेकिन जब हम इसको प्रेक्टिकल रूप में देखते हैं तो हम इसी एक राष्ट्र में करोड़ों दबे-कुचले लोगों पर अत्याचार करते हैं। एक राष्ट्र अत्याचार और अन्याय करने वालों का है और दूसरा राष्ट्र करोड़ों दलितों का मालूम होता है। इन दलितों से उस राष्ट्र की पहचान होती है। जो लोग अत्याचार और अन्याय करते हैं उनके दिलो-दिमाग से आज तक मनु विधान की दास प्रथा की बात नहीं निकली है। मैं समझती हूं कि जब तक उनके दिलो-दिमाग से यह बात नहीं निकलेगी तब तक राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता।

आज जब हम रामायण और महाभारत में दास प्रथा की बात करते हैं तो इससे भी हमें अपने देश में दास प्रथा का आभास होता है। दास प्रथा का मतलब क्या है ? हम इस देश के दबे-कुचले लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। भारत जैसे देश में जब हम दबे-कुचले लोगों को दास-पुत्र समझ कर अत्याचार करेंगे तो हम इस देश को एक राष्ट्र नहीं कह सकेंगें। इसीलिए मुझको तो दो राष्ट्र नजर आते हैं—एक तो जुल्म करने वालों का और दूसरा जुल्म सहने वालों का।

मैं यह बताना चाहती हूं कि अंग्रेजों के जाने के बाद इस जुल्म के खिलाफ भारतीय संविधान में काफी कानून बनाए गए थे। मैं यह भी समझती हूं कि कांग्रेस पार्टी के राज्य में भी कानून और ऐक्ट बनाए गए थे। लेकिन उनका इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ। उसके बाद में जब हमारी राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार आई तो उसने प्रीवेंशन आफ ऐट्रोसिटीज ऐक्ट बनाया जो फरवरी, 1990 में लागू हुआ। लेकिन इस ऐक्ट के बनते ही पूरे देश के अंदर अन्याय और अत्याचार की बौछार शुरू हो गयी। हम लोग अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए कितने ही एक्ट बना लें, मैं समझती हूं कि इनसे कोई फायदा होने वाला नहीं जब तक इनको लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं होगी।

हम अगर आर्थिक क्षेत्र में जा ें तो पाएंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के

आर्थिक पहलू उनके सामाजिक पहलू से जुड़े हुए हैं। इस देश की सामाजिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के आधार पर बनी हुई है जिससे ज्यादातर लोगों को फायदा नहीं पहुंच सकता केवल मुट्ठी भर लोगों को ही इसका फायदा हो सकता है। इसका असर आर्थिक क्षेत्र में भी पड़ता है। आज बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश के अन्दर 5 लाख 76 हजार से ज्यादा देहात है जिनमें ज्यादातर लोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रहते हैं देहातों में सामंतवादी ताकतें इन लोगों को गांव छोड़ने के लिए मजबूर करती हैं क्योंकि जमीन इन लोगों के पास नहीं है और जिन लोगों के पास जमीन है उनकी जमीन पर जाकर खेती करते हैं। अन्न पैदा करना और उसको बाजार में ढोने तक का सारा काम यह अनुसूचित जाति के लोग ही करते हैं लेकिन इसका क्रेडिट बड़े जमींदारों को ही मिलता है। इन लोगों पर इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग देहातों को छोड़ कर महानगरों में जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं—जिनमें दिल्ली में 20 करोड़ से ज्यादा लोग झुग्गी-झोंपड़ियों में आकर बस चुके हैं। हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं लेकिन सही मायनों में हम परिवर्तन नही कर पा रहे हैं।

इसलिए मैं गृह मन्त्रीजी से गुजारिश करती हूं कि अगर आप सही मायनों में सामाजिक व्यवस्था में बदलाव नहीं लायेंगे तो आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी अत्याचार होते रहेंगे और दबे-कुचले लोगों को इसी प्रकार से सताया जाता रहेगा। एक खास बात मैं यह बताना चाहती हूं कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। यह बात इस देश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से समझ चुके हैं। यदि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो एक दिन ऐसा आएगा जब इन लोगों को अत्याचार से आप बचा नहीं सकेंगे। जब इस देश में तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी तब इसकी दोषी बहुजन समाज पार्टी ही नहीं होगी बल्कि राष्ट्रीय सरकार मोर्चे की सरकार होगी। भारत के अन्दर 18 हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट है जिनमें 352 न्यायाधीश हैं। और इनमें अनुसूचित जाति के केवल 4 लोग हैं और जनजाति का एक भी नहीं। जब यह अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अदालतों के दरवाजे खटखटाते हैं तब इन्हें न्याय नहीं मिलता।

मेरा आखिरी सवाल यह है कि जब तक इनके लिये कोई उचित व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक इसी प्रकार इन पर जुल्म और अत्याचार होते रहेंगे।

इस बारे में हमको सोचना होगा। जब तक इस देश के अन्दर शासन और प्रशासन में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पूरी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक इस समाज को अन्याय और अत्याचार से नहीं बचा सकते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्री जी से उम्मीद करती हूं कि मेरी इस बात की तरफ ध्यान दिया जाएगा। हम अन्याय-अत्याचार की बात तो करते हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक इसका कोई लाभ नहीं है। अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो दबे-कुचले लोग स्वयं उठेंगे, उनको स्वयं न्याय का दरवाजा खटखटाना होगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे लोगों पर अन्याय-अत्याच र होता है, महिलाओं को रेप किया जाता है, लोगों को जिंदा जलाया जाता है या और किसी भी किस्म का अन्याय अत्याचार होता है, चाहे देवली कांड हो, साढूपुर कांड हो, हमको यह सूचना तो मिल जाती है कि अनुचित जाति और जनजाति के कितने लोग मारे गए, अखबारों से, टेलीविजन, रेडियो से लेकिन अंग्रेजों के जाने बाद आज तक यह सूचना कभी नहीं मिली कि अत्याचार करने वाले कितने लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई।

उपाध्यक्ष महोदय, संजय-गीता का मर्डर होता है तो रंगा-बिल्ला को फांसी की सजा दी जाती है, जब इस देश के अन्दर इन्दिरा जी की होती है तो हत्यारों को फांसी को सजा दी जाती है, जब

इस देश के अन्दर महात्मा गांधी की हत्या होती तो नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन जब इस देश के अन्दर अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों की हत्याएं होती हैं, तो आज तक ऐसी सूचना नहीं मिली कि इसके लिए किसी को फांसी की सजा मिली हो। जब तक इस तरह का न्याय नहीं दिया जाएगा, कानून कायदों को अमल में नहीं लाया जाएगा, तब तक दबे-कुचले लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। कानून कायदे अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, उन पर सख्ती से अमल करना होगा, तभी ये लोग अन्याय-अत्याचार से बच सकते हैं।

इन शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए शुक्रिया अदा करती हूं।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्री जी यहां पर नहीं हैं, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं माननीय गृह राज्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने नियो-बुद्धिस्ट को आरक्षण देने की बात कही है। (**व्यवधान**)

1981 की सेंसस रिपोर्ट के अनुसार शेड्यूल्ड कास्ट 11 करोड़, यानी 10.5 प्रतिशत हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग 5 करोड़, यानी 7.5 प्रतिशत हैं और कन्वर्टेड बुद्धिस्ट 3 करोड़ हैं। 18 करोड़ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, जिनका प्रतिशत 16.5 और 7.5 है, इनको आरक्षण दिया गया है। अब अगर इसमें 3 करोड़ आबादी और बढ़ाई जाएगी तो आरक्षण को बढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ेगी। इस बारे में अभी आपने कोई घोषणा नहीं की है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है, आरक्षण को बढ़ाना पड़ेगा।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं, दो दिन पहले मैंने चर्चा की थी फतेहपुर दुर्घटना की, जिसमें एक हरिजन को जिंदा जला दिया गया था···।

उपाध्यक्ष महोदय : समय कम है, आप घटनाओं को छोड़कर मुख्य बात पर आइए, ज्यादा समय नहीं है।

श्री आर० एन० राकेश : यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि उसी को लेकर यह बहस रखी गई। दो मिनट में बातों को कहने दीजिए, जो ज्यादतियां हुई हैं, उनके बारे में कह रहा हूं। जब यह बहस रखी गई थी तो उस समय कहा गया था कि सब बातें आप कह लीजिएगा। मैं गृह मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, धनराज हरिजन, जो 22 वर्ष का था, जिसे जिन्दा जला दिया गया था, और दो हजार रुपया उसको दिया गया था मेरे द्वारा दो दिन पहले उस मसले को उठाने के बाद उसे 2 हजार के साथ 8 हजार रुपया और दे दिया, कुल 10 रुपया दे दिया। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन सरकार कहीं एक लाख देती है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी, जहां ऐसे अत्याचार हुए वहां 45 हजार रुपया दिया है। प्रधान मन्त्री के क्षेत्र में हरिजन को जिन्दा जला दिया गया और उसकी जान की कीमत 10 रुपया लगायी है। कहीं-कहीं यदि ऐसी ऐट्रोसिटीज होती हैं तो आप एक लाख भी देते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप कितना चाहते हो ? (**व्यवधान**)

श्री आर० एन० राकेश : आप कितना चाहते हो अपनी जान की कीमत। आपको शर्म नहीं आती, ऐसी बातें करते हो, आप मुझे बोलने दीजिए। जब आपका मौका आएगा तो आप बोलिएगा। शैड्यूल्ड कास्ट की जिन्दगी का दाम 10 हजार रुपया लगाया है, इसके लिए आपको बधाई देता हूं। आप क्यों परेशान हैं। उस दिन की घटना आपकी जानकारी में अखबारों के माध्यम से आ चुकी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 5 अप्रैल को जो लोग प्रधान मन्त्री के कार्यकर्ता हैं, * जो धर्मपुर पोलिंग स्टेशन पर इनका एजेंट रहा है, * (**व्यवधान**)

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। माननीय सदस्य ने कहा कि प्रधान मन्त्री के कार्यकर्ता हैं। वे कार्यकर्ता नहीं हैं, वे कोई अन्य तत्वों से संबंधित हैं। इनको इस तरह से प्रधान मन्त्री के बारे में नहीं कहना चाहिए। (व्यवधान) जो मैं कह रहा हूं अगर यह गलत हो जाए तो मैं लोक सभा से इस्तीफा दे दूंगा। इस बात का मैं चेलेंज करता हूं। अगर ठीक है तो हिम्मत होनी चाहिए प्रधानमन्त्री जी लोक सभा से इस्तीफा दें। मैं कहता हूं वह प्रधान मन्त्री जी का वर्कर है और इलेक्शन एजेंट रहा है। मेरे पास उसका रिकार्ड है।···*··· मृतक की पत्नी कुच्ची देवी को खेत में ले गए खेत काटने के लिए। कुच्ची देवी की आबरू को लूटने के लिए उसे नंगा कर दिया, उसे खड्डे की ओर ले जाने लगे। उसकी जान बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए जब उसका पति आया तो उससे मारपीट की गई और मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया···*····वह दिसम्बर 1984 में एक हत्या कर चुके हैं। उसके लिए 20 साल की सजा हुई थी। वे बेल पर छूटे हुए हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदन के मेंबर नहीं हैं, आप बोल रहे हैं कि उन्होंने हत्या की है, उनके नाम रिकार्ड पर नहीं जाएंगे।

श्री हरीश रावत : यदि उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है, तो नाम रिकार्ड में जाने में क्या हर्ज है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जजमेंट के बाद यह संभव है। जिस किसी भी आदमी को यहां डिफेंड करने का चांस नहीं है, तो उनका नाम नहीं लेते हैं। किसी के खिलाफ अगर केस हुआ है तो उसकी जजमेंट आनी चाहिए। आप किसी का नाम लेंगे, उसको बोलने का यहां चांस नहीं मिलेगा, यह ठीक नहीं है।

श्री हरीश रावत : आरोप कह सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कह सकते हैं कि उस पर यह आरोप है।

श्री आर० एन० राकेश : जिनके खिलाफ फौजदारी हो रही है, जिन्दा जलाये जाने की रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई है और मुकदमा चल रहा है उसका किस तरह से डिफेंस हो रहा है वह अखबार में आ चुका है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक तरफ यह हुआ और दूसरी तरफ 3 दिसम्बर को प्रधान मन्त्री के ही क्षेत्र में मऊ थाने में तीन हरिजनों को गोलियों से भून दिया गया। मैंने खुद मौके पर जाकर लोगों से पूछा तो कहा गया कि हमारे यहां के सांसद प्रधान मन्त्री हो गये हैं इस खुशी में हमने तीन हरिजनों की बलि दी है। दिल्ली में काफी समय पहले कुछ लोग बड़े-बड़े नेताओं के यहां गए रात को और उसके बाद अम्बेडकर साहब के यहां भी गये। नेता लोग तो सो रहे थे लेकिन 12 बजे रात को अम्बेडकर साहब जाग रहे थे। जब उनके कहा कि और नेता तो सो रहे हैं और आप क्यों जाग रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि औरों के लोग जाग रहे हैं इसलिए वह सो रहे हैं, मेरे लोग चूंकि सो रहे हैं इसलिए मैं जाग रहा हूं। इस सरकार का प्रधान मन्त्री अपने ही क्षेत्र में सो रहा है तो देश के बारे में क्या होगा। आजमगढ़ जिले में एक व्यक्ति ने अपने घर पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बुलाया उससे वह अपने फर्जी कागजात तैयार कराकर बिल पास कराना चाहता था, जब उसने मना किया तो उसने उसे मारकर अधमरा करके लाश को ट्रैक्टर में लादकर सड़क के किनारे फेंक दिया। लेकिन वह कुछ लोगों द्वारा अस्पताल पहुंचा दिया गया और उसने जिसको मरा हुआ समझा था, सारी घटना अपनी पत्नी और परिवार वालों को बता दी और

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उस इन्जीनियर के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ और उसके भाई के खिलाफ भी हुआ। लेकिन उसको बचाया जा रहा है। वहां के आदमियों से मैंने बात की··· आपने बहुत कम समय दिया है···

उपाध्यक्ष महोदय : आपके 10 लोग हैं, मेरे पास 40 लोगों की सूची है। आप एक कहानी में ही इतना समय ले रहे हैं, 10 मिनट आपको हो गये हैं। मैंने दूसरों को छोड़कर आपको बुलाया है।

श्री आर० एन० राकेश : 10 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। वहां भी मुकदमे को दबाने की कोशिश की जा रही हैं, मुलजिम को बचाया जा रहा है, शासन का प्रोटेक्शन मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस मामले में जो आजमगढ़ जनपद में घटा है उसकी जांच करें। मध्य प्रदेश की घटना आपके सामने आ ही चुकी है। कुछ साथियों ने कहा कि आर्थिक आधार पर अनुसूचित जाति के लोगों का उद्धार होना चाहिए। क्योंकि वह आर्थिक आधार पर पिछड़े हैं। अभी मल्होत्रा जी ने आंकड़े दिए और उनके बारे में काफी कुछ कहा, मैं उनसे सहमत हूं। आर्थिक आधार पर तीन बातों की ओर दृष्टिगत करता है। एक तो शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लड़के हैं, उनको पिछले तीन महीनों से कहीं नियुक्ति नहीं मिल रही है। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। मैं इलाहाबाद से आता हूं। यू० पी० के कई जिलों को देखा। वहां नहीं मिली। मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात आदि में नियमित रूप से सर्विस नहीं मिल पा रही है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राईब्स के लड़कों को अधिक से अधिक नियमित ढंग से नौकरी दिलवाएं। यह देखा गया है कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के लोगों का घोर शोषण हो रहा है। न्यो-बुद्धिस्ट का अभी सवाल नहीं है क्योंकि उसके लिए आपकी पालिसी नहीं है लेकिन अनुसूचित जाति की प्रथम श्रेणी की नौकरियों में 3.83 प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी की नौकरियां 10.47 प्रतिशत, तृतीय श्रेणी की नौकरियां 15.03 प्रतिशत, चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां 19.19 प्रतिशत जिनमें नगर महापालिका को भी शामिल किया गया है। इस देश में 22.5 प्रतिशत आबादी शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज की है जिसमें 7 प्रतिशत को नौकरी मिली, दो प्रतिशत भूमि पर गुजर कर रहे हैं। 13 प्रतिशत ऐसे हैं जो सर्वहारा हैं, अनाथ हैं जिनके पास जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं। अभी आपकी अपनी सरकार का गठन हुआ है उसमें पहले 19 मन्त्री रखे गए तो अनुसूचित जाति का केवल एक रखा गया, अब उसकी संख्या 40 हो गयी तो अनुसूचित जाति के दो हुए। इसके अलावा 27 गवर्नर रखे जिसमें अनुसूचित जाति का केवल एक है तो यह है आपका नजरिया और आपकी सरकार का। जो लोग सरकारी नौकरियों में हैं, उनको ब्यूरोक्रेट्स किस तरह से नचा रहे हैं, उसका एक छोटा उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं।

उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर जब कंस्ट्रक्शन में चीफ इन्जीनियर थे तो अपने बिरादरी के चार अधिकारियों को डी० एस० ई० रखा और जब ये रेलवे बोर्ड में सेक्रेटरी हो गए तो इन्होंने अपनी बिरादरी के और रिश्तेदारों को डी० आर० एम० बना दिया और खुद बड़ौदा हाउस में उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर बन गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद डी०आर०एम० आफिस में एक अनुसूचित जाति का अधिकारी था। माघ मेले और महा कुंभ मेले के समय जब इन लोगों ने 15 करोड़ रु० का घोटाला किया और जिसके सबूत मैंने रेल मंत्री श्री जार्ज फर्नांडीज को दर्जनों संसद सदस्यों के दस्तखत करके दिया और जब इसकी इन्क्वायरी शुरू हुई तो अनुसूचित जाति के उक्त अधिकारी को बाध्य किया जा रहा है कि तुम इस कम्पलेंट को वापस लो। उसके खिलाफ इन लोगों ने एक्शन शुरू कर दिया। जब यहां से कुछ संसद सदस्य रेल मन्त्री के पास पहुंचे तो रेल मन्त्री ने कहा कि यह तो अन्याय हो रहा है और इसको रोक दिया लेकिन अधिकारी वहां हमेशा की तरह

पहुंच गये तो फिर यह काम रोक दिया गया। कई संसद सदस्यों ने यह कहा कि यह क्या हो रहा है ? फिर रोक दिया गया। इस प्रकार ब्यूरोक्रेसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मुद्दे को लेकर इस प्रकार का नाच नचा रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जो न्यो-बुद्धिस्ट हैं, उनके प्रति सरकार का रवैया साफ होना चाहिए। तीसरी बात है पट्टा देने की। श्री मल्होत्रा ने कहा कि पट्टे न देने के आंकड़े दिए जिसमें मैं नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा कि पट्टेधारियों को पट्टे तो

7.00 म० प०

दे दिए गए हैं लेकिन अभी तक उन्हें पट्टों पर कब्जा नहीं मिला। मैं यहां आपके सामने इलाहाबाद की बात करना चाहता हूं। अभी आपने सदन में जो आंकड़े दिए, उनमें इलाहाबाद का भी एक ऐसा ही मसला है। इलाहाबाद में एक ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट की 6400 एकड़ जमीन 1974 में सरप्लस घोषित की गई जिसे 800 लोगों के बीच में उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री हेमवति नन्दन बहुगुणा ने पट्टे के आधार पर आबंटित कर दिया। सभी को जमीनों के पट्टे बंट गए। उसके बाद 8 दिसम्बर, 1986 की उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही में, वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री, श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि * इस 6400 एकड़ भूमि के पट्टे गरीब लोगों को दिए गए हैं, भूमिहीनों को दिए गए हैं। जब तक उस ट्रस्टी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक यहां के गरीबों को न्याय नहीं मिल सकता। उन्होंने मांग की। आज मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या आप उस ट्रस्ट के ट्रस्टी को गिरफ्तार करेंगे क्योंकि उसकी वजह से ही इलाहाबाद के 800 पट्टेधारियों को उनकी जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाया है। वह मामला 1974 से आज तक ऐसे ही लटकता आ रहा है, किसी को कब्जा नहीं मिला है। क्या आप उनको कब्जा दिलाएंगे। यदि आप कब्जा दिलाने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको और ज्यादा जानकारी देना चाहता हूं····*···· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, मैं अभी एक मिनट का समय और लूंगा। चूंकि समय कम है इसलिए ज्यादा बातें आपसे नहीं कह सकूंगा।

यहां इस अवसर पर मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के सेंट्रल हाल में डाक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित करके आपने अच्छा काम किया। यह काम पूर्व सरकार को काफी पहले कर लेना चाहिए था, वह नहीं कर पायी। आपने प्रतिमा स्थापित करके अच्छा काम किया। डा० अम्बेडकर एक महान देशभक्त थे·····** क्या अच्छा होता कि एक देशभक्त डा० अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण, उनके जैसे व्यक्तित्व की प्रतिमा का अनावरणकिसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से कराया गया होता···

(व्यवधान)**

इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं कि जब तक नजर नहीं बदलेगी, काम करने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, तब तक इस देश से एस०सी० और एस० टी० का भला नहीं हो सकता।

सताये जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं,
उठाये जो गरीबों को उसे भगवान कहते हैं।

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

लेकिन मुझे भगवान तो यहां कोई दिखायी नहीं देता, आपके कारनामों में, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आपको सद्बुद्धि दे, बाबा साहेब से प्रार्थना है कि वे भी सरकार को सद्बुद्धि दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास नामों की लम्बी सूची है। यदि आप लोग स्टोरीज, कहानियों आदि हर चीज में जाने लगेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी आप सब लोगों से विनती है कि केवल पौलिसी मैटर पर ही अपने विचार रखें, पौलिसी मैटर पर ही बोलें। ज्यादा से ज्यादा दो-तीन मिनट में ही अपनी बात कह दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री रेशम लाल जांगड़े (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष जी, सारे देश में अपराधों के मामले में मध्य प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है तथा बिहार और राजस्थान क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। छुआछूत के अपराधों के मामले में तमिलनाडु सबसे पहले नम्बर पर है और राजस्थान एवं बिहार क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। ऐसा क्यों है, इसका कारण है, मैं यह समझा हूं कि ऐसा राजनैतिक द्वेष या राजनैतिक व्यवस्था के कारण नहीं, बल्कि हमारी धार्मिक, सामाजिक और भूमि सम्बन्धी व्यवस्था में त्रुटियों के कारण होता है। जब अपराधी पकड़े जाते हैं उस समय राजनीति का खेल प्रारम्भ हो जाता है और उन्हें बचाने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। यही कारण है कि उन अपराधियों के संरक्षण के कारण अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचार बढ़ते जाते हैं। तो शासन को या किसी देश के व्यवस्थापक को इस बात को समझना चाहिए कि अपराध होने के बाद, उससे निष्पक्षता से निपटा जाए, उसमें राजनीति न लाई जाए। यही कारण है कि पिछले 40 साल में अत्याचार घटे नहीं बढ़े हैं। आज यह स्थिति है कि भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पूर्ण रूप से छुआछूत न हो। हर गांव में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मात्रा में छुआ-छूत विद्यमान है। हम हैदराबाद के निजाम का पतन करा सके, हमने गोआ को पुर्तगालियों से आजाद करा लिया, लेकिन देश से छुआछुत को खत्म नहीं कर सके, यह देश की बदकिस्मती है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से पहले लगभग 40 वर्ष तक राजीव गांधी, यानी कांग्रेस की सरकार रही। राजीव जी ने इतने वर्षों में कुछ नहीं किया, लेकिन आखिरी साल में, चूंकि चुनाव का साल था, इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के वोट छीनने के लिए उन्होंने पदों में बैकलॉग को पूर्ण करने के आदेश दिए, लेकिन वे पद भी पूर्ण रूप से नहीं भरे गए। उसमें भी राजीव गांधी असफल रहे। देश में जितने गवर्नर हैं या विदेशों में राजदूत हैं, उनमें एक भी अनुसूचित जाति और जन-जाति या हरिजन आदिवासी वर्ग का नहीं है। यह कांग्रेस की राजनीति है। देश में जितने जज और अन्य पदों पर हरिजन आदिवासी के लोग हैं, उनकी दुर्दशा है। इन जातियों के लोगों की विदेश मन्त्रालय में, सुरक्षा विभाग में और अन्य कई ऐसे विभाग हैं, जहां बेहद कमी है। इन पर भी हमें विचार करना है। हमने हजारों करोड़ रुपए हरिजन और आदिवासियों के नाम पर खर्च किए हैं, लेकिन उनको केवल मट्ठा पिलाया है और इस देश के राजनेता और अधिकारी असली मलाई को खा गए हैं। इसके बारे में आपको गम्भीरता से सोचना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हरिजन और आदिवासियों की जमीनें इस देश में लाठी और आतंकवाद की वजह से छीनी गईं। हरिजन और आदिवासियों की जमीनें विभिन्न राज्यों में दिलाने के लिए क्यों कानून नहीं बनाया गया है ? इस सम्बन्ध में सरकार विचार करे क्योंकि लाखों एकड़ जमीन छीनी गई है। आज देश में आर्थिक और उद्योग की नीति इस प्रकार से बनाई गई है कि हरिजन और आदिवासी लोग बहुत ही कम संख्या में देखे जाते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि एक आदमी 5 हजार करोड़ का मालिक बन रहा है, और दूसरी तरफ लोग दाने-दाने को तरस रहे हैं। क्या बात है ? आज क्यों हरिजन और आदिवासी लोग शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं ? जितने ज्यादा शहर बस

रहे हैं, उतने ही ज्यादा गांव उजड़ रहे हैं और हरिजन और आदिवासियों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जब तक हरिजन आदिवासियों को गांव से पलायन करने से रोका नहीं जाएगा, तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हरिजन और आदिवासियों के नाम पर कई राज्यों में अलग थाने बना दिए गए हैं, लेकिन क्या कारण है कि उन थानों में निकम्मे थानेदारों को रखा जाता है। क्यों नहीं वहां योग्य थानेदारों को रखा जाता है ? आज स्थिति यह है कि छुआछूत के केस 6-7 साल तक लटके रहते हैं, पेशियों पर पेशियां लगती रहती हैं, लेकिन फैसला नहीं होता है। थानेदारों द्वारा समय पर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। मजबूर होकर लोगों को अपने गवाहों को बदलना पड़ता है या केस को वापस लेना पड़ता है। बड़े-बड़े जघन्य कांडों की बात मैं बताना चाहता हूं। हमारी बी० एस० पी० की मायावती यहां कह रही थीं कि बी० जे० पी० ने हरिजनों पर अत्याचार किए हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बी० एस० पी० के लोग कभी भी हरिजनों पर अत्याचार के समय बचाने नहीं आते। वे तो वहां हुड़दंग करते हैं, झंडा लेकर चलते हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए कभी नहीं आते हैं। लेकिन बी० जे० पी० वालों ने हरिजनों पर कभी अत्याचार नहीं किए और जहां अत्याचार हुए हैं, वहां वे गए हैं, उनकी साक्षियां दी हैं, उनको छुड़वाया है। हमारे मध्य प्रदेश में हमने कमीशन के सामने गवाहियां दीं, उनको बचाया। हम छुआछूत में विश्वास नहीं करते हैं। न कर्म में, न व्यवहार में। हमारे यहां सब समान है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में कुछ ऐसी पार्टियां हैं, जो वर्ग-संघर्ष को बनाकर यहां मनु की स्मृति की बात करके, कट्टता पैदा करने का प्रयास करती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मनुस्मृति आज से चार हजार साल पहले यहां चलती थी। उसको आज हिन्दुस्तान के 90 प्रतिशत लोग जानते तक नहीं हैं कि यह क्या होती है। फिर उसकी बात कह कर यहां क्यों वर्ग-संघर्ष को बढ़ाने की बात की जाती है ? अब तो सामाजिक अस्थिरता और असमानता की स्थिति में थोड़ा अन्तर पड़ा है। अब हरिजन आर्थिक और उद्योग के सम्बन्ध में, धंधे के सम्बन्ध में पिछड़े हुए है। इसलिए हमें इनके लिए उद्योग और धंधो के विषय में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आज वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था कहां रह गई है ? शादी-विवाह, खाना-पीना जहां भी देखें कोई जाति को नहीं पूछता है और जो पूछता है वह बदनाम होता है। जाति व्यवस्था खत्म हो गई है, केवल निजी जीवन में जाति प्रथा रह गई है। रेलगाड़ी में नहीं है, कारखानों में नहीं है, केवल निजी व्यवस्था में है। गांव में छुआछूत मानते हैं, बाहर नहीं मानते हैं, यह भावना हो गई है। कांग्रेस शासन ने हरिजन दो अक्टूबर का मखौल उड़ाया है, अस्पृश्यता सप्ताह का मखौल उड़ाया है, इसके साथ-साथ छुआछूत को दूर करने वाली गैर शासकीय संस्थाओं को लेकर केवल उसकी पुष्टि की है, हरिजनों का उद्धार नहीं कराया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी भी हरिजन फंडस का दुरुपयोग किया गया। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले के सैकड़ों ग्रामों का समूह ऐसा है जहां पर एक भी मिल नहीं है और इस ग्रामीण क्षेत्र में सड़क उपलब्ध नहीं है। इस तरह की हमारी उपलब्धि है और इस उपलब्धि के नाम से करोड़ों रुपए हमने खर्च किए हैं। यह हालत बिलासपुर जिला रायपुर जिले के मुंगेलों तहसील में है। वहां हरिजन कांस्टीट्यूऐंसी है, जहां-जहां भी हरिजन क्षेत्र बनते हैं वहां पर केन्द्रीय शासन हो या प्रदेश का शासन हो, उसकी उपेक्षा की जाती है और हरिजनों को कोई सुविधा नहीं देते हैं। यह हमारी दुर्दशा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति कमीश्नर और उसके साथ-साथ अनुसूचित जनजाति की समिति की जो रिपोर्ट है, विधानसभाओं में उसकी चर्चा क्यों नहीं होती है, इसको ओब्लीगेटरी क्यों नहीं करते, इसकी चर्चा

होनी चाहिए ? तभी हम जान सकते है कि इस देश में क्या हो रहा है । हम उसको नजरअंदाज करते हैं और अन्य बातों पर चर्चा करते हैं । भूमिहीन और हरिजनों, आदिवासियों को जो पट्टे मिले हैं, उन पट्टों पर केवल पटवारी कागजात में कब्जा है । कितनी जमीन है, कहां पर है, आज तक कोई पता नहीं है । बैंक हरिजन, आदिवासी के लिए कर्जा देने की बात करता है लेकिन उनको नहीं मिलता है, उनके नाम पर दूसरे आदमी खा जाते हैं और जब कर्जा देने की बात आती है तो वह हरिजन, आदिवासी के मत्थे पड़ता है, यह हमारे देश की दुर्दशा है ।

मैं आपको परीक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा । मेडिकल कालेज, इन्जीनियरिंग कालेज की पी. एम. टी. पी. ई. टी. की परीक्षा होती है, उसमें हरिजन, आदिवासी की परीक्षा को अलग ढंग से जांचा जाता है और जनरल की परीक्षा को अलग ढंग से जांचा जाता है । इसका फल यह होता है कि उसके जो वैल्यूअर होते हैं, वे जानबूझकर हरिजन, आदिवासी को फेल करते हैं और इसीलिए मेडिकल कालेज और इन्जीनियरिंग कालेज में हरिजन, आदिवासी की संख्या कम बताई जाती है । जब तक परीक्षा पद्धति बदली नहीं जाएगी, एक साथ मिलकर एक नई पद्धति नहीं बनाई जाएगी तब तक 20-25 साल में भी मेडिकल कालेज, इन्जीनियरिंग कालेज में हरिजन, आदिवासी की संख्या पर्याप्त रूप से भरी नहीं जाएगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब बोलने वाले बहुत हैं । आप अच्छे पाइन्टस दे रहे हैं मगर टाइम बहुत कम है ।

श्री रेशम लाल जांगड़े : मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में कुछ ऐसे आदिवासियों के नाम से लिस्ट में जो संशोधन की बात सोची जा रही है, मैं कहना चाहता हूं कि कुछ विदेशी मिशनरी के सहारे से कुछ आदिवासियों को वहां पर डबल ट्रिपल फायदा मिलता है । मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ईसाई मिशनरी से अलग लाभ और शासन से अलग लाभ मिलता है । इसलिए मूल आदिवासी केवल चपरासी या मास्टर बनता है और कनवर्टेड आदिवासी कलैक्टर, डिप्टी कलैक्टर या आई. ए. एस. अधिकारी बनता है ।

श्री पीयूष तीरकी (असीपुर द्वार) : आदिवासियों को मिशनरी ने क्या किया, आपको मालूम है ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पियूष तीरकी : आपको उस तरह नहीं बोलना चाहिए । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तीरकी, क्या आप बोलेंगे ? आप उस समय अपनी बात कह देना । अब उन्हें बोलने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री रेशम लाल जांगड़े : हरिजन विशेषांक घटक योजनाएं जिन जगहों में चल रही हैं, उनकी घोर उपेक्षा राज्य शासन द्वारा की जा रही है । इसके लिए केन्द्र सरकार अलग से पहल करके इनके लिए योजनाएं बनाए । मध्य प्रदेश में बस्तर और सरगुजा ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ है । अत: इस ओर आप विशेष ध्यान दें ।

इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सरजू प्रसाद सरोज (मोहनलाल गंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । समय कम होने के कारण मैं संक्षेप में अपनी बात

कहना चाहूंगा। मैं एक शेर से अपनी बात कहना चाहता हूं :

"लरजता है फलन, मजलूम जब फरियाद करता है,
सुनो, अल्लाह जालिम कौम को बरबाद करता है।"

उपाध्यक्ष महोदय, देश को आजाद हुए 42 साल हो गए हैं। देश आगे बढ़ा, विकसित हुआ लेकिन अगर हम मुड़कर देखें तो एक चीज स्पष्ट होती है कि विकास का लाभ हरिजनों को पूरा नहीं मिला। आज भी इनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके पीछे कारण जानने की आवश्यकता है। संविधान हमारा समाजवादी है, आर्थिक व्यवस्था पूंजीवादी है और सामाजिक व्यवस्था सामंतवादी है। जब तक सामाजिक व्यवस्था सामंती रहेगी और आर्थिक व्यवस्था पूंजीवादी रहेगी, सामाजिक अन्याय और आर्थिक विषमता की खाई बनी रहेगी और इसी प्रकार से विषमता रहेगी और गरीबों के साथ कभी न्याय नहीं हो सकेगा।

देश में बहुत से नेता आए, बहुत सी नीतियां बनीं, बहुत पैसा खर्च हुआ लेकिन जब तक नीयत नहीं होगी, जब तक हमारी सरकार में या विगत सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक हमारी समस्याओं का निदान नहीं होगा। मैं मौजूदा सरकार के प्रति यह आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बिमल सरकार ने जो 42 वर्षों में काम नहीं किया वह मौजूदा सरकार ने सौ दिन में कर दिया। केन्द्रीय कक्ष में डाक्टर अम्बेडकर के चित्र का अनावरण किया और उन्हें "भारत रत्न" की उपाधि प्रदान की। नव-बौद्धों को अनुसूचित जाति के समान सुविधाएं देने का विचार किया गया। मैं विगत सरकार के प्रति अपने भाव व्यक्त करना चाहता हूं। जो नीतियां बनीं, पैसा खर्च किया और आई०आर०डी०पी० योजनाओं के नाम पर लोनी की गई उसमें खाने वाले समाज के बड़े-बड़े लोग थे। हरिजनों के नाम पर इन्दिरा आवास बनाए गए। पहले समाज में गांवों में 21 : 15 को बखरी बनती थी, लेकिन कांग्रेस शासन में 7 : 5 की बखरी बनाने का प्रयास किया गया। इसको निवास नहीं बल्कि हरिजनों का कब्रिस्तान कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। भैंस पालने के लिए जो व्यवस्था की गई, उसका लाभ भी उन गरीबों को नहीं मिला। केवल वोट लेने की नीयत से ही इस प्रकार की योजनाएं बनायी गयीं।

मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि समाज में कुछ मूल रूप से व्यवस्थाएं हैं जिनको बदलने की आवश्यकता है। आज भी समाज में जो बड़े लोग हैं और सामंती प्रवृत्ति के लोग है, वे हरिजनों पर ज्यादती करते हैं और उनके साथ अन्याय करते हैं। जब इस मामले में एफ० आई० आर० दर्ज किया जाता है और अदालत में मुकदमा चलता है तो गवाह न मिलने की वजह से सारा मामला वहीं खत्म कर दिया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक स्पेशल कोड बनायें। अनुसूचित जातियों के साथ जो अत्याचार होता है। उन मामलों को निपटाने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाये। आई० पी० सी० और सी० आर० पी० सी० में परिवर्तन किया जाए। मेरे कुछ सुझाव हैं। कि 25 आर्म्स एक्ट 07/116, 151 और 109 जाब्ता फौजदारी, 399 और 402 आई० पी० सी० ये ऐसी दफाएं हैं जिनको आज भी गांव का शक्तिशाली वर्ग, प्रभावशाली लोग अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलाकर अपने संसाधन के आधार पर उन्हें दबाते हैं और उनके मनोबल को गिराते हैं। मेरा एक निवेदन है, सरकार इस पर ध्यान दे जिससे इनके प्रति ज्यादतियां न हों।

मैं एक मामले का संदर्भ आपके सामने देना चाहता हूं। नागपुर भारतीय रिजर्व बैंक में आर० आर० जरियाल नाम के व्यक्ति हैं जिनकी बहन कुमारी प्रमिला का जून, 1989 में अपरण कर लिया गया, इसमें एफ० आई० आर० हुई है, मुल्जिम का नाम भी अंकित किया गया···

उपाध्यक्ष महोदय : उसको आप मिनिस्टर साहब के पास भेज दीजिए। ऐसे मामलों में यहां कुछ भी नहीं होता है।

श्री सूरज प्रसाद सरोज : लेकिन आज भी उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है, वह कांग्रेस पार्टी से सम्बन्धित हैं। मैं इसी संदर्भ के साथ चाहता हूं कि जो भी सुझाव आपको दिए गए हैं, व्यावहारिक रूप में इनके साथ अच्छी नीयत से इसको लागू किया जाये जिससे इन लोगों के साथ न्याय हो।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री सुखेन्दु खां** (विष्णुपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 193 के अन्तर्गत श्री विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के बारे में शुरू की गयी इस चर्चा में भाग लेते हुए अपनी मातृभाषा बंगला में बोलूंगा।

मैं माननीय श्री मल्होत्रा द्वारा यह चर्चा प्रारम्भ करते हुए कही गई अधिकांश बातों से सहमत हूं। आज मैं सभा के समक्ष इस बारे में अपने कुछ विचार रखना चाहूंगा। मेरा समय काफी सीमित है। अब मुझे उतना समय देने में असमर्थ हैं जितना मुझे मेरे पास उपलब्ध सभी तथ्यों तथा आंकड़ों को इस माननीय सभा के समक्ष रखने के लिए चाहिए। मैं इस विषय पर बोलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे सभी अन्य माननीय सदस्यों के धैर्य को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं।

मैं यह कहते हुए अपना भाषण शुरू करूंगा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य उन गरीब लोगों से है जिनके नाम अनुसूची में शामिल हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझसे पहले बोलने वाले कई माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के बारे में विभिन्न बातें कहीं थीं और उनके लिए सहानुभूति व्यक्त की थी। उन्होंने इस सभा के बाहर भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के बारे में बोलते समय इन गरीब लोगों के लिए नकली आंस बहाए थे। परन्तु मुझे सन्देह है कि क्या उनमें से अधिकांश वस्तुतः इसके बारे में गम्भीर हैं और वे अपने हृदय से इन अभागे लोगों की बेहतरी तथा उत्थान चाहते हैं अथवा क्या उन्होंने इसके लिए कोई गंभीर प्रयास किए हैं। मैं ऐसा नहीं सोचता।

महोदय, पीछे 14 अप्रैल, को डा० अम्बेडकर का चित्र संसद के केन्द्रीय कक्ष में लगाया गया था। डा० अम्बेडकर अविभाजित भारत के सर्वोच्च तीन बुद्धिजीवियों में से एक थे। दो अन्य श्री एम० एन० राय तथा मोहम्मद अली जिन्ना थे। तथापि डा० अम्बेडकर हमारे संविधान के निर्माता थे। परन्तु क्या स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर लगभग 42/43 वर्षों तक इस देश पर शासन करने वाले लोगों द्वारा उनको उचित आदर, सम्मान तथा मान्यता दी गई है? उन्हें वह सम्मान क्यों नहीं दिया गया था? यह केवल इसलिए क्योंकि वे अनुसूचित जाति के थे। वे उन्हें अपने हृदय से केवल उसी कारण एक महान व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सके थे।

आज हमारे बीच अधिकांश लोग भूमि सुधारों के बारे में कई बात कह रहे हैं। परन्तु पश्चिम बंगाल को छोड़कर क्या किसी अन्य राज्य ने वस्तुतः मौलिक भूमि-सुधार किए हैं? अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर किए जाने वाले अत्याचारों, उनके साथ किए गए बलात्कार के मामलों'

* मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आदि के बारे में सभी राज्यों के बारे में आंकड़े भारी मात्रा में उपलब्ध हैं। परन्तु उनमें आपको पश्चिम बंगाल का नाम नहीं मिलेगा। यदि मिल भी जाए तो ये आंकड़े बहुत थोड़ी-सी मात्रा में होंगे।

जनता दल सरकार ने डा० अम्बेडकर के चित्र को संसद के केन्द्रीय कक्ष में लगाया है और उसके लिए मैं अपने दल की ओर से प्रधान मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

महोदय, प्रत्येक रविवार को दूरदर्शन पर महाभारत दिखाया जा रहा है। महाभारत एक महाकाव्य है। महाभारत में एक त्रासदी हुई है और इस त्रासदी का नायक भगवान कृष्ण नहीं है, न ही युधिष्ठिर है, न ही अर्जुन है। इस त्रासदी का वास्तविक नायक खुद कर्ण है। कर्ण पांडवों की तरह कुन्ती का पुत्र था, परन्तु वह एक निचली जाति के सारथी के पुत्र के रूप में जाना जाता था। इस लिए, उसे मां के प्यार से दूर तथा वंचित रखा गया। बदले की भावना से परे कर्ण ने एक बार पाण्डवों पर आक्रमण किया और उन्हें हराया। पांडवों ने मजबूर होकर उसके साथ संधि की थी और उन्होंने पांच गांव छोड दिए थे। प्रत्येक व्यक्ति इस संधि से सहमत था। यहां तक कि धृतराष्ट्र ने भी अपनी सहमति दे दी थी। परन्तु कर्ण इस पर सहमत नहीं हुआ था। कर्ण यह बात भी जानता था कि उनके पास शक्ति तथा साहस है। यहां तक कि कुन्ती भी इस बात को जानती थी कि केवल कर्ण ही युधिष्ठिर अथवा अर्जुन को मारने में समर्थ है और वह उस कारण भयभीत थी और वह कर्ण के साथ शांति कराना चाहती थी। उसने कर्ण के समक्ष सारी सच्चाई खोल दी थी और उसे राजा बनाने का भी प्रस्ताव किया गया था....। मैं इस कहानी की गहराई में नहीं जाना चाहता, मैं केवल यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कर्ण को इसलिए महत्व नहीं दिया गया है क्योंकि वह एक निचली जाति के व्यक्ति के पुत्र के रूप में जाना जाता था। महोदय, हमारा प्रतिदिन का यह अनुभव है कि हम इन तथाकथित निचली जाति के लोगों को अपने हृदय से अभी तक अपने बराबर स्वीकार नहीं कर पाए हैं। हम एक ही मेज पर उनके साथ खाना खा सकते हैं परन्तु जब मैं किसी ऊंची जाति के व्यक्ति के लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी करने का प्रयास करता हूं तो मुझे उसकी ओर से अनिच्छा अथवा हिचकिचाहट देखने को मिलती है। वह एक या दूसरा बहाना बनाकर शादी के प्रस्ताव को टाल देता है। इससे यह पता चलता है कि हम अपने हृदय से अनुसूचित जातियों के लोगों के खिलाफ इस पूर्वाग्रह को समाप्त नहीं कर पाए हैं। यह वास्तविक स्थिति है। महोदय, मैं यह दिखाने के लिए कि वास्तविक स्थिति इस तरह है, लखनऊ की निम्नलिखित दो घटनाओं का उल्लेख करूंगा :—

1987 में सीतापुर जिले में मोहोली पुलिस थाने के अन्तर्गत पिपराबान गांव में अनुसूचित जाति के तीन व्यक्तियों की हत्या।

उन्नाव जिले में मारवी पुलिस थाने के भादेवना गांव में अनुसूचित जाति के तीन व्यक्तियों की हत्या।

निष्कर्ष यह है कि दोनों मामलों में स्थानीय पुलिस ने समय पर तथा भारतीय दण्ड संहिता की उपयुक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी।

पुलिस ने घटना के बारे से वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया था जिन्होंने तुरन्त मौके का दौरा किया था। पुलिस ने चार या पांच दिनों की अवधि के भीतर दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया था। चूंकि इसमें लम्बा समय लगेगा अतः मैं अधिक गहराई में नहीं जा रहा हूं।

दोनों मामलों में जांचकर्ता अधिकारी वैधिक तथा प्राक्षेपिक विश्लेषण, रिपोर्ट, अग्र स्थिति का

का सत्यापन आदि जैसे सभी उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे । पुलिस ने अभियोजन साक्ष्य के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं की ।

इस बात से हमें यह पता चलता है कि जो लोग अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या करने, उन्हें यन्त्रणा देने के लिए जिम्मेदार थे, उन लोगों के खिलाफ पुलिस तथा जांचकर्ता अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अभियोग नहीं चलाया गया था । त्रिपुरा और अन्य राज्यों में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं । जहां कानून लागू करने वाली एजेन्सियों की लापरवाही अथवा सहायता के कारण तथा इसलिए कि साक्षी साक्ष्य देने के लिए आने से डरते हैं, अपराधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है और वे खुले आम घूम रहे हैं ।

महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जाति सूचक उपनाम स्थायी रूप से हटाए जाने चाहिए । जब हम किसी साक्षातकार के लिए जाते हैं अथवा किसी संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठते हैं तो हमारे जाति सूचक उपनाम हमारे लिए भारी अड़चन पैदा करते हैं । निःसन्देह अनुसूचित जाति के लोगों को आयु में पांच साल की छूट आदि जैसी कुछ सुविधायें तथा रियायतें मिली हैं और संविधान में संशोधन करके इनकी अवधि और दस साल के लिए बढ़ा दी गई है । मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह अवधि अनिश्चित काल के लिए बढ़ायी जाती रहेगी । ये लोग अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कब काफी मजबूत हो जाएंगे ?

महोदय, पश्चिम बंगाल को छोड़कर, अन्य राज्यों में जहां पंचायतों के माध्यम से सत्ता का विकेन्द्रकरण नहीं हो पाया है और जहां भूमि सुधारों के माध्यम से भूमिहीन आदिवासियों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को फालतू जमीन वितरित की जा रही है, वहां यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जानी चाहिए कि क्या इन श्रेणियों के इन गरीब लोगों को वास्तव में जमीन का कब्जा मिल रहा है अथवा नहीं । इस बात की जांच की जानी चाहिए ।

महोदय, रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों के अनुसार हमारे देश के बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 3.50 करोड़ है । यह संख्या पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की है । परन्तु उन बेरोजगार व्यक्तियों, जो अपने नाम पंजीकृत नहीं करा पाए हैं, की संख्या 13 या 14 करोड़ है । हम जानते हैं कि 'काम के अधिकार' के माध्यम से बेरोजगार व्यक्तियों की इतनी बड़ी सेना को रोजगार प्रदान करना सम्भव नहीं है । इन 13 या 14 करोड़ बेरोजगार व्यक्तियों, जो रोजगार कार्यालयों में अपने नाम दर्ज नहीं करा सके थे, में से अधिकांश व्यक्ति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजायियों के गरीब हिस्सेदार श्रमिक, भूमिहीन श्रमिक, सीमांत किसान हैं । इन लोगों को मौलिक भूमि सुधारों के जरिए जमीन प्रदान की जानी है । महोदय, न केवल जमीन ही बल्कि उन्हें खेती करने के लिए आवश्यक उपकरण तथा आवश्यक सामग्री जैसी अन्य सभी सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए । हम सभी निश्चित रूप में इस उद्देश्य के लिए बजट में और अधिक निधियों के प्रावधान की मांग का समर्थन करेंगे । परियोजना अधिकारियों, विशेष अधिकारियों आदि को यह मानीटर करने का विदेश दिया जाना चाहिए कि क्या सरकार की योजनाएं उपयुक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही हैं अथवा नहीं । एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, आदिवासी उप योजनाएं आदि आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाएं सही स्थानों पर उपयुक्त रूप से कार्यान्वित की जानी चाहिए । उनके कार्यकरण की भी लगातार देख-रेख की जानी चाहिए । हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन लोगों के लिए ये कार्यक्रम बनाए गए हैं उन्हें ही इनका वास्तविक लाभ मिले ।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि हममें से अधिकांश लोग जातिवाद की बात करते हैं । यदि हमारे

देश के धन को सभी लोगों में उचित प्रकार से बांट दिया जाए तो मुझे विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति आराम से जीवन व्यतीत कर सकता है। कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होगा। यदि हम बजट में आबंटित धनराशि को विवेकपूर्ण और योजनाबद्ध तरीके से खर्च करें और देश के धन को लोगों में समान रूप से बांटकर लोगों की आर्थिक स्थिति और कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाएं तो बहुत से लोगों का विश्वास है कि हम अपने देश से जातिवाद का उन्मूलन करने में सफल हो जाएंगे। परन्तु मेरा यह विश्वास है कि जब तक पहले जातिवाद का उन्मूलन नहीं किया जाता तब तक गरीब और दलित लोगों का आर्थिक उत्थान नहीं होगा।

महोदय, श्री मल्होत्रा ने जो कुछ कहा है मैं पुनः उसका समर्थन करता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की कठिनाइयों के बारे में बोलूंगा यह मुद्दा मुख्यतः राजनीतिक है। इन लोगों को अभी तक राजनीतिक शक्ति नहीं दी गई है। हमारे राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया है। उनका कोई राज्य नहीं है।

उनकी विशिष्टता भी एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। उनकी विशिष्टता राज्यों की दया पर निर्भर है। यदि कुछ राज्य उन पर दया करते हैं तो वे उन लोगों को यह विशिष्टता प्रदान करते हैं कि अमुक जाति एक अनुसूचित जाति है तथा अमुक जनजाति एक अनुसूचित जनजाति है। उन्हें द्वितीय श्रेणी के नागरिक समझने की इस प्रवृत्ति को खत्म किया जाना चाहिए। केन्द्र की ओर से ही उनकी राष्ट्रीय पहचान होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों के लोगों को देश के प्रत्येक भाग में मान्यता दी जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में संसद में कानून बनाए जाने चाहिए और यदि आवश्यक हो तो संविधान में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। यहां तक कि सरकार को भी यह जानकारी नहीं है कि हमारे देश में अनुसूचित जाति के तथा अनुसूचित जनजाति के कितने लोग रह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चूंकि अच्छी सरकार है इसलिए वह कुछ हद तक जनजातियों की समस्या का समाधान कर रही है। मध्य प्रदेश से एक माननीय सदस्य यहां पर बोल रहे थे। उन्होंने यह बताया था कि अनेक ईसाइयों को धर्म परिवर्तन करके हिन्दू बनाया गया था, क्योंकि ईसाइयों को यह बताया गया था कि यदि वे हिंदू बन जाते हैं तो उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाएंगी। हमारे देश में ऐसी बातें हो रही हैं। उनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं है। यह इस शुद्धिकरण को रोका जाना चाहिए। जनजातियों का अपना धर्म है। वे हिन्दू नहीं हैं। वे सभी भारतीय हैं। इन्हें शक्ति दी जानी चाहिए। उन्हें अपने ही ढंग से खुद विकास करने देना चाहिए। उनकी अलग संस्कृति तथा भाषा है। उनका जीने का ढंग भिन्न है। जब वे खुद विकास करने का प्रयास कर रहे हों तो सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए। उनकी भाषा को घटिया नहीं माना जाना चाहिए। उन्हें किसी विशेष भगवान की पूजा करने अथवा कोई विशेष पूजा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि उनकी अपनी भाषा तथा संस्कृति है, अतएव, उन्हें खुद विकास करने देना चाहिए। जनजातियों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। जब हम जनजातियों के बारे में बात करते हैं, तो कुछ राजनीतिक दल जिनके कुछ राजनीतिक लाभ होते हैं यह सब करने के लिए आगे आ सकते हैं। जनजातियों के लोग यह सोचते हैं कि वे भारत की आदिवासी जातियां हैं और भारत के पहले बाशिंदे थे। वे यह सोचते हैं कि अन्य जातियां उन पर आक्रमण करके भारत में आयी हैं। उन्हें वन की जिन्दगी से अलग कर दिया गया है। उन्हें अब अलग कर दिया गया है और वे बंधुआ मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं। कभी-कभी उनके पास गुजारा करने के लिए कोई धन्धा नहीं होता है। मध्य प्रदेश, बिहार तथा

गुजरात में उत्तर से लेकर दक्षिण तक अथवा पूर्व से लेकर पश्चिम तक तथा मध्य में जनजातियों के इलाके हैं। भारत में जनजातियों की समस्या सामने आ रही है। सरकार को यह सोचना चाहिए कि जनजातियों के लोग खुद विकास कर सकते हैं। इसलिए सरकार को उन्हें राजनीतिक शक्ति देनी चाहिए। हम उसी राजनीतिक शक्ति के लिए अंग्रेजों से लड़े थे। परन्तु उन जनजातियों को अभी भी राजनीतिक सत्ता से वंचित किया गया है। यहां तक कि संसदीय समितियों में भी जिनकी संख्या काफी है, एक भी सभापति जनजाति का नहीं है ? हम जनजातियों का विकास कैसे शुरू कर सकते हैं ? हम पिछली सरकार तथा वर्तमान सरकार दोनों की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जनजातियों के लोगों तथा हरिजनों का शीघ्र विकास किया जाएगा। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि वे जनजातियों के लोगों के लिए क्या बेहतर कर हैं। शुरुआत कहां से करेंगे ? निर्णय लेने में जनजाति का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है। जनजातियों के लोग हमेशा अधीनस्थ कर्मचारियों के रूप में कार्य करते हैं। राज्यों में भी वे उप अधिकारियों अथवा सहायकों के पदों पर कार्य कर रहे हैं न कि विभागों के प्रमुखों के पद पर। वे संसद में भी अधीनस्थ हैं। मैं इसके कारण नहीं जानता। मुझे इस सरकार से काफी आशा है कि पिछली सरकार द्वारा पैदा की गई इन सभी विसंगतियों को दूर कर दिया जाएगा। जनजातियों के लोगों को सभी संभव ढंग से बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। केवल तभी हम कह सकते हैं कि यह सरकार ठीक कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती विद्या चेन्नुपति।

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : आज हमारी बैठक कब तक चलेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो हम कम से कम 8 बजे तक बैठेंगे और उसके बाद सभा स्थगित होगी और कल मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

[**हिन्दी**]

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा (पाटण) : उपाध्यक्ष महोदय, कम्युनल राइट्स के बारे में 3 बार 193 के तहत डिसकशन हुआ है, हरिजन-आदिवासियों के बारे में जो डिसकशन आया है, उसमें कितना समय दिया गया है। कितने हरिजनों का कत्ल हुआ है। समय सफिशिएंट नहीं है, समय बढ़ाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : समय पहले ही बढ़ाया जा चुका है।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस चर्चा के दौरान माननीय गृह मन्त्री जी को कुछ सुझाव देना चाहती हूं। यह दुख की बात है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम हरिजनों पर अत्याचार की बात कर रहे हैं। इस स्थिति के बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों पर अत्याचार के बारे में बहुत बात की जाती है, महिलाओं पर अत्याचार के बारे में बहुत बात की जाती है। आज हम देखते हैं कि लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर लड़ने लग गए हैं। यह जो लड़ाइयां हैं, इनको रोकने के लिए, समाज में सुधार करने के लिए हमको सोचना है। आज धर्म, जाति, प्रांत के नाम पर लड़ाइयां हो रही हैं, गांधी जी के समय में भी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, आज तक ये जाति और प्रांत के दंगे जारी हैं, उनमें बढ़ोत्तरी हो रही है। सेकुलर स्टेट में कैसे रहना चाहिए, इसको कोई नहीं समझता है। मैं सुबह से इस चर्चा को सुन रही हूं, गृह मन्त्री महोदय का भाषण भी मैंने सुना है, मुख्य बात जो सामने आई है वह यह

है कि आज इन्सान को इन्सान की तरह नहीं देखा जाता है। आज हमारे सामने यह सबसे बड़ा प्रश्न है, इस बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं, जिन पर सरकार अमल कर सकती है। मेरी मांग है कि इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज जो धर्म और जाति के नाम पर दंगे हो रहे हैं, धर्म इन्सानों के बीच में दीवार का काम कर रहा है, इस ओर हमको ध्यान देना होगा। इस दीवार को हमें तोड़ना होगा, हरिजन-आदिवासियों पर अत्याचार लगातार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं में बलात्कार के मामले हैं, इनसे सम्बन्धित मामले अदालतों में चलते रहते हैं। हाईकोर्ट में चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं, मगर चार-पांच साल तक इनका निपटान नहीं किया जाता। मेरा कहना है कि यदि आप हरिजन-आदियासियों पर अत्याचार पर रोक लगाना चाहते हैं, महिलाओं पर अत्याचारों पर रोक लगाना चाहते हैं तो इन मामलों को जल्दी तय करना शुरू कीजिए।

इसी तरह से सरकार हरिजनों के लिए अलग बस्ती बना देती है, इस तरह से तो हम हरिजनों को समाज से अलग रखना चाहते हैं। इसको दूर करने के लिए मिक्स्ड हाउसिंग स्कीम अपनानी चाहिए। सब लोगों के बीच में उनको मकान आलाट किये जाने चाहिए, इस तरह से मिक्स्ड हाउसिंग होने से सब लोग मिलजुल कर रहेंगे और भेदभाव कम होगा। इसी तरह से हम देखते है कि शैड्यूल कास्ट होस्टल, ट्राइब्स होस्टल बनाए जाते हैं, इनके स्थान पर भी इस तरह के होस्टल बनाए जाने चाहिए, जिनमें सब जातियों के लोग मिलजुल कर रहें। इससे भी आपस का भेदभाव समाप्त होगा। इन बातों की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। एजूकेशन सिस्टम में रैजिडेंट स्कूल होते हैं, वे भी जातियों के लिहाज से अलग-अलग होते हैं। इसको ऐसा नहीं रखना चाहिए। उनमें भी सभी जातियों के बच्चे रखे जाने चाहिए, उसमें मिश्रण होना चाहिए। परसेंटेज के मुताबिक आपको यह करना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो रिजर्वेशन है, ज्यादातर मेरी नजर में यह आ रहा है कि अर्बन वाले रिजर्वेशन ज्यादा ले रहे हैं। जो गांवों में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलती। इसलिए रूरल एरियाज के लिए कुछ परसेंटेज अलग से रिजर्व कीजिए। ताकि जो गांवों में रहते हैं उनको भी इसका फायदा मिल पाए।

मैं कहना चाहती हूं कि इन्टर कास्ट मैरीजिज जो करते हैं, एक हरिजन होता है और दूसरा नान हरिजन होता है, तो उनको इनसेंटिव दीजिए। इससे समाज में समभावना आ जाएगी और कास्टीज्म खत्म हो जाएगा। जो इन्टर कास्ट मैरिज करते हैं उनको जाब में रिजर्वेशन दें। जो पति या पत्नी हरिजन होते हैं उनको 3 हजार रुपया देते है, इससे काम नहीं चलेगा, उनको जाब में रिजर्वेशन दीजिए और एजूकेशन में उनके बच्चों के लिए रिजर्वेशन दीजिए। इससे जाति भावना कम हो सकती है। इसके अलावा जो इंसेंटिब्स देते हैं उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। कोई रेड्डी लिखता है, कोई चौधरी होता है तो यह जो रिलीजन इण्डीकेशन है उस पर बैन लगाना चाहिए। नाम से मालूम नहीं होना चाहिए कि यह कौन है। जाति या धर्म किसी के मुंह पर लिखा हुआ नहीं होता है। नाम से मालूम नहीं होगा कि वह किस जाति का है या किस धर्म है। इसलिए अगर इस प्रथा को बैन कर सकें तो समाज के लिए अच्छा होगा।

जाति के नाम से पार्टियां बन रही हैं, धर्म के नाम से पार्टियां बन रही हैं। अगर धर्म और जाति के नाम पर बनी पार्टियों को एनक्रेज किया जाएगा तो यह ठीक नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं, पंजाब में हिन्दू और सिख लड़ते हैं, काश्मीर में मुसलमान और हिन्दू लड़ते हैं। इससे समाज का क्या होगा? समाज में धर्म और जाति के नाम पर पार्टियों को क्यों बढ़ावा देते हैं? एक तरफ कहते है कि सैक्यूलर स्टेट है और दूसरी तरफ इस तरह से पार्टियां बनाते हैं। हम कैसे इसका समर्थन कर

सकते हैं। मैं तो इसका समर्थन नहीं कर पा रही हूं। इसलिए मैं सुझाव देना चाहती हूं कि एजूकेशन इन्टीच्यूशन में एप्लीकेशन फार्म जो होते हैं और इम्पलायमेंट में जो फार्म होते हैं उनमें धर्म और जाति का एक कॉलम होता है, जिनको रिजर्वेशन चाहिए वे भर सकते हैं और जिनको नहीं चाहिए वे नहीं भरेंगे, जाति और धर्म के कॉलम को यदि आप निकाल दें तो समाज में मानवता की दृष्टि से हम सोच सकेंगे।

इन्टर कॉस्ट मैरिज करने वालों के लिए यदि हम कुछ कर सकें तो जाति के नाम से जो लड़ते हैं, इसमें कमी आएगी। सारी जातियां एक मानव जाति हो जाएगी। भारत एक सैक्यूलर स्टेट है। महात्मा गांधी ने कहा था कि अछूती को निकालो। एक महिला होने के नाते मैं पूछ रही हूं कि जब आप मर्द लोग लड़ते हैं तो क्या महिलाओं के लिए सोचते हैं। इसके लिए क्या आप कुछ कर सकते हैं। ये हमारी मांगे चल रही हैं। बहुत दिनों से हम इसके लिए सोच रहे हैं लेकिन निर्णय लेने वाली कोई पार्टी नहीं है। इस समाज को सुधारने के लिए कोई पार्टी सामने आए। अगर जनता दल आगे आकर काम करके दिखाएगा तो यह समाज आपको कहेगा कि आपने अच्छा काम किया है। आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने बहुत किया है। आपको हमसे ज्यादा करना चाहिए। मैंने जो कहा है यदि आप कर सकें, समाज को दिखा सकें तो यह जनता मानेगी कि जिनको उसने चुना है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आप भी बात करके चले जाएंगे तो हम सोचेंगे कि आप भी केवल बातें करने वाले हैं। आज महिलाओं पर भी काफी अत्याचार हो रहे हैं। उन पर बलात्कार और दहेज के कारण हत्याओं जैसे गंभीर अपराध और अत्याचार हो रहे हैं जो लोग इसके दोषी हों उन पर मुकदमा चलना चाहिए। आजकल केस तो बनते हैं लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति दहेज लिए बिना शादी नहीं कर रहा है। हमारे इसी सदन में दहेज विरोधी कानून बना था, लेकिन उसकी समाज में पालना नहीं होती है। प्रशासन में भी इसको लागू करने वाले नहीं हैं। समाज सुधार के लिए हम कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज महिलाओं को कितना रोजगार दिया जाता है इस पर भी विचार करना चाहिए। आप सदन में ही देख लें कि कितनी महिला सदस्याएं हैं। करीब-करीब सभी दलों ने 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए सीट्स आरक्षित कराने की बात कही थी लेकिन कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी ने इसको पूरा नहीं किया है। हम इस देश में 50 प्रतिशत हैं, तो कम से कम 30 प्रतिशत आरक्षण हमारे लिए होना ही चाहिए, क्योंकि हम भी पुरुषों के बराबर काम करती हैं। नेशनल इन्टीगिरेशन कौंसिल के तहत हम काफी कुछ कर सकते है। आज धर्म और जाति के आधार पर जो नौजवान लड़ रहे हैं उनको राष्ट्रीय एकता परिषद के तहत लाना चाहिए। इसके लिए स्कूलों में, कालेजों में और विश्व-विद्यालयों में गृह मन्त्रालय को राष्ट्रीय एकता परिषद का सेल बनाना चाहिए जिससे नौजवान पीढ़ी धर्म और जाति के नाम पर न लड़कर देश की उन्नति और रक्षा के लिए अपने को समर्पित करे। इसके अतिरिक्त यूथ फोर्स का भी गठन करना चाहिए इन सबके लिए वित्तीय सहायता भी दी जानी चाहिए। जिससे ये सेल सुचारु रूप से चल सकें। इससे लोग कम्युनल हार्मोनी के बारे में न सोचकर धर्म-निरपेक्षता के बारे में सोचेंगे। कहने को काफी कुछ है, लेकिन समय की अपनी सीमा है इसलिए इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री छेदी पासवान।

श्री दर्शन चौधरी (रोसेड़ा) : तीन नम्बर में मेरा नाम है, दूसरे लोगों का नाम बुलाया जाता है, मेरा नाम आना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम बारी के हिसाब से आएगा। इस तरह से काम नहीं चलेगा।

आप बैठ जाएइ, आप कम्पेल नहीं कर सकते, यह ठीक नहीं है।

श्री बसई चौधरी : हमने नाम दिया हुआ है। हम कम्पेल नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बैठना ही होगा, आप चुप रहें।

श्री बसई चौधरी : तो क्या हम जाएं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी इच्छा है। इस तरह से काम नहीं चलेगा।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : आप अपनी पार्टी से कहिए चेयर से क्यों कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठें। आप इस प्रकार से चलेंगे तो यह ठीक नहीं है। सब लोगों को यहां बोलने का चांस दिया जा रहा है, आप इस तरह से नहीं चल सकते हैं।

श्री बसई चौधरी : हम कुछ नहीं बोले हैं। मेरा नाम था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। ऐसी चीज हाउस में अलाऊ नहीं की जाती। आपको चुप ही रहना है।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलने से पहले चेयर से निवेदन करूंगा कि मैं पहले भी इसके सम्बन्ध में बोल चुका हूं कि हमारे नाम को हमारे गारजियन लोग पहले ही बिगाड़ चुके हैं, फिर न बिगाड़ा जाए। मेरा नाम छेदी पासवान है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो पेपर्स मिलते हैं, उसमें चेदी पासवान होता है, कम से कम उसको सुधारा जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : गुलाब को किसी अन्य नाम से भी पुकारो तो वही खुशबू देगा।

श्री छेदी पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, श्री विजय कुमार मल्होत्रा एवं कुमारी मायावती जी ने देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर निरन्तर अत्याचार के सम्बन्ध में जो चर्चा उठायी है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का सुअवसर दिया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन 2-3 मुद्दों पर अपनी बात कहकर समाप्त करूंगा। यहां बहुत अच्छे-अच्छे वक्ता और विद्वान लोग हैं। मेरा अपना कटु अनुभव है और मैंने जो देखा है उसके लिए बयान करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, समाज में सामाजिक समानता लाने के लिए डा० भीम राव अम्बेडकर ने कार्य किया और उन्होंने संविधान का निर्माण भी किया ताकि समाज में फैली विषमता समाप्त हो सके लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो उन्होंने आरक्षण की नीति बनायी थी, उसका पालन कहीं भी नहीं किया जा रहा है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जब मैं बिहार में विधान-सभा का सदस्य था तो उस समय भी इस प्रकार का प्रश्न उठाया था लेकिन मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया गया था। क्या यह बात सही है कि 42 वर्ष की आजादी के बाद भी अनुसूचित जाति के लोगों को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है। हम जब चुनाव जीतकर आते हैं तो इस सदन में उनकी समस्याओं को उठाते हैं। यह विषमता और अन्याय सृष्टि के शुरू होने से पहले है। इनका निदान होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 42 वर्ष के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमता आज तक नहीं मिट पायी है। मैं इसका जीता-जागता उदाहरण दे सकता हूं कि बाबू जगजीवन राम इस देश के उप-प्रधान मन्त्री हुए हैं। जब बनारस में उन्होंने संपूर्णानन्द के मन्दिर का शिलान्यास किया तो मन्दिर को गंगा जल से धुलवाया

गया। यह विषमता आज भी पूरे हिंदुस्तान में है। हालांकि कुछ विषमता मिट रही है। लोगों के दिल और दिमाग में यह भावना घर कर गयी है कि इनको नीच बनाकर रखो और अपना सारा काम लेते रहो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो जमीन आज हरिजनों या आदिवासियों के नाम पर बंदोबस्ती की जा रही है और लाल कार्ड दिया जा रहा है लेकिन बंदोबस्ती के नाम पर या दखल के बारे में सरकार कहीं सहयोग नहीं करती है। इसके आलावा मैं आपको एक बात बतलाऊं तो सब को आश्चर्य होगा। हमारे दरभंगा विश्वविद्यालय में मेहतरों के नाम पर जो नौकरी का आरक्षण किया जाता है उस पर ब्राह्मण वर्ग ने कब्जा किया हुआ है। वेतन वे पाते हैं और काम मेहतरों को करना पड़ता है। यह विषमता आज भी हमारे देश में विद्यमान है।

अब लोन देने की जो बात है, वह इण्डियन फाईनेंशियल एसोसिएशन। बड़े उद्योगपतियों के ऊपर पचास हजार करोड़ रुपया बाकी है, उसे सरकार वसूल करने की कोई कार्रवाई नहीं करती है और आज भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोन दिया जाता है तो नियम बनाए गए। उन्हें चर्म उद्योग के नाम पर लोन दिया जाता है और वह केवल छः हजार रुपया। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और 42 वर्षों के बाद भी उनकी हालत बदतर है। बड़े लोगों को अधिक से अधिक लोन दिया जाता है और अनुसूचित जाति के लोगों को मात्र 6 हजार रुपया। यह व्यवस्था हमारी सरकार की है। इसके अलावा आप जानते हैं कि कांग्रेस सरकार ने कुछ योजनाएं बनायी थीं जिसमें एक इन्दिरा आवास योजना थी। यह आवास गांव से हटकर दूर बनाए गए हैं सिर्फ यह बताने के लिए कि यह हरिजनों के निवास हैं। आज भी लोग यह मजबूती के साथ इस बात को देखकर कह सकते हैं कि दूर के बने हुए इन मकानों में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। यह योजना हरिजनों में हीन भावना पैदा करने के लिए बनायी गई है। उस मुहल्ले में कभी भी

8.00 म० प०

आग लगायी जा सकती है। इस नाते आज भी हरिजनों के लिए इन्दिरा आवास नाम से जो कॉलोनी बनायी जाती है, वह गांव से दूर बनती है। मेरा निवेदन है कि इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, मैं अपने वर्तमान प्रधानमन्त्री श्री वी० पी० सिंह के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जो काम पिछली कांग्रेस सरकार 42 वर्षों में नहीं कर सकी, उन्होंने पार्लियामेंट के सेन्ट्रल हाल में डा० बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करके, पूरा कर दिखाया है। मैं इसके लिए भी अपने प्रधानमन्त्री के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि अब देश में 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश रहा करेगा, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया है। इसके साथ ही सरकार से मांग करूंगा कि डा० अम्बेडकर साहब की जीवनी से सम्बन्धित पाठ हमारी पुस्तकों में शामिल करके स्कूलों में पढ़ाया जाए।

हमारे यहां कहावत है कि "खाली बैठे शैतानी सूझे"। सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण ही आज एस०सी०एस०टी० के लोग अत्याचार का शिकार होते हैं। वहीं दूसरी तरफ देहातों में गरीब वर्ग के और अन्य छोटी जातियों के लोग काम न होने की वजह से धीरे-धीरे नक्सलाइट्स बनते जा रहे हैं। सरकार उन्हें आज तक कोई काम नहीं दे पाई। काम न होने के कारण ही उन्हें इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए।

अब मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के

लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है। हमारे बिहार में, रोहतास जिले में नासरीगंज थाना पड़ता है। उसके अंतर्गत बुधआ नामक गांव में एक चौकीदार था, जिसका नाम सन्मुख राम था। आज भी उसकी पत्नी अनुग्रह राशि के लिए, जिला अधिकारी, थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों के चक्कर लगाती है। ऐसा हुआ कि उस गांव में किसी की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला व्यक्ति प्रभावशाली था। उसे बचाने के लिए थाना नासरीगंज के थाना प्रभारी ने सन्मुख राम चौकीदार को बुलाकर लालच दिया कि तुम, जिसने हत्या की है, उसका नाम न लेकर किसी अन्य व्यक्ति का नाम ले दो और गवाही दे दो चौकीदार अनुसूचित जाति का व्यक्ति था। जब उसने थाना प्रभारी को ऐसा करने से मना कर दिया तो थाना प्रभारी ने वहीं थाने के बगल में हत्या करके, उसकी लाश एक पेड़ पर टांग दी। मेरा कहने का मतलब है कि आज तक गांवों में ऐसी व्यवस्था बनी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और है। पिछली कांग्रेस सरकार अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था 42 वर्षों तक नहीं कर पाई। कांग्रेस सरकार ने पहले एक ऐसा नियम बनाया था कि नवम्बर, 1989 तक इन जातियों को मिलने वाला आरक्षण कोटा यदि कहीं शेष होगा तो उसे अवश्य भर लिया जायेगा। मुझे खेद है कि आज तक वह बैकलॉग पूरा नहीं हुआ। हमारे यहां अगस्त मास में 1800 शिक्षकों की बहाली के संबंध में एक नोटिस निकला था। ऊंची जाति के लोगों ने हाई कोर्ट में केस दायर करके उच्च न्यायालय से एक ऐसा आदेश प्राप्त कर लिया कि उन बहालियों को रद्द कर दिया जाए। मेरी सरकार से मांग है कि 1800 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शिक्षकों की नियुक्ति के सिलसिले में, शेष रहे आरक्षण भरने के उद्देश्य से जो कार्य आरंभ किया गया था, वह शीघ्र भरा जाए। इन शब्दों के साथ, आपने मुझे समय दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : और भी बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो इस विषय पर संभवतः और विस्तार से बोलना चाहते हैं। इसलिए हम इस विषय पर कल भी चर्चा करेंगे। न केवल मन्त्री महोदय वाद-विवाद का उत्तर देंगे बल्कि इस विषय पर सदस्य भी बोलेंगे। कल, गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य भी होगा क्योंकि शुक्रवार को छुट्टी है। यदि समय हुआ तो हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू होने से पहले इस मामले को लेंगे, यदि आवश्यक हुआ तो हम इसे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य की समाप्ति के पश्चात ले सकते है।

सभा कल 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

8.04 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 26 अप्रैल, 1990 6 वैशाख, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : दि इण्डियन प्रैस, दिल्ली।